खण्ड-404, अंक-9
मंगलवार, 11 चैत्र, शक संवत् 1914
(31 मार्च, 1992 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

(ग्यारहवीं विधान सभा, प्रथम सत्र 1992)

खण्ड 404 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:

निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ, उत्तर प्रदेश (भारत)

1992

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

...न पुस्तकालय कार्यवाही खण्ड, उत्तर प्रदेश

विषय–सूची

विषय	पृष्ठ-संख्या
उपस्थित सदस्य	क–ख
नियम 311 के अन्तर्गत दी गयी सूचना को सर्वप्रथम लिये जाने की मांग ..	1-4
प्रश्नोत्तर	4-106
जनपद बाराबंकी स्थित राम सनेही घाट में समाजवादी जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं पर पुलिस द्वारा किये गये लाठीचार्ज के संबंध में नियम 311 के अन्तर्गत सूचना	106-151
जनपद फैजाबाद के मोहल्ला कसाईबाड़ा स्थित मस्जिद में बम-विस्फोट से उत्पन्न स्थिति के संबंध में नियम 311 के अन्तर्गत सूचना	151-157
नियम 301 के अन्तर्गत सूचनाएं	157
ईद के अवसर पर फैजाबाद में शान्ति-व्यवस्था कायम रखने के संबंध में सुरक्षा की मांग	157-158
अलबिदा की अंतिम नमाज के दिन सदन की उपवेशन को स्थगित करने का अनुरोध	158
नियम 311 के अन्तर्गत सूचनाएं (जारी)	158-159
नियम 301 के अन्तर्गत सूचनाएं (जारी)	159-160
जनपद बांदा के अधिशासी अभियन्ता, अल्प सिंचाई द्वारा डैमों के निर्माण तथा बोरिंग में की गयी कथित अनियमितता के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	160
जनपद बरेली के हाफिजगंज थाने की पुलिस द्वारा सिक्ख समुदाय के दो लोगों को गोली मारने से उत्पन्न स्थित में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ...	160-161
जनपद देवरिया की गण्डक नदी में चीनी मिलों द्वारा जहरीला पानी छोड़ने से मछलियों के मरने तथा मछुआरों के सामने भुखमरी की समस्या के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	161
जनपद बस्ती में अजय नामक हरिजन बालक की हत्या की न्यायिक जांच तथा मृतक के परिवार को आर्थिक सहायता देने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	161-162

उत्तर प्रदेश विधान सभा

विषय–सूची

विषय	पृष्ठ-संख्या
जनपद गाजीपुर में 33 के० वी० विद्युत उपकेन्द्र कासिमाबाद तथा मरदह द्वारा नियमित आपूर्ति न किये जाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ..	162
संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान में व्याप्त कथित अनियमितताओं के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	162-163
जनपद टिहरी गढ़वाल में चिरबटिया लस्या, नरेन्द्र नगर, कीर्तिनगर में फल पट्टी योजना लागू करने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ...	163
औचित्य के प्रश्नों की सूचनायें	163
नरेन्द्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय कुमारगंज (फैजाबाद) में प्रवेश सूची रद्द किये जाने के संबंध में औचित्य का प्रश्न ...	164-165
वर्तमान बजट सत्र के तीसरे बुधवार के अतारांकित प्रश्न संख्या 109 के उत्तर में त्रुटि के संबंध में औचित्य का प्रश्न	165
टाउन एरियाओं को सुलभ शौचालयों हेतु आवंटित–धनराशि वापस लिये जाने तथा केवल बिठूर, कानपुर को धन आवंटित किये जाने के संबंध में औचित्य के प्रश्न की सूचना	165-166
विपक्ष के अधिकांश सदस्यों की अनुपस्थिति में बजट पर सामान्य चर्चा कराये जाने के संबंध में औचित्य का प्रश्न	166-168
सदस्यों के निलम्बन के संबंध में नियम 300 के अन्तर्गत व्यवस्था का प्रश्न	168-173
कार्य-स्थगन प्रस्तावों की सूचनाएं	173-186
वित्तीय वर्ष 1992-93 के आय व्ययक पर सामान्य चर्चा ...	186-192
उत्तर प्रदेश आमोद और पणकर (संशोधन) विधेयक, 1992 (स्वीकृत) ...	192-194
नियम 51 के अन्तर्गत प्राप्त सूचनाएं ...	194
जनपद देवरिया की छोटी गण्डक तथा गोरखपुर के फरेन नाले एवं बस्ती की आमी नदी में फैक्टरियों द्वारा जहरीला पानी छोड़े जाने के संबंध में नियम 51 के अन्तर्गत वक्तव्य का स्थगन	194-195
जनपद फैजाबाद की अकबरपुर तहसील व निकटवर्ती जनपदों में सहकारी चीनी मिल के लिये जमा कराये गये अंशधन की ब्याज सहित वापसी अथवा चीनी मिल स्थापना की स्पष्ट घोषणा के संबंध में नियम 51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर वक्तव्य का स्थगन	195

विषय–सूची

विषय	पृष्ठ-संख्या
प्रदेश में निःशुल्क बोरिंग योजना में व्याप्त भ्रष्टाचार एवं अनियमितता के संबंध में नियम 51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर वक्तव्य का स्थमन ...	195
जनपद आजमगढ़ के अन्तर्गत गोहनारपुर अदालत-पंचायत की ग्राम सभाओं में दोहरी शासन व्यवस्था से उत्पन्न स्थिति के संबंध में नियम 51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर वक्तव्य का स्थगन	195
उत्तर प्रदेश सरकार के दिनांक 9 अप्रैल, 1991 के शासनादेश सं०–871ई/-23-लो० नि०-11 पर वर्तमान सरकार द्वारा रोक लगाये जाने विषयक दिनांक 27 फरवरी, 1992 को पूछे गये अता० प्र० सं०-96 पर नियम-49 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर चर्चा का स्थगन	195
नत्थी	196-199

उत्तर प्रदेश विधान सभा

उत्तर प्रदेश विधान सभा

मंगलवार, दिनांक 31 मार्च, 1992

निम्नांकित सदस्यों के अतिरिक्त अन्य सभी सदस्य उपस्थित थे:–

अजय प्रताप सिंह, श्री	गोण्डा	दलवीर सिंह, श्री	अलीगढ़
अफजाल अंसारी, श्री	गाजीपुर	दिवाकर विक्रम सिंह, श्री	सिद्धार्थनगर
अमरनाथ यादव, श्री	वाराणसी	धर्मपाल यादव, श्री	बुलन्दशहर
अमर सिंह, श्री	बिजनौर	नरेन्द्र सिंह भाटी, श्री	बुलन्दशहर
अरविन्द कुमार, डा०	ललितपुर	नबाब सिंह, श्री	मथुरा
अरुण प्रताप सिंह, श्री	सुल्तानपुर	नारायण दत्त तिवारी, श्री	नैनीताल
अशोक कुमार सिंह, श्री	रायबरेली	पूरन प्रकाश, श्री	मथुरा
इम्तियाज अहमद, श्री	मऊ	पूरन सिंह बुन्देला, श्री	ललितपुर
उमाकान्त यादव, श्री	जौनपुर	फतेहबहादुर सिंह, श्री	महराजगंज
ओम प्रकाश, श्री	गाजीपुर	बनवारी सिंह, श्री	बदायूं
ओम प्रकाश, श्री	फतेहपुर	बाबू राम एम० काम०, श्री	जालौन
कंवरपाल मास्टर, श्री	सहारनपुर	बृजभान यादव, डा०	इलाहाबाद
कटार सिंह , श्री	मेरठ	बृजेश कुमार शर्मा, श्री	प्रतापगढ़
कमलेश कुमार, श्री	गोण्डा	भरत सिंह, श्री	बलिया
किशन गोपाल, श्री	आगरा	भोला सिंह, श्री	इलाहाबाद
किशन लाल, श्री	पीलीभीत	मदन भइया, श्री	मेरठ
किशन लाल दिलेर, श्री	अलीगढ़	मुन्ना चैहान, श्री	देहरादून
कृष्ण किंकर सिंह, श्री	बस्ती	रणजीत सिंह जूदेव, श्री	झांसी
कृष्ण कुमार, श्री	फतेहपुर	रमाकान्त यादव, श्री	आजमगढ़
गामाराम शास्त्री, श्री	गाजीपुर	रवीन्द्र शुक्ला, श्री	झांसी
गोमती प्रसाद, श्री	लखनऊ	राकेश सोनकर, श्री	कानपुर नगर
घुरहू, श्री	बलिया	राजीव कुमार, श्री	नैनीताल
जगदम्बा सिंह, श्री	बस्ती	राम खिलाड़ी, श्री	बदायूं
ज्योत्सना श्रीवास्तव, श्रीमती	वाराणसी	राम प्यारे शुक्ल, श्री	सुल्तानपुर
तेज नारायण त्रिवेदी, श्री	लखीमपुर खीरी	राम सिंह, डा०	अलीगढ़

राम सिंह, श्री	बुलन्दशहर	श्याम सुन्दर शर्मा, श्री	मथुरा
लल्लू सिंह, श्री	फैजाबाद	समीउल्ला, श्री	गोण्डा
लाल चन्द्र, श्री	जौनपुर	सुखदेव, श्री	आजमगढ़
विक्रमादित्य पाण्डेय, श्री	बलिया	सुरेन्द्र शुक्ला, श्री	देवरिया
विजय सिंह, श्री	सोनभद्र	सुरेश प्रताप गांधी, श्री	अलीगढ़
वेद प्रकाश, श्री	बस्ती	हरनारायण सिंह, श्री	रायबरेली
शिवपाल सिंह, श्री	उन्नाव		

विधान सभा

मंगलवार, दिनांक 31 मार्च, 1992

(विधान सभा की बैठक सभा मण्डप लखनऊ में 11 बजे दिन में अध्यक्ष श्री केशरी नाथ त्रिपाठी की अध्यक्षता में आरम्भ हुई ।)

नियम 311 के अन्तर्गत दी गयी सूचना को सर्वप्रथम लिये जाने की मांग

(व्यवधान)

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

माननीय अध्यक्ष महोदय, कल समाजवादी जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं पर बाराबंकी में निर्ममतापूर्वक लाठीचार्ज किया गया । उसमें गम्भीर रूप से तमाम साथी घायल हुए हैं, जिसमें सांसद श्री राम सागर रावत जी और श्री छोटे सिंह यादव जी सम्मिलित हैं । यही नहीं इस सदन के तमाम हमारे माननीय सदस्य श्री बेरिया जी, छोटे लाल जी और तमाम हमारे साथी उसमें घायल हुए हैं । मान्यवर, इस सम्बन्ध में हमने आपको नियम–311 के अन्तर्गत एक सूचना दी है । इससे ज्यादा महत्वपूर्ण और तात्कालिक विषय कोई और हो नहीं सकता, हमारे विधान सभा के सदस्य पुलिस के निर्मम लाठीचार्ज से गम्भीर रूप से घायल हैं । मैं मांग करता हूं कि सदन की शेष कार्यवाही रोक कर इस महत्वपूर्ण मसले को सर्वप्रथम लिया जाय और इस पर चर्चा करायी जाय ।

श्री अखिलेश–

मान्यवर, मैं कल 30 तारीख को सदन की कार्यवाही में भाग लेने के लिये अपने आवास नौतनवा जनपद महराजगंज से यहां आ रहा था कि राम सनेही घाट पर जबरन पुलिस के द्वारा रोक दिया गया । मैंने उनसे कहा भी कि सदन की कार्यवाही में हिस्सा लेने के लिये विधान सभा जा रहा हूं लेकिन उसके बावजूद भी मुझे जबरन वहां रोक दिया गया । मैंने इस सम्बन्ध में एक विशेषाधिकार हनन की नोटिस आपको दी है । कृपया उसे लेने का कष्ट करें ।

श्री विजय सिंह राणा–

मान्यवर, कल जो घटना घटित हुई है, वह एक महत्वपूर्ण विषय है । हमारे प्रदेश में अब राम जन्म भूमि-बाबरी मस्जिद के नाम पर मंदिर टूटने लगे हैं तो आज न मंदिर सुरक्षित है और न मस्जिद सुरक्षित हैं । मान्यवर, जो मंदिरों की रक्षा के लिये, मस्जिद की रक्षा के लिये कृतसंकल्प हो कर जा रहे थे फैजाबाद में उन पर पुलिस और पी० ए० सी० ने भयंकर लाठीचार्ज किया । पूरे प्रदेश में मंदिरों को तोड़े जाने की बातें हो रही हैं । पुलिस और पी० ए० सी० प्रदेश में निरंकुश होकर कार्य कर रही है । यह बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है । 311 की जो सूचना है, उसको लिया जाना चाहिये ।

श्री अध्यक्ष–

311 की जो सूचनायें मुझे मिली हैं ।

श्री प्रमोद तिवारी–

मान्यवर, कल जिस तरीके से समाजवादी जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं और इस सदन के माननीय सदस्यों पर लाठीचार्ज किया गया, उससे इस सरकार की जितनी भी निन्दा की जाय, कम है । मैं आग्रह करूंगा सजपा के माननीय नेता से इसमें जितनी चाहे आलोचना कर लें, यह प्रकरण अत्यन्त महत्वपूर्ण है,

इस पर चर्चा जरूर होनी चाहिये, लेकिन प्रश्नकाल के बाद चर्चा करा ली जाय तो आभारी हूंगा । 12 बजकर 20 मिनट के बाद सर्वोच्च प्राथमिकता के आधार पर इस पर चर्चा करा ली जाय ।

श्री मुलायम सिंह यादव–

मान्यवर, जैसा कि अभी माननीय प्रमोद तिवारी जी, बेनी प्रसाद वर्मा एवं अन्य लोगों ने कहा हम उससे सहमत हैं । एक बात कहना चाहता हूं कि अभी-अभी पता चला है, बहुत ही विश्वसनीय खबर है कि अयोध्या के अन्दर कसाई बाड़ा की मस्जिद को तोड़ दिया गया है । एक विस्फोट हुआ और अध्यक्ष महोदय, अगर पांच मिनट बाद यह विस्फोट होता तो करीब पांच, छः सौ लोग जो नमाज पढ़ने जा रहे थे वह मारे जाते । पूरी छत तोड़ दी गयी, दीवाल टूट गयी है, लोग गम्भीर रूप से घायल हैं, पूरे फैजाबाद में तनाव का वातावरण व्याप्त है, स्थिति बड़ी विस्फोटक हो गयी है । यह सरकार मस्जिदों को तोड़ने की साजिश कर रही है । मान्यवर, या तो ये इसकी सुरक्षा नहीं कर पा रहे हैं या कर नहीं रहे हैं । मंदिरों तथा मस्जिदों को तोड़ा जा रहा है और मुसलमानों को इतना आतंकित फैजाबाद में किया जा रहा है जिससे वह वहां न रह सके इसलिये मान्यवर, सारे नियमों को निलम्बित करते हुए इस विषय पर चर्चा करायी जाये । मान्यवर, पूरा प्रदेश साम्प्रदायिक तनाव में लिपटा हुआ है ।

श्री कैलाश नाथ सिंह यादव–

मान्यवर, जैसा कि अभी माननीय मुलायम सिंह यादव जी, माननीय प्रमोद तिवारी जी व अन्य सदस्यों ने कहा हम उनकी बातों से पूर्ण रूप से सहमत हैं । माननीय प्रमोद तिवारी जी ने कहा कि क्वेश्चन आवर के बाद इस विषय पर चर्चा करायी जाये लेकिन जिस प्रकार से माननीय मुलायम सिंह सिंह जी ने विषय की गम्भीरता को बताया है, उन्होंने कहा कि वहां पर मंदिरों और मस्जिदों को तोड़ने की प्रक्रिया चल रही है । मान्यवर, अभी सहारनपुर के संसद श्री रसीद मसूद आदि के खून के छींटे अभी मिटे भी नहीं थे कि फैजाबाद में छोटे लाल यादव, राम सागर रावत, सांसद इत्यादि पर आक्रमण हुआ तो इससे ज्यादा अविलम्बनीय लोक-महत्व का और कोई प्रश्न नहीं है इसलिये मैं आपसे प्रार्थना करूंगा कि विषय की महत्ता को देखते हुए पहले इस पर चर्चा करा दी जाये ।

श्री राम गोविन्द चौधरी–

मान्यवर, पहले आप इस विषय पर चर्चा करा दें । वैसे आप जो व्यवस्था देंगे वह शिरोधार्य होगी लेकिन इसकी महत्ता, इसकी गम्भीरता को तो आप कम से कम देखें । यह मामला बहुत ही गम्भीर है । मान्यवर, फैजाबाद में सदस्यों, एम० पी० और सा० ज० पा० के कार्यकर्ताओं को बिना किसी सूचना के ताबड़ तोड़ लाठियों से मारा गया है, वहां पर दर्जनों महिलायें घायल हो गयीं हैं और इस तरह का जघन्य काम सरकार ने, पुलिस और पी० ए० सी० के लोगों ने किया है । मान्यवर, जिलाधिकारी महोदय, जहां पर हम लोग जेल में बन्द थे तथा एस० एस० पी० कहते हैं कि हमें लाठी चार्ज के बारे में मालूम नहीं और न हमने इसके आदेश दिये हैं, दर्जनों लोग वहां पर घायल है ...

श्री अध्यक्ष–

जिस समय आपकी सूचना लेंगे उस समय आप अपनी बात पूरी कर लीजियेगा ।

श्री राम गोविन्द चौधरी–

मान्यवर, यह बहुत ही महत्वपूर्ण मामला है । आप इस पर चर्चा कराइये ।

श्री अध्यक्ष–

आप कृपया बैठ जायें ।

श्री स्वामी नाथ यादव–

मान्यवर, जैसा कि अभी माननीय मुलायम सिंह यादव जी, बेनी प्रसाद वर्मा जी ....

श्री अध्यक्ष–

पहले ऊदल जी खड़े हैं उन्हें बोलने दीजिये ।

श्री स्वामी नाथ यादव–

मान्यवर, इस प्रदेश में लोकतंत्र की हत्या हो रही है । मान्यवर, गांधी जी के देश में किसी सत्याग्रही के ऊपर लाठीचार्ज किया जाये, माननीय सदस्यों और सांसदों को बुरी तरह से पीटा जाये इससे ज्यादा शर्मनाक और क्या बात हो सकती है ? मान्यवर, इससे बड़ी लोकतंत्र की हत्या क्या हो सकती है ? मैं चाहूंगा कि मैंने जो नियम–56 के अन्तर्गत सूचना दी है उसके अंतर्गत इस पर चर्चा करा दी जाये । मान्यवर, जब लोकतंत्र नहीं रहेगा, सदन नहीं रहेगा, आप नहीं रहेंगे और यह सरकार नहीं रहेगी तो क्या फायदा होगा ? इसलिये मेरी प्रार्थना है कि जो मैंने नियम–56 के अंतर्गत कार्य-स्थगन का प्रस्ताव दिया है उस पर चर्चा करा दी जाये ।

श्री ऊदल–

मान्यवर, मैं आपके संज्ञान में यह बात लाना चाहता हूं लेकिन चूंकि माननीय मुलायम सिंह यादव जी पहले खड़े हो गये और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न को उन्होंने सामने रखा है । मेरे पास 10 बजे फैजाबाद से टेलीफोन आया था .इसलिये मान्यवर, मैं नोट करके भी लाया हूं । फैजाबाद जिले में कसाईबाड़ा में भोर 5 बजे करीब डायनामाइट लगाकर मस्जिद को उड़ा दिया गया, उसके अलावा दो लोगों के मकान भी उड़ा दिये गये हैं । इस घटना से पूरे फैजाबाद जिले में एक तनाव का वातावरण पैदा हो गया है और साम्प्रदायिकता भी बढ़ गयी है, इसलिये मैं चाहता हूं कि इस महत्वपूर्ण मामले पर आप जरूर नियमों का निलम्बन करके सुनने की कृपा करें ताकि इसका कोई निराकरण हो सके नहीं तो पूरा प्रदेश इस साम्प्रदायिकता की चपेट में आ जायेगा और साम्प्रदायिकता की इस आग से पूरा देश और प्रदेश जलने लगेगा, इसलिये इस महत्वपूर्ण मसले पर आप अवश्य समय देने की कृपा करें ।

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

मान्यवर, फैजाबाद में डी० एम० और एस० पी० को लोग घेरे हुए हैं और वहां मस्जिद ध्वस्त कर दी गयी है, मान्यवर, इस मसले को गम्भीरता को देखते हुए इसको पहले ले लिया जाय ।

श्री प्रमोद तिवारी–

मान्यवर, आपने इस पर लोगों को सुन लिया है और इसका संज्ञान ले लिया है ।

श्री अध्यक्ष–

अभी तो आप लोग निवेदन कर रहे हैं, मैंने स्वीकार नहीं किया है ।

श्री प्रमोद तिवारी–

मान्यवर, फैजाबाद में मस्जिद तोड़ने की बात सदन में आ गयी है और कार्यवाही का अंग भी बन गयी है, इसलिये उचित यह होगा कि आप सरकार को निर्देशित कर दें कि वह एक घन्टे के अन्दर फैजाबाद से पूरी सूचना मंगा लें कि वास्तविक स्थिति क्या है ?

वित्त, संस्थागत वित्त, संसदीय कार्य एवं नियोजन मंत्री (श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त)–

मान्यवर, कोई चीज छिपाने का सवाल नहीं है । फैजाबाद की जो स्थिति है, उसकी पूरी जानकारी अभी भी है और मैं आदरणीय सदन को अवगत करा सकता हूं, लेकिन मेरी यह प्रार्थना है कि पहले प्रश्न प्रहर हो जाये, उसके बाद सब लोग अपनी बात रखें, मैं भी शासन का पक्ष व्यक्त करूंगा ।

श्री राम लखन–

मान्यवर, जैसा प्रमोद तिवारी ने विचार व्यक्त किया है, मैं उससे सहमत हूं, लेकिन जैसा माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने सूचना दी है कि फैजाबाद में कसाईबाड़ा में मस्जिद ध्वस्त हो गयी है, यह गम्भीर विषय है । मेरा आपसे आग्रह है कि प्रश्नकाल तो हो ही, लेकिन इस मामले पर चर्चा जरूर हो जाये तथा संसदीय कार्य मंत्री जी को जो सूचना है, वह भी अपनी सूचना दे दें कि क्या सही है, क्या गलत और इस गम्भीर मसले पर आप प्रश्नकाल के बाद इसको ले लीजिये ।

श्री अध्यक्ष–

आमतौर से मैं यह देख रहा हूं और मुझे आम सहमति यह नजर आ रही है कि जो सूचना अभी माननीय विभिन्न विरोधी दल के नेताओं ने दी है, उस सूचना पर प्रश्नकाल के तुरन्त बाद विचार करने के लिये ले लिया जाय । वैसे तो मैं पहले यह प्रक्रिया अपनाता रहा हूं कि प्रश्नकाल होने के बाद नियम–301, फिर नियम 300 और उसके बाद नियम 311 की सूचनायें लेता था, लेकिन माननीय संसदीय कार्यमंत्री जी ने भी प्रश्नकाल के बाद विचार करने के लिये कहा है, तो मैं अब प्रश्नकाल के तुरन्त पश्चात् पहले नियम–311 की उन सूचनाओं को लूंगा, जिनका विरोधी दल के नेताओं ने उल्लेख किया है, उसके बाद नियम–301 की सूचनायें लूंगा और उसके बाद 300 की सूचनायें लूंगा, उसके बाद शेष कार्य होगा ।

प्रश्नोत्तर

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

प्रदेश की भू-गर्भ जल सम्पदा को बढ़ाने हेतु केन्द्रीय योजना आयोग से पत्राचार करने की मांग

**1–श्री हृदय नारायण दीक्षित–

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि पठारी एवं बाढ़ग्रस्त जिलों में उ० प्र० सरकार, गुजरात सरकार की तरह संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा पोषित वर्षा के अतिरिक्त जल को वैज्ञानिक ढंग से पृथ्वी में अवशोषित कराकर प्रदेश की भू-गर्भ जल संपदा बढ़ाने के कार्यक्रम को चलाने हेतु केन्द्रीय योजना आयोग से कोई पत्राचार/वार्ता कर रही है ? यदि हां, तो योजना के लाभ क्या हैं ? इसमें राज्य सरकार को कितना धन अपने बजट से लगाना होगा ? केन्द्र से कितनी धनराशि के सहयोग की अपेक्षा है ?

ग्राम्य विकास राज्य मंत्री (श्री हरवंश कपूर)–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

श्री हृदय नारायण दीक्षित–

मान्यवर, उत्तर प्रदेश में सिंचाई की सुविधाओं का अभाव है । श्रीमन् मैंने प्रश्न किया था कि उत्तर प्रदेश सरकार वर्षा के अतिरिक्त जल को वैज्ञानिक ढंग से पृथ्वी में अवशोषित कराकर प्रदेश की भूगर्भ जल संपदा बढ़ाने के कार्य को चलाने हेतु केन्द्रीय योजना आयोग से कोई पत्राचार कर रही है मंत्री जी का जवाब आया है "जी नहीं " क्या सरकार के पास अपनी भी कोई योजना है, जिसके माध्यम से वर्षा का जो जल है, उसे वैज्ञानिक तरीके से अवशोषित कराकर प्रदेश की भूगर्भ जल सम्पदा को बढ़ाया जा सके ?

श्री हरवंश कपूर–

मान्यवर, लघु सिंचाई विभाग द्वारा प्रदेश के पठारी क्षेत्र (झांसी मण्डल) हेतु भूजल के भण्डारण एवं भूगर्भ जल के रिचार्ज हेतु एक योजना "डेवलपमेंट आफ सर्फेस वाटर स्टोरेज स्ट्रक्चर्स इन बुन्देलखण्ड" के नाम से प्रदेश सरकार के माध्यम से विदेशी सहायता हेतु केन्द्र सरकार को भेजी है, जो कि केन्द्र सरकार द्वारा डच सरकार को भेजी गयी है । डच दूतावास का एक सदस्यीय "फैक्ट फाइण्डिंग मिशन" इस योजना का अध्ययन कर चुका है । इस योजना हेतु आठवीं पंचवर्षीय योजना में 663.00 लाख का परिव्यय सम्मिलित कर लिया गया है । अभी तक डच सरकार की सहमति प्राप्त नहीं हुई है ।

श्री राम गोविन्द चौधरी–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने मूल प्रश्न के जवाब में ही कह दिया है जी नहीं । इसका मतलब यह हुआ कि माननीय मंत्री जी ने मूल प्रश्न को माना ही नहीं है । मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि वर्षा के पानी से जहां कृषकों की तबाही हो जाती है क्या उस पानी को वैज्ञानिक तरीके से अवशोषित कर भण्डारण हेतु सरकार के पास कोई योजना है ताकि किसानों का नुकसान भी न हो और जहां सिंचाई की सुविधा नहीं है या सिंचन क्षमता कम है, वहां उसका उपयोग किया जा सके ?

श्री हरवंश कपूर–

मान्यवर, जो मूल प्रश्न था वह बुन्देलखण्ड से संबंधित था ।

श्री हृदय नारायण दीक्षित–

मान्यवर, इसमें बुन्देलखण्ड का तो नाम ही नहीं है । लगता है माननीय मंत्री जी किसी दूसरे प्रश्न का जवाब पढ़ रहे हैं ।

श्री हरवंश कपूर–

मान्यवर, जो प्रश्न था, उसमें पठारी एवं बाढ़ ग्रस्त जिलों में उत्तर प्रदेश सरकार, गुजरात सरकार की तरह संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम की तरह कोई योजना चला रही है । उसी के उत्तर में मैंने कहा कि वर्तमान में जो योजना है, उस पर विचार किया जा रहा है । एक टीम यहां आई थी, उन्होंने उस क्षेत्र के लिये योजना बनाई है, जिस पर अभी सहमति प्राप्त नहीं हो सकी है । यह योजना केन्द्र सरकार के पास लम्बित है । प्रदेश सरकार द्वारा आठवीं पंचवर्षीय योजना में इस योजना हेतु 663.00 लाख रुपये का परिव्यय भी सम्मिलित कर लिया गया है ।

श्री बाबूराम यादव–

माननीय अध्यक्ष जी, प्रदेश का भूजलस्तर तेजी से नीचे जा रहा है जिससे पीने का पानी का संकट उत्पन्न हो गया है मेरे यहां बहुत बड़ा इलाका है जहां पीने का पानी उपलब्ध नहीं हो रहा है । जो इंडिया मार्का टू हैण्ड पम्प लगे हैं उनसे थोड़ा पानी मिल जाता है लेकिन देशी हैण्डपम्प से पानी नहीं मिलता

है तो मैं जानना चाहता हूं कि भू-गर्भ जल स्तर को ऊंचा करने या पानी को इकट्ठा करने के लिये सरकार ने कोई योजना बनाई है । इसका स्पष्ट उत्तर दिला दें ।

श्री हरवंश कपूर–

मान्यवर, जिस योजना के बारे में, मैं निवेदन कर रहा था उसके अन्तर्गत पानी को स्टोर किया जायेगा तो निश्चित रूप से जो भू-गर्भ जल स्तर में जो गिरावट हो रही है वह बढ़ेगा और पानी उपलब्ध होगा । तो परिस्थितियों के अनुसार जहां पानी नीचे चला गया है वहां के लिये यह योजना है ।

श्री स्वामी नाथ यादव–

मान्यवर, इस प्रकार सदन का समय नष्ट कर कोई फायदा नहीं है, उत्तर स्पष्ट नहीं आ रहा है ।

श्री अध्यक्ष–

मेरे विचार से अगला प्रश्न महत्वपूर्ण है उसे लेने दें ।

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

मान्यवर, यह सरकार बरखास्त होने के डर से बौखला गयी है और उत्तर नहीं दे पा रही है ।

श्री विजय सिंह राणा ––

मान्यवर, जैसा माननीय मंत्री जी ने बताया कि केन्द्र सरकार की कोई योजना इस संबंध में है तो मैं जानना चाहता हूं कि पानी की सुनिश्चितता बनाये रखने के लिये, जो पानी के साधन हैं उनको एकत्रित करके जलस्तर मेनटेन करने के लिये इनके पास केन्द्र सरकार से कोई योजना आयी है और आपने बताया कि कोई 6 सौ लाख रुपये का प्रावधान किया है तो प्रदेश सरकार ने उसको खर्च करने के लिये कौन सी योजना बनायी है, उसका प्रारूप क्या है और वह 6 सौ लाख रुपया कहां-कहां खर्च होगा, किस तरह से उसका उपयोग होगा ?

श्री अध्यक्ष ––

केन्द्र सरकार की योजना का जो प्रारूप है उसको बहुत संक्षेप में बता दें ।

श्री हरवंश कपूर ––

मान्यवर, यह 663 लाख रु० के परिव्यय की व्यवस्था डच सरकार द्वारा किया गया है, उनके द्वारा यह प्राप्त होगा यह केन्द्र सरकार की योजना नहीं है । जो परियोजना के प्रारूप की बात है उसमें चैक डैम बनाकर अतिरिक्त पानी का संचय करके और भू-गर्भ जल में जहां पर पानी का स्तर नीचे चला गया है उसे ऊंचा करने का प्रयास किया जायेगा ।

श्री स्वामी नाथ यादव –

इस पर चर्चा करा दें ।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष ––

मूल प्रश्न कर्ता माननीय दीक्षित जी अगर चर्चा के लिये मुझे सूचना दे देंगे तो मैं इस विषय पर चर्चा करा लूंगा ।

श्री हृदय नारायण दीक्षित ––

तो प्रश्न को स्थगित कर दें ।

श्री अध्यक्ष---

आप मूल प्रश्नकर्ता हैं तो मैंने कहा अगर आप इस विषय पर चर्चा के लिये लिख कर दें तो मैं चर्चा करा दूंगा ।

अयोध्या काण्ड की जांच हेतु एक सदस्यीय जांच आयोग का गठन

**2-श्री नरेश अग्रवाल---

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि पिछली उत्तर प्रदेश सरकार ने अयोध्या काण्ड की जांच हेतु न्यायमूर्ति श्री जगदीश प्रसाद चतुर्वेदी की अध्यक्षता में तीन सदस्यीय जांच आयोग का जो गठन किया गया था उसमें दस बिन्दुओं को जांच दायरे में रखा था जिसमें मुख्य रूप से 11 अक्टूबर, 1990 से 31 दिसम्बर, 1990 तक प्रदेश के विभिन्न जिलों में हुई हिंसात्मक व साम्प्रदायिक घटनाओं की जांच तथा 30 अक्टूबर व 2 नवम्बर, 1990 को अयोध्या में हुई गोली काण्ड मे मारे गये कारसेवकों की संख्या आदि थी ?

क्या यह सत्य है कि दिसम्बर, 1991 को मौजूदा प्रदेश सरकार ने उस आयोग को समाप्त करके अब न्यायमूर्ति श्री नरेन्द्र नाथ मित्तल की अध्यक्षता मे एक सदस्यीय जांच आयोग की घोषणा की और उस जांच आयोग को केवल तीन बिन्दुओं पर जांच करने का कार्य सौंपा जिसमें उपरोक्त दोनों मुख्य मुद्दों को नहीं रखा ? यदि हां, तो इसका क्या औचित्य है ? क्या सरकार पिछले आयोग के समक्ष जांच हेतु रखे गये दसों बिन्दुओं पर फिर से जांच करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

वित्त, संस्थागत वित्त, नियोजन एवं संसदीय कार्य मंत्री (श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त)---

जी हां ।

न्यायमूर्ति श्री नरेन्द्र नाथ मित्तल की अध्यक्षता में एक सदस्यीय जांच आयोग को लोक-महत्व के चार बिन्दुओं पर जांच करने का कार्य सौंपा गया है । जांच आयोग के टर्म्स आफ रेफरेन्स निम्नलिखित हैं:---

(1) अयोध्या, जनपद फैजाबाद में 1 सितम्बर, 1990 से 30 अक्टूबर, 1990 के मध्य प्रशासन एवं पुलिस द्वारा परम्परागत धार्मिक उत्सवों और आयोजनों पर रोक लगाने की वैधता एवं औचित्य तथा उसके लिये उत्तरदायित्व का निर्धारण,

(2) अयोध्या, जनपद फैजाबाद में माह सितम्बर और अक्टूबर, 1990 में राम जन्म भूमि-बाबरी मस्जिद मामले के संदर्भ में जारी किये गये सरकारी आदेश, विशेष रूप से ''शिलान्यास स्थल'' पर छतरी काटने तथा प्रस्तावित राम मंदिर के प्रतिमान (माडल) को हटाकर धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के लिये उत्तरदायित्व का निर्धारण,

(3) अयोध्या, जनपद फैजाबाद में दिनांक 30-10-90 तथा 2-11-90 को कारसेवकों पर बल प्रयोग एवं गोली काण्ड का औचित्य,

(4) अयोध्या, जनपद फैजाबाद में दिनांक 30-10-90 तथा 2-11-90 को कारसेवकों पर हुए बल प्रयोग तथा गोली काण्ड के लिये संबंधित व्यक्तियों और अधिकारियों के उत्तरदायित्व का निर्धारण,

शासन द्वारा अन्य बिन्दुओं पर जांच करवाये जाने की आवश्यकता नहीं पायी गयी है ।

श्री नरेश अग्रवाल–

मान्यवर, यह एक बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है । पूरे प्रदेश ही नहीं देश की नजरें अयोध्या पर जमी हुई हैं । इस सरकार ने चुनाव के समय इस बात का प्रचार किया था कि पूरे प्रदेश में जो साम्प्रदायिक दंगे हुए थे वह उस समय की सरकार ने कराये थे और उसमें हजारों लोग मारे गये थे । मैं मान्यवर, आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि पहले वह यह बतायें के जो पहले आयोग गठित किया गया था उसमें तीन सदस्य थे परन्तु नये आयोग में एक सदस्य बनाने का क्या कारण है ? पहले जो दस बिन्दु थे, जिसमें से छः बिन्दुओं को माना गया और जो शेष चार बिन्दु बचे थे ...

श्री अध्यक्ष–

एक-एक प्रश्न कर लें तो ज्यादा सुविधाजनक होगा ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, माननीय सदस्य ने यह जानना चाहा है कि पहले तीन सदस्यीय आयोग था अब एक सदस्यीय आयोग क्यों कर दिया गया ? मान्यवर, वस्तुस्थिति यह है कि पहले जो आयोग गठित था उसके जो टर्म्स आफ रेफरेंस थे, उसकी जो कार्य-शैली थी उससे जांच में विलम्ब हो रहा था । उसमें दो सदस्य इलाहाबाद के थे और एक कानपुर के । इनको एक साथ बैठने में दिक्कत होती थी इसलिये उसे भंग करके नया आयोग बनाया गया है ।

(व्यवधान)

(कई माननीय सदस्य बोलने के लिये खड़े होने लगे)

श्री अध्यक्ष–

कांग्रेस् दल के तो मा० नरेश अग्रवाल प्रश्न पूछ चुके हैं ।

श्री प्रमोद तिवारी–

मान्यवर, मेरा तर्क दूसरा है । मान्यवर, एक नई जानकारी मेरी समझ में आयी है । जब किसी आयोग का गठन होता है तो जज साहब के घर के पते से नहीं होता है । आयोग का स्थान निर्धारित होता है । जब कोई जज सहमति देता है तो उस स्थान की जानकारी के हिसाब से ही देता है । मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूं और स्पष्ट उत्तर चाहता हूं । ज्यादा घुमा फिरा कर उत्तर नहीं चाहता । मान्यवर, आयोग में स्पष्ट रूप से इस जानकारी के लिये यह बिन्दु निर्धारित था कि 30 अक्टूबर और 2 नवम्बर, 1990 को मरने वालों की निश्चित संख्या क्या है और वहां के साम्प्रदायिक दंगों के लिये कौन जिम्मेदार है ? इस सरकार ने उन दोनों बिन्दुओं को क्यों हटा दिया ?

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

हटाया नहीं, यह आयोग के टर्म्स आफ रेफरेंस में है ।

श्री नरेश अग्रवाल–

श्रीमन्, इन्होंने तो स्वीकार कर लिया है कि इन दोनों बिन्दुओं को नहीं रखा गया है ।

श्री प्रमोद तिवारी–

मान्यवर, आप उत्तर देख लें । इन्होंने स्वीकार किया है कि यह बिन्दु हटा दिये गये हैं । प्रश्न के अंत में पूछा गया है । आप देख लें जो उत्तर दिया गया है "जी हां" ।

श्री अध्यक्ष–

आपने कहा कि जांच आयोग का गठन किया गया था उसमें 10 बिन्दु थे और उन्हीं दस बिन्दुओं में से दो बिन्दु यह थे कि 30 अक्टूबर व 2 नवम्बर को मारे गये लोगों की संख्या व साम्प्रदायिक दंगों के लिये जिम्मेदार कौन हैं ? इन दोनों बिन्दुओं को अब नहीं रखा गया । उत्तर आया है जी हां लेकिन इसे आगे भी देखें जो उत्तर आया है कि लोक महत्व के चार महत्वपूर्ण बिन्दुओं पर जांच करने का कार्य आयोग को सौंपा गया है और अंत में लिखा है कि अन्य बिन्दुओं पर जांच करवाने की आवश्यकता नहीं है । अब उत्तर तो आ गया । यह तो अनुपूरक प्रश्न नहीं बनता ।

श्री प्रमोद तिवारी–

मान्यवर, मेरी तो समझ में नहीं आया । आयोग की जांच में स्पष्ट बिन्दु था कि कितने लोग 30 अक्टूबर व 2 नवम्बर को मारे गये उनकी निश्चित संख्या क्या है ? मान्यवर, यह सरकार भ्रमित है । मेरी निश्चित रूप से जानकारी है कि सरकार की कथनी और करनी में अंतर है । बार-बार कहा गया था कि वहां पर हजारों लोग मारे गये हैं । आज जब सच्चाई आ गयी है तो वहां पर मारे जाने वालों की सही संख्या की जानकारी के लिये सरकार से प्रश्न पूछना चाहता हूं कि 30 अक्टूबर और 2 नवम्बर को कितने लोग मारे गये हैं उनकी क्या संख्या है ?

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मैंने उत्तर दे दिया है । मान्यवर, एक आयोग गठित था उसको भंग करके नया आयोग गठित किया गया पहले प्रश्न के उत्तर में हमने कहा है कि "जी हां" । दूसरे आयोग में हमने विचार बिन्दु बढ़ा दिये हैं उसमें है कि किन-किन बिन्दुओं की जांच करनी है इसलिये अब उसमें कोई प्राविधान की आवश्यकता नहीं है ।

नेता विरोधी दल (कुंवर रेवती रमण सिंह)–

मैं संसदीय कार्य मंत्री से जानना चाहता हूं नरेश अग्रवाल जी ने जैसा कहा कि देश के लिये ही नहीं यह प्रदेश के लिये भी चिन्ता का विषय है इसमें सब रिपोर्ट आ गयी है कि कितने लोग 30 अक्टूबर को और 2 नवम्बर की घटना में हताहत हुए, तो वह रिपोर्ट क्या है यह बता दें ? इससे कहीं भी जांच प्रभावित नहीं होती है कितने लोग मारे गये हैं ? कितने लोगों की क्षतिपूर्ति की गयी है, कितनों को मुआवजा दिया है ?

श्री अध्यक्ष–

मुझे ऐसा स्मरण हो रहा है कि किसी दिन क्षतिपूर्ति से संबंधित प्रश्न किया गया था, तो मैंने कहा था कि प्रश्न के उस भाग का उत्तर देने की आवश्यकता नहीं है ? यह नियम–49 की सूचना में आ गया है ।

श्री प्रमोद तिवारी–

मान्यवर, नियम 49 में क्या हुआ ?

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, जो रिपोर्ट पत्रावली में दी गयी है अगर उस रिपोर्ट से समाधान हो गया होता तो जांच की आवश्यकता ही न पड़ती । आयोग गठित किया गया है कि वह विचार बिन्दु को देखें उससे पूरी जानकारी विस्तार से हो जाएगी ।

कुंवर रेवती रमण सिंह–

मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी से पूछ क्या रहा था और बता क्या रहे हैं मैं आपके माध्यम से पुनः आग्रह करूंगा मैं केवल यह जानना चाहता हूं कि कितने लोग हताहत हुए 30 अक्टूबर को और 2 नवम्बर को, उसकी रिपोर्ट शासन में है तो कृपया दोनों तारीख की रिपोर्ट बता दें ? जांच की रिपोर्ट आयेगी तो अन्तरिम रिपोर्ट मान ली जायेगी, लेकिन अन्तरिम रिपोर्ट बता दें । कितने लोग हताहत हुए और कितनों की क्षतिपूर्ति की गयी, कारसेवकों की जो हताहत हुए उनकी क्षतिपूर्ति क्या की गयी यह बता दें ?

श्री अध्यक्ष–

जहां तक क्षति पूर्ति का प्रश्न है मुझे स्मरणीय है कि किसी दिन मुझे प्रमोद तिवारी जी ने लिखित सूचना दी थी, उसमें मैं चर्चा करवा दूंगा ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मैं नेता विरोधी दल से कहना चाहूंगा कि मरने वालों की संख्या रिपोर्ट में कितनी आई ? कितने लोगों को मुआवजा दिया गया, कितनों को नहीं दिया गया । मरने वालों की संख्या और मुआवजा देने वालों की संख्या के बारे में आपका सवाल है, लेकिन यह इस प्रश्न से संबंधित नहीं है (व्यवधान) पूरी बात सुन लें, जहां तक संख्या की जानकारी का ताल्लुक है संख्या की जानकारी के लिये सूचना की आवश्यकता पड़ेगी । इसमें कोई तथ्य छिपाने का इरादा नहीं है ।

(व्यवधान)

श्री प्रमोद तिवारी–

मान्यवर, आपने नियम 49 में चर्चा स्वीकार कर ली और इसकी सूचना दे दी है इसके लिये मैं आपका आभारी हूं । दूसरी बात यह है कि माननीय मंत्री जी ने स्पष्ट रूप से यह स्वीकार किया है कि मरने वालों की निश्चित संख्या की जानकारी उनके पास नहीं है । उस समय मंत्री जी बड़े ज्ञानी बनते थे, इनको मालूम है कि मरने वालों की सूचना क्यों उनको मालूम नहीं है और मान्यवर, हमको भी मालूम है कि मरने वालों की सूचना क्यों उनके पास नहीं है, यह अपने पाप को कैसे दिखायें ? जिसको बोल-बोल कर सत्ता में आये थे कि हजारों लोग मरे हैं तो फिर कैसे कहें कि सिर्फ 16 लोग मारे गये हैं ? अब मान्यवर, जब माननीय मंत्री जी ने स्वीकार कर लिया है कि इसकी सूचना उनके पास नहीं है तो सम्पूर्ण देश और प्रदेश आज इस सरकार से जानना चाहता है कि 30 अक्टूबर, 2 नवम्बर को कितने लोग मरे, सम्पूर्ण विपक्ष की भावनाओं का आप आदर करें और इस प्रश्न को स्थगित कर दें ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, जो मूल सवाल था उसका मैंने उत्तर दिया है । संख्या के बारे में मैंने कहा है कि सूचना की आवश्यकता होगी । मान्यवर, सरकार द्वारा किसी बात को छिपाने की बात नहीं है । आप सवाल कर लें उसका उत्तर दे दूंगा ।

श्री ऊदल–

मान्यवर, प्रश्न में यह बात थी कि 30 अक्टूबर तथा 2 नवम्बर को कितने लोग मारे गये हैं। माननीय मंत्री जी को आप निर्देशित करें कि वह इसका उत्तर दें।

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

मान्यवर, न्यायपालिका पर अविश्वास करने वाली ऐसी सरकार शायद इसके पहले कभी नहीं रही है। 3 सदस्यीय जांच आयोग इसलिये बनाया गया था यह एक ऐसा संवेदनशील प्रश्न था, कि किसी को उंगली उठाने का मौका न मिले। उसमें एक माइनारिटी का जज भी रखा गया था लेकिन इस सरकार ने आयोग को भंग कर दिया तथा जांच के टर्म्स आफ रेफरेंस को बदल दिया। उस समय जो साम्प्रदायिक हिंसा प्रदेश में हुई उसको कराने में किन संगठनों और कितने व्यक्तियों का हाथ था यह भी जांच का एक बिन्दु था लेकिन टर्म्स आफ रिफरेंस बदल दिये गये। इस तरह से न्याय पालिका पर अविश्वास किया गया है। संसदीय कार्य मंत्री जी का कहना है कि तीनों जजेज बैठ नहीं पाते थे, मेरी जानकारी है कि तीनों जज बैठने लगे थे और काम शुरू हो गया था। मैं जानना चाहता हूं कि क्या तीनों जज बैठने लगे थे या नहीं और क्या उन्होंने कोई असमर्थता व्यक्त की थी ? पहले तो यह लोग कहते थे कि हजारों लोग मरे हैं और जब संख्या पूछी जा रही है तो कहते हैं कि सूचना की आवश्यकता होगी।

श्री अध्यक्ष–

अगर आपके पास जानकारी हो तो दे दें कि क्या पूर्व कमीशन ने बैठना प्रारम्भ कर दिया था या नहीं ?

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, जो टर्म्स आफ रिफरेंस है उसमें 4 बिन्दु हैं। अयोध्या जनपद फैजाबाद .... (शोर)

श्री नरेश अग्रवाल–

मान्यवर, हमें इससे कोई मतलब नहीं है, हम यह नहीं सुनना चाहते हैं। हमने उसको पढ़ा है। मूल प्रश्न जो है उससे हटकर मंत्री जी जवाब दे रहे हैं।

श्री प्रमोद तिवारी–

आप संख्या बता सकते हों तो बता दें, नहीं तो माफी मांग लें।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

आप समझ सकते हों तो समझ लें। मैं तर्क दे सकता हूं, लेकिन समझाने की ताकत नहीं है। मान्यवर, पिछली बार जो आयोग गठित किया गया था, मेरी जानकारी के अनुसार उसकी कार्य प्रगति लगभग शून्य के बराबर थी।

श्री प्रमोद तिवारी–

गलत है।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

पूरी बात सुन लें, उत्तर मैं दूंगा। उसकी कार्य प्रगति शून्य के बराबर थी। इसके अलावा दो तीन और कारण थे, जिनको समझा गया, जैसे उसमें 10 और जनपदों का मामला जुड़ा था, तो इतने दिनों में जब कोई कार्य नहीं हुआ तो 10 जनपद और जोड़ने पर काफी समय लगता और विलम्ब होने से वस्तुस्थिति की जानकारी मिलने में दिक्कत होती, इसके अलावा उसके टर्म्स आफ रिफरेंस में देखें, अनेकों मामले पहले से एक धारणा बनाकर उसमें जोड़े गये, तीसरे बैठकें नहीं हो पायीं और कार्य में प्रगति नहीं हो पायी, अतः यह समझ कर कि जल्दी फैसला हो जाय और चीजें सामने आ जायं, इसलिये हमने ऐसा किया।

श्री अध्यक्ष–

सारी बातों को सुनने के पश्चात् मैं इस समूचे प्रश्न को प्रश्न एवं संदर्भ समिति को ...(व्यवधान) सौंपता हूं।

श्री यदुनाथ सिंह–

मान्यवर, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्नकाल में व्यवस्था नहीं होती।

श्री यदुनाथ सिंह–

ये 30 अक्टूबर और 2 नवम्बर को मरने वालें की सूची क्यों नहीं देते हैं ?

श्री अध्यक्ष–

मैं पूरी समस्या का समाधान किये देता हूं।

श्री राम[illegible]

मान्यवर, मेरा [illegible] प्रश्न है [illegible] निवेदन करना चाहता हूं कि श्री नरेन्द्र नाथ मित्तल की अध्यक्षता में जो आयोग [illegible] क्या इसकी कार्यशैली रखी गयी है और इसने कार्य शुरू कर दिया है या नहीं ?

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, इस आयोग [illegible] कार्य प्रारम्भ कर दिया है। ३ माह का समय था, हमने ६ महीने का बढ़ा दिया है।

श्री कैलाश नाथ सिंह यादव–

मान्यवर, दो बातें बड़ी स्पष्ट हो गयी है। पहली चीज तो यह है कि इससे ज्यादा स्पष्ट और कोई सवाल नहीं हो सकता कि कितने लोग मरे ? मैं इसमें एक बात और जोड़ रहा हूं कि मरे हुए लोगों की संख्या बतावें और क्या उसमें कोई जीवित भी है ? इसमें स्पष्ट सूचना है कि जो सूची इन लोगों ने अपने भाषणों में जारी की थी, उसमें से लोग जीवित भी हैं। दूसरा मान्यवर, पिछली सरकार ने चतुर्वेदी आयोग बैठाया। मान्यवर, न्यायपालिका सबसे ऊपर है, उसने चतुर्वेदी आयोग बनाया, उनको बदल कर मित्तल आयोग अब बनाया गया, मैं आपसे चाहूंगा कि न्यायपालिका सर्वोच्च है, उस पर कोई उंगली

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नहीं उठती तो किन परिस्थितियों में चतुर्वेदी आयोग को बदल कर मित्तल आयोग बनाया गया ? क्या आशंका थी कि वे 10 बिन्दु आपके खिलाफ जाने वाले थे और आपके मन माफिक नहीं थे, इसलिये मित्तल आयोग बनाया ? दूसरे यह बतावें कि कितने लोग मरे ? मैं यह जानना चाहूंगा कि उनमें कुछ लोग जीवित बचे हैं । मथुरा के लाल सिंह जीवित हैं और वापस आ गये थे और मरने वालें की सूची में नम्बर एक पर उनका नाम छपा रखा था ।

श्री अध्यक्ष–

आपने अपने वक्तव्य में सूची का उल्लेख किया, वह सूची किसने जारी किया ?

श्री नरेश अग्रवाल–

मान्यवर, इन्होंने जारी किया है ।

(व्यवधान)

श्री कैलाश नाथ सिंह यादव–

मान्यवर, वह व्यक्ति जीवित है, जो व्यक्ति इनकी मृतकों की सूची में नम्बर 1 पर था ।

(व्यवधान)

श्री स्वामी नाथ यादव–

मान्यवर, एक सवाल मुझे पूछ लेने दीजिये ।

श्री अध्यक्ष–

माननीय मंत्री जी उत्तर देने जा रहे हैं, आप बैठ जायं ।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

मैं सारी परिस्थितियों पर विचार करके यह समझ रहा हूं कि इसे नियम 269 (ख) के अन्तर्गत [illegible] एवं संदर्भ समिति को सौंप दिया जाय ।

श्री नरेश अग्रवाल–

नहीं मान्यवर, इससे काम नहीं चलेगा ।

(व्यवधान)

नत्थी (ख)

(तारांकित प्रश्न संख्या–1 पुकारे जाने पर–घोर व्यवधान)

श्री प्रमोद तिवारी–

[x x x]

(श्री प्रमोद तिवारी अपने दल के साथ सदन का त्याग कर चले गये ।)

(अनेक माननीय विधायाकों के एक साथ खड़े होकर बोलने का प्रयास करने पर–घोर व्यवधान)

नोटः-[xxx] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

श्री अध्यक्ष–

यह कुछ नहीं लिखा जायेगा ।

(घोर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

मैंने इस प्रश्न को प्रश्न एवं संदर्भ समिति के सुपुर्द कर दिया है ।

श्री ऊदल–

मान्यवर, यह सरकार जो है, वह मरे हुए लोगों की संख्या नहीं बता रही है और प्रश्न का उत्तर गोल-माल दे रही है, इसलिये इसके विरोध में, मैं और मेरा दल और मार्क्सवादी सदस्य माननीय दीनानाथ सिंह यादव सहित सदन का त्याग करते हैं ।

(श्री ऊदल अपने दल और मार्क्सवादी सदस्य श्री दीनानाथ सिंह यादव के साथ सदन त्याग कर चले गये ।)

श्री कैलाश नाथ सिंह यादव–

मान्यवर, इस प्रश्न को आपने प्रश्न एवं संदर्भ समिति को सौंप दिया, इससे न्याय नहीं मिलेगा और हमारे तीनों प्रश्नों का उत्तर सही नहीं दिया गया, इसलिये मैं और मेरा दल इस अन्याय के विरुद्ध सदन का त्याग करते हैं ।

(श्री कैलाश नाथ सिंह यादव अपने दल के साथ सदन का त्याग कर चले गये ।)

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

मान्यवर, यह जो राजनैतिक बदले की भावना से और अपने पापों को छिपाने के लिये और श्रीमन् आप भी हमारे साथ ज्यादती करते हैं और सरकार द्वारा किस बदले की भावना से यह कार्यवाही की जा रही है, पहले आयोग के किसी जज ने अपनी असमर्थता नहीं व्यक्त की, इसके बावजूद भी आयोग को भंग कर दिया गया, यह न्यायपालिका का अपमान है और बदले की भावना से और अपने कारनामों को छिपाने के लिये जो इन्होंने प्रदेश में हिंसा फैलाई थी, दंगा करवाया था, उससे अपने को बचाने के लिये आयोग के टर्म्स आफ रिफरेंस को भी बदल दिया गया । इसके विरोध में मैं और मेरा दल सदन का त्याग करते हैं ।

(श्री बेनी प्रसाद वर्मा अपने दल के सदस्यों के साथ सदन त्यागकर चले गये ।)

(घोर व्यवधान)

कुंवर रेवती रमण सिंह–

मान्यवर, मुख्य मंत्री श्री कल्याण सिंह ने अनेकों बार कहा है कि सरकार खुली सरकार है, ट्रान्सपैरेन्ट सरकार है और कोई बात छिपाने के लिये सरकार तैयार नहीं है । मैं आपके माध्यम से केवल दो बिन्दु जानना चाहता हूं और आपका संरक्षण भी चाहता हूं, यह सवाल कोई दल से सम्बन्धित नहीं है, दल से ऊपर है और इसमें पूरे प्रदेश और देश की जनता का विश्वास जुड़ा हुआ है । चुनाव में कहा गया कि सैकड़ों और हजारों लोग मारे गये हैं और जब यह प्रश्न पूछा जाता है कि कितने आदमी मारे गये हैं, तो सरकार मरने वालों की संख्या को बताने में कतराने लगती है । मुख्य मंत्री जी ने कहा कि

हम ट्रान्सपैरेन्ट हैं, कोई बात छिपाते नहीं हैं, लेकिन जब यह प्रश्न पूछा जाता है कि कुल कितने आदमी मरे हैं और कितनों को मुआवजा दिया गया है, तो इस प्रश्न को टाल दिया जाता है । आपने इस प्रश्न को प्रश्न एवं सन्दर्भ समिति को सन्दर्भित कर दिया है, तो इससे क्या हल निकलेगा ? आप सरकार को बाध्य नहीं कर सकते हैं, कि वह उत्तर दे, लेकिन इससे जनता में पूरा भ्रम फैला हुआ है । पहले यह लोग यह कहते थे कि सरजू का रंग लाल हो गया, और जब पूछा जाता है कि कितने लोग मरे, तो यह उनकी संख्या नहीं बताते हैं । मान्यवर, आप संरक्षण दें, अगर सरकार नहीं बतायेगी तो कौन बतायेगा ? विधान सभा में सरकार की अधिक जिम्मेदारी है और विपक्ष की कम है । यह सरकार आज पूरे प्रदेश को भ्रम में डाले हुये है और लोगों को भ्रमित करके यह सरकार सत्ता में आयी है । कितने लोग मरे हैं, इसकी संख्या न आने के कारण मैं अपने दल के सदस्यों के साथ सदन का त्याग करता हूं ।

(मा० नेता विरोधी दल अपने दल के सदस्यों के साथ सदन त्याग कर चले गये)

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

माननीय नेता विरोधी दल सदन का बहिष्कार कर चले गये हैं, इसलिये बोलने का कोई प्रश्न नहीं उठता है, लेकिन चूंकि कई आरोप लगाये गये हैं, इसलिये मैं उनका उत्तर देना चाहता हूं । एक तो यह कहा गया कि और मित्तल जज का नाम लिया गया । माननीय सदस्यों को जानकारी होगी कि जब कोई न्यायिक आयोग का गठन किया जाता है, तो न्यायाधीशों की मांग सरकार द्वारा उच्च न्यायालय से की जाती है । इसलिये यह आरोप कि मित्तल न्यायाधीश का नाम सरकार ने तय किया है, गलत है और दूसरी बात यह कही गयी कि मरने वालों की संख्या नहीं बतायी गयी, छिपाने का प्रयास किया गया । इस सम्बन्ध में, मैं कहना चाहता हूं कि इस प्रश्न के मूल में यह नहीं था । मरने वालों की संख्या आदि आयोग को संदर्भित है, इसलिये कोई भी बात छिपायी नहीं गयी है ।

श्री अतीक अहमद–

मान्यवर, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है । मान्यवर, जो सदस्य किसी दल से सम्बन्धित नहीं हैं, निर्दलीय हैं, उनको अवसर नहीं मिलता है । इस पर मैं आपका संरक्षण चाहता हूं ।

श्री अध्यक्ष–

आप इसी पर कुछ कहना चाहते हैं या किसी अन्य विषय पर ?

श्री अतीक अहमद–

इसी पर मान्यवर । मान्यवर, यह बात सारा देश जानता है कि इस सरकार का न्यायपालिका पर कोई विश्वास नहीं रह गया है । माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने कहा कि इलाहाबाद के दो जज और तीसरे जज मिलकर काम नहीं कर रहे थे । आप तो सर्वोच्च वकील रहे हैं और आपके जूनियर अधिवक्ता जज हो गये हैं । तो क्या सदन में बैठकर इस प्रकार का आरोप लगाया जा सकता है ? मान्यवर, इसकी पुष्टि आपको करवानी पड़ेगी ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, मैंने प्रगतिशून्य कहा था ।

श्री अतीक अहमद–

मान्यवर, आपने कहा कि वह काम बिल्कुल शून्य कर रहे थे, यह स्वीकार किया है कि वह उच्च न्यायालय के तीन जजेज हैं (व्यवधान) मान्यवर, यह मरने वालों की संख्या बता दें या तो आप इसे स्थगित कर दें उस पर चर्चा करा दें लेकिन अभी माननीय संसदीय कार्यमंत्री इस पर समय मांग लेंगे। मान्यवर, यहां देश का नेतृत्व करने वाले सभी लोग मौजूद हैं। ये लोग जो सत्ता में बैठे हैं ये बतायें कि इनकी कार्यसूची में कितने लोग मरे हैं अधिकारियों की रिपोर्ट तो बाद में आयेगी। मान्यवर, आप भी राजनीतिक व्यक्ति हैं आप बता दें कि कितने मरें हैं, हम बता दें कि हमारी कार्यसूची में कितने मरे हैं और ये बता दें कि इनकी कार्यसूची में कितने मरे हैं ? इसके लिये एक सर्वदलीय समिति बना दें।(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

अब आप समाप्त करें।

श्री अतीक अहमद–

मान्यवर, हम लोग जाकर खुद घर घर कुंडी बजाकर पूछेगें कि कहां कहां कौन मरा है। मान्यवर, आपके जूनियर तो हाईकोर्ट के जज हो गये हैं।

श्री अध्यक्ष–

आप मेरी अनुमति के बगैर बोल रहें हैं, अब कुछ नहीं लिखा जायेगा।

श्री अतीक अहमद–

मान्यवर, इन्होंने कहा कि काम शून्य था तो क्या यह सदन हाईकोर्ट के न्याय मूर्ति के ऊपर उंगली उठा सकता है ?

श्री अध्यक्ष–

श्री अतीक अहमद जी, मेरी 2 जिज्ञासा हैं उसे कृपया शान्त कर दें। आपने 3 माननीय न्यायाधीशों के बारे में कहा तो जरा मुझको उनके नाम बता दें और यह भी बता दें कि जिस समय वह आयोग के सदस्य के रूप में मनोनीत कर दिये गये थे तो क्या वह अवकाश प्राप्त कर चुके थे यानि वह कार्यरत न्यायाधीश थे या अवकाश प्राप्त न्यायाधीश थे ?

एक सदस्य–

मान्यवर, आप तो जानते होंगे।

श्री अध्यक्ष-

मैं तो बहुत सी चीजें जानता हूं, यहां सब नहीं कह सकता, इसीलिए पूछ रहा हूं।

(अनेक माननीय सदस्यों द्वारा एक साथ बोलने के लिए खड़े होने पर व्यवधान)

श्री अतीक अहमद–

मान्यवर, आपने जो कहा तो उसमें मेरा उत्तर सुन लें।

श्री नरेश अग्रवाल–

मान्यवर, आपकी जिज्ञासा माननीय मुलायम सिंह यादव जी शान्त कर देंगे ।

श्री अध्यक्ष–

इसकी आवश्यकता नहीं है । मा० मुलायम सिंह यादव जी, जहां आवश्यकता होगी मैं आपको अवसर दूंगा ।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

मैं अब अगला प्रश्न ले रहा हूं ।

(श्री मुलायम सिंह यादव के खड़े रहने से व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

आवश्यकता होगी तो आपको अवसर दूंगा । अब मैं अगला प्रश्न ले रहा हूं ।

(घोर व्यवधान के मध्य श्री अध्यक्ष द्वारा "नत्थी (ख) तारांकित प्रश्न सं०–1" पुकारा गया)

(श्री नरेश अग्रवाल, श्री विजय सिंह राणा एवं अन्य अनेक माननीय सदस्यों द्वारा एक साथ बोलने का प्रयत्न करने से उत्पन्न घोर व्यवधान के मध्य न्याय मूर्ति ने प्रश्न का लिखित उत्तर पढ़ा)

श्री कैलाश नाथ सिंह यादव–

श्री मुलायम सिंह यादव से ज्यादा कोई नहीं जानता इस विषय में, आपने उनको अवसर नहीं दिया ।

(घोर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

मैंने किसी माननीय सदस्य को अनुमति नहीं दी है, केवल चौधरी राम ललित को अनुपूरक प्रश्न पूछने की अनुमति दी है ।

(घोर व्यवधान)

श्री कैलाश नाथ सिंह यादव–

पिछली सरकार की चर्चा आयी । माननीय मुलायम सिंह से ज्यादा कोई नहीं जानता है, दो मिनट का समय उन्हें दे दें ।

(घोर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

मैं इसकी अनुमति नहीं देता हूं । मैंने उनसे पूछा था, उसका उत्तर उन्होंने नहीं दिया, इसलिये मैंने बात समाप्त कर दी । दूसरे माननीय सदस्य से उत्तर मांगने की आवश्यकता नहीं है ।

(विपक्ष के अनेक मा० सदस्यों द्वारा एक साथ बोलने का प्रयत्न करने से उत्पन्न घोर व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष–

कार्यवाही में कुछ लिखा नहीं जायगा, आप लोग बैठें ।

(विपक्ष की ओर से मेजें थपथपाने से घोर व्यवधान उत्पन्न हुआ)

श्री अध्यक्ष–

मैं सदन को 12.30 बजे तक के लिये स्थगित करता हूं ।

(इसके बाद 12 बजकर 3 मिनट पर श्री अध्यक्ष ने सदन की कार्यवाही 12 बजकर 30 मिनट तक के लिए स्थगित कर दी, 12 बजकर 30 मिनट पर मार्शल ने सूचित किया कि श्री अध्यक्ष ने सदन का स्थगन 12 बजकर 45 मिनट तक के लिए और बढ़ा दिया है ।

(12 बजकर 45 मिनट पर सदन की कार्यवाही श्री अध्यक्ष के सभापतित्व में पुनः आरम्भ हुई ।)

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 29(4) के अन्तर्गत प्राथमिकता प्राप्त तारांकित प्रश्न] [1]

उ० प्र० प्रदेश सरकार द्वारा विशिष्ट व्यक्तियों को सुरक्षा व्यवस्था प्रदान करने की जानकारी

*1–श्री सुरेश प्रताप गांधी–

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतलायेंगे कि प्रदेश सरकार द्वारा कितने विशिष्ट व्यक्तियों को कमांडो सुरक्षा व्यवस्था उपलब्ध करायी गयी है ? इस प्रकार की सुरक्षा प्रदान किये जाने के मानक क्या हैं ?

मुख्य मंत्री श्री कल्याण सिंह–

प्रदेश में केवल माननीय मुख्य मंत्री जी की सुरक्षा हेतु कमांडो की सुरक्षा व्यवस्था उपलब्ध करायी गयी है । अन्य अतिविशिष्ट तथा विशिष्ट व्यक्तियों के लिये जीवन भय के आधार पर आवश्यकतानुसार सुरक्षा-व्यवस्था प्रदान की जाती है ।

*2–श्री राम आसरे वर्मा–

[मा० उपाध्यक्ष हो जाने के कारण हटाया गया ।]

यू० पी० स्टेट हार्टिको के छटनी शुदा कर्मचारियों को समायोजित करने का प्रयत्न

*3–श्री राम ललित चौधरी–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि यू० पी० स्टेट हार्टिको के छटनीशुदा 328 कर्मचारियों को राज्य के अन्य विभागों एवं उपमों में जहां भी पद रिक्त है शासनादेश संख्या 2/6/90 कार्मिक–2, दिनांक 26 अप्रैल, 1991 एवं स्मरण पत्र संख्या–3/4/90 कार्मिक-2, दिनांक 10 सितम्बर, 1991 द्वारा समायोजित करना सुनिश्चित किया गया है ? यदि हां, तो अभी तक कर्मचारियों का समायोजन किन कारणों से नहीं किया गया ? छटनीशुदा कर्मचारियों को कब तक समायोजित कर दिया जायेगा ?

श्री कल्याण सिंह–

संदर्भगत शासनादेशों द्वारा प्रश्नगत कार्मिकों को सीधी भर्ती के निर्दिष्ट पदों पर नियुक्ति हेतु अर्हता अनुमन्य करा दी गयी है ।

चयन सम्पादित न होने अथवा रिक्ति की अनुपलब्धता आदि के कारण ।

---

[1] टिप्पणी:– प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमावली के नियम 41 के अनुसार सभी प्रश्न उत्तरित माने गये ।

उपयुक्त छटनीशुदा कार्मिकों को सेवा में रखे जाने के लिये शासन प्रयत्नशील है ।

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 3[illegible] के अन्तर्गत प्राथमिकता प्राप्त तारांकित प्रश्न]

राम जन्म भूमि पर मंदिर निर्माण हेतु विवादित एवं अन्य अविवादित भूमि का प्रकरण

*1–कुंवर रेवती रमण सिंह–

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि अयोध्या में राम जन्म भूमि पर मंदिर निर्माण हेतु विवादित भूमि के अतिरिक्त अगल-बगल की भूमि जिसमें मंदिर भी थे, को विश्व हिन्दू परिषद् तथा बजरंग दल ने खरीद लिया है तथा खरीदी गयी भूमि के साथ ही अन्य जमीनों पर इस समय कब्जा करके मंदिरों के गिराने का काम किया है ? यदि हां, तो क्यों ? क्या सरकार सम्पूर्ण विवरण सदन के पटल पर रखेगी ?

श्री कल्याण सिंह–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

[मंगलवार, दिनांक 31 मार्च, 1992 के लिये निर्धारित तारांकित प्रश्न]

जनपद गाजीपुर की कतिपय बीमार इकाइयों के पुनर्वासन हेतु समय का निर्धारण

*1–श्री सुरेन्द्र सिंह (गाजीपुर)–

क्या उद्योग मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि तत्कालीन आयुक्त एवं निदेशक, उद्योग, उत्तर प्रदेश की अध्यक्षता में 15 अप्रैल, 1989 को गाजीपुर में सम्पन्न बैठक में गाजीपुर जनपद की बीमार इकाइयों के पुनर्वासन हेतु क्या समयबद्ध कार्यक्रम स्वीकार किये गये थे ? सरकार इस सम्बन्ध में क्या उपाय कर रही है एवं इसे कब तक पूर्ण करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह–

तत्कालीन आयुक्त एवं निदेशक उद्योग की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में 27 इकाइयों का मामला प्रस्तुत किया गया । जिनमें से 9 इकाइयों हेतु समय निर्धारित करते हुए तथा 13 इकाइयों के पुनर्वासन पर बिना किसी समय निर्धारण के निर्णय लिया गया क्योंकि तीन इकाइयों के प्रतिनिधि बैठक में उपस्थित नहीं थे, अतः विचार नहीं किया जा सका । शेष दो मामलों में विचार करना संभव नहीं था जिसे बैठक में स्पष्ट कर दिया गया था । 22 इकाइयों में से तीन का पुर्नजीवीकरण किया जा चुका है । 7 इकाइयों द्वारा रुचि नहीं ली गयी परन्तु अब इन सात में से एक इकाई ने विगत 15 दिन पूर्व महा प्रबन्धक से सम्पर्क स्थापित किया । एक इकाई के मामले में बैठक में ही समस्या का निराकरण करते हुए निर्णयानुसार अग्रेतर कार्यवाही सुनिश्चित कर ली गयी है । शेष 11 इकाइयों में से 5 इकाइयों के मामले में वित्त निगम एवं बैंक द्वारा संयुक्त अपेजल कराये जाने की कार्यवाही चल रही है । दो इकाइयों के मामले में बैंक द्वारा कार्यशील पूंजी स्वीकृत करने में असमर्थता व्यक्त की गयी है । दो इकाइयों के मामले में संयुक्त अप्रेजल का निर्णय लिया गया था परन्तु एक इकाई द्वारा शर्त पूरी न करने के कारण अप्रेजल करना संभव नहीं हो पा रहा है तथा एक इकाई वित्तीय संस्था द्वारा दिये गये सुझाव के अनुसार एक अन्य हिस्सेदार की व्यवस्था नहीं कर पा रही है । एक इकाई के मामले में संयुक्त अप्रेजल का निर्णय

लिया गया था परन्तु इकाई नीलाम हो गयी है तथा एक इकाई द्वारा विद्युत विभाग के वांछित बिल का भुगतान न करने के कारण कार्यवाही नहीं हो पायी ।

बैंकों द्वारा इकाइयों की कार्यशील पूंजी ऋण उपलब्ध कराये जाने में रुचि नहीं ली जा रही है जिसके लिये अनुश्रवण, महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र, परिक्षेत्रीय, संयुक्त निदेशक एवं निदेशालय द्वारा जिला उद्योग बन्धु तथा राज्य स्तरीय उद्योग बन्धु के माध्यम से प्रयास किया जा रहा है । निदेशक, संस्थागत वित्त तथा भारतीय रिजर्व बैंक से भी बैंकों से कार्यशील पूंजी ऋण इकाइयों को उपलब्ध कराये जाने का अनुरोध किया गया है । समस्या का निराकरण उक्त स्रोतों से न होने पर भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित मानक के अनुसार स्लिक की बैठक के माध्यम से बैंकों द्वारा कार्यशील पूंजी उपलब्ध कराये जाने का पुनः प्रयास किया जायेगा । बैंकों द्वारा इकाइयों को कार्यशील पूंजी ऋण स्वीकृत करने पर ही पुनर्वासन सम्भव हो सकेगा ।

*2–श्री राम आसरे वर्मा–

[मा० उपाध्यक्ष हो जाने के कारण हटाया गया]

जनपद उन्नाव के थाना मौरांवा को कोतवाली बनाने की मांग

*3–श्री हृदय नारायण दीक्षित–

क्या गृह मंत्री बतायेंगे कि उन्नाव जिले में अपराधों की बहुलता, सीमावर्ती जनपदों की लम्बी सीमाओं से जुड़े होने के कारण पास पड़ोस के जिलों से अपराधियों का आना जाना आदि तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए सरकार थाना क्षेत्रों के पुर्नसीमांकन/सब-इन्सपेक्टर थानाध्यक्ष वाले थानों को इन्सपेक्टर थानाध्यक्ष वाली कोतवाली में उच्चीकृत किये जाने की योजना पर विचार कर रही है ? यदि हां, तो उसकी रूप-रेखा क्या है ? क्या सरकार अवगत है कि प्रश्नकर्ता के क्षेत्र पुरवा उन्नाव के थाना-मौरांवा के ग्राम-गूलरिहा की दूरी थाना केन्द्र से 19 कि० मी०, ग्राम-लोहरामऊ की 18 कि० मी० व ग्राम-बरेदा की 23 कि० मी० है ? यदि हां, तो क्या थाना-मौरावां में अपराधों का पंजीयन बढ़ा है ? यदि हां, तो मौरावां को इन्सपेक्टर थानाध्यक्ष वाला पुलिस स्टेशन कब तक बना दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जी हां ।

जी हां । किन्तु इन्सपेक्टर स्तर के नये थाने खोले जाने के लिये निर्धारित अपराधों के मानक के अनुसार अपराधों की संख्या न होने के कारण नयी कोतवाली खोले जाने का औचित्य नहीं बनता है ।

लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा प्रोन्नत एवं असल्स आर्किटेक्ट्स द्वारा दुर्बल वर्ग के आवासीय भवनों के निर्माण का प्रकरण

*4–श्री सुरेन्द्र नाथ–

क्या मुख्य मंत्री को जानकारी है कि लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा प्रोन्नत एवं असल्स आर्किटेक्ट्स नामक निजी क्षेत्र की आवासीय भवनों की निर्माता फर्म के मध्य भूमि आवंटन से पूर्व यह अनुबन्ध हुआ है/था कि प्राधिकरण के निर्देशानुसार दुर्बल वर्ग के आवासीय भवनों को भी प्राधिकरण के

मानकानुसार निर्माण किया जायेगा ? यदि हां, तो उक्त भवनों के निर्माण की प्रगति क्या योजना की प्रगति के अनुरूप है ? यदि नहीं, तो क्या शासन अनुबन्ध तोड़ने वाले इन भवन निर्माताओं के विरुद्ध कार्यवाही सुनिश्चित करेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

स्वतः रोजगार योजना के अन्तर्गत बेरोजगार व्यक्तियों को ऋण देने का प्रयास

*5–श्री सुरेश प्रताप गांधी–

क्या उद्योग मंत्री को जानकारी है कि स्वतः रोजगार योजना के अन्तर्गत बेरोजगार व्यक्तियों का चयन, चयन समिति द्वारा कर लिये जाने के बाद भी, स्वीकृत योजना या उद्योग लगाने के लिये ऋण न दिये जाने के कारण, स्वतः रोजगार योजना का क्रियान्वयन नहीं हो पाता है तथा बेरोजगार व्यक्तियों को रोजगार देने के लक्ष्य पूरा नहीं हो पाता है ? यदि हां, तो क्या स्वतः रोजगार योजना की चयन समिति में वित्तीय सहायता देने वाली बैंकों के शाखा प्रबन्धक भी सदस्य होते हैं ? यदि हां, तो चयन प्रक्रिया में भागीदार होने के बाद भी बैंक शाखा प्रबन्धकों द्वारा ऋण लाभार्थियों को न दिये जाने अथवा प्रोजेक्ट की लागत से कम ऋण दिये जाने के क्या कारण हैं ? क्या सभी चयनित व्यक्तियों को सरकार ऋण दिलाने की व्यवस्था सुनिश्चित करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह–

जी हां ।

जी नहीं । मात्र जनपद के अग्रणी बैंक एवं 2 प्रमुख बैंकों के प्रतिनिधि ही चयन समिति के सदस्य होते हैं ।

प्रश्न ही नहीं उठता ।

सभी चयनित व्यक्तियों को जो बैंक की औपचारिकतायें पूर्ण कर देते हैं, उन्हें लक्ष्य के अनुरूप ऋण वितरण कराने का प्रयास किया जाता है ।

*6–श्री श्याम देव राय चौधरी–

[विस्तीर्णता के आधार पर निरस्त]

उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग इलाहाबाद के प्रथम, द्वितीय, तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी में आरक्षण कोटा पूरा करने हेतु कृत कार्यवाही

*7–श्री राम स्वरूप वर्मा–

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग इलाहाबाद में प्रथम, द्वितीय, तृतीय तथा चतुर्थ श्रेणी में अलग-अलग कुल कितने अधिकारी/कर्मचारी कार्यरत हैं, इनमें से प्रत्येक श्रेणियों में अलग-अलग कुल कितने अधिकारी/कर्मचारी अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के कार्यरत हैं ? क्या 18 प्रतिशत एवं 2 प्रतिशत के आधार पर आरक्षण कोटा पूरा है ? यदि नहीं, तो क्यों ? अविलम्ब कब तक उपरोक्त श्रेणियों में आरक्षण कोटा पूरा कर दिया जायेगा ?

श्री कल्याण सिंह–

लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश में विभिन्न श्रेणीवार पदों में आरक्षण की स्थिति निम्न प्रकार है :–

क–श्रेणी–कुल 20 पद हैं जिनमें से 10 पदों पर शासन द्वारा आई० ए० एस० एवं पी० सी० एस० संवर्ग के अधिकारियों की तैनाती की व्यवस्था की जाती है। शेष 10 पदों में अनुसचिव के 5 पद हैं जिनमे से एक पद पर अनुसूचित जाति वर्ग के अधिकारी कार्यरत हैं। इसके अलावा उप सचिव के दो पद निजी सचिव ग्रेड–1 का एक पद, सिस्टम एनालिस्ट का 1 पद तथा प्रोग्रामर का एक पद है।

ख–श्रेणी–कुल 40 पद हैं जिनमें निजी सचिव ग्रेड-2 के 8 पदों में एक पद पर अनुसूचित जाति के अधिकारी कार्यरत हैं। अनुभाग अधिकारी के 28 पद हैं जिनमें 21 पद भरे हुए हैं जिसमें २ अधिकारी अनुसूचित जाति के हैं। 2 पद सहायक लेखाधिकारी के हैं जिन पर सीधे शासन द्वारा लेखा संवर्ग के अधिकारियों की तैनाती कर व्यवस्था की जाती है। कम्प्यूटर सेल के पर्यवेक्षक के 2 पद हैं जिसमें से एक पद रिक्त है।

ग–श्रेणी–कुल 286 पद स्वीकृत है जिसमें से 345 भरे हुए हैं और उसमें 32 अनुसूचित जाति तथा एक अनुसूचित जनजाति के अन्यर्थी कार्यरत हैं।

घ–श्रेणी– कुल 108 पद स्वीकृत हैं जिसमें 3 पद रिक्त हैं। कार्यरत कर्मचारियों में से 25 अनुसूचित जाति के तथा 2 अनुसूचित जनजाति के हैं।

उपरोक्त से स्पष्ट है कि श्रेणी (ख) में अनुभाग अधिकारी पद के संवर्ग में आरक्षण का कोटा पूरा नहीं है तथा श्रेणी (ग) में लिपिकीय पदों में आरक्षण का कोटा पूरा नहीं है। इन दोनों ही संवर्गो में अनेक पद रिक्त हैं।

रिक्त पदों को नियमानुसार भरने की कार्यवाही विचाराधीन है जिसमें आरक्षण संबंधी नियमों का भी ध्यान रखा जा रहा है।

प्रदेश का विभाजन तथा पुनर्गठन किये जाने की मांग

*3–श्री नरेश अग्रवाल–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश सरकार को प्रदेश का विभाजन करके नया प्रदेश बनाने का कोई अधिकार है ? क्या यह सत्य है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने माह जुलाई, 1991 में पृथक उत्तराखण्ड राज्य बनाने हेतु एक प्रस्ताव केन्द्र सरकार को भेज दिया है ? यदि हां, तो सरकार लखनऊ जनपद के पास स्थित जिले हरदोई, लखीमपुर, शाहजहांपुर, पीलीभीत, फर्रुखाबाद, उन्नाव, रायबरेली, सुल्तानपुर, बाराबंकी, सीतापुर के पिछड़ेपन को देखते हुए एक नये अवध राज्य का प्रस्ताव भी केन्द्र सरकार को भेजने का विचार कर रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह–

जी नहीं, प्रदेश का विभाजन कर नया प्रदेश बनाने में केवल भारत सरकार ही सक्षम है।

ऐसा कोई प्रस्ताव माह जुलाई, 1991 में भारत सरकार को नहीं भेजा गया है, बल्कि प्रश्नगत प्रस्ताव दिनांक 16 दिसम्बर, 1991 को भारत सरकार को भेजा गया है।

जी नहीं। राज्य सरकार "उत्तरांचल प्रदेश" राज्य को छोड़कर प्रदेश का विभाजन या पुनर्गठन कर अन्य किसी पृथक राज्य के गठन के पक्ष में नहीं है।

अयोध्या प्रकरण की जांच हेतु नवगठित आयोग दि० 9 दिसम्बर, 1992 में कार्यरत

*9--श्री फजल--

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि पूर्व सरकार ने अयोध्या प्रकरण की जांच हेतु एक आयोग बैठाया था जिसको खत्म कर दिया गया ? यदि हां, तो जो नया आयोग बनाने की घोषणा सरकार ने की थी क्या उसकी नियुक्ति हो गयी ? यदि हां, तो आयोग कब से कार्य कर रहा है ? यदि नहीं, तो अब तक आयोग को न बैठाने का कारण क्या है ?

श्री कल्याण सिंह--

जी हां ।

जी हां ।

दिनांक 9 दिसम्बर, 1992 से कार्यरत है ।

शेष का प्रश्न नहीं उठता ।

उ० प्र० आवास एवं विकास परिषद् (मुख्यालय) लखनऊ द्वारा सम्पत्ति प्रबन्ध अधिकारी के पद पर प्रतीक्षा सूची का प्रकरण

*10--श्री विशम्भर प्रसाद निषाद--

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उ० प्र० आवास एवं विकास परिषद् (मुख्यालय) लखनऊ द्वारा दिनांक 28-11-89 को राज्य सम्पत्ति प्रबन्ध अधिकारी के पद पर चयन हेतु अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों का साक्षात्कार हुआ था ? यदि हां, तो उक्त पद पर कितने अभ्यर्थियों का चयन किया और कितने अभ्यर्थियों की प्रतीक्षा सूची बनायी गयी ? क्या प्रतीक्षा सूची के अभ्यर्थियों को नियुक्त कर लिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह--

दिनांक 28-11-89 को राज्य सम्पत्ति प्रबन्ध अधिकारी के पद पर नहीं, वरन, अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों से भरे जाने हेतु 4 पदों पर सम्पत्ति प्रबन्ध अधिकारी के पद हेतु साक्षात्कार हुआ था । चयन समिति ने मुख्य सूची में चार नाम व प्रतीक्षा सूची में एक नाम की संस्तुति की थी । मुख्य सूची के अभ्यर्थियों द्वारा कार्यभार ग्रहण कर लिये जाने से प्रतीक्षा सूची के अभ्यर्थी की नियुक्ति करने का प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद फैजाबाद के टाण्डा नगर में घटित हिंसा में मृत व्यक्तियों के आश्रितों को आर्थिक सहायता देने की मांग

*11--श्री लालजी वर्मा तथा श्री बलराम यादव--

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद फैजाबाद के टाण्डा नगर में 15 जून, 1991 को भड़की हिंसा के दौरान कुछ व्यक्तियों के लापता/मृत्यु होने की जानकारी है ? यदि हां, तो क्या उक्त लापता अथवा मृत्यु व्यक्तियों के आश्रितों को आर्थिक सहायता प्रदान की जायगी ? यदि नहीं, तो क्यों ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री कल्याण सिंह–

दिनांक 15-6-91 को जनपद फैजाबाद के कस्बा टाण्डा में घटित हिंसा के दौरान दो व्यक्ति (1) मो० जमील उर्फ सब्बू उर्फ मो० अफसर पुत्र मो० अमीन खां, निवासी मोहल्ला हयातगंज, टाण्डा (2) सफी अहमद पुत्र अली अहमद, निवासी छज्जापुर, टाण्डा लापता हो गये हैं । काफी प्रयास के बाद भी दोनों लपता व्यक्तियों का पता नहीं चल सका ।

इस प्रकार की घटनाओं में लापता होने वाले व्यक्तियों के आश्रितों को आर्थिक सहायता दिये जाने का प्राविधान नहीं है । अतः शेष का प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद पौड़ी गढ़वाल तथा टिहरी गढ़वाल के मध्य पुल के पुनः निर्माण की कार्यवाही

*12–श्री भारत सिंह रावत–

क्या उत्तरांचल विकास मंत्री को जानकारी है कि पौड़ी गढ़वाल जनपद तथा टिहरी गढ़वाल जनपद के मध्य स्थान सिबटाली में गंगा नदी पर झूला पुल अत्यन्त जीर्णशीर्ण अवस्था में है, जिससे दानों जनपदों के मध्य आवागमन अवरुद्ध सा हो गया है ? यदि हां, तो क्या उक्त दो जनपदों को जोड़ने वाले एक मात्र पुल का तत्काल पुननिर्माण कराया जायेगा ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

पर्वतीय विकास राज्य मंत्री (श्री पूरन चन्द्र शर्मा)–

जी हां, झूला पुल जीर्णशीर्ण अवस्था में होने के कारण सुरक्षा की दृष्टि से यातायात को नियंत्रित किया जा रहा है । पुल के निर्माण की कार्यवाही की जा रही है ।

प्रदेश में नियुक्तियों पर प्रतिबन्ध का लागू न होना

*13–डा० दिनेश जौहरी, श्री प्रमोद कुमार, श्री राम सेवक (बदायूं), श्री राजेश कुमार तथा श्री बच्ची सिंह रावत–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में बढ़ती हुई बेरोजगारी को देखते हुए नयी नियुक्तियों पर सरकार द्वारा लगाई गयी रोक क्या सरकार शीघ्र उठाने जा रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह–

नई नियुक्तियों पर रोक नहीं लगाई गई है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद महराजगंज के थाना बरगदवा के ग्राम राम नगर में स्वतंत्रता दिवस समारोह एवं राष्ट्रीय ध्वज के अपमान के संबंध में प्रश्नकर्ता के पत्र पर कार्यवाही की मांग

*14–श्री शिवेन्द्र सिंह–

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि 15 अगस्त, 1991 को ग्राम राम नगर थाना बरगदवा जनपद महराजगंज, में स्वतंत्रता दिवस समारोह एवं राष्ट्रीय ध्वज के अपमान की कोई घटना हुई थी और दो पक्षों में तनाव हुआ था ? यदि हां, तो क्या ध्वज के अपमान का कोई मामला दर्ज हुआ ? यदि ध्वज के मामले में अपराधियों के विरुद्ध मामले दर्ज नहीं हुए, तो क्यों ? क्या संबंधित थाने के अधिकारियों द्वारा जानकारी के बाद भी लापरवाही किये जाने के मामले में मंत्री जी कोई निश्चित कार्यवाही करेंगे? इसकी सूचना जिला अधिकारी और पुलिस अधीक्षक को 16 अगस्त, 1991 को प्रश्नकर्ता द्वारा दिये जाने के बाद भी क्या घटना स्थल का निरीक्षण या अन्य आवश्यक कदम उठाये गये ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

जनपद आगरा के पर्यटन विकास हेतु सिविल एयर पोर्ट स्थापित करने की मांग

*15–श्री विजय सिंह राणा–

क्या नागरिक उडड्यन मंत्री को ज्ञात है कि आगरा के पर्यटन विकास के लिये वहां एक सिविल एयर पोर्ट की नितान्त आवश्यकता है ? यदि हां, तो आगरा में सिविल एयर पोर्ट की स्थापना के संबंध में क्या उत्तर प्रदेश शासन ने अभी तक कोई निर्णय लिया है ? यदि हां, तो कब ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह–

शासन द्वारा आगरा में एक सिविल एयरपोर्ट की स्थापना पर विचार किया गया था ।

आगरा स्थित वर्तमान एयरपोर्ट भारतीय वायुसेना का एक महत्वपूर्ण एवं व्यस्त "एयर बेस" है, जिसमें सिविल विमानों के उड़ान एवं अवतरण हेतु एक सिविल एन्क्लेव भी विद्यमान है । वहां पर एक अन्य सिविल हवाई अड्डे के निर्माण से वर्तमान हवाई अड्डे की विमानन गतिविधियां प्रभावित होने तथा उड़ान सुरक्षा की समस्या सन्निहित होने के कारण नये सिविल हवाई अड्डे के निर्माण का विचार फिलहाल त्याग दिया गया है ।

हथकरघा बुनकर सहकारी समितियों को ऋण की सुविधा तथा प्रस्तावित पुनर्वास योजना को शीघ्र लागू किया जाना

*16–श्री राम गोविन्द चौधरी–

उत्तर प्रदेश विधान सभा के दिनांक 13 अगस्त, 1991 को "हथकरघा बुनकर सहकारी समितियों को ऋण प्रदान न किये जाने से उत्पन्न स्थिति" के संबंध में मुख्य मंत्री द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दिये गये वक्तव्य के क्रम में क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नगत मामले में विचाराधीन पुनर्वास योजना की रूपरेखा क्या है ? इस योजना में बुनकरों को कौन-कौन सी सुविधायें दी जाती हैं तथा यह योजना कब तक लागू कर दी जायेगी ?

श्री कल्याण सिंह–

प्रस्तावित पुनर्वास योजना की रूप-रेखा निम्नवत् है:–

1–प्रथम चरण में "क" श्रेणी के 124 बुनकर सहकारी समितियों को पुनर्वासन का लाभ दिया जायेगा । "क" श्रेणी में ऐसी समितियों रखी गयी हैं जिनमें 20 सदस्य एवं 30 करघे विद्यमान हैं तथा कम से कम 20 करघे कार्यरत हैं । समिति की मासिक उत्पादन क्षमता रु० 4,000/- प्रति माह है । समिति में या तो वैधानिक संचालक मंडल विद्यमान है या निर्वाचन की प्रक्रिया में है ।

2–प्राथमिक बुनकर सहकारी समितियां द्वारा दिनांक 31-3-92 तक सहकारी बैंक के बकाये (मूलधन+ब्याज) का 10 प्रतिशत शासनादेश जारी होने के एक वर्ष के भीतर जमा करना होगा ।

3–तत्पश्चात् राज्य सरकार द्वारा समिति के ऊपर 31-3-92 तक के सहकारी बैंक के बकाये का 15 प्रतिशत अंश समिति की ओर से सहकारी बैंक को उपलब्ध कराएगी । राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त इस 15 प्रतिशत धनराशि की वसूली समिति से 14 समान छमाही किश्तों में की जावेगी तथा प्रथम किश्त समिति को ऋण साख सीमा स्वीकृत होने के 6 माह पश्चात् देय होगी । समिति से 9.5 प्रतिशत वार्षिक ब्याज लिया जायेगा तथा बकाये के ब्याज के अंश पर ब्याज देय नहीं होगा ।

4–अवशेष बकाया 75 प्रतिशत समिति से सहकारी बैंक द्वारा 14 समान छमाही किश्तों में वसूल किया जायेगा तथा प्रथम किश्त ऋण साख सीमा स्वीकृत होने के 6 माह पश्चात् देय होगी । ब्याज की दर 9.5 प्रतिशत होगी तथा बकाये धनराशि के ब्याज के अंश पर ब्याज देय नहीं होगा ।

5–राजकीय बकाये के संबंध में प्राथमिक बुनकर सहकारी समितियों द्वारा दिनांक 31-3-92 तक के समस्त बकायों (मूलधन+ब्याज) का 10 प्रतिशत अंश पुनर्वासन योजना का शासनादेश निर्गत होने के एक वर्ष के भीतर जमा करना होगा ।

6–बुनकर समिति द्वारा राजकीय बकाये का 10 प्रतिशत जमा करने के उपरान्त शेष 90 प्रतिशत के 15 प्रतिशत अंश को समिति के पक्ष में "इक्विटी" के रूप में परिवर्तित कर दिया जायेगा ।

7–शेष बकाये की धनराशि समिति से 14 समान छमाही किश्तों में वसूल की जायेगी तथा प्रथम किश्त समिति को ऋण साख सीमा स्वीकृत होने के 6 माह बाद देय होगी । समिति से 9.5 प्रतिशत वार्षिक ब्याज लिया जायेगा एवं बकाया धनराशि के ब्याज के अंश पर देय नहीं होगा ।

8–सामान दर से कम ब्याज पर ऋण वसूली हेतु उ० प्र० कोआपरेटिव बैंक को अंतर की धनराशि शासन द्वारा ब्याज उपादान के रूप में दी जायेगी । "क" श्रेणी की 124 बुनकर समितियों को पुनर्वासन के संबंध में शासन द्वारा उ० प्र० कोआपरेटिव बैंक को "90 प्रतिशत लास गारण्टी" दी जायेगी ।

9–बैंक गारण्टी एक वर्ष के स्थान पर 3 वर्ष के लिये दी जायेगी ।

10–जिला सहकारी बैंकों को पुनर्वासित समितियां खाता संचालकों को फोटो उपलब्ध करायेगी ।

11–प्रस्तावित पुनर्वासन योजना शासनादेश निर्गत होने की तिथि से एक वर्ष तक प्रभावी रहेगी ।

उपर्युक्तानुसार पुनर्वासित समितियां को निम्न सुविधायें उपलब्ध कराई जायेंगी जिससे वह पुनः रुग्ण न हों :–

1–समितियों का विधिवत् चुनाव कराकर उनके संचालक मण्डल का गठन किया जायेगा ।

2–समितियों हेतु पूर्णकालिक सचिव की व्यवस्था की जायेगी ताकि उनके रिकार्ड की भली-भांति रख रखाव हो सके और वे विभागीय सुविधाओं का सही उपयोग कर सके ।

3–समितियों के उत्पादों में शत प्रतिशत विपणन हेतु यूपिका से सम्बद्ध किया जायेगा ।

4–समितियों को उनके ऋण साख सीमा का 15 प्रतिशत एम० डी० ए० के रूप में दिया जायेगा ।

प्रस्तावित पुनर्वासन योजना को यथाशीघ्र लागू किये जाने का प्रयास किया जा रहा है, परन्तु इस चरण पर यह कहना सम्भव नहीं है कि योजना कब तक लागू कर दी जायेगी ।

उ० प्र० में शासन द्वारा मिनी सचिवालय खोलने का प्रकरण

*17–श्री बी० आर० वर्मा–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सरकार अल्मोड़ा और श्रीनगर में मिनी सचिवालय खोलने पर विचार कर रही है ? यदि हां, तो पर कब तक खुल जायेगा ? यह मिनी सचिवालय किस आधार पर खोला जा रहा है ? क्या इन्हीं आधारों को पूरा करने वाले अन्य क्षेत्रों में सरकार मिनी सचिवालय खोलेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह–

जी नहीं ।

परन्तु उत्तरांचल की विशेष परिस्थितियों भौगोलिक संरचना एवं विशेष समस्याओं को देखते हुए विकास योजनाओं की संरचना तथा क्रियान्वयन में अन्तर्विभागीय समन्वय व तकनीकी सुधार, शोध एवं अध्ययन के उद्देश्य से उत्तरांचल विकास विभाग के प्रशासकीय नियंत्रण में क्षेत्रीय कार्यालय अल्मोड़ा व श्रीनगर की स्थापना की गयी है ।

ऐसे कोई "मिनी सचिवालय" खोलने का शासन का विचार नहीं है क्योंकि इसकी कोई आवश्यकता नहीं है ।

उ० प्र० के पिछड़े वर्ग को सामाजिक न्याय देने हेतु जारी अध्यादेश का स्थगन

*18–श्री रमाकान्त यादव–

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि पिछड़े वर्ग को सामाजिक न्याय देने के लिये पूर्व सरकार द्वारा अध्यादेश के माध्यम से जारी 17 प्रतिशत आरक्षण जिसे वर्तमान सरकार ने भी जारी रखा है उसे लागू कराने के लिये सरकार क्या कदम उठाने जा रही है ?

श्री कल्याण सिंह–

मा० उच्च न्यायालय के आदेशों के तहत संदर्भगत अध्यादेश का कार्यान्वयन स्थगित है ।

उ० प्र० लोग सेवा अधिकरण द्वारा दिये गये निर्णयों का निस्तारण

*19–श्री यदुनाथ सिंह–

क्या मुख्य मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि राज्य सरकार द्वारा सरकारी सेवकों को शीघ्र सुलभ एवं सस्ता न्याय दिलाये जाने के उद्देश्य से उत्तर प्रदेश लोक सेवा अधिकरण की लखनऊ में स्थापना की गयी है ? यदि हां, तो उक्त न्यायालयों में निदेश याचिका की पूर्ण सुनवाई के पश्चात् निर्णय सुरक्षित रखकर शासन द्वारा निर्णय देने की क्या कोई अवधि निर्धारित की गयी है ? यदि हां, तो क्या ? यदि

नहीं, तो क्यों ? लोक सेवा अधिकरण सं० 2 में ऐसे कितने दो सदस्यीय वादों के निर्णय दिनांक 1-4-91 से 30-6-91 तक सुरक्षित रखे गये हैं जिन्हें अभी तक अधिकरण सं० 2 के सदस्यों द्वारा निस्तारित नहीं किया गया है ?

श्री कल्याण सिंह--

जी हां ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

निर्णय यथाशीघ्र सुनिश्चित कराने के उद्देश्य से ।

ऐसे समस्त वाद संदर्भगत अवधि में ही निस्तारित कर दिये गये हैं ।

अयोध्या में विवादित ढांचे की सुरक्षा हेतु समुचित प्रबन्ध

*20–श्री राम लखन वर्मा–

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि अयोध्या में अक्तूबर-नवम्बर, 91 में विवादित बाबरी मस्जिद ढांचे को उपद्रवी तत्वों ने क्षति पहुंचाने का प्रयास किया था और उस पर झंडा फहराया था ? यदि हां, तो वह कौन लोग थे और उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही हुई ? क्या सरकार न्यायालय के आदेशों के परिपालन में विवादित ढांचे की सुरक्षा हेतु वचनबद्ध है ? यदि हां. तो सुरक्षा हेतु क्या कदम उठाये गये हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह–

अयोध्या में विवादित स्थल की दीवार को क्षति पहुंचाने के संबंध में थाना-जन्म भूमि, अयोध्या पर 2 नामित तथा 5 अज्ञात व्यक्तियों के विरुद्ध एक अभियोग अन्तर्गत धारा 147/427 भा० दं० वि० पंजीकृत किया गया ।

विवादास्पद ढांचे के गुम्बद पर भगवा झंडा फहराया गया । जिलाधिकारी फैजाबाद द्वारा दी गयी सूचना के अनुसार इनकी संख्या–17 थी ।

जी हां ।

विवादित ढांचे की सुरक्षा हेतु सरकार पूर्ण रूप से सजग है तथा सुरक्षा के पर्याप्त प्रबन्ध किये गये हैं ।

अतारांकित प्रश्न

विकास प्रधिकरण बांदा में कार्यरत श्री राजीव मिश्रा अवर अभियन्ता द्वारा अनाधिकृत निर्माण की विधिक कार्यवाही

1–श्री नसीमउद्दीन सिद्दीकी–

क्या मुख्य मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि सचिव विकास प्राधिकरण बांदा ने प्रश्नकर्ता को जो पत्र पत्रांक 761/अव० अभि० शि० नि०/दिनांक 25-7-91 भेजा था, उसमें श्री राजीव मिश्रा के द्वारा 500/- रु० रिश्वत मांगने में क्या स्पष्टीकरण मांगा गया था ? मांगे गये स्पष्टीकरण का क्या उत्तर श्री राजीव मिश्रा अवर अभियन्ता विकास प्राधिकरण बांदा ने दिया ? श्री मिश्रा के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी है ? क्या श्री राजीव मिश्रा अवर अभियन्ता विकास प्राधिकरण बांदा को रिश्वत मांगने के आरोप में निलम्बित किया जायेगा ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह–

जी हां, शिकायत प्राप्त हुई थी । शिकायत में मुख्य आरोप यह था कि श्री राजीव मिश्रा, अवर अभियन्ता द्वारा नक्शा पास करवाने के लिये रु० 500/-(रुपये पांच सौ) की मांग की गयी थी । जांच में यह तथ्य आया कि इस शिकायत से संबंधित सम्पत्ति के विषय में श्री मिश्रा ने अनाधिकृत निर्माण के संबंध में उ० प्र० नगर योजना एवं विकास अधिनियम, 1973 के अन्तर्गत विधिक कार्यवाही शिकायत की तिथि के पूर्व प्रारम्भ की थी । यह विधिक कार्यवाही अभी न्यायालय में विचाराधीन है, अतः श्री मिश्रा के विरुद्ध किसी कार्यवाही का प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद शाहजहांपुर में घटित अपराधों का विवरण

2–श्री देवेन्द्र पाल सिंह–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद शाहजहांपुर में 1 अगस्त, 1991 से 12-12-91 तक कितनी हत्यायें एवं डकैती के अपराध हुए ? क्या यह सत्य है कि पिछले वर्ष की तुलना में इस अवधि में अपराधों की संख्या में कई गुना वृद्धि हुई है ? यदि हां, तो क्या शासन सम्बन्धित पुलिस अधीक्षक/ उत्तरदायी अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही करेगा ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह–

अगस्त, 1991 से 12-12-91 तक हत्यायें–93 एवं डकैती के 5 अपराध हुए हैं । यह सत्य नहीं है कि पिछले वर्ष की तुलना में इस अवधि में अपराधों की संख्या में कई गुना वृद्धि हुई क्योंकि पिछले वर्ष, 1990 में इस अवधि में हत्यायें 99 तथा डकैती के 7 अपराध हुए हैं । शेष का प्रश्न नहीं उठता हैं ।

मेसर्स आई० ए० कन्स्ट्रक्शन एवं मैकेनिकल वर्क्स 60/112 हुसैनगंज, लखनऊ को हैण्डपम्प लगाने के उपरान्त किये गये भुगतान का विवरण

3–श्री श्याम लाल रावत–

दशम् विधान सभा के प्रथम सत्र 1991 के पहले मंगलवार को श्री श्याम बिहारी सिंह द्वारा पूछे गये अता० प्रश्न सं० 38 के उत्तर के संदर्भ में क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि मेसर्स आई० ए० कान्स्ट्रक्शन एवं मैकेनिकल वर्क्स 60/112, हुसैनगंज, लखनऊ को कसैला, फैजाबाद रोड पर उनके द्वारा लगाये गये 22 हैण्ड पम्पों का जो भुगतान लखनऊ विकास प्रधिकरण द्वारा चेक संख्याः 393570, दिनांक 15-12-90 द्वारा किया गया है, क्या वह उनके प्रश्नगत कार्य का अवशेष भुगतान है ? यदि हां, तो उनके उक्त कार्य के लिए प्राधिकरण द्वारा प्रथम बार कितना भुगतान किस दिनांक को एवं किस चेक संख्या द्वारा किया गया ?

श्री कल्याण सिंह–

मेसर्स आई० ए० कान्स्ट्रेक्शन एवं मैकेनिकल वर्क्स 60/112 हुसैनगंज, लखनऊ द्वारा कसैला फैजाबाद रोड पर लगाये गये 22 हैण्ड पम्पों के कार्य का रु० 15,290/- का भुगतान लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा चेक संख्या–393570 दिनांक 15-12-90 द्वारा किया गया है, वह प्रथम तथा अन्तिम भुगतान है । इसके अतिरिक्त ठेकेदार का कोई भुगतान अब नियमानुसार अवशेष नहीं है ।

4--श्री राम आसरे वर्मा-

[मा० उपाध्यक्ष निर्वाचित हो जाने के कारण हटाया गया]

जनपद बांदा के स्टेडियम में टेलीफोन लगाने की मांग

5--श्री नसीमउद्दीन सिद्दीकी-

क्या सरकार कृपया बतलायेगी कि तत्कालीन जिलाधिकारी बांदा श्री राकेश गर्ग ने स्टेडियम बांदा में टेलीफोन लगाने हेतु कोई पत्र शासन को लिखा था ? यदि हां, तो जिलाधिकारी बांदा श्री राकेश गर्ग द्वारा लिखित पत्र पर शासन द्वारा क्या कार्यवाही की गयी ? क्या स्टेडियम बांदा में शीघ्र ही टेलीफोन लगाया जायेगा ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

पर्यटन, सांस्कृतिक कार्य, युवा कल्याण एवं खेलकूद मंत्री (श्री केदार सिंह फोनिया)-

जी हां, खेल निदेशालय के स्तर से जिलाधिकारी बांदा को सूचित कर दिया गया है कि वर्ष 1991-92 में बांदा स्टेडियम में टेलीफोन लगाया जाना सम्भव नहीं है ।

संसाधनों को अनुपलब्धता के कारण फिलहाल बांदा स्टेडियम में टेलीफोन लगाए जाने का प्रस्ताव नहीं है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद बांदा की उ० प्र० राज्य यार्न कम्पनी में कार्यरत श्रमिकों का समझौते के आधार पर स्थाईकरण

6--श्री नसीम उद्दीन सिद्दीकी-

क्या उद्योग मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि उ० प्र० राज्य यार्न कम्पनी की बांदा इकाई में स्थाई श्रमिकों को अस्थाई कर दिया गया है ? यदि हां, तो किस आधार पर ?

श्री कल्याण सिंह-

कताई मिल बांदा में जुलाई, 1990 में श्रमिकों द्वारा तीन बार अवैधानिक हड़ताल की गई थी जिसमें स्थाई श्रमिक भी सम्मिलित थे । कताई मिल के प्रभावित स्थाई आदेशों में यह प्राविधान है कि यदि कोई कर्मचारी बिना स्वीकृत अवकाश अथवा बिना सूचना के दस दिन से अधिक के लिये अनुपस्थित रहता है तो वह मिल में अपना नियोजन परित्याग किया हुआ माना जाता है । चूंकि श्रमिक 23-7-90 से अवैधानिक हड़ताल करके दस दिन से अधिक के लिये अनुपस्थित हो गये थे तथा बार-बार अपील करने पर भी कार्य पर उपस्थित नहीं हो रहे थे, अतः उनका स्थायीकरण रद्द कर दिया गया था ।

दिनांक 26-12-1991 को ऊ०प्र० राजकीय यार्न मजदूर यूनियन बांदा के साथ उप-श्रमायुक्त, झांसी के समक्ष समझौता हो जाने के फलस्वरूप उनके स्थाई-करण को दिनांक 1-1-1992 से पुनः बहाल कर दिया है ।

जनपद बांदा की उ०प्र० राज्य यार्न कम्पनी के सूत का अधिग्रहण के विरूद्ध दायर की गई याचिका

7–श्री नसीम उद्दीन सिद्दीकी–

क्या उद्योग मंत्री कृपया बतायेंगे कि उ० प्र० राज्य यार्न कम्पनी की बांदा इकाई में उत्पादन शुल्क विभाग द्वारा दिनांक 1-4-91 को छापे के दौरान 20 लाख का सूत गोदाम में घोटाला पाया गया ? यदि हां, तो प्रबन्धकों ने सम्बन्धित अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की ? उ० प्र० राज्य यार्न कम्पनी के घाटे का प्रमुख कारण क्या हैं ?

श्री कल्याण सिंह–

प्रश्नगत इकाई का उत्पादन शुल्क विभाग द्वारा दिनांक 1-4-91 को अचानक निरीक्षण में सूत गोदाम में कोई घोटाला नहीं पाया गया । निरीक्षण उस समय हुआ जब सूत का भौतिक सत्यापन हो रहा था । उत्पादन शुल्क विभाग ने गोदाम के बाहर रखे सूत को अधिगृहीत कर लिया जिसके विरुद्ध अपील दायर की गई है ।

जनपद गोरखपुर स्थित वीर बहादुर सिंह स्पोर्ट्स कालेज में अध्यापकों की नियमित नियुक्ति का विचाराधीन प्रकरण

8–श्री अंगद सिंह यादव–

क्या खेल मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बीर बहादुर सिंह स्पोर्ट्स कॉलेज, जनपद-गोरखपुर में बालीबाल, जिमनास्टिक व कुश्ती के कितने-कितने खिलाड़ी अध्ययनरत हैं ? प्रति खेल कितने प्रशिक्षक नियुक्त किये गये हैं ? क्या मंत्री जी भी बतायेंगे कि एक प्रशिक्षक द्वारा कितने खिलाड़ियों को प्रशिक्षण सुचारु रूप से देने का मापदण्ड है ? यदि प्रशिक्षक कम है, तो क्यों तथा इस बारे में सरकार द्वारा अभी तक क्या व्यवस्था हुयी ? क्या यह सत्य है कि उक्त विद्यालय में लाखों रुपये का व्यय होते हुए भी अभ्यास हेतु कोई जिमनेजियम या कुश्ती हाल अभी तक उपलब्ध नहीं हुआ है ? यदि हां, तो क्यों तथा इन दोनों खेलों हेतु भवनों का निर्माण सरकार द्वारा कब कराया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ? उक्त स्पोर्ट्स कालेज में किन-किन आधारों पर अध्यापकों की प्रति नियुक्ति की जाती है ? यदि नियमित नियुक्तियां नहीं की गयी है, तो क्यों ? यदि की गयी है, तो कैसे ?

श्री केदार सिंह फोनिया–

वीर बहादुर सिंह स्पोर्ट्स कालेज गोरखपुर में बालीबाल, जिम्नास्टिक व कुश्ती के कुल 162 बालक/बालिकाएं अध्ययनरत हैं, जिनका विवरण निम्नवत् है :–

खेल का नाम	बालक	बालिकाएं
बालीबाल	43	18
जिम्नास्टिक	35	19
कुश्ती	47	–
योग :	125	37

बालीबाल एवं जिम्नास्टिक खेलों में दो-दो एवं कुश्ती खेल में एक प्रशिक्षक नियुक्त किये गये हैं ।

एक प्रशिक्षक द्वारा सामान्यतः 20 से 30 खिलाड़ियों को सुचारु रूप से प्रशिक्षण देने की व्यवस्था है ।

162 प्रशिक्षार्थियों को प्रशिक्षित करने के लिए पांच प्रशिक्षक तैनात हैं आवश्यकतानुसार प्रशिक्षक उपलब्ध कराने का प्रस्ताव विचाराधीन है ।

कुश्ती एवं जिम्नास्टिक के प्रशिक्षण हेतु जिम्नोजियम हाल निर्माणाधीन है । संसाधन की उपलब्धता के आधार पर इसे यथाशक्ति पूरा कराने का प्रयास किया जायेगा ।

सम्प्रति प्रतिनियुक्ति के सामान्य नियमों के अन्तर्गत शिक्षा विभाग से एक शिक्षा अध्यापक प्रतिनियुक्ति पर तैनात है । क्रीड़ा अध्यापकों के तीन स्वीकृत पदों के विरुद्ध 3 उप क्रीड़ाधिकारी खेल निदेशालय से प्रतिनियुक्ति पर लिए गये हैं । यह प्रतिनियुक्ति भी सामान्य नियमों के अन्तर्गत की गयी है । नियमित नियुक्ति का प्रश्न विचाराधीन है ।

उ० प्र० विधान सभा के सदस्यगण श्री रमाकान्त यादव तथा उमाकान्त यादव द्वारा शासन को प्रेषित पत्र

9–श्री अंगद सिंह यादव–

क्या गृह मंत्री को जानकारी है कि विधायक श्री रमाकान्त यादव क्षेत्र फूलपुर, जिला आजमगढ़ तथा विधायक श्री उमाकान्त यादव क्षेत्र खुटहन जिला जौनपुर ने अलग-अलग या संयुक्त रूप से 1 जून, 1991 से अब तक शासन को कब-कब और कितने-कितने पत्र लिखे हैं, जिसमें यह शिकायत की गयी है कि जनपद आजमगढ़ व जनपद जौनपुर की पुलिस व जिला प्रशासन, फर्जी मामले में उनको व उनके परिवार को फंसाने की साजिश कर रहा है ? सरकार द्वारा उन पत्रों पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह–

सर्वश्री रमाकान्त यादव तथा उमाकान्त यादव, विधायक द्वारा दिनांक 10-9-91 को एक दिनांक 25-11-91 को एक तथा दिनांक 25-2-92 को एक प्रार्थना-पत्र दिये गये हैं । इनकी प्रतियां विभिन्न पदाधिकारियों को पृष्ठांकित की गयी ।

प्रार्थना-पत्रों में लगाये गये आरोपों की जांच करायी गयी । कोई आरोप प्रमाणित नहीं हुआ ।

जनपद अलीगढ़ के भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के सचिव डा० गिरिश शर्मा द्वारा थाना इगलास की अपराधिक घटनाओं में पुलिस अधीक्षक से शिकायत पर कृत कार्यवाही

10–श्री राम प्रसाद सिंह–

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जनपद अलीगढ़ के डा० गिरिश शर्मा सचिव जिला कौसिंल भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी अलीगढ़ ने दिनांक 12-7-90 को इगलास थाना की अपराधिक घटनाओं में कार्यवाही करने हेतु पुलिस कप्तान अलीगढ़ को शिकायत की है ? यदि हां, तो उसमें क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह–

प्राप्त सूचना के अनुसार डा० गिरिश शर्मा, सचिव जिला कौंसिल भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, अलीगढ़ द्वारा श्री तेर सिंह निवासी नगला जसराम मौजा मुमरेजा थाना इगलास जनपद-अलीगढ़ द्वारा थाना इगलास पर पंजीकृत-मु० अ० सं० 121/90 धारा 394/302 भा० दं० वि- के मुकदमें के संबंध में कार्यवाही न किये जाने के विषय में दिनांक 12-7-90 को प्रार्थना-पत्र प्रेषित किया गया । दिनांक 23-6-90 को वादी श्री तेर सिंह ने थाना इगलास पर अपने भाई श्री लोकमन की बदमाशों द्वारा गोली मार कर हत्या किये जाने एवं उसी गांव के श्री लाला राम के मकान से एक सूटकेश लूट कर ले जाने की सूचना दी । इस सूचना पर मु० अ० सं०-121/90 धारा-394/302 भा० दं० वि० का अभियोग बनाम अज्ञात पंजीकृत हुआ । विवेचना के दौरान काफी तलाश एवं प्रयास के बावजूद भी माल व मुल्जिमान का कोई पता न चलने पर मामले में अंतिम रिपोर्ट दिनांक 2-2-91 को प्रेषित की गयी ।

जनपद जौनपुर के अन्तर्गत भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी जिला कौंसिल द्वारा सुजानगंज (चैनपुर) की पुलिस के विरुद्ध मुख्य मंत्री को दिये गये ज्ञापन पर कार्यवाही

11–श्री राम प्रसाद सिंह–

क्या सरकार बताने की कृपा करेंगी कि जनपद जौनपुर के अन्तर्गत भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी जिला कौंसिल, जौनपुर द्वारा दिनांक 14-12-90 को एक ज्ञापन जिला अधिकारी जौनपुर तथा मुख्य मंत्री को दिया गया है ? यदि हां, तो क्या उक्त ज्ञापन सुजानगंज (चैनपुर) की पुलिस द्वारा ज्यादती के विरुद्ध है ? यदि हां, तो उसमें क्या-क्या आरोप रहे हैं ? उन ज्ञापनों पर क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह–

जी हां ।

ज्ञापन में पुलिस के विरुद्ध आम सभा में विघ्न डालने, पार्टी की प्रचार जीप बन्द करने, कार्यकर्ताओं को गाली देने, झंडा छीन लेने, पार्टी नेताओं को अपमानित करने एवं अराजक तत्वों द्वारा जनसभा में विरोध कराने के आरोप लगाये गये थे । क्षेत्राधिकारी, मछलीशहर से करायी गयी जांच में आरोप प्रमाणित नहीं हुए ।

जनपद इलाहाबाद के हंडिया विधान सभा क्षेत्र में उद्योग स्थापित करने का प्रकरण

12-डा० बृजभान यादव–

क्या उद्योग मंत्री को जानकारी है कि इलाहाबाद जनपद का हंडिया विधान सभा क्षेत्र औद्योगिक क्षेत्र है ? यदि हां, तो क्या सरकार यहां उद्योग स्थापित करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह–

उद्योग शून्य क्षेत्रों का सीमांकन भारत सरकार ने जनपदवार किया है, न कि विधान सभा क्षेत्रवार । उक्तानुसार इलाहाबाद जनपद उद्योग शून्य नहीं है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद सुल्तानपुर के थाना ग्रामों के ग्राम बलभद्रपुर के निवासी श्री राम औतार पुत्र श्री सुखपाल के संबंध में प्रश्नकर्ता के पत्र पर जांच

13–श्री तेजभान सिंह–

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि पुलिस अधीक्षक, सुल्तानपुर को सम्बोधित तथा प्रश्नकर्ता द्वारा अग्रसारित श्री राम औतार पुत्र श्री सुखपाल नि० ग्राम बलभद्रपुर, थाना ग्रामों, जिला-सुल्तानपुर का प्रार्थना-पत्र दिनांक 12-8-91, जिसमें स्थानीय पुलिस द्वारा गलत मुकदमे में फंसा कर 700/- रु० वसूलने की शिकायत की गयी है, प्राप्त हुआ ? यदि हां, तो इसकी जांच कब, किस अधिकारी द्वारा की गयी ? क्या प्रश्नकर्ता द्वारा प्रार्थियों से फर्जी बयान के प्रयास की शिकायत पुलिस अधीक्षक, सुल्तानपुर को दि० 29-11-91 को एक पत्र द्वारा की है, यदि हां, तो इस शिकायत पर क्या जांच अधिकारी बदल कर कोई जांच कराई गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह–

जी हां ।

प्रार्थना-पत्र पर क्षेत्राधिकारी गौरीगंज द्वारा दिनांक 3-9-91 को जांच प्रारम्भ की गयी ।

जी नहीं । शेष का प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद सुल्तानपुर के थाना जामों के हेड कान्सटेबिल द्वारा रिश्वत लेने के आरोप की पुष्टि न होना

14–श्री तेजभान सिंह–

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि पुलिस अधीक्षक सुल्तानपुर को सम्बोधित तथा दिनांक 14-3-91 को प्रश्नकर्ता द्वारा प्राप्त कराया गया पत्र जिसमें थाना जामों में हेड कान्सटेबिल द्वारा एक अपराधी बन्दी से रु० ले लेने का आरोप है ? जिस पर उप पुलिस अधीक्षक गौरीगंज ने कोई जांच की है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कोई कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह–

जी हां ।

मामले की जांच क्षेत्राधिकारी, गौरीगंज द्वारा कराई गयी । जांच से थाना जामों कें हेड कान्सटेबिल द्वारा रिश्वत लेने के आरोप की पुष्टि नहीं हुई ।

जनपद मऊ के सेवानिवृत्त श्री राम नक्षत्र तिवारी भू० पू० मवेशी मुन्शी के पेंशन एवं ग्रेष्युटी का भुगतान

15-श्री अमरेश चन्द्र पाण्डेय–

क्या पंचायत राज मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता के पत्र के साथ श्री राम नक्षत्र तिवारी भू० पू० मवेशी मुंशी ग्राम वासतराव पो० काठतरांव जनपद मऊ का आवेदन-पत्र दिनांक 27-11-91 उन्हें प्राप्त हुआ ? श्री तिवारी कब सेवानिवृत्त हुए ? क्या यह सही है कि सेवानिवृत्त होने के 3 वर्ष बाद भी उन्हें पेंशन तथा ग्रेच्युटी अब तक नहीं दी गयी ? यदि हां, तो इस प्रकार की गयी अनियमितताओं के विरुद्ध संबंधित अधिकारियों एवं कर्मचारियों को कठोर दण्ड देने की कृपा करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

पंचायती राज राज्य मंत्री (श्री कृष्ण स्वरूप वैश्य)–

जी हां ।

श्री तिवारी दिनांक 18-8-87 को सेवानिवृत्त हुए ।

श्री तिवारी को उनके पेंशन एवं ग्रेच्युटी का भुगतान करा दिया गया है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

16–श्री अमरेश चन्द्र पाण्डेय–

[6वें सोमवार में अता० प्र० सं० 177 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

17–श्री अमरेश चनद्र पाण्डेय–

[4थे बुधवार में अता० प्रा० सं० 199 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

18–श्री राम आसरे वर्मा–

[मा० उपाध्यक्ष होने के कारण हटाया गया]

जनपद सुल्तानपुर के थाना मुसाफिरखाना स्थित श्री विश्वनाथ के घर दि० 14/15 मई, 1991 को पड़ी डकैती में श्री राम कुमार टण्डन की हुई मृत्यु की जांच कार्यवाही

19–श्री तेजभान सिंह–

ग्यारहवीं विधान सभा के प्रथम सत्र 91 के दूसरे मंगलवार के तारांकित प्रश्न संख्या–9 के उत्तर के संदर्भ में क्या गृह मंत्री कृपया बतायेंगे कि संदर्भित मामले में फरार अभियुक्तों को पकड़ने की कोई अन्य कार्यवाही की गयी है ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह–

फरार अभियुक्तों में से अभियुक्त रज्जब द्वारा दिनांक 22-8-1991 को न्यायालय के समक्ष आत्मसमर्पण किया गया । शेष दो अभियुक्तों बब्बू व सुल्तान के घटना में शरीक न होने की पुष्टि वादी द्वारा किये जाने पर उनकी गिरफ्तारी के संबंध में कोई कार्यवाही नहीं की गई ।

20–श्री बच्चा पाठक–

[आश्वासन समिति के विचाराधीन होने के कारण निरस्त]

जनपद फैजाबाद के थाना बबीना में दर्ज रिपोर्ट की जांच के उपरान्त आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया जाना

21–श्री बच्चा पाठक–

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद फैजाबाद के थाना बेबाना में पुलिस अधीक्षक फैजाबाद के आदेश से कोई मुकदमा थाना बेबाना में दिनांक 24-6-90 को अपराध संख्या-128/ए के अन्तर्गत दर्ज हुआ है ? यदि हां, तो सम्पूर्ण रिपोर्ट को सदन के पटल पर रखते हुए क्या यह भी बताने की कृपा करेंगे कि उक्त अपराध के संबंध में श्री प्रियदर्शी जेतली ने 14-7-90 को डी० आई० जी० फैजाबाद को कोई पत्र दिया है ? उक्त पत्र के आधार पर क्या कार्यवाही हुई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह–

जी हां ।

प्रश्न में उल्लिखित श्री प्रियदर्शी जेतली का पत्र दिनांक 14-7-90 प्राप्त हुआ था जिस पर मामले की जांच थाना बेबाना से कोतवाली अकबरपुर को सुपुर्द की गयी । तत्पश्चात् मामले की विवेचना एस० आई० एस० शाखा द्वारा कराई गई । विवेचना से धारा 342/323/504 भा० दं० वि० का अपराध प्रमाणित होने पर आरोप-पत्र न्यायालय प्रेषित किया गया । जो सम्प्रति न्यायालय के विचाराधीन है । प्रथम सूचना रिपोर्ट को सदन के पटल पर रखने की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है ।

राज्य सम्पत्ति विभाग द्वारा मा० विधायकों को अनुमान्य प्रतिकर भत्ते के भुगतान की कार्यवाही

22–श्री ऊदल–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि दिसम्बर, 89 से मार्च 91 तक जिन विधायकों को दारुलशफा तथा अन्य स्थानों में कक्ष दिये गये थे उन्हें स्टैडर्ड रेंट के हिसाब से 150/- रुपये प्रतिमाह राज्य सम्पत्ति विभाग को देना था ? यदि हां, तो दिसम्बर 89 से दिसम्बर, 91 व्यतीत होने के बाद भी उक्त भुगतान न होने का कारण क्या है ? क्या यह सही है कि जिन सदस्यों को पांच माह तक कक्ष आवंटित नहीं किया गया था, उन्हें 300 रु० के हिसाब से कक्ष का भत्ता नहीं दिया गया है ? यदि हां, तो क्यों ? क्या प्रश्नकर्ता को भी मई, 91 में कक्ष दिया गया था ? यदि हां, तो क्या सरकार इसकी जांच कराकर उचित कार्यवाही करेगी ?

श्री कल्याण सिंह–

नियमानुसार विधायकों को शासन की ओर से अधिकतम 300/- रुपये मासिक किराये का राजकीय आवास निःशुल्क प्रदान किया जाता है । अनुमन्य श्रेणी से नीचे का आवास उपलब्ध होने पर अनुपातिक दर पर प्रतिकर आवास भत्ता भुगतान किया जाता है । इसी उद्देश्य से 259, सदस्यों के संबंध में दि० 2-12-89 से 30-6-90 तक की अवधि का प्रतिकर आवास भत्ता आंकलित करके विधान सभा सचिवालय को राज्य सम्पत्ति विभाग ने 4-3-91 को भेज दिया । अवशेष विधायकों के संबंध में वांछित छानबीन व आगणन करके प्रतिकर आवास भत्ता भुगतान की संस्तुति दि० 28-3-92 को भेजी गयी । किन्तु लगभग एक दर्जन मा० विधायकगण के संबंध में अभी सूचना तैयार होने में विलम्ब के कारण संस्तुति भेजने में समय लग रहा है । दूसरी किश्त में 1-7-90 से दि० 3-4-91 तक की अवधि के लिये दि० 12-2-91 को संस्तुति भेजी गयी जिसमें विधान सभा सचिवालय ने कुछ अतिरिक्त सूचनायें मांगीं जो राज्य सम्पत्ति विभाग द्वारा पुनः 28 मार्च, 92 को भेज दी गई है ।

सभी संबंधित सदस्यों को अनुमन्य प्रतिकर भत्ता भुगतान की कार्यवाही प्रगति पर है ।

दशम् विधान सभा के सदस्य के रूप में मा० विधायक जी विधायक निवास–1 के कक्ष सं०–170 में दिनांक 15 जून, 90 को अध्यासित हुए । 3 अप्रैल, 91 को दशम् विधान सभा भंग होने के पश्चात् भी वे उसी कक्ष में अध्यासित रहे । ग्यारहवीं विधान सभा के सदस्य निर्वाचित होने के पश्चात् पुनः उक्त कक्ष मा० विधायक को दिनांक 23 जून, 1991 को आवंटित किया गया ।

पत्रकारों की पेंशन योजना में फ्रीलांसिंग (स्वतंत्र लेखन) करने वालों को शामिल करने की मांग

23–श्री हृदय नारायण दीक्षित–

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि पत्रकारों की पेंशन योजना क्या है ? क्या इस योजना से लाभ उठाने वाले पत्रकारों को वर्गीकृत किया गया है ? यदि हां, तो वर्गीकरण के आधार क्या हैं ? क्या सरकार बतायेगी कि फ्रीलांसिंग (स्वतंत्र लेखन) करने वालों को भी इस योजना में शामिल किया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सिंचाई न्याय तथा विधायी मंत्री (श्री ओम प्रकाश सिंह)–

जीवन बीमा निगम के माध्यम से ऐसे पूर्णकालिक श्रमजीवी पत्रकारों के लिये परिवर्तित रूप में स्वैच्छिक पेंशन एवं बीमा योजना शासनादेश संख्या-414/उन्नीस–1–92–32/77 दिनांक, 16 मार्च, 1992 द्वारा लागू की गयी है, जो कम से कम 3 वर्ष से ऐसे समाचार पत्र मे नियमित नियुक्ति हों जिनकी प्रसार

संख्या कम से कम 10,000 हो, जिनका प्राविडेंट फण्ड कटता हो, बीमा ऐसे पत्रकारों का होगा जो 25 से 55 वर्ष की आयु वर्ग में हों । योजना को संचालन हेतु एक "दि यू० पी० वर्किंग जर्नलिस्ट बेलफेयर सोसायटी" का गठन किया गया है । बीमा राशि का प्रीमियर 50 प्रतिशत सम्बन्धित पत्रकार द्वारा तथा 50 प्रतिशत सोसायटी द्वारा वहन करने की व्यवस्था की गयी है ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जी नहीं ।

फ्रीलासिंग (स्वतंत्र लेखन) करने वाले पत्रकार पूर्णकालिक श्रमजीवी पत्रकार की परिभाषा से आच्छादित नहीं है ।

जनपद प्रतापगढ़ में स्थित आटो ट्रैक्टर्स लि० को मे० सिपानी आटोमोबाइल्स लि० के साथ चलाये जाने की व्यवस्था

24–श्री श्रीराम (जालौन)–

क्या सरकार बतायेगी कि उत्तर प्रदेश की पूर्व सरकार द्वारा आटो ट्रैक्टर्स लि०, प्रतापगढ़ को सिपानी आटोमोबाइल्स के हाथों बेचे जाने व उसको कब्जा दिये जाने से पूर्व आटो ट्रैक्टर्स लि०, प्रतापगढ़ में कार्यरत कर्मचारियों व माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबद से कम्पनी को निजी क्षेत्र मे सिपानी आटो मोबाइल्स के हाथों न बेचे जाने हेतु दिनांक 27–11–90 को स्थगन आदेश प्राप्त किया था और उस स्थगन आदेश को दिनांक 11–1–91 को अग्रिम आदेशों तक बढ़ा दिया गया था ? यदि हां, तो क्या माननीय उच्च न्यायालय के स्थगन आदेश के बावजूद भी उत्तर प्रदेश सरकार ने आटो ट्रैक्टर्स लि०, प्रतापगढ़ को सिपानी आटो मोबाइल्स के हाथों बेचकर कब्जा दे दिया है ? यदि हां, तो ऐसा क्यों ? क्या कर्मचारियों द्वारा प्रस्तुत याचिका में पारित स्थगन आदेश उत्तर प्रदेश सरकार के विरुद्ध आज भी प्रभावशील हैं ?

श्री कल्याण सिंह––

मा० उच्च न्यायालय ने आटो ट्रैक्टर्स की बिक्री न करने हेतु अन्तरिम आदेश दिये थे । किन्तु प्रश्नगत आटो ट्रैक्टर्स लि०, प्रतापगढ़ को बेचा नहीं गया है, केवल इसको संयुक्त क्षेत्र में मे० सिपानी आटोमोबाइल्स लि० के साथ चलाये जाने की व्यवस्था की गयी है ।

जनपद इलाहाबाद में बंगला नं०-19 हेस्टिंग्ज रोड पुलिस महानिरीक्षक श्री के० एल० गुप्ता द्वारा के किराये का भुगतान

25–श्री जैदान सिंह यादव––

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बंगला नं०-19 हेस्टिंग्ज रोड जो कि पुलिस महानिरीक्षक, इलाहाबाद जोन के कार्यालय हेतु आवंटित है, में श्री के० एल० गुप्ता पुलिस महानिरीक्षक, इलाहाबाद ने अपना निवास बना लिया है ? यदि हां, तो उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई, यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह––

बंगला नं०–19 हेस्टिंग्ज रोड एक बहुत बड़ा कम्पाउंड है जिसमें कई भाग हैं । इनमें से एक भाग पुलिस महानिरीक्षक, इलाहाबाद जोन का कार्यालय है तथा दूसरे भाग में उनका निवास स्थान, अन्य

हिस्से में विद्युत परिषद् का एक कार्यालय भी स्थित है । कार्यालय-भवन तथा निवास स्थान का किराया अलग-अलग दिया जाता है । निवास स्थान का किराया रु० 1,000 प्रतिमाह पुलिस महानिरीक्षक द्वारा स्वयं भुगतान किया जा रहा है । इससे पूर्व के पुलिस महानिरीक्षक द्वारा भी उक्त निवास का किराया भुगतान किया जाता था । इस प्रकार के० एल० गुप्ता द्वारा कोई अनियमित कार्य नहीं किया गया प्रतीत होता फलस्वरूप श्री गुप्ता के विरुद्ध किसी कार्यवाही की आवश्यकता नहीं प्रतीत होती ।

जनपद लखनऊ के अलीगंज स्थित आवास विकास परिषद् कालोनी की भूमि पर अवैध कब्जे का प्रकरण

26–श्री बनवारी सिंह—

क्या सरकार को ज्ञात है कि अलीगंज (लखनऊ) स्थित आवास विकास परिषद् की शेखूपुरा कालोनी के निकट पड़ी परिषद् की भूमि पर विगत कई वर्षों से अवैध कब्जा विद्यमान है ? क्या यह सही है कि इस संबंध में कई बार शासन का ध्यान आकृष्ट किये जाने के बावजूद भी आज तक कोई कार्यवाही नहीं की गई है ? यदि हां, तो क्यों तथा उक्त अवैध कब्जा कब तक समाप्त करा दिया जायेगा ?

श्री कल्याण सिंह----

जी हां,

प्रश्नगत भूमि पर कई वर्षों से अनुसूचित जाति एवं दुर्बल आय वर्ग के कुछ परिवार निवास कर रहे हैं, इसलिये वर्तमान में अनाधिकृत कब्जे को हटाने में व्यवहारिक एवं मानवीय कारणों से कठिनाइयां हैं ।

जनपद बांदा में वर्ष 1990–1991–92 में बालू घाटों की नीलामी से प्राप्त आय का विवरण

27–श्री विशम्भर प्रसाद निषाद––

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि जनपद बांदा में वर्ष 1990–91 व 91–92 में कुल कितने बालू घाटों की नीलामी खनिज विभाग, बांदा द्वारा की गयी ? इसका अलग-अलग विवरण क्या है ? नीलामी से प्राप्त धनराशि किस खाते में जमा की जाती है ? क्या सरकार जिस गांव सभा से बालू खनन किया जाता है, उसी गांव सभा को उत्खनन से प्राप्त धनराशि दिये जाने पर विचार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह---

जनपद बांदा में वर्ष 1990–91 में 19 तथा वर्ष 1991–92 में 27 अर्थात् कुल 46 बालू घाटों की नीलामी की गयी है, जिसका वर्षवार विवरण निम्न प्रकार है :—

वर्ष 1990–91	वर्ष 1991–92
रौली कल्याणपुर (गाटा सं० 2434)	रौली कल्याणपुर (गाटा सं० 2434)
रौली कल्याणपुर (गाटा सं० 1443)	रौली कल्याणपुर (गाटा सं० 1443)
लमियारी	सकरौली
भवानीपुरवा	लमियारी

वर्ष 1990–91	वर्ष 1991–92
भुरेडी उत्तरी	अगरकुण्डा
उजरेहटा	रसिन
बेन्दा	खैरेहीखादर
दादोघाट	सवादाखादर
जमवारा	साड़ीखादर
पैलानी	भवानीपुरवा
कनवारा–1	भुरेडी उत्तरी
रेडी भुसौली	उजरेहटा
गुढ़ाकला	खादीमदनपुर
रेहुटा	अछरौड़
सिंघनकला	बेन्दा
कनवारा–11	दादोघाट
लड़ाकापुरवा	जमवारा
दुरेडीखादर	पैलानी
भवानीपुरवा राजघाट	कनवारा–1
	सिंघनकला
	कनवारा–11
	रेडीभुसौली
	गुढ़ाकला
	रेहुटा
	लड़ाकापुरवा

नीलामी से प्राप्त धनराशि "0853 अलौह धातु खनन और धातुकर्म उद्योग–102–खनिजों से रियायती फीस संबंधी किराये और रायल्टी" खाते में जमा की जाती है । खान एवं खनिज (नियंत्रण एवं विकास) अधिनियम 1957 की धारा 15 (ई) के प्राविधानों के अनुसार रायल्टी की धनराशि लेने का अधिकार प्रदेश सरकार को है और इस धनराशि को ग्रामसभा को दिया जाना सम्भव नहीं है ।

28–श्री बलराम यादव–

[कई विभागों से संबंधित होने के कारण निरस्त]

जनपद बांदा के अन्तर्गत ग्राम ददरिया व जमनीपुर को पृथक ग्राम सभा गठित करना

29–श्री नसीम उद्दीन सिद्दीकी–

क्या सरकार को ज्ञात है कि बांदा जनपद में बांदा विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत जमनीपुर (महोखर ग्राम सभा) व ददरिया (जौरही) ग्राम सभा) दोनों को मिलाकर जमनीपुर ग्राम सभा पूर्व में कार्यरत थी ? यदि हां, तो इसके तोड़ने के क्या कारण है ? यदि ग्राम सभा एक नहीं थी तो क्या निकट भविष्य में दोनों ग्रामों को मिलाकर एक ग्राम सभा या अलग-अलग दो ग्राम सभायें बनायी जावेंगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कृष्ण स्वरूप वैश्य–

जी नहीं ।

प्रश्न ही नहीं उठता ।

ग्राम ददरिया व जमनीपुर को अलग ग्राम सभा बनाये जाने का जब तक औचित्य सिद्ध नहीं हो जाता अलग ग्राम सभा गठित किया जाना संभव नहीं है ।

30–श्री अंगद सिंह यादव–

[पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त]

जनपद सुल्तानपुर के थाना जामो–ग्राम गौरा के निवासी मृतक श्री विद्या प्रसाद पुत्र श्री कालिका प्रसाद के आश्रित को बीमा धनराशि प्राप्त करने का प्रकरण

31–श्री तेज भान सिंह–

क्या गृह मंत्री कृपया बतायेंगे कि श्री विद्या प्रसाद पुत्र श्री कालिका प्रसाद नि० ग्राम गौरा, थाना जामो सुल्तानपुर की दि० 9 नवम्बर, 89 को मार्ग दुर्घटना में मृत्यु हो गयी थी यदि हां, तो इस घटना की रपोर्ट कहां दर्ज हुई व पोस्ट मार्टम कब हुआ ? क्या मृतक के आश्रित को दुर्घटना बीमान्तर्गत कोई राहत राशि प्रदान की गयी हैं ? यदि हां, तो कितनी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह–

श्री विद्या प्रसाद पुत्र श्री कालिका प्रसाद की मार्ग दुर्घटना में मृत्यु दिनांक 9-11-89 को नहीं वरन् 10/11 नवम्बर, 1989 की रात्रि में हुई थी ।

मृतक के भाई द्वारा दुर्घटना की रिपोर्ट दिनांक 11-11-89 को थाना जामों पर अंकित कराई गयी थी । मृतक का पोस्टमार्टम दिनांक 11-11-89 को हुआ था ।

मृतक के आश्रित को बीमा की राशि का भुगतान बीमा कम्पनी से प्राप्त करना होता है । इसमें राज्य सरकार द्वारा हस्तक्षेप नहीं किया जाता ।

जनपद वाराणसी के विकास प्राधिकरण द्वारा ग्राम परमानपुर की भूमि आवासीय योजना हेतु अध्यापित करने का प्रस्ताव

32–श्री ऊदल–

क्या आवास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वाराणसी विकास प्राधिकरण वाराणसी नगर महापालिका क्षेत्र में परगना शिवपुर व परगना देहात अमानत त० व जिला वाराणसी में हाउसिंग स्कीम

के अन्तर्गत जमीन एक्वायर करने का प्रस्ताव किया है ? क्या यह सही है कि छोटा लालपुर व बसही तथा परमानपुर में भी जमीन लेने का प्रस्ताव किया गया है ? क्या सरकार अब तक विकास प्राधिकरण, वाराणसी के लिये ली गयी भूमि की जांच करायेगी कि जो जमीन इसने ली है उसका पचास फीसदी भी उपयोग नहीं किया है जैसे पाण्डेपुर हाउसिंग स्कीम परगना शिवपुर त० व जिला वाराणसी में किया है ? यदि हां, तो क्या सरकार इसकी पूरी जांच, भूमि उपयोग निदेशालय या रेवेन्यू विभाग से करायेगी और तब तक विकास प्राधिकरण वाराणसी के लिये जमीन लेने पर रोक लगायेगी ?

श्री कल्याण सिंह–

जी हां ।

छोटा लालपुर व बसही में जमीन लेने का वाराणसी विकास प्राधिकरण का कोई प्रस्ताव नहीं है, परन्तु ग्राम परमानन्दपुर (परमानपुर) में प्राधिकरण की आवासीय योजना हेतु भूमि अध्यापित करने का प्रस्ताव है । प्रस्तावित जांच की कोई आवश्यकता नहीं है, प्राधिकरण द्वारा भूमि का अधिग्रहण योजनाओं के कार्यान्वयन के लिये ही किया जाता है ।

33–श्री निर्वेन्द्र कुमार–

[दिनांक 23-3-92 को अता० प्र० सं० 183 द्वारा उत्तरित]

जनपद उन्नाव के मौरावां कस्बे के निवासी श्री कृष्ण दत्त शुक्ल को प्रदत्त शस्त्र की जांच

34–श्री हृदय नारायण दीक्षित–

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि जिला उन्नाव के मौरावां कस्बे के निवासी कृष्ण दत्त शुक्ल व उनके परिवार के ही सदस्यों को माह जून–जुलाई, 91 में शस्त्र लाइसेंस दिये गये थे ? यदि हां, तो क्यों ? क्या यह सत्य है कि उक्त शस्त्र लाइसेंस के कथित नियम विरुद्ध होने के संबंध में प्रश्नकर्ता के गृह सचिव व जिलाधिकारी, उन्नाव को प्रेषित पत्र दिनांक 3-9-91 की जांच पुलिस अधीक्षक ने भी की है ? यदि हां, तो क्या शस्त्र लाइसेंस प्रकरण की जांच आख्या में पुलिस ने श्री कृष्ण दत्त शुक्ल का कोई आपराधिक इतिहास क्या है ? क्या सरकार उक्त शस्त्र लाइसेंसों की श्रेणी भी बनायेंगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

35–श्री राम आसरे वर्मा–

[मा० उपाध्यक्ष हो जाने के कारण हटाया गया]

वाराणसी विकास प्राधिकरण द्वारा संचालित आवासीय योजना में सिनेटरी डेवलप के कार्य को सम्मिलित करने के संबंध में नियमानुसार कार्यवाही करने के निर्देश

36–श्री ऊदल–

क्या आवास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वाराणसी विकास प्राधिकरण द्वारा संचालित पांडेपुर आवासीय योजना, गांव पांडेपुर, परगना शिवपुर, तहसील व जिला वाराणसी के लिये 31 एकड़–26 डि० भूमि को एक्वायर किया गया था ? यदि हां, तो क्या सिनेटरी डेवलप में कार्य को भी योजना में शामिल किया गया था ? यदि नहीं, तो क्या इस संबंध में सभी तथ्यों के साथ प्रश्नकर्ता ने अध्यक्ष,

वाराणसी विकास प्राधिकरण, वाराणसी जो कि वाराणसी मंडल के आयुक्त हैं, को दिनांक 11-11-91 को पत्र भेजा था ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही हुई ?

श्री कल्याण सिंह–

जी हां ।

उक्त पत्र पर अध्यक्ष; विकास प्राधिकरण वाराणसी ने नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करने का निर्देश उपाध्यक्ष विकास प्राधिकरण को दिया है ।

विकास प्राधिकरण वाराणसी द्वारा बरती गयी अनियमितता की जांच

37–श्री ऊदल–

क्या आवास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आयुक्त, वाराणसी मंडल, वाराणसी ने उक्त पत्र तथा सभी कागजात तथ्यों सहित उपाध्यक्ष, वाराणसी प्राधिकरण, वाराणसी को अपने पत्र संख्या 409/23-27/91-94 स्था० नि० स० दि० नवम्बर, 26 सन् 1991 के द्वारा भेजकर नियमानुसार कार्यवाही करने का आदेश दिया है ? यदि हां, तो क्या यह सही है कि विकास प्राधिकरण, वाराणसी द्वारा ही उक्त योजना में अनियमितता बरती गयी है ? यदि हां, तो उसके द्वारा कार्यवाही का क्या औचित्य है ? क्या सरकार के किसी उच्चाधिकारी जो प्लान से संबधित हो और अभियन्ता को भेज कर उक्त योजना के बारे में जांच करने का आदेश करेंगे ?

श्री कल्याण सिंह–

जी हां ।

जांच की जा रही है ।

अभी प्रश्न नहीं उठता ।

बिकास प्राधिकरण, वाराणसी द्वारा पांडेपुर आवासीय योजना हेतु भूमि अधिग्रहण की नियमानुसार कृत कार्यवाही

38–श्री ऊदल–

क्या आवास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उक्त 31 एकड़ जमीन में से करीब 10 एकड़ से ज्यादा भूमि पर प्राइवेट लोगों ने मकान बना लिये हैं और नगर महापालिका ने मकानों पर नम्बर भी दे दिया है ? यदि हां, तो क्या मकान के साथ मय नाम के एक लिस्ट उक्त पत्र के साथ प्रश्नकर्ता ने दिया है ? यदि हां, तो उपाध्यक्ष वाराणसी, विकास प्राधिकरण, वाराणसी जो कि नगर महापालिका के प्रशासक भी हैं, ने किस तरह से नियमानुसार कार्यवाही की है ? क्या सरकार इस जांच को किसी अन्य एजेन्सी से करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह–

पांडेपुर आवासीय योजना हेतु अध्याप्त की गयी 31.26 एकड़ भूमि मे से प्राधिकरण को 20.1833 एकड़ भूमि का ही कब्जा प्राप्त हुआ है । शेष भूमि पर मा० उच्च न्यायालय से प्राप्त स्थगनादेशों के दौरान भू-स्वामियों द्वारा अपने भूखण्डों पर निर्माण कर लिये जाने के कारण विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी, वाराणसी द्वारा प्राधिकरण को कब्जा नहीं दिया गया है ।

जी हां ।

जी हां ।

अधिग्रहण की कार्यवाही नियमानुसार की गयी है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

39–श्री ऊदल–

क्या आवास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आयुक्त वाराणसी मंडल, वाराणसी जो कि विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष भी हैं, को दिनांक 11-11-91 को नगर महापालिका, वाराणसी का प्रस्ताव दिया गया है, जिसने उक्त योजना को रद्द कर दिया था तो पुनः गरीब किसानों, पिछड़ी जातियों को उजाड़ने व उनकी कृषि की जमीन, बाग व मकान को लेने के लिये उक्त योजना को पुनः क्यों बनाया गया, उसकी जांच की गयी ? क्या सरकार पूरी योजना की जांच तथा की गयी अनियमितता की जांच सी० आई० डी० से कराने पर विचार करेगी या लोक निर्माण विभाग उत्तर प्रदेश के किसी बड़े अभियन्ता से जांच करायेगी जो निर्माण निगम का हो ?

श्री कल्याण सिंह–

जी हां ।

ग्राम–पाण्डेपुर स्थित भूमि नगर के निकट होने के कारण आवासीय सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से वाराणसी विकास प्राधिकरण द्वारा अधिग्रहीत किये जाने का निर्णय लिया गया । भूमि के अर्जन की कार्यवाई नियमानुसार की गयी ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद सुल्तानपुर के पो०–शाहगढ़ के ग्राम–एकसारा निवासी श्रीमती ज्ञानवती शुक्ला द्वारा की गयी शिकायत का सही न पाया जाना

40–श्री तेज भान सिंह–

क्या क्षेत्रीय विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि जिला विकास अधिकारी, मुख्य विकास अधिकारी, जिलाधिकारी, सुल्तानपुर व खण्ड विकास अधिकारी, शाहगढ़ व अधिशासी अभियन्ता, लघु सिंचाई, सुल्तानपुर को सम्बोधित श्रीमती ज्ञानवती शुक्ला, निवासी ग्राम एक सारा, पो० शाहगढ़, जिला सुल्तानपुर का क्रमशः दिनांक 10-9-91, 21-10-91, 29-10-91, का पत्र प्राप्त कराया गया ? यदि हां, तो क्या दिनांक 22-8-91 को यू० पी० सी० तथा दिनांक 27-10-91 को प्राप्त कराये गये प्रार्थना-पत्र जिनमें कि बोरिंग के काम में परेशान करने, पूरा सामान व धन उन्हें न देने की शिकायत की गयी है, भी उनको प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो इस संबंध में अब तक कोई कार्यवाही न करने का क्या कारण है ?

श्री कल्याण सिंह–

जी हां ।

शिकायतों की जांच कराई गयी । जांच में आरोप सत्य नहीं पाये गये ।

लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा भवन के नक्शे पास करने में विकास शुल्क का लिये जाने का प्रकरण

41–श्री सतीश भाटिया–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा भवन के नक्शे पास करते समय विकास शुल्क लिया जाता है ? यदि हां, तो लखनऊ कैन्टोनमेन्ट विधान सभा क्षेत्र में वर्ष 1989 से अब तक कितने भवनों के नक्शे पास किये गये तथा कितना विकास शुल्क वसूला गया ? क्या इन क्षेत्र में लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा कोई विकास कार्य किया गया अथवा विकास शुल्क की धनराशि विकास कार्यो हेतु नगर महापालिका को हस्तानतरित की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

जनपद उन्नाव के भारत पंचायत उद्योग सिकन्दरपुर सरोसी के व्यवस्थापक स्व० श्री नन्द किशोर सिंह के वारिसों से बकाया धनराशि का वसूल किया जाना

42–श्री सतीश भाटिया–

क्या पंचायती राज मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि स्व० नन्द किशोर सिंह, मुख्य व्यवस्थापक, भारत पंचायत उद्योग, सिकन्दरपुर सरोसी, जिला उन्नाव तथा सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) विकास खण्ड बख्शी का तालाब, जनपद लखनऊ के मरणोपरान्त उनके वारिस को मिलने वाले सेवा नैवृत्तिक लाभों में से क्रमशः रु० 5339.32 तथा रु० 10,000 की वसूली की गयी है ? यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ? क्या उक्त वसूली की जानकारी विभाग को श्री सिंह के जीवन काल में नहीं थी ? उक्त धनराशि स्व० श्री नन्द किशोर सिंह को कब और किसके द्वारा तथा किस रूप में प्राप्त करायी गयी थी और उसके प्राप्त कराये जाने के क्या कोई प्रमाण है ? यदि नहीं, तो क्या मृत कर्मचारी के वारिस को पूर्ण रूप सेवा नैवृत्तिक लाभ दिलाया जायेगा ?

श्री कृष्ण स्वरूप वैश्य–

जी हां । श्री सिंह से मु० 5339.32 पै० नहीं बल्कि पचायत उद्योग उन्नाव की आडिट आपत्ति से संबंधित मु० 5439.32 पै० अवशेष सामान मूल्य 220.10 पै० कुल मु० 5659.42 पै० वसूली वांछित थी । इस धनराशि में से मु० 5339.32 पैसे की वसूली आदेश पारित हुए । वांछित वसूली के सापेक्ष्य श्री सिंह के वारिसों की सहमति से मात्र मु० 3806.35 पै० की वसूली हो चुकी है और अभी मु० 1853.07 पै० की वसूली अवशेष है ।

बक्शी-का-तालाब, लखनऊ में 166 स्वच्छ शौचालयों के निर्माण हेतु मु० 88,146.00 श्री सिंह ने अपनी कार्यावधि में वर्ष 1986-87 में अग्रिम धन प्राप्त किया जिसके सापेक्ष्य में मु० 78,146.00 की धनराशि में 156 शौचालयों का निर्माण कराया और मु० 10,000 के उपभोग का लेखा, कार्य पूर्ति प्रमाण-पत्र प्रस्तुत न करने पर मु० 10,000 की वसूली की गयी । रु० 5659.42 पै० के विपरीत रु० 1013.95 पै० बकाया के विषय में उनके जीवनकाल में ही जानकारी दे दी गई थी और उन्होंने स्वयं अपने पत्र दि० 4-10-89 में वेतन से काटने की सहमति व्यक्त की थी । शेष मु० 4645.47 पै० उनके दि० 18-11-89 के मृत्योपरान्त आडिट आपत्ति के आधार पर सहायक जिला पंचायत राज अधिकारी (प्रा०) की जांच आख्या दिनांक 18.12.89 के आधार पर आरोपित की गई है । इस धनराशि का पता उनकी मृत्यु के बाद लगा । जनपद लखनऊ में जैसा कि साक्ष्यों से प्रभावित होता है कि श्री सिंह को अवश्य ही अवशेष देयकों की जानकारी थी, विकास खण्ड बक्शी-का-तालाब, लखनऊ से स्व० श्री सिंह को वर्ष 1986-87 में 166 स्वच्छ शौचालय के निर्माण हेतु मु० 88,146.00 अग्रिम जिला पंचायत राज अधिकारी, लखनऊ के माध्यम से दिये गये थे । चेकों की काउण्टर फाइलों के पीछे श्री सिंह के प्राप्ति हस्ताक्षर उपलब्ध है ।

अतः शेष का प्रश्न नहीं उठता ।

43–श्री बच्चा पाठक–

[पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त]

44–श्री बच्चा पाठक–

[दिनांक 24-3-92 को अता० प्र० सं० 154 द्वारा उत्तरित]

45–श्री राम आसरे वर्मा–

[उपाध्यक्ष निर्वाचित हो जाने के कारण हटाया गया]

जनपद खीरी के ग्राम-खैरहनी के निवासी श्री लौकी हरिजन की मृत्यु की जांच

46–श्री निर्वेन्द्र कुमार–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता का श्री लौकी हरिजन नि० ग्रा० खैरहनी, जनपद खीरी की हत्या की निघासन थाने में रिपोर्ट न लिखने विषयक पत्र सं० 1395/91 दिनांक 30-9-91 पुलिस अधीक्षक, लखीमपुर खीरी को प्राप्त हुआ ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह–

जी हां ।

उक्त संदर्भित पत्र तथा थाना निघासन पर प्रचलित दरियाफ्तहाल जांच एवं शव परीक्षण रिपोर्ट आदि से अब तक इस आरोप की पुष्टि नहीं हो सकी है कि मृतक की हत्या की गयी थी । मृतक का विसरा परीक्षण हेतु भेजा गया है । विसरा परीक्षण परिणाम प्राप्त होने एवं मृत्यु का कारण ज्ञात होने पर अग्रिम कार्यवाही की जा सकेगी ।

जनपद वाराणसी के दशाश्वमेघ में विकास प्राधिकरण द्वारा बेसमेन्ट के निर्माण हेतु गड्ढों का खोदा जाना

47–श्री कृदार–

क्या मुख्य मंत्री को जानकारी है कि दशाश्वमेघ, शहर वाराणसी में विकास प्राधिकरण, वाराणसी एक नये बाजार का निर्माण कर रहा है ? क्या यह सही है कि चितरंजन पार्क तथा दशाश्वमेघ घाट पर जाने वाली सड़क पर बड़े-बड़े गड्ढे खोदने से घाट की शोभा बिगड़ गयी है ? यदि हां, तो क्या इसकी जांच करायी गयी ? यदि हां, तो जांच रिपोर्ट क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या सरकार इसकी जांच किसी दूसरे एजेन्सी से करायेगी ?

श्री कल्याण सिंह–

जी हां ।

जी नहीं पूर्व स्थित रेडिस मार्केट स्थल पर प्रस्तावित बहुमंजिली व्यवसायिक प्रतिष्ठान के भू-गृह (बेसमेन्ट) के निर्माण के लिये गड्ढे खोदे गये हैं न कि सड़क पर ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद हरदोई के थाना-बघौली के ग्राम-महरी के निवासी श्री शिवराम पुत्र श्री जुल्लोदास की सूचना पर नामजद अभियुक्तों के विरुद्ध आरोप-पत्र न्यायालय में विचाराधीन

48–श्री पूरन चन्द्र---

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि शिवराम पुत्र श्री जुल्लोदास निवासी ग्राम-महरी, थाना बघौली, जिला हरदोई का प्रार्थना पत्र माह मार्च, 1989 मे मुख्य मंत्री को प्राप्त हुआ है जो उसी गांव के कुछ अराजक तत्वों द्वारा बाबा साहब डा० भीमराव अम्बेदकर की मूर्ति तोड़े जाने व उससे संबधित थाना बघौली में दर्ज अपराध संख्या 41/89 दिनांक 24–3–89 पर कार्यवाही किये जाने के संबंध में है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह--

जी नहीं, बल्कि श्री शिवराम पुत्र श्री जुल्लो दास रैदास निवासी ग्राम महरी, थाना बघौली की लिखित सूचना पर मु० अ० सं० 41/89 धारा 379 भा० दं० वि० दिनांक 24–3–89 को मूलचन्द्र पुत्र हेमन्त, बाबू पुत्र निहाल बलवन्त पुत्र मिहीलाल एवं रामचरन पुत्र बेटई निवासीगण ग्राम महरी थाना बधौली के विरुद्ध पंजीकृत हुआ । विवेचना से जुर्म धारा 427 भा० दं० वि० में दिनांक 26–4–89 को परिवर्तित किया गया । नामजद अभियुक्तों के विरुद्ध जुर्म सिद्ध होने पर आरोप पत्र न्यायालय प्रेषित किया गया, जो न्यायालय में विचाराधीन है ।

जनपद महराजगंज के थाना-निचलौल के ग्राम-बड़िया टोला गेटिहावा में पड़ी डकैती की जांच तथा थानाध्यक्ष श्री श्यामरती आर्या का स्थानान्तरण

49–श्री शिवेन्द्र सिंह---

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद महराजगंज के ग्राम बड़िया टोला गेटिहावा, थाना निचलौल में दिनांक 9 अगस्त, 91 को डकैती पड़ी थी क्या इस घटना में स्थानीय पुलिस तथा तत्कालीन थानाध्यक्ष श्यामरती आर्या द्वारा लापरवाही बरतने के संबंध में पूरे घटना का विवरण देते हुए दिनांक 17 अगस्त, 91 को पुलिस उप महानिरीक्षक, गोरखपुर परिक्षेत्र को सम्बोधित एक शिकायती पत्र प्रश्नकर्ता द्वारा दिया गया था ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर क्या-क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह--

जी हां ।

जी हां । प्रश्नगत शिकायती पत्र की जांच करायी गयी । जांच से तत्कालीन थानाध्यक्ष श्री श्याम रती आर्या, निचलौल को समय से प्रभावी कार्यवाही न किये जाने/लापरवाही का दोषी पाया गया और उनका स्थानान्तरण अन्य जनपद में कर दिया गया ।

व्यापार मंडल लखनऊ के पदाधिकारी श्री बनवारी लाल कंछल द्वारा सरकारी कार्य में बाधा उत्पन्न करने के सम्बन्ध में गिरफ्तारी एवं आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया जाना

50–श्री हृदय नारायण दीक्षित---

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि अक्टूबर, 91 या इसके आस-पास बिक्री कर कार्यालय, उ० प्र० के एक बिक्री कर अधिकारी द्वारा व्यापार मण्डल, लखनऊ के पदाधिकारी श्री बनवारी लाल कंछल

आदि पर सरकारी काम में बाधा डालने की प्राथमिकी, हजरतगंज, लखनऊ पुलिस स्टेशन पर दर्ज करवायी गयी थी ? यदि हां, तो मुकदमा किस धारा के अन्तर्गत पंजीकृत किया गया ? क्या न्यायालय में आरोप-पत्र दाखिल हो गया है और कथित अभियुक्त गिरफ्तार हो गये हैं ? यदि नहीं, तो अब तक विवेचक ने क्या निष्कर्ष प्राप्त किये हैं ?

श्री कल्याण सिंह---

जी हां ।

मुकदमा धारा 332/504/506 भा०दं०वि० के अन्तर्गत पंजीकृत किया गया । अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया तथा आरोप पत्र न्यायालय प्रेषित किया गया ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद मैनपुरी के कतिपय थानों के अपराधिक मामलों की सी० आई० डी० जांच

51-श्री राम औतार शाक्य---

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि मैनपुरी जनपद के थाना बेवर, भोगांव, किशनी एवं कुरावली में जून 91 के बाद कितने अपराधिक मामले में सी० आई० डी० द्वारा तफतीश करने के आदेश जारी किये गये ? क्या यह सच है कि अपराध संख्या 351/91 धारा 302 थाना किशनी के केस में भी बिना जिला प्रशासन की आख्या के सी० आई० डी० द्वारा जांच के आदेश पारित कर दिये गये हैं, जिससे ग्रामीण पलायन कर रहे हैं ? क्या सरकार उत्पीड़न से बचाने के लिए पुनः पुलिस से ही तफ्तीश करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह---

प्राप्त सूचना के अनुसार जून, 1991 से दिनांक 6-2-92 तक थाना बेवर के अंतर्गत 2, थाना भोगांव के अन्तर्गत 2 तथा थाना किशनी के अन्तर्गत 2 अपराधिक मामलों मे सी० आई० डी० द्वारा जांच कराये जाने के आदेश जारी किये गये । अपराध संख्या-351/91 धारा 302 भा०द०वि० थाना किशनी जनपद मैनपुरी से सम्बन्धित नामजद अभियुक्त लालता सिंह, ग्राम- चिकिन थाना विशनी जनपद मैनपुरी द्वारा मामले में उसे तथा उसके परिवार के लोगों को झूठा नामजद किये जाने के आरोपों की अपराध शाखा से जांच कराने के अनुरोध को दृष्टिगत रखते हुए शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त मामले की विवेचना अपराध शाखा, अपराध अनुसंधान विभाग को सौंपी गयी । जांच से ग्रामीणों के पलायन किये जाने के कथन की पुष्टि नहीं हुई है । शेष का प्रश्न नहीं उठता ।

बरेली विकास प्राधिकरण द्वारा विकसित किये गये पार्कों पर व्यय धनराशि का विवरण

52-डा० दिनेश जौहरी-

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि बरेली महानगर के कौन-कौन से पार्क बरेली विकास प्राधिकरण द्वारा विकसित किये गये हैं ? क्या उक्त पार्कों के विकास पर गत एक वर्ष में धन व्यय किया गया है ? यदि हां, तो कितना ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह-

बरेली विकास प्राधिकरण द्वारा 21 पार्क विकसित किये गये हैं । गत एक वर्ष में पार्कों के रख-रखाव एवं 6 पार्कों के विकास पर अंकन रु० 4,76,070.64 पैसे का व्यय किया गया है ।

53–श्री कृष्ण चन्द्र–

[दि० 21-2-92 के अता० प्र० सं० 73 द्वारा उत्तरित]

54–श्री कृष्ण चन्द्र–

[5वें शुक्रवार में अता० प्र० सं० 175 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

उ० प्र० जल निगम कोटद्वार गढ़वाल के अस्थाई प्रकल्प शाखा के विकास खण्डों में पाइप लाइन बिछाने एवं टैंक के निर्माण पर व्यय का विवरण

55–श्री कृष्ण चन्द्र–

क्या उत्तरांचल विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि अस्थाई प्रकल्प शाखा, उ० प्र० जल निगम, कोटद्वार, गढ़वाल को वित्तीय वर्ष 1990-91 में कुल कितनी धनराशि स्वीकृत की गई थी ? इस प्रकल्प शाखा के अन्तर्गत कुल कितने विकास खण्ड है और प्रत्येक विकास खण्ड में 31 मार्च, 1991 तक कुल कितनी धनराशि पाईप लाइन बिछाने तथा वाटर टैंक बनाने के मदों में व्यय की गई ? क्या यह सत्य है कि इस प्रकल्प शाखा द्वारा सिर्फ कागजों में पेयजल योजनायें चलाई जा रही हैं तथा गांवों में पानी न पहुंचा कर धन का दुरुपयोग करके सरकार को गलत रिपोर्ट दी जा रही है ? यदि हां, तो क्या सरकार इस प्रकल्प शाखा द्वारा किए गए कार्यों की विशेष जांच करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या सरकार दोषी अभियन्ताओं के विरुद्ध तुरन्त कार्यवाही करेगी ? वर्तमान वित्तीय वर्ष 1991-92 में, इस प्रकल्प शाखा को दिये गये धन का पुनः दुरुपयोग करने से रोकने के सम्बन्ध में क्या पिछली जांच आख्या आने से पूर्व धनराशि आवंटित की जायेगी ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री पूरन चन्द्र शर्मा–

215.45 लाख रु० की धनराशि की स्वीकृति की गयी थी ।

इस प्रकल्प शाखा के अन्तर्गत तीन विकास खण्ड हैं । प्रत्येक विकास खण्ड में वित्तीय वर्ष 1990-91 में पाइप लाइन बिछाने एवं टैंक बनाने के मदों में निम्नवत् व्यय किया गया :–

1–जहरीखाल	24.617 लाख
2–रिखणीखाल	59.457 लाख
3–नैनीडांडा	55.919 लाख

स्पष्ट शिकायत प्राप्त होने पर जांच कराई जायेगी ।

जनपद रायबरेली के ग्राम-बालापुर में विकास प्राधिकरण द्वारा विकास व्यय न लिया जाना

56–श्री तेज भान सिंह–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम-बालापुर (रायबरेली) में कितने ऐसे भवनों के नक्शे रायबरेली विकास प्राधिकरण द्वारा वर्ष 1978 से 1985 के मध्य स्वीकृत किये गये जिस पर विकास व्यय लगाया गया है ? किस रसीद संख्या, किस दिनांक को विकास व्यय जमा कराया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह–

ग्राम बालापुर के कुल 47 मानचित्र वर्ष 1978 से 1985 के मध्य स्वीकृत किये गये हैं । यह सभी मानचित्र ग्रामीण आबादी या उससे सम्बद्ध क्षेत्र के होने के कारण इनमें विकास व्यय नहीं लिया गया है ।

जनपद रायबरेली के ग्राम छजलापुर के नक्शों की स्वीकृति

56(अ)– श्री तेज भान सिंह–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम बालापुर के उक्त पास शुदा नक्शों के पास ही ग्राम छजलापुर के कितने ऐसे नक्शों की स्वीकृति हेतु अगस्त 1985 से लेकर आज तक आवेदन प्राप्त हुए ? कितनों के द्वारा विकास व्यय जमा किया गया है ? क्या कुछ प्रार्थियों ने विकास व्यय जमा करने की इच्छा व्यक्त की है ? यदि हां, तो उनके नक्शे न पास करने के क्या कारण हैं ?

श्री कल्याण सिंह–

राजस्व ग्राम बालापुर से मिला हुआ ग्राम छजलापुर है वर्ष 1985 से आज तक छजलापुर के 42 मानचित्र प्राधिकरण के समक्ष जमा हुए, इनमें से 16 मानचित्र स्वीकृत हुए और 26 मानचित्र आवंटित हुये । स्वीकृत मानचित्रों में से 10 ग्रामीण आबादी वाले क्षेत्र से या उसमें क्षेत्र से संबंधित है जहां विकास की सुविधायें हैं । इनमें विकास शुल्क नहीं लिया गया शेष 16 मानचित्र विकास व्यय जमा कराकर स्वीकृत किये गये हैं छजलापुर के अस्वीकृत मानचित्रों से संबंधित 5 ऐसे आवेदक हैं जिन्होंने विकास व्यय जमा करने की सहमति दी थी किन्तु तलपट मानचित्र के अभाव, पहुंच मार्ग का सुनिश्चित् न होने, महायोजना के विपरीत भू-प्रयोग होने एवं अन्य तकनीकी आपत्तियों के निराकरण न होने के कारण उनके मानचित्र अस्वीकृत किये गये है ।

जनपद नैनीताल के कोट बाग में स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के उच्चीकरण का विचाराधीन प्रस्ताव

57–डा० दिनेश जौहरी–

क्या उत्तरांचल विकास मंत्री को जानकारी है कि जनपद नैनीताल के कोटबाग क्षेत्र के नागरिकों की आवश्यकता को देखते हुए वहां सब प्राइमरी हेल्थ सेन्टर को हेल्थ सेन्टर बनाने की मांग की जा रही है ? यदि हां, तो क्या उक्त सब-पी० एच० सी० के उच्चीकरण के यथाशीघ्र आदेश देंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री पूरन चन्द्र शर्मा–

जी हां । कोटबाग जिला नैनीताल में एक उपकेन्द्र के अतिरिक्त वर्ष 1980-81 से एक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र स्थापित है । इसके उच्चीकरण का प्रस्ताव विचाराधीन है ।

58–श्री अकबर–

[दिनांक 30-3-92 को अता० प्र० सं० 207 द्वारा उत्तरित]

59–श्री समी उल्ला खां–

[5वें गुरुवार में अता० प्र० सं० 196 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

जनपद वाराणसी की तहसील-भदोही के चौरी बाजार में रेट सूची के अनुसार तहबाजारी वसूल करने के आदेश

60–श्री ऊदल–

क्या पंचायती राज मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि चौरी बाजार त० भदोही जिला वाराणसी में तह-बाजारी का ठेका किसको दिया गया है ? क्या यह सही है कि उक्त ठेकेदार मनमानी तरीके से तह-बाजारी वसूल करता है जिसके विरोध में नवम्बर, 91 में पूरे बाजार हड़ताल पर थी और नागरिकों, व्यापारियों ने एक ज्ञापन जिलाधीश वाराणसी को दिया है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री कृष्ण स्वरूप वैश्य–

जनपद वाराणसी में चौरी बाजार तहसील भदोही की तहबाजारी का ठेका वर्ष 91-92 (1-4-91 से 31-3-92) की अवधि के लिये लोहिया सहकारी श्रम संविदा समिति चौरी बाजार को दिया गया है ।

ठेकेदार द्वारा मनमानी तरीके से तहबाजारी शुल्क वसूल करने एवं नवम्बर 91 में बाजार हड़ताल पर होने की कोई अधिकारिक सूचना नहीं है । नागरिकों और व्यापारियों द्वारा शिकायती पत्र के रूप में एक ज्ञापन जिलाधिकारी को दिया गया था । प्राप्त शिकायती ज्ञापन के क्रम में जिला परिषद्, वाराणसी द्वारा चौरी बाजार में वसूली से संबंधित एक रेट सूची लगवा दी गयी है एवं ठेकेदार को रेट सूची की प्रति उपलब्ध कराते हुए उन्हें उसके अनुसार ही तहबाजारी शुल्क वसूल कराने हेतु आदेशित किया गया है ।

जनपद बस्ती की झागा न्याय पंचायत के अन्तर्गत ग्राम सभा झागा के प्रधान का निलम्बन आदेश का स्थगन

61–श्री राम ललित चौधरी–

क्या पंचायती राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि बस्ती जनपद में न्याय पंचायत झागा के अन्तर्गत ग्राम सभा झगा के प्रधान वर्तमान समय में निलम्बित हैं ? यदि हां, तो क्यों ? क्या प्रधान का चार्ज अब तक किसी अन्य को दिलाया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कृष्ण स्वरूप वैश्य–

जनपद बस्ती में झागा नाम की कोई न्याय पंचायत/ग्राम सभा में नहीं है बल्कि न्याय पंचायत आमा है जिसके अन्तर्गत ग्राम सभा आता है । ग्राम सभा आमा विकास खण्ड सल्टौवा गोपालपुर के ग्राम प्रधान जवाहर रोजगार योजना एवं अन्य कार्यक्रमों के अन्तर्गत प्राप्त सरकारी धन के दुरुपयोग एवं गबन के आरोप में निलम्बित किये गये थे ।

मण्डलायुक्त, गोरखपुर मण्डल, गोरखपुर के आदेश दिनांक 4-10-91 द्वारा प्रधान के निलम्बन आदेश स्थगित कर दिये जाने के कारण प्रधान के पद का कार्यभार किसी अन्य को दिलाये जाने का प्रश्न नहीं उठता ।

62–श्री बलराम यादव–

[न्यायालय के विचाराधीन होने के कारण निरस्त]

जनपद टिहरी में झण्डी पेयजल योजना का न पाया जाना

63–श्री मातवर सिंह कण्डारी–

क्या उत्तरांचल विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि झंडी पेयजल योजना टि० म० भागीरथी नदी ग्फ्ट द्वारा कब तक बनकर तैयार हो जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री पूरन चन्द्र शर्मा–

जनपद टिहरी में झण्डी पेयज़ल योजना नाम की कोई योजना प्रस्तावित नहीं है ।

वर्ष 1981 की जनगणना के अनुसार झण्डी नामक ग्राम उपलब्ध नहीं हो पा रहा है तथा प्रश्न में झण्डी ग्राम का कोई विवरण न देने के कारण अग्रेतर उत्तर देना सम्भव नहीं है ।

जनपद बांदा के अन्तर्गत श्री रुद्र प्रसाद मिश्रा एडवोकेट की शिकायत पर हत्या के अभियुक्तों के विरुद्ध आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित

64–श्री राम प्रसाद सिंह–

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जनपद बांदा के अन्तर्गत श्री रुद्र प्रसाद मिश्रा एडवोकेट, कर्वी, बांदा ने शिकायती पत्र 10-12-90 पुलिस अधीक्षक बांदा एवं उच्च अधिकारियों को दिया है ? यदि हां, तो क्या यह सही है कि दिनांक 9-8-82 को इनके पिता बाबू की हत्या हुई जिसकी रिपोर्ट थाना रैपुरा में दर्ज की गयी है तथा अभियुक्तों के विरुद्ध अभियोग पत्र अदालत में दिया गया जो विचाराधीन है ? यदि हां, तो क्या यह सही है कि इतने विरोध के जानते हुए पुलिस रैपुरा द्वारा इनके भाई हरीशंकर को 4-12-90 को पकड़ कर दिनांक 10-12-90 को पिता की हत्या के हत्यारों के साथ मेल दिखाकर चालन किया है ? क्या इस शिकायत की जांच की गयी ? यदि हां, तो कब ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह–

जी हां ।

जी हां, किन्तु अभियुक्त न्यायालय से बरी हो गये ।

शिकायती पत्र में शिकायतकर्ता का यह कथन कि रैपुरा पुलिस द्वारा उनके भाई हरीशंकर को दिनांक 4-10-90 को पकड़ कर दिनांक 10-12-90 को पिता की हत्या के हत्यारों के साथ मेल दिखाकर चालान किया गया, सही नहीं पाया गया । दिनांक 4-10-90 को मुखबिर द्वारा यह सूचना मिलने पर कि ग्राम पटकापुरवा में दस्यु ददुआ उर्फ शिवकुमार द्वारा अनधिकृत रूप से संग्रह की गयी तेंदू पत्ती को कुछ व्यक्ति ट्रैक्टर से लाद कर ले जा रहे हैं, थाना अध्यक्ष रैपुरा ने मय फोर्स के मौके पर पहुंच कर तेंदू पत्ती को बरामद किया तथा अभियुक्त हरीशंकर पुत्र बाबूलाल आदि को गिरफ्तार किया । अभियुक्त हरीशंकर पुत्र बाबूलाल के कब्जे से एक अदद तमंचा 12 बोर व तीन कारतूस बरामद हुए । इस संबंध में मु० अ० सं० 216/90 धारा-379/411/216ए भा० दं० वि० व 217/90 धारा 25 आर्म्स ऐक्ट के अन्तर्गत अभियोग थाने पर पंजीकृत हुआ । विवेचनोपरान्त आरोप पत्र न्यायालय प्रेषित किया गया, जो विचाराधीन न्यायालय है ।

जनपद बांदा की तहसील-कर्वी में सिंचाई सुविधा हेतु दो अतिरिक्त हैवी रिग की उपलब्धता तथा निःशुल्क बोरिंग अनुदान बढ़ाने के आदेश

65–श्री राम प्रसाद सिंह–

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जनपद बांदा के तहसील कर्वी में सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने विषयक प्रश्नकर्ता के पत्र दिनांक 15-9-90, जिसकी प्राप्ति की सूचना अ० शा० पत्र संख्या-196 एम/54-2-1260/90 क्षेत्री विकास अनुभाग–2 दिनांक 20-12-90 द्वारा को गयी है एवं

जिसमें मुख्य अभियन्ता लघु सिंचाई को उक्त पत्र भेजा जाना निर्देशित है, पर क्या कोई कार्यवाही की गयी ? यदि हां, तो क्या ?

श्री कल्याण सिंह–

जी हां ।

बांदा में दो अतिरिक्त हैवी रिग कार्य हेतु उपलब्ध करा दी गयी है । संबंधित विकास खण्डों के लिये निःशुल्क बोरिंग अनुदान बढ़ाने के आदेश दिये जा चुके हैं । शेष प्रस्ताव विचाराधीन है ।

प्रदेश के जनपदों से प्रकाशित समाचार पत्रों की संख्या व पत्रकारों की सुविधा हेतु स्थायी समितियों का गठन

66–श्री अंगद सिंह यादव–

क्या सूचना मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश सरकार के विभिन्न जनपदों व जनपद मुख्यालय से प्रकाशित होने वाले दैनिक समाचार पत्रों/साप्ताहिक समाचार पत्रों/अद्र्ध साप्ताहिक समाचार पत्रों व पाक्षिक समाचार पत्रों की संख्या क्या-क्या है तथा उन्हें प्रकाशन में सहयोग तथा पत्रकारों की सुविधा के लिये सरकार ने कौन-कौन से कदम उठाये हैं ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

1–दैनिक समाचार पत्रों की सं०–348

2–अद्र्ध साप्ताहिक समाचार पत्रों की संख्या–1

3–साप्ताहिक समाचार पत्रों की संख्या–1385

4–पाक्षिक समाचार पत्रों की सं०–301

1–दैनिक समाचार पत्रों की 25,000 से कम प्रसार संख्या के समाचार पत्रों को जो प्रथमबार दिनांक 1-7-90 के पश्चात् टी० पी० सुविधा प्राप्त करेंगे टी० पी० स्थापना के पहले तथा दूसरे वर्ष में क्रमशः रुपये 15,000 तथा रु० 10,000 या वार्षिक व्यय का 25 प्रतिशत जो भी कम हो, का अनुदान दिये जाने तथा उर्दू पत्रों को तीसरे वर्ष में भी रु० 5,000 या तीसरे वर्ष के व्यय का 25 प्रतिशत जो भी कम हो, का अनुदान दिये जाने की व्यवस्था है ।

2–लघु एवं मध्यम समाचार पत्रों को उनके प्रकाशन सुविधा के लिये फीचर एजेंसियों के फीचर्स प्रकाशनार्थ उपलब्ध कराये जाते हैं ।

3–पत्रकारों को निम्नलिखित सुविधायें अनुमन्य हैं :–

(1)–श्रमजीवी पत्रकारों के लिये जीवन धारा तथा सामूहिक बीमा योजना लागू की गयी है । इस योजना में पात्र पत्रकारों को प्रीमियम का 50 प्रतिशत अंश "दि यू० पी० वर्किंग जर्नलिस्ट वेलफेयर सोसायटी", लखनऊ द्वारा वहन किया जाता है ।

(2) समाचार संकलन हेतु पत्रकार को मान्यता प्रदान की जाती है ।

(3) ऐसे पत्रकारों तथा श्रमजीवी पत्रकारों को भी परिवार सहित राज्य कर्मचारियों की भांति निःशुल्क चिकित्सा सुविधा की व्यवस्था है ।

(4) समाचार संकलन हेतु उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम की बसों पर निःशुल्क यात्रा सुविधा है ।

(5) प्रदेश मुख्यालय पत्रकारों को अलीगंज योजना तथा गोमतीनगर के पत्रकार पुरम् में रियायती दरों पर भूखण्ड तथा भवन आरक्षण की व्यवस्था की गयी । इसके अतिरिक्त उन्हें किराये के आवास भी उपलब्ध कराये गये हैं ।

(6) आपदाग्रस्त पत्रकारों को उनके आश्रितों सहित नियमों के अन्तर्गत आर्थिक सहायता की व्यवस्था है ।

(7) पत्रकारों को प्रदेश के विकासशील योजनाओं का प्रत्यक्ष दृष्टा के रूप में समय-समय पर भ्रमण कराने की व्यवस्था है ।

(8) पत्रकारों की सुरक्षा के लिये जिलास्तर पर जिलाधिकारी की अध्यक्षता में पत्रकारों सहित स्थायी समितियां गठित हैं, जिसमें पुलिस अधीक्षक पदेन सदस्य होते हैं । उक्त समितियों की मासिक बैठकों की व्यवस्था है ।

प्रदेश के विभिन्न जनपदों से कतिपय प्रकाशित समाचार पत्रों को विज्ञापन की मान्यता तथा संवाददाताओं को निर्धारित मापदण्ड के आधार पर सुविधा का उपलब्ध कराया जाना

67–श्री अंगद सिंह यादव---

क्या सूचना मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में जनपदवार ऐसे कितने-कितने मान्यता प्राप्त दैनिक व साप्ताहिक समाचार पत्र प्रकाशित हो रहे हैं जिसको विज्ञापन की मान्यता सरकार ने दे रखी है तथा उनके जनपदवार कितने-कितने मान्यता प्रतिनिधि है जिन्हें सरकार ने विभिन्न सुविधायें दे रखी हैं ? क्या सरकार ने मान्यता प्राप्त समाचार पत्रों के अधिक से अधिक या कम से कम संवाददाताओं के मान्यता या सुविधा प्रदान करने संबंधी कोई ठोस कदम उठाया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह---

दिनांक 28 जनवरी, 1992 की स्थिति के अनुसार प्रदेश के विभिन्न जनपदों से प्रकाशित होने वाले 272 दैनिक समाचार पत्रों तथा 661 साप्ताहिक/अर्द्ध साप्ताहिक समाचार पत्रों को विज्ञापन मान्यता प्रदान की गयी है । जनपदवार विज्ञापन मान्यता प्राप्त समाचार पत्रों की सूची-1 संलग्न है । दैनिक समाचार पत्रों के मान्यता प्राप्त प्रतिनिधियों की सूची-11 तथा साप्ताहिक पत्रों की सूची-111 भी संलग्न† है ।

जी नहीं ।

उत्तर प्रदेश प्रेस मान्यता नियमावली 1970 यथा संशोधित 1990 में निर्धारित मापदण्ड तथा संख्या के अनुरूप की मान्यता एवं सुविधा उपलब्ध करायी जाती है ।

समाचार पत्रों की कागज छपाई व्यवस्था तथा समाचार संकलन तथा उनके प्रकाशन हेतु समिति के गठन से सम्बन्धित प्रकरण

68–श्री अंगद सिंह यादव---

क्या सूचना मंत्री को जानकारी है कि छोटे समाचार पत्रों के कागज छपाई की व्यवस्था तथा समाचार संकलन की क्या-क्या समस्यायें सरकार के संज्ञान में हैं और निदान के लिए राज्य सरकार कौन सा उपाय करने जा रही है ? क्या सरकार दैनिक साप्ताहिक और अर्द्ध साप्ताहिक पत्रों के प्रकाशन के

---

† छापी नहीं गयी ।

लिये किसी समिति का गठन करके उससे सुझाव लेकर, सुझाव के अंतर्गत कार्यवाही करने जा रही है । यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह––

समाचार पत्रों को कागज का कोटा आवंटित करने का विषय भारत सरकार से संबंधित है ।

जहां तक समाचार संकलन की समस्याओं का प्रश्न है किसी समाचार संगठन अथवा समाचार पत्र से कोई सूचना उपलब्ध नहीं है । अतः उनके निदान का प्रश्न ही नहीं उठता ।

जी नहीं ।

देश का प्रत्येक नागरिक समाचार पत्र के प्रकाशन के लिये स्वतंत्र है, इसलिये वह भारत सरकार से पत्र के नामांकन का अनुमोदन प्राप्त कर तद्नुसार उसे प्रकाशित कर सकता है । अतः किसी प्रकार की समिति के गठन का प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद फैजाबाद के पूर्व ब्लाक प्रमुख के द्वारा थाना-इब्राहिमपुर में अंकित रिपोर्ट की निष्पक्ष जांच हेतु विवेचकों का स्थानान्तरण

69–श्री लाल जी वर्मा––

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री जिया लाल वर्मा पूर्व ब्लाक प्रमुख टाण्डा जनपद फैजाबाद ने दिनांक 15-6-91 को अपराध सं० 121/91 धारा 323, 324, 147, 506, 307 की एफ० आई० आर० थाना इब्राहिमपुर जनपद फैजाबाद में अंकित करायी थी ? यदि हां, तो क्या उक्त मामले के विवेचना अधिकारी बार-बार बदले गये ? यदि हां, तो कुल कितने बार बदले गये तथा क्यों ?

श्री कल्याण सिंह––

जी हां ।

जी हां ।

प्रश्नगत मामले में कुल 4 बार विवेचक बदले गये । विवेचकों के स्थानान्तरण जांच की निष्पक्षता प्रभावित न होने देने आदि के कारण विवेचक बदले गये थे ।

70–श्री राम आसरे वर्मा––

[मा० उपाध्यक्ष होने के कारण हटाया गया]

उत्तर प्रदेश विकास प्राधिकरण केन्द्रीयित सेवा नियमावली के अनुसार श्री भारत भूषण की नगर नियोजक के पद पर प्रोन्नति

71–श्री सुखबीर सिंह गहलौत––

क्या आवास मंत्री को जानकारी है कि उत्तर प्रदेश विकास प्राधिकरण केन्द्रीयित सेवा नियमावली, 1985 की धारा-7 के अंतर्गत केवल अंतिम रूप से आमेलित अधिकारियों की पारस्परिक ज्येष्ठता निर्धारित किये जाने का प्राविधान है तथा ऐसे अधिकारी जिन्हें अंतिम रूप से आमेलन हेतु उपयुक्त न पाया गया हो, की ज्येष्ठता निर्धारण का कोई प्राविधान इस नियमावली में नहीं है ? यदि हां, तो इन सेवाओं को नगर नियोजन संवर्ग में नगर नियोजक श्री भारत भूषण, जिन्हें आज भी अंतिम रूप से आमेलन करने हेतु उपयुक्त नहीं पाया गया है, को किस आधार पर ज्येष्ठ मानते हुए शासनादेश

सं०-2383/11-4-वि० प्र०-1987, दिनांक 29-7-87 द्वारा मुख्य नगर नियोजक पद पर प्रोन्नत कर दिया गया ?

श्री कल्याण सिंह––

जी हां, । श्री भारत भूषण प्राधिकरण केन्द्रीयित सेवा के अर्न्तगत नगर नियोजन एवं वास्तुकला संवर्ग में अन्तिम रूप से आमेलित हैं । उनका अंतिम रूप से आमेलन अनुवीक्षण समिति की बैठक अभी तक सम्पन्न न होने के कारण नहीं हो सका है । मुख्य नगर नियोजक के पद पर उनकी अस्थाई/तदर्थ प्रोन्नति उनकी उपयुक्तता एवं चयन समिति की संस्तुति के आधार पर की गयी है ।

उ० प्र० विकास प्राधिकरण केन्द्रीयित सेवा में मुख्य नगर नियोजक के पद पर प्रोन्नत श्री जी० बी० सिंह व भारत भूषण का कार्यरत होना

72–श्री सुखबीर सिंह गहलौत–

क्या आवास मंत्री को यह जानकारी है कि उ० प्र० विकास प्राधिकरण केन्द्रीयित सेवा नियमावली, 1985 की धारा–25(4) के अनुसार अस्थाई रूप से की गयी प्रोन्नतियां एक वर्ष से अधिक के लिये वैध नहीं हो सकतीं फिर भी इन सेवाओं में मुख्य नगर नियोजक पद पर अस्थाई रूप से शासनादेश संख्या-2383/11-4-वि०प्र०–1987 दिनांक 29-7-87 द्वारा प्रोन्नत किये गये सर्वश्री जी० बी० सिंह व भारत भूषण 4 वर्ष बाद भी मुख्य नगर नियोजक के पद पर कार्यरत हैं ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह–

जी हां, विकास प्राधिकरण केन्द्रीयित सेवा के नगर नियोजन एवं वास्तुकला संवर्ग में मुख्य नगर नियोजक के पदों पर अस्थाई रूप से प्रोन्नत किये गये सर्वश्री जी० बी० सिंह व भारत भूषण के निरन्तर कार्यरत रहने के कारण अभी तक विभागीय प्रोन्नति की नियमित प्रक्रिया का सम्पन्न न हो पाना तथा व्यापक जनहित में उक्त पदों का भरा जाना आवश्यक होना है ।

प्रदेश के कतिपय विकास प्राधिकरणों के रिक्त पदों पर नियुक्ति हेतु विचाराधीन कार्यवाही

73–श्री सुखबीर सिंह गहलौत–

क्या आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश की किन-किन विकास प्राधिकरणों में मुख्य नगर नियोजक के पद रिक्त हैं तथा उन रिक्त पदों पर नियुक्ति हेतु कब तक कार्यवाही कर ली जायेगी ?

श्री कल्याण सिंह–

गोरखपुर एवं वाराणसी विकास प्राधिकरण में मुख्य नगर नियोजक का एक-एक पद रिक्त है जिस पर नियुक्ति हेतु कार्यवाही विचाराधीन है ।

जनपद शाहजहांपुर के अन्तर्गत निर्धारित अवधि में हुई हत्याओं से संबंधित दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध की गयी कार्यवाही का विवरण

74–श्री देवेन्द्र पाल सिंह–

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जनपद शाहजहांपुर के अन्तर्गत 31 जून, 1991 से 25 दिसम्बर, 1991 तक डबल हत्यायें हुई ? यदि हां, तो कितनी, किस थाने के किस जिस ग्राम में एवं किन-किन व्यक्तियों की ? पिछले वर्ष की उक्त अवधि में हुई हत्याओं से वर्तमान हत्यायें कितनी-कितनी

अधिक हैं ? क्या दोषी लोगों के विरुद्ध सरकार ने कार्यवाही की है ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि शाहजहांपुर जनपद में हुई डबल हत्याओं के अभियुक्तों को पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया ? यदि हां, तो किस-किस को ? यदि नहीं, तो क्यों ? दोषी पुलिस कर्मियों के विरुद्ध पुलिस अधीक्षक द्वारा क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो सरकार शिथिलता बरतने पर पुलिस अधीक्षक, शाहजहांपुर के विरुद्ध क्या कार्यवाही करेगी ?

श्री कल्याण सिंह–

जी हां ।

आलोच्य अवधि में कुल 9 हत्यायें हुई हैं । हत्या किये गये व्यक्तियों का ग्रामवार, नामवार एवं थानावार विवरण संलग्न है ।

पिछले वर्ष की तुलना में आलोच्य अवधि में 7 डबल हत्यायें अधिक हुई हैं ।

दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध की गयी कार्यवाही का विवरण संलग्न है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जी हां । विवरण संलग्न है ।

पुलिस द्वारा मामले में शिथिलता बरते जाने का तथ्य प्रकाश में नहीं आया है, अतः कार्यवाही किये जाने का प्रश्न नहीं उठता ।

(संलग्न देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ 196-199 पर)

जनपद शाहजहांपुर की कोतवाली चौक व सदर थानों में निर्धारित अवधि में हत्या में आंशिक वृद्धि तथा अपराधों पर नियन्त्रण हेतु कड़े निर्देश

75–श्री देवेन्द्र पाल सिंह––

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद शाहजहांपुर की कोतवाली चौक व थाना सदर के अंतर्गत माह जून 1990 से 26 दिसम्बर, 1991 तक कितनी हत्यायें हुयी और पिछले वर्ष की इस अवधि से कितनी अधिक हैं ? पुलिस अधीक्षक, शाहजहांपुर द्वारा संबंधित पुलिस अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह––

प्रश्नगत अवधि में जनपद शाहजहांपुर की थाना कोतवाली के अन्तर्गत तिनांक 1 जून, 1991 से 26 दिसम्बर, 1991 तक 5 हत्यायें हुई जबकि पिछले वर्ष उक्त अवधि में 7 हत्यायें हुयी थीं । थाना सदर बाजार में दिनांक 1-6-91 से 26-12-91 तक 14 हत्यायें हुयी जबकि गत वर्ष उक्त अवधि में 12 हत्यायें हुयी थीं । इस प्रकार से थाना सदर बाजार में वर्ष 1990 की अपेक्षा वर्ष 1991 में हत्या के अपराधों में आंशिक वृद्धि हुई है ।

इस प्रकार के अपराधों पर प्रभावी नियन्त्रण रखने के लिये समस्त अधीनस्थ अधिकारियों/कर्मचारियों को कड़े निर्देश दिये गये हैं ।

76–श्री अमरेश चन्द्र पाण्डे––

[6 वें सोमवार में अता० प्र० सं० 178 के अन्तर्गत स्थान्तरित]

राम-जन्म-भूमि आन्दोलन के दौरान कारागारों में बन्दी अध्यापकों हेतु जारी आदेश

77–श्री हृदय नारायण दीक्षित—

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि सरकार ने वर्ष 1990 के राम जन्म-भूमि आन्दोलन के दौरान 10 दिन या उससे अधिक जेल में रहने वाले सरकारी कर्मचारियों/अध्यापकों को गैर हाजिर न मानने का कोई शासनादेश जारी किया है ? यदि हां, तो उक्त आदेश क्या है ? क्या सरकार ने जेल में रहे राज्य कर्मचारियों/बेसिक स्कूलों के अध्यापकों के उक्त अवधि के वेतन के संबंध में भी कोई निर्णय लिया है ? यदि हां, तो क्या ? क्या यह यह भी बतायेंगे कि 2 दिन से ज्यादा जेल में रहने पर राज्य कर्मचारियों पर विभागीय कार्यवाही करने के नियम बने हुए हैं ? यदि हां, तो इन लोगों पर इन नियमों के अधीन क्या कार्यवाही की गयी है ?

श्री कल्याण सिंह—

ऐसे अध्यापक, जिन पर सरकारी कर्मचारी सेवा नियमावली लागू नहीं है, के विषय में आदेश जारी हो गये हैं । शेष का प्रकरण विचाराधीन है । शासन से वित्तीय सहायता प्राप्त अशासकीय जूनियर हाई स्कूल, हाई स्कूल एवं इण्टर कालेज के अध्यापकों व कर्मचारियों द्वारा कार सेवा आन्दोलन में व्यतीत कारावास अवधि को, उन्हें अनुमन्य अवकाश स्वीकृत करके, विनियमित करने का निर्णय लिया गया है । वेतन का प्रकरण विचाराधीन हैं । 48 घन्टे से अधिक जेल में रहने पर राज्य कर्मचारियों को निलम्बित किये जाने का प्राविधान है, परन्तु ऐसे प्रत्येक मामले में विभागीय कार्यवाही की बाध्यता नहीं है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद सिद्धार्थनगर के लिये सस्ती जनता धोती खरीदने का टारगेट

78–श्री दिवाकर विक्रम सिंह–

क्या उद्योग मंत्री कृपया बतायेंगे कि क्या बुनकरों से खरीदी जा रही सस्ती धोती की खरीद में उ० प्र० हथकरघा विकास निगम द्वारा कटौती की जा रही है ? यदि हां, तो कटौती का आधार मानक क्या है और जनपद सिद्धार्थनगर के लिये कितने जोड़े खरीदने का प्रति माह का टारगेट तय किया गया है ? क्या यह टारगेट मानक के आधार पर है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह–

जी हां ।

भारत सरकार द्वारा उत्पादन लक्ष्य में 25 प्रतिशत की कटौती की गयी है, जिसे आधार मानकर ही प्रदेश में भी 25 प्रतिशत की कटौती की गयी है । जनपद सिद्धार्थनगर के लिये 87,700 जोड़े प्रतिमाह का टारगेट तय किया गया है ।

जी हां ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद मऊ में मानक के अनुसार पुलिस कर्मियों की नियुक्ति करने की मांग

79--श्री अमरेश चन्द्र पाण्डेय--

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद मऊ में पुलिस कर्मियों की तैनाती का अलग-अलग पदों का मानक क्या है ? क्या यह सही है कि मानक के अनुसार जनपद मऊ में पुलिस कर्मियों की तैनाती नहीं की गयी है ? यदि हां, तो क्या सरकार तत्काल मानक के अनुसार जनपद मऊ में पुलिस कर्मियों की नियुक्ति करने की कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह--

सूचना एकत्र की जा रही है ।

जनपद वाराणसी के थाना बड़ागांव के ग्राम साईंपुर में अनुसूचित जाति (चमार) के यहां पड़ी डकैती का प्रकरण

80--श्री ऊदल--

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गांव साईंपुर, थाना बड़ागांव, जिला वाराणसी में अनुसूचित जातियों (चमार) के वहां डकैती पड़ी थी ? यदि हां, तो क्या यह सही है कि वहां एक एस० आई० तथा दो कांस्टेबिल थे जिन्होंने डकैतों को पकड़ने हेतु गांव की जनता की मदद नहीं की ? क्या इस संबंध में ब्लाक प्रमुख, श्री प्रसिद्ध नारायण सिंह गांव वासियों को लेकर 15-12-91 को एस० एस० पी०, वाराणसी से मिले थे और एक ज्ञापन भी दिया था ? क्या सरकार इसकी जांच करायेगी ?

श्री कल्याण सिंह--

जी हां ।

जी नहीं, बल्कि संबंधित उप निरीक्षक ने तीन होमगार्डो को साथ लेकर अपराधियों का पीछा किया किन्तु अपराधी पकड़ में न आ सके ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद मैनपुरी के विकास खण्डों के ब्लाक प्रमुखों का नाम जिला परिषद् की सूची में शामिल करने की मांग

81--श्री राम औतार शाक्य--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जनपद मैनपुरी में कितने ऐसे विकास खण्ड हैं जहां पर ब्लाक प्रमुखों के स्थान रिक्त होने पर ज्येष्ठ उप ब्लाक प्रमुख कार्य कर रहे हैं ? क्या सरकार ने उन्हें शपथ दिलाकर जिला परिषद् के सदस्यों की सूची में शामिल करवाने की व्यवस्था की है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कृष्ण स्वरूप वैश्य--

जनपद मैनपुरी में 3 विकास खण्ड (बेबर, करहल, बरनाहल) हैं जहां पर ब्लाक प्रमुखों के स्थान रिक्त होने पर ज्येष्ठ/कनिष्ठ उप ब्लाक प्रमुख कार्य कर रहे हैं ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

महानिदेशक, अभियोजन के अधीन लिपिक की भर्ती हेतु पुनः परीक्षा आयोजित किया जाना

82–श्री हृदय नारायण दीक्षित–

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि महानिदेशक, अभियोजन के अधीन वर्ष 1991 के माह नवम्बर में लिपिकों की भर्ती हेतु कोई परीक्षा आयोजित की गयी थी ? यदि हां, तो क्या यह सच है कि परीक्षा का काम प्रारम्भ हुआ और बीच में ही समाप्त कर दिया गया ? क्या सरकार बतायेगी कि इसी प्रकार लगभग दो वर्ष पूर्व भी यही परीक्षा आयोजित करने की घोषणा की गयी थी और परीक्षा निरस्त हो गयी थी ? यदि हां, तो बार-बार परीक्षा आयोजित करने और निरस्त किये जाने का क्या औचित्य है ? क्या सरकार परीक्षार्थियों से लिये गये परीक्षा शुल्क वापस करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह–

जी हां ।

जी हां ।

जी हां ।

कनिष्ठ लिपिकों की भर्ती हेतु वर्ष 1989 में ली गयी परीक्षा "अधीनस्थ कार्यालय लिपिक वर्गीय कर्मचारीवर्ग (सीधी भर्ती) नियमावली, 1985 यथासंशोधित 1986" में प्राविधानित नियमों के भिन्न हो जाने के कारण उसे निरस्त कर दिया गया था और वर्ष 1991 में आयोजित परीक्षा की कार्यवाही विशेष प्रशासनिक कारणों के आधार पर निरस्त की गयी ।

जी नहीं ।

प्रश्न ही नहीं उठता ।

वर्ष 1991 में आयोजित परीक्षा एवं उसकी कार्यवाही निरस्त की गयी है, भर्ती हेतु दिया गया विज्ञापन नहीं निरस्त किया गया है । समुचित व्यवस्था सुनिश्चित कर लेने के उपरान्त वर्ष 1991 की परीक्षा में सम्मिलित अभ्यर्थियों की "अधीनस्थ कार्यालय लिपिक वर्गीय कर्मचारीवर्ग (सीधी भर्ती) नियमावली, 1985 यथा संशोधित, 1986" के अधीन पूर्व क्रम में यथाशीघ्र पुनः परीक्षा करायी जायेगी ।

दलित शिक्षा आन्दोलन के लोगों पर लाठी चार्ज का प्रकरण

83–श्री हृदय नारायण दीक्षित–

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि माह दिसम्बर, 1991 में दलित शिक्षा आन्दोलन के लोगों पर पुलिस ने लाठी चार्ज किया था ? यदि हां, तो ऐसी कौन सी परिस्थितियां थी जिनकी वजह से पुलिस को लाठी चार्ज करना पड़ा ? लाठी चार्ज में कितने लोग घायल हुए थे ? दोषी पुलिसजनों पर क्या कार्यवाही की गयी है ?

श्री कल्याण सिंह–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

84–श्री राम आसरे वर्मा–

[मा० उपाध्यक्ष हो जाने के कारण हटाया गया]

जनपद बांदा के थाना पहाड़ी के अन्तर्गत के ग्राम परसौजर के श्री उमाशंकर के अपहरण की घटना के शिकायती पत्र पर कृत कार्यवाही

85–श्री राम प्रसाद सिंह–

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जनपद बांदा के थाना पहाड़ी अन्तर्गत ग्राम परसौजर के श्री उमाशंकर ने अपहरण की घटना का उल्लेख करके दिनांक 3-10-91 को पुलिस अधीक्षक, बांदा को सम्बोधित तथा डी० आई जी०, इलाहाबाद, डी० जी० पी०, लखनऊ व मुख्य मंत्री, उ० प्र० को पृष्ठांकित कार्यवाही करने संबंधी शिकायती पत्र दिया है ? यदि हां, तो क्या यह सही है कि प्रश्नकर्ता द्वारा श्री उमाशंकर के शिकायती पत्र की प्रति संलग्न कर संदर्भित पत्र अक्टूबर, 1991 के दूसरे सप्ताह में मुख्य मंत्री, उ० प्र० शासन एवं गृह सचिव, उ० प्र० शासन को दिया गया है ? यदि हां, तो इससे क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या इसमें जांच करके कार्यवाही की जायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? क्या संदर्भित शिकायत में थाना अध्यक्ष के आचरण पर संदेह व्यक्त करके जांच की मांग की गयी है ? यदि हां, तो क्या वही शिकायत जांच हेतु थाना भेज दी गयी है ? यदि हां, तो क्या थाना अध्यक्ष द्वारा पूछताछ व जांच कराई जा रही है ? यदि हां, तो इसका क्या औचित्य है ?

श्री कल्याण सिंह–

जी हां ।

जी हां ।

प्रार्थना-पत्र में अंकित आरोपों की जांच क्षेत्राधिकारी, कर्वी श्री जितेन्द्र कुमार शाही द्वारा कराई गयी । जांच के दौरान आवेदक श्री उमाशंकर सिंह के बयान के आधार पर घटना संज्ञेय अपराध को पाये जाने पर दिनांक 23-12-91 को थाना पहाड़ी पर मु० अ० सं० 194/91 धारा 347/387 भा० दं० वि० बनाम 7 व्यक्ति अज्ञात का अभियोग पंजीकृत कराया गया ।

जी हां ।

जी नहीं । उक्त संदर्भित शिकायत जांच हेतु थाना नहीं भेजी गयी बल्कि इस प्रकरण की जांच क्षेत्राधिकारी, कर्वी द्वारा की गयी और जांच के पश्चात् अभियोग पंजीकृत कराया गया ।

उत्तर प्रदेश पुलिस में डिप्टी एस० पी० के रिक्त पदों को भरे जाने की मांग

86–श्री श्रीराम सिंह–

क्या गृह मंत्री कृपया बतायेंगे कि उत्तर प्रदेश पुलिस में डिप्टी एस० पी० के कुल कितने पद हैं ? इस समय कितने डिप्टी एस० पी० कार्यरत हैं तथा कितने पद रिक्त हैं ? रिक्त पदों को क्यों नहीं भरा जा रहा है ? क्या सन् 1986 से पदोन्नति न होने के कारण पुलिस में भारी असंतोष व्याप्त है ? यदि हां, तो क्या शीघ्र ही पदोन्नति की जायेगी ? क्या यह सही है कि 200 पद रिक्त हैं और उन्हें जानबूझ कर भरा नहीं जा रहा है ? यदि हां, तो सरकार द्वारा कब तक ये पद भर दिये जायेंगे ?

श्री कल्याण सिंह–

उत्तर प्रदेश पुलिस सेवा संवर्ग में वर्तमान में 925 पद उपलब्ध हैं ।

वर्तमान में 721 पुलिस उपाधीक्षक कार्यरत हैं तथा 204 पुलिस उपाधीक्षकों के पद रिक्त हैं ।

रिक्त पदों को भरे जाने की कार्यवाही की जा रही है ।

यह सही नहीं है कि वर्ष 1986 के बाद पदोन्नतियां नहीं की गयी हैं । सन् 1986 और 1991 के मध्य भी कुछ पुलिस निरीक्षकों की पदोन्नतियां की गयी हैं । पदोन्नति न होने के कारण पुलिस में भारी असंतोष व्याप्त होने की बात सही नहीं है । उल्लेखनीय है कि पूर्व में सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त अधिकारियों की अपेक्षा नियमित अथवा तदर्थ पदोन्नति द्वारा नियुक्त अधिकारियों की संख्या अधिक होने के कारण रिट याचिका संख्या 13409/83 राना रनधीर सिंह व अन्य बनाम राज्य सरकार व अन्य में मा० सर्वोच्च न्यायालय द्वारा नवम्बर, 1988 में दिये गये निर्णय में यह निर्देश दिये हैं कि भविष्य में इस प्रकार की व्यवस्था की जाय कि दिसम्बर, 1993 तक दोनों स्रोतों अर्थात् सीधी भर्ती तथा प्रोन्नति द्वारा नियुक्त अधिकारियों का अनुपात 1:1 हो जाये । तद्नुसार मा० न्यायालय के आदेशों के अनुसार कार्यवाही की जा रही है । यह सही नहीं है कि रिक्त पदों को जानबूझकर नहीं भरा जा रहा है । शासन द्वारा रिक्त पदों को यथाशीघ्र भरने का प्रयास किया जा रहा है ।

जनपद जालौन के ग्राम नदी गांव में जिला परिषद् द्वारा संचालित इण्टरमीडिएट कालेज में आरक्षित पद पर नियुक्ति करने की मांग

87–श्री श्रीराम (जालौन)–

क्या पंचायती राज मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद जालौन के ग्राम नदी गांव में जिला परिषद् द्वारा संचालित इण्टरमीडिएट कालेज में अनुसूचित जाति के लिये आरक्षित एक शिक्षक का पद रिक्त है ? यदि हां, तो कब से ? क्या उक्त रिक्त पद पर योग्य अनुसूचित जाति के अध्यापक पद हेतु जिला परिषद्, जालौन की ओर से कभी विज्ञप्ति जारी करके आवेदन-पत्र आमंत्रित किये गये हैं ? यदि हां, तो कब ? क्या आरक्षित रिक्त अध्यापक पद पर अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों की नियुक्ति की जायेगी? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कृष्ण स्वरूप वैश्य–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

88–श्री राम आसरे वर्मा–

[मा० उपाध्यक्ष होने के कारण हटाया गया]

जनपद मऊ के पुलिस विभाग में कार्यरत एस० आई० (एम०) के स्थानान्तरण का प्रकरण

89–श्री अमरेश चन्द्र पाण्डेय–

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि मऊ जनपद में पुलिस विभाग में ऐसे कितने एस० आई० हैं जो विगत तीन वर्ष या इससे अधिक समय से जनपद मऊ में ही तैनात हैं, उनके इतने दिनों तक वहां तैनात रहने के क्या कारण हैं ? क्या सरकार ऐसे सभी एस० आई० (एम०), का स्थानान्तरण जनपद मऊ के बाहर अन्य जनपदों में करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह–

जनपद मऊ में कुल 23 एस० आई० एवं 2 एस० आई० (एम०) आशुलिपिक विगत तीन वर्ष या उससे अधिक समय से तैनात हैं। विभागीय स्थानान्तरण नीति के अनुसार एस० आई० (सी० पी०) को एक जनपद में अधिकतम 6 वर्ष एवं एस० आई० (एम०) को अधिकतम 5 वर्ष तक तैनात रखे जाने का प्राविधान है। अभी तक किसी भी एस० आई० (सी० पी०) अथवा एस० आई० (एम०) ने मऊ जनपद में उक्त निर्धारित अवधि को पूर्ण नहीं किया है। अतः बिना किन्हीं प्रशासनिक कारणों से उन्हें अन्यत्र स्थानान्तरित किये जाने का कोई औचित्य नहीं है।

जनपद बांदा के विकास खण्ड चित्रकूट में कार्यरत ग्राम पंचायत अधिकारी की समबद्धता समाप्त किये जाने सम्बन्धी आदेश

90–श्री राम प्रसाद सिंह—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जनपद बांदा के अंतर्गत विकास खण्ड चित्रकूट में कार्यरत ग्राम पंचायत अधिकारियों में से ऐसे कितने अधिकारी हैं, जो कि इसी ब्लाक के स्थायी जन्मजात निवासी हैं ? क्या इस सम्बन्ध में गत वर्ष शासन से उन्हें गैर रिहायसी ब्लाकों में स्थानान्तरित करने के निर्देश दिये गये थे ? यदि हां, तो पुनः मूल निवास के ब्लाक में उनका स्थानान्तरण करने का औचित्य क्या है ? क्या इस संबंध में शासन द्वारा कार्यवाही की जायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कृष्ण स्वरूप वैश्य—

केवल एक।

ग्राम पंचायत अधिकारियों को गैर रिहायसी विकास खण्डों में रखने के आदेश पूर्व से ही विद्यमान हैं उक्त ग्राम पंचायत अधिकारी का स्थानान्तरण पूर्व में किया गया था किन्तु विकास खण्ड चित्रकूट में गतवर्षों के अवशेष कार्यों को पूरा करने के लिये पुनः सम्बद्ध कर दिया गया था।

समबद्धता समाप्त किये जाने हेतु आदेश निर्गत कर दिये गये हैं।

जिला परिषद् एटा द्वारा मुर्दा मवेशी की नीलामी में बरती गई अनियमितता के सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता के पत्र पर कृत कार्यवाही

91–श्री नेतराम सिंह—

क्या पंचायती राज मंत्री को ज्ञात है कि प्रश्नकर्ता द्वारा माह अगस्त, 1991 में जिला परिषद् एटा में की गई मुर्दा मवेशी की नीलामी में अनियमितताओं तथा घोटाले से संबंधित कोई शिकायती पत्र उन्हें मिला था ? उसके जांचकर्ता कौन अधिकारी थे ? नीलामी कितने की हुई तथा कितना धन वसूल हुआ ? कितने धन की परिषद् की हानि हुई ? इस प्रकरण में कौन-कौन अधिकारी एवं कर्मचारी दोषी पाये गये और उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री कृष्ण स्वरूप वैश्य—

सूचना एकत्र की जा रही है।

जनपद इलाहाबाद के चायल क्षेत्र के अन्तर्गत विशेष युवा कल्याण योजना चलाने की मांग

92–श्री दिनेश चन्द्र सोनकर—

क्या युवा कल्याण मंत्री कृपया बतायेंगे कि इलाहाबाद जनपद में युवा कल्याण विभाग द्वारा क्या-क्या कार्यक्रम चलाये जा रहे हैं ? क्या चायल क्षेत्र के अन्तर्गत युवा कल्याण की कोई विशेष योजना चलाई जायेगी तथा प्रान्तीय रक्षक दल को ग्रामीणों की सुरक्षा हेतु सक्रिय किया जायेगा ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री केदार सिंह फोनिया––

इलाहाबाद जनपद में युवा कल्याण विभाग द्वारा प्रादेशिक विकास दल के सदस्यों को वर्दी, प्रशिक्षण एवं मानदेय, युवक तथा महिला मंगल दलों के सुदृढ़ीकरण हेतु आर्थिक सहायता तथा महिला संगठकों को मानदेय, ग्रामीण खेलकूद प्रतियोगिता (विकास खण्ड तथा जिला स्तर), सेमिनार/संगोष्ठी, समाज सेवा, सुरक्षा कार्य, ग्रामीण व्यायामशालाओं की स्थापना, संचालन तथा सांस्कृतिक कार्यक्रम चलाये जा रहे हैं।

जी नहीं। प्रान्तीय रक्षक दल को ग्रामीणों की सुरक्षा हेतु सक्रिय किये जाने की कोई योजना नहीं है

जनपद बाराबंकी के अन्तर्गत थाना मोहम्मदपुर खाला के ग्राम बेलहरा के जुबैर खां की मृत्यु के सम्बन्ध में उप निरीक्षक का निलम्बन

93–श्री दिनेश चन्द्र सोनकर तथा श्री दुलारे लाल––

क्या गृह मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद बाराबंकी के अंतर्गत थाना मोहम्मदपुर खाला के ग्राम बेलहरा के जुबैर खां पुत्र सौकत अली की मृत्यु पुलिस की पिटाई से पुलिस हिरासत में ही लखनऊ स्थित बलरामपुर अस्पताल में दिनांक 10-12-92 को हुई है ? यदि हां, तो संबंधित दोषी पुलिस कर्मियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री कल्याण सिंह–

जी हां, प्रथम दृष्टया जुबैर खां की मृत्यु पुलिस पिटायी से ही हुई प्रतीत होती है।

इस संबंध में मुकदमा अपराध संख्या-136/91 धारा 304 भा० दं० वि० पंजीकृत किया गया। इसकी विवेचना एस० आई० एस० द्वारा की जा रही है। दोषी उप निरीक्षक, ऊधव मिश्रा को निलम्बित कर दिया गया है तथा कान्स० ओम प्रकाश शर्मा को पुलिस लाईन स्थानान्तरित किया गया है। मामले की मैजिस्ट्रीरियल जांच भी प्रचलित है।

उत्तर प्रदेश विकास प्राधिकरण केन्द्रीयत सेवा में कार्यरत नियोजक श्री भारत भूषण द्वारा विदेश यात्रा तथा अनिल कुमार भटनागर की अनुपस्थित का प्रकरण

94–श्री सुखबीर सिंह गहलौत––

क्या मुख्य मंत्री को जानकारी है कि उत्तर प्रदेश विकास प्राधिकरण केन्द्रीयत सेवा के नगर नियोजन संवर्ग में कार्यरत श्री भारत भूषण जब मेरठ विकास प्राधिकरण में नगर नियोजक के पद पर कार्यरत थे, तब वे लगभग दो वर्ष तक शासन की अनुमति के बिना अनाधिकृत रूप से विदेश यात्रा पर गये थे ? क्या इसी प्रकार आगरा विकास प्राधिकरण में कार्यरत नगर नियोजक, श्री अनिल कुमार भटनागर भी मई, 1987 से जनवरी, 1991 तक अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित रहे ? क्या सरकार बतायेगी कि उपरोक्त अनाधिकृत अनुपस्थितियों के लिये इन दोनों अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह––

श्री भारत भूषण विदेश में अध्ययन हेतु उपाध्यक्ष, मेरठ विकास प्राधिकरण की स्वीकृति से गये थे।

श्री अनिल कुमार भटनागर दिनांक 12-5-87 से अप्रैल, 91 तक कार्य से अनुपस्थित रहे जिसके उपरांत उनकी तैनाती आगरा विकास प्राधिकरण में की गयी जहां उन्होंने कार्य-भार ग्रहण किया। श्री भारत भूषण को प्राधिकरण द्वारा अवैतनिक अवकाश स्वीकृत किया गया था और श्री भटनागर को अनुपस्थिति की अवधि का कोई भुगतान नहीं किया गया। श्री भटनागर का निधन हो गया है।

जनपद उन्नाव के सुभाष इण्टर कालेज, बांगरमऊ के अध्यापक श्री काजी महबूब अली के गायब होने की जांच

95–श्री हृदय नारायण दीक्षित–

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद उन्नाव के सुभाष इण्टर कालेज, बांगरमऊ के अध्यापक श्री काजी महबूब अली के माह 2 नवम्बर, 1991 को लापता होने के कारण जिले के माध्यमिक शिक्षक संघ की इकाई आन्दोलित है ? यदि नहीं, तो क्या माध्यमिक शिक्षक संघ ने ऐसा कोई ज्ञापन जिलाधिकारी/एस० पी०, उन्नाव को दिया है ? क्या सी० आई० डी ० जांच कराने का अनुरोध किया है ? यदि हां, तो जांच की स्थिति और प्रकार क्या है ?

श्री कल्याण सिंह–

जी नहीं ।

जी हां ।

जी हां ।

वर्तमान में स्थानीय पुलिस जांच कर रही है जिसमें सफलता मिलने की आशा है । फिलहाल सी० आई० डी० जांच की आवश्यकता नहीं प्रतीत होती ।

वाराणसी विकास प्राधिकरण के अधिशासी अभियन्ता, श्री यज्ञ नारायण पाठक द्वारा पांडेपुर हाउसिंग स्कीम की भूमि छोड़ देने के संबंध में प्रश्नकर्ता के पत्र पर कृत कार्यवाही

96–श्री ऊदल–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वाराणसी विकास प्राधिकरण, वाराणसी के अधिशासी अभियन्ता, श्रीवास्तव को कम्पलसरी रिटायर कर दिया गया और एक दूसरे अधिशासी अभियन्ता, श्री यज्ञ नारायण पाठक को नियुक्त किया गया जो 307 के मुलजिम हैं ? पांडेपुर हाउसिंग स्कीम में काफी जमीन जो विकास प्राधिकरण ने एक्वायर की थी निजी लोगों से मकान बनवाने और जमीन को समझौता करके छोड़ देने के संबंध में इनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ? इस संबंध में नगर विकास मंत्री से 11 अक्टूबर, 1991 को मिलकर प्रश्नकर्ता ने अपने पत्र के साथ जो सभी कागजात दिये थे उस पर क्या कार्यवाही की गयी और जांच किससे करायी गयी ?

श्री कल्याण सिंह–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

जनपद वाराणसी के थाना मिर्जामुराद के ग्राम चित्तापुर के निवासी शीतला मौर्य के घर आगजनी की जांच

97–श्री ऊदल–

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि शीतला मौर्य गांव चित्तापुर, थाना मिर्जामुराद, जिला वाराणसी का घर फूंक दिया गया और पूरे परिवार को मारा गया ? क्या एस० एस० पी०, वाराणसी के आदेश से रिपोर्ट लिखी गयी ? इस संबंध में शीतला मौर्य की दरख्वास्त व रिपोर्ट, डाक्टरी मुआइना आदि के साथ प्रश्नकर्ता ने अपने पत्र के साथ मुख्य मंत्री को 12 नवम्बर, 91 को दिया है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी और जांच किस अधिकारी ने की है ?

श्री कल्याण सिंह–

जी हां, दो पक्षों में हुए विवाद के बाद श्री शीतला मौर्य के मकान में आग लगा दी गयी । उनको एवं उनके परिवार वालों को चोटें आयीं । उनके भाई की सूचना पर थाना मिर्जामुराद, वाराणसी में मु०

अ० सं० 128/91 धारा 147/323/336/436 भा० दं० वि० तथा प्रतिपक्षी की सूचना पर मु० अ० सं० 128 ए/91 धारा 147/323/504/336 भा० दं० वि० पंजीकृत किये गये ।

जी हां, क्षेत्राधिकारी, सदर द्वारा जांच की गयी । छः अभियुक्तों में से 3 को गिरफ्तार किया गया और 3 ने न्यायालय में आत्म-समर्पण किया । दोनों मुकदमों में आरोप सिद्ध होने पर आरोप पत्र प्रेषित किया गया । मुकदमा विचाराधीन न्यायालय है ।

जनपद बांदा के पुलिस अधीक्षक द्वारा दिनांक 25-2-91 व 26-2-91 के मध्य की गयी यात्रा

98–श्री राम प्रसाद सिंह–

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जनपद बांदा के अन्तर्गत दिनांक 25-2-91 व 26-2-91 को सरकारी वाहन संख्या–यू० एम० आर० 2562 का प्रयोग तत्कालीन पुलिस अधीक्षक, बांदा द्वारा जनपद से बाहर बांदा से झांसी, झांसी से ललितपुर के लिये निजी कार्य हेतु यात्रा की गयी है ? यदि हां, तो क्या शासनादेश संख्या–4511(1)टी/304-77. दिनांक 24-10-88 में निहित निर्देशों के अनुसार निर्धारित मानक चार्ज जमा किया गया ? यदि हां, तो किस चालान से और कितनी धनराशि एवं किस तिथि को ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या इस संबंध में तत्कालीन पुलिस अधीक्षक दोषी हैं ? यदि हां, तो क्या भ्रष्टाचार संबंधी विभागीय कार्यवाही की जायेगी ? यदि हां, तो क्या और कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह–

पुलिस विभाग जनपद बांदा में कोई सरकारी वाहन संख्या–यू० एम० आर०-2562 उपलब्ध नहीं है । तत्कालीन पुलिस अधीक्षक, बांदा द्वारा वाहन संख्या–यू० एम० के०-2562 से दिनांक 25-2-91 को झांसी से ललितपुर 92 किलोमीटर और दिनांक 26-2-91 को ललितपुर से झांसी 92 किलोमीटर की यात्रा निजी कार्य हेतु की गयी है तथा उनके द्वारा कार डायरी में निजी यात्रा अंकित भी की गयी है । पुलिस अधीक्षक, बांदा द्वारा उक्त यात्रा के लिये रु० 184/-क्रेडिट आर्डर संख्या–231 दिनांक 26-4-91 को जमा किया गया है, जो ट्रेजरी चालान संख्या–54 के अन्तर्गत राजकीय कोष में जमा हुआ है । ऐसी स्थिति में तत्कालीन पुलिस अधीक्षक, बांदा दोषी नहीं प्रतीत होते हैं और उनके विरुद्ध किसी कार्यवाही की आवश्यकता नहीं प्रतीत होती ।

उत्तर प्रदेश खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड में आरक्षण कोटा पूरा करने की मांग

99–श्री राम प्रसाद सिंह–

क्या उद्योग मंत्री बताने की कृपा करेगे कि उत्तर प्रदेश खादी ग्रामोद्योग बोर्ड में 3000–4500 रु० के वेतनमान के पद शासन से स्वीकृत हैं ? यदि हां, तो कितने ? क्या सरकार यह भी बतायेगी कि इन स्वीकृत पदों में अनुसूचित जाति के लिये पद आरक्षित हैं ? यदि हां, तो कितने ? क्या अनुसूचित जाति के लिये आरक्षित पदों की पूर्ति कर दी गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या आरक्षित रिक्त पदों को भरा जायेगा ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

लघु उद्योग राज्य मंत्री (श्री मयंकर सिंह)–

जी हां ।

23 पद स्वीकृत हैं ।

जी हां ।

कोटा के अनुसार पद आरक्षित हैं ।

जी नहीं । परन्तु प्रश्नगत कार्यरत 13 अधिकारियों में से एक अधिकारी आरक्षित वर्ग का है ।

बोर्ड की सेवा विनियमावली शासन के विचाराधीन है । अतः रिक्त पदों पर प्रोन्नति करके आरक्षित कोटा पूर्ण नहीं किया जा सका ।

जी हां ।

यह सीधी भर्ती के पद नहीं हैं वरन् प्रोन्नति के पद हैं । प्रोन्नति के समय उपलब्ध अभ्यर्थियों से नियमानुसार आरक्षित कोटा पूर्ण किया जायेगा ।

प्रश्न नहीं उठता ।

100–101–श्री राम आसरे वर्मा–

[उपाध्यक्ष निर्वाचित हो जाने के कारण हटाये गये]

जनपद बांदा की ऐतिहासिक जामा मस्जिद की भूमि आदि की सुरक्षा

102–श्री नसीम उद्दीन सिद्दीकी–

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि प्रश्नकर्ता ने जो पत्र अधीक्षण पुरातत्वविद्, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, लखनऊ को पत्र सं०–ख-नं०-716864 दि० 21-11-91 द्वारा बांदा नगर की ऐतिहासिक जामा मस्जिद की भूमि आदि की सुरक्षा के संबंध में लिखा था, उसमें क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री केदार सिंह फोनिया–

जी हां, कार्यवाही की गयी । बांदा की ऐतिहासिक जामा मस्जिद की भूमि, आदि की सुरक्षा के संबंध में वहां पर एक बाउन्ड्री वाल बनाने के लिये महानिदेशर्क, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, नई दिल्ली से स्वीकृति अधीक्षण पुरातत्वविद्, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, लखनऊ मण्डल लखनऊ को प्राप्त हो चुकी है तथा उनके द्वारा इस संबंध में रेखाचित्र एवं आगणन, आदि तैयार करने के आदेश दे दिये गये हैं । उनके द्वारा यह कार्य शीघ्र ही प्रारम्भ किया जायेगा ।

रायबरेली जनपद में खीरो के थानाध्यक्ष के द्वारा उत्पीड़न किये जाने की जांच

103–श्री हृदय नारायण दीक्षित–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि तत्कालीन थानाध्यक्ष, खीरो, जनपद रायबरेली द्वारा उत्पीड़न किये जाने के संबंध में उप पुलिस महानिरीक्षक, लखनऊ परिक्षेत्र, लखनऊ को सम्बोधित व प्रेषित दि० 3-10-91 का श्री उदयवीर सिंह, प्रधान, गुलरिहा, जनपद उन्नाव व श्री राजकुमार मिश्र, ग्राम सैनी, थाना गुरुबख्शगंज, जनपद रायबरेली के अलग-अलग शिकायती पत्रों पर क्या कार्यवाही हुई ? जांच किस अधिकारी ने की ? जांच के निष्कर्ष क्या हैं ? दोषी के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी है ?

श्री कल्याण सिंह–

जांच की गयी ।

अपर पुलिस अधीक्षक, रायबरेली ने जांच की । आवेदन पत्र में अंकित आरोप प्रमाणित नहीं पाये गये ।

जनपद रायबरेली के थाना खीरो के ग्राम धुराई के निवासी श्री राम किशुन की मृत्यु संबंधी मुकदमें को संशोधित न करना

104–श्री हृदय नारायण दीक्षित–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री झूरी पासी निवासी ग्राम धुराई, थाना खीरो, जनपद रायबरेली के भाई राम किशुन की हत्या की कोशिश किये जाने और हत्या की इस कोशिश का मुकदमा भा० दं० वि० के धारा 307में दर्ज किये जाने के बाद घायल की मृत्यु हो गयी थी ? यदि हां, तो तत्कालीन थानाध्यक्ष द्वारा मुकदमें को भा० द० वि० 307 से 302 में संशोधित न करने विषयक प्रश्नकर्ता के कवरिंग पत्र सहित झूरी पासी का पत्र सचिव, गृह, उ० प्र० शासन को दि० 12-9-91 को मिला है ? यदि हां, तो मुकदमा संशोधित न किये जाने के कारण क्या हैं ?

श्री कल्याण सिंह–

जी हां ।

जी हां ।

मुकदमा धारा 302 में संशोधित इसलिये नहीं किया गया कि श्री राम किशुन की मृत्यु मारपीट की घटना के 34 दिन बाद हुई । मृत्यु का कारण घाव में सड़न व ग्रेंगीन का होना पाया गया जो कि उसके उपचार में लापरवाही के कारण हुआ । इस कारण चोट का मृत्यु से सीधा संबंध नहीं था । पत्र में थानाध्यक्ष के विरुद्ध लगाये गये आरोप क्षेत्राधिकारी द्वारा की गयी जांच में असत्य पाये गये ।

105–श्री राम आसरे वर्मा–

[उपाध्यक्ष निर्वाचित होने के कारण हटाया गया]

जनपद बांदा के अन्तर्गत सम्पादक ''बुन्देलखण्ड गूज'' के पत्रकार के विरुद्ध साजिश की जांच

106–श्री राम प्रसाद सिंह–

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जनपद बांदा के अन्तर्गत सम्पादक ''बुन्देलखण्ड गूज'' के पत्रकार के विरुद्ध साजिश की जांच अपराध अनुसंधान शाखा से कराये जाने के संबंध में प्रश्नकर्ता का पत्र मुख्य मंत्री, उ० प्र० को प्राप्त हुआ है, जिसकी प्राप्ति पत्र संख्या–सी० एम० वि० को एम-3/37-264/बु०-91, दिनांक 4-11-91 से तथा प्रमुख सचिव, गृह को भेजा जाना स्वीकार हुई है ? यदि हां, तो इसमें अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? क्या यह सही है कि पत्रकार द्वारा अखबारों में तीन लोगों के विरुद्ध भ्रष्टाचार की खबरें छापने के कारण सम्पादक के विरुद्ध एक व्यक्ति द्वारा कई बार दर्ज रिपोर्टों में महज घर से लगी जमीन का विवाद है तथा दूसरा प्रतिवादी उसी का नौकर एवं तीसरा राशनिंग कोटेदार है ? क्या इस प्रकरण की जांच अपराध अनुसंधान शाखा से की जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह–

जी हां ।

प्रश्नगत मामले में जांच में लगाये गये आरोप प्रमाणित नहीं हुए ।

जी नहीं । श्री राजेन्द्र पाण्डेय के विरुद्ध विभिन्न प्रकार के अभियोग विभिन्न व्यक्तियों द्वारा पंजीकृत कराये गये हैं और सभी में विवेचना के उपरान्त आरोप पत्र न्यायालय प्रेषित किये जा चुके हैं । एक ही व्यक्ति द्वारा जमीन के विवाद के कारण सभी अभियोग पंजीकृत कराये जाने की बात असत्य पाई गयी ।

अपराध अनुसंधान विभाग से जांच की आवश्यकता नहीं प्रतीत होती ।

जनपद बांदा के थाना रैपुरा के ग्राम बगरेही निवासी श्री अरुण कुमार के विरुद्ध कार्यवाही

107–श्री राम प्रसाद सिंह–

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जनपद बांदा के सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी, उप सम्भाग, बांदा के पत्र संख्या–174 यू० टी० जेड० 2077 टी० आर० 89, दिनांक 17-3-89द्वारा, प्रभारी निरीक्षक, कोतवाली कर्वी, जिला बांदा को वाहन संख्या––यू० टी० जेड० 2077 मिनी बस को पकड़ कर उसके स्वामी श्री वाजिद खां को दिलाये जाने तथा श्री अरुण कुमार निवासी वगरेही से कागजात लेकर अपने कार्यालय में भेजे जाने को लिखा गया है ? यदि हां, तो कोतवाली कर्वी द्वारा इस मामले में क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या उक्त निर्देश के पालन में शिथिलता बरती गयी है ? यदि हां, तो किस स्तर से और क्यों ? क्या इसमें दोषी के विरुद्ध कार्यवाही की जायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या श्री अरुण कुमार, वगरेही, थाना रैपुरा को धारा–216भा० द० वि० का अभियुक्त बनाया गया है ? यदि हां, तो उसके विरुद्ध कार्यवाही न करने का क्या औचित्य है ?

श्री कल्याण सिंह–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

श्री अरुण कुमार निवासी बगरेही, थाना रैपुरा के विरुद्ध मु० अ० सं० 216/90 धारा 379/411/216ए/26 फौ० अ० दिनांक 9-12-90 को पंजीकृत मुकदमें में विवेचनोपरान्त आरोप पत्र न्यायालय भेज दिया गया है ।

उत्तर प्रदेश खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड में प्रथम, द्वितीय, तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी में आरक्षित रिक्तियों को विशेष भर्ती अभियान के अन्तर्गत भरे जाने की कार्यवाही

108–श्री राम प्रसाद सिंह–

क्या उद्योग मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड में शासन से श्रेणी प्रथम, द्वितीय, तृतीय एवं चतुर्थ वेतनमान के कर्मचारियों/अधिकारियों के पद स्वीकृत हैं ? यदि हां, तो कितने-कितने ? क्या यह भी बतायेंगे कि उक्त श्रेणियों में स्वीकृत पदों में अनुसूचित जाति के लिये पद आरक्षित हैं ? यदि हां, तो कितने–कितने ? क्या उक्त सभी श्रेणियों में अनुसूचित जाति के लिये

आरक्षित पदों पर रिक्तियां हैं ? यदि हां, तो कितनी-कितनी ? क्या उक्त सभी श्रेणियों में रिक्त पदों को शीघ्र भरा जायेगा ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मयंकर सिंह–

जी हां । विवरण निम्नवत् है :–

प्रथम श्रेणी	34
द्वितीय श्रेणी	120
तृतीय श्रेणी	1118
चतुर्थ श्रेणी	657
योग ..	1929

जी हां । 347 पद आरक्षित हैं ।

उक्त सभी श्रेणियों में अनुसूचित जाति के लिये आरक्षित पदों पर रिक्तियां हैं जिनका विवरण इस प्रकार है :-

श्रेणी	आरक्षित संख्या	आरक्षित कार्यरत	आरक्षित रिक्तियां
प्रथम	6	1	5
द्वितीय	21	2	19
तृतीय	202	28	114
चतुर्थ	118	71	47
योग ..	347	162	185

जी हां । संबंधित कर्मचारियों/अधिकारियों की सेवा नियमावली के प्रख्यापन की दिशा में आवश्यक कार्यवाही की जा रही है । वर्तमान में खादी बोर्ड की अंतरिम सेवा नियमावली के अन्तर्गत आरक्षित रिक्तियां को विशेष भर्ती अभियान के अन्तर्गत भरे जाने के संबंध में कार्यवाही कराई जा रही है ।

जनपद आजमगढ़ में अनुसूचित जाति/पिछड़ी जाति के आरक्षित कोटे से प्रभारी निरीक्षक पद पर नियुक्ति का प्रकरण

109–श्री अंगद सिंह–

क्या सरकार बतायेगी कि आजमगढ़ जनपद में अनुसूचित जाति/पिछड़ी जाति के प्रभारी निरीक्षक (इंस्पेक्टर) का आरक्षण कोटा पूरा किया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह–

वर्तमान में जनपद आजमगढ़ में अनुसूचित जाति का कोई निरीक्षक उपलब्ध न होने के कारण थाना प्रभारी के पद पर उनकी नियुक्ति सम्भव नहीं है । अनुसूचित जाति के तीन उप निरीक्षक थाना प्रभारी के रूप में आरक्षण कोटे के विरुद्ध नियुक्त किये गये हैं ? प्रभारी निरीक्षक के पद पर पिछड़ी जाति के अभ्यर्थियों की नियुक्ति हेतु आरक्षण कोटे का कोई प्राविधान ही नहीं है ।

जनपद सिद्धार्थनगर के कस्बा रुधौली में फायर स्टेशन स्थापित करने की मांग

110–श्री दिवाकर विक्रम सिंह–

क्या गृह मंत्री को ज्ञात है कि जनपद बस्ती के मुख्यालय बस्ती तथा जनपद सिद्धार्थनगर के मुख्यालय नौगढ़ के बीच बस्ती और नौगढ़ को छोड़कर लगभग 75 किलोमीटर की दूरी में दूसरा कोई भी फायर स्टेशन नहीं है ? यदि हां, तो क्या यह सत्य है कि बस्ती जनपद का कस्बा रुधौली, बस्ती-नौगढ़ मार्ग पर बस्ती से 30 किलोमीटर तथा नौगढ़ से 40 किलोमीटर अर्थात् लगभग बीच में है और यहां की आबादी लगभग 6000 से ऊपर है ? यदि हां, तो ग्रामीण क्षेत्र में अग्निशमन सेवा उपलब्ध कराये जाने हेतु कस्बा रुधौली में फायर स्टेशन स्थापित न किये जाने का क्या कारण है ? क्या मंत्री जी यह भी बतलायेंगे कि किसी भी ग्रामीण अंचल में फायर स्टेशन स्थापित करने के लिये निर्धारित मापदण्ड क्या है ?

श्री कल्याण सिंह–

जनपद बस्ती के मुख्यालय बस्ती और जनपद सिद्धार्थनगर के मुख्यालय नौगढ़ के बीच कोई फायर स्टेशन नहीं है । रुधौली कस्बा बस्ती नौगढ़ के लगभग बीच में है । जिस स्थान की आबादी 50.000 से कम है वहां पर फायर स्टेशन स्थापित करने की योजना नहीं है । ग्रामीण अंचल में फायर स्टेशन स्थापित करने हेतु अलग से कोई मापदण्ड शासन द्वारा निर्धारित नहीं है ।

वित्तीय संसाधनों की कमी एवं प्रदेश के अन्य तुलनात्मक आवश्यकताओं एवं प्रशासनिक कारणों से अभी प्रदेश के सभी तहसील स्तर पर ही फायर स्टेशन स्थापित करना सम्भव नहीं हो सका है । ऐसी स्थिति में ग्रामीण अंचल में फायर स्टेशन स्थापित करने का कार्यक्रम नहीं है ।

जनपद इटावा के थाना अजीतमल के ग्राम रजपुरा के श्री चन्द्रभान सिंह की हत्या से सम्बन्धित व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही

111–श्री श्रीराम (जालौन)––

क्या गृह मंत्री कृपया बतायेंगे कि ग्राम रजपुरा, थाना अजीतमल, जिला इटावा के श्री देवसिंह, ग्राम प्रधान के पुत्र श्री चन्द्रभान सिंह की हत्या दिनांक 5-10-91 को की गयी थी और इस प्रकरण की थाना अजीतमल में अपराध सं०–206/91 धारा-302 आई० पी० सी० के अन्तर्गत नामजद मुल्जिमों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज करायी गयी थी ? यदि हां, तो उक्त केस की तफ्तीश किस स्तर तक हुई है ? क्या नामजद मुल्जिमानों की अब तक गिरफ्तारी की गई है ? यदि हां, तो कब ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह––

जी हां ।

विवेचना के मध्य अभियुक्त प्रेम सिंह को गिरफ्तार कर दिनांक 17-12-91 को जेल भेजा गया तथा अभियुक्तगण राजेन्द्र सिंह, शिव नरायण एवं बिजेन्द्र सिंह ने क्रमशः दिनांक 18-12-91, 12-12-91 एवं 20-12-91 को न्यायालय में आत्म-समर्पण किया । विवेचना से उक्त अभियुक्तों के विरुद्ध धारा 302/201 भा० दं० वि० का आरोप सिद्ध होने पर दिनांक 24-12-91 को आरोप पत्र न्यायालय प्रेषित किया जा चुका है ।

112–श्री श्रीराम (जालौन)–

[विस्तीर्णता के आधार पर निरस्त]

जनपद जालौन के दस्यु प्रभावित थानों के ग्रामों में सशस्त्र गार्द का लगाया जाना

113–श्री श्रीराम (जालौन)––

क्या गृह मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद जालौन में थाना सिरसा कलार, कुठौन्द तथा पुलिस चौकी न्यामतपुर क्षेत्र अत्यन्त दस्यु पीड़ित थाना क्षेत्र है ? यदि हां, तो क्या वर्षों पूर्व से वर्ष 1990 तक उक्त थाना क्षेत्रों में स्थित ग्राम पारेन मुस्तकिल, जुगराजपुर, टिकरी मुस्तकिल, जीतामऊ, खडगुई ग्राम पाल, ग्राम मल्थुवा में पुलिस गार्द तथा पी० ए० सी० ग्रामवासियों की सुरक्षा के लिये तैनात थी ? यदि हां, तो क्या वर्ष 1991 में माह फरवरी-मार्च से उक्त ग्रामों से पुलिस गार्द व पी० ए०सी० हटा ली गयी है ? यदि हां, तो क्यों ? क्या यह सच है कि गार्द हटा दिये जाने के बाद ग्राम टिकरी मुस्तकिल, थाना सिरसाकलार और जीतामऊ गांव, ग्राम मऊकनार तथा ग्रामपाल में कई डकैतियां तथा लूट एवं क्षेत्र में अपहरण व हत्यायें हुई हैं ? यदि हां, तो क्या पुनः उक्त ग्रामों में क्षेत्रवासियों की डकैती से सुरक्षा हेतु पुलिस गार्द या पी० ए० सी० तैनात की जायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह––

जी हां ।

जी हां ।

जी हां, पुलिस दल की कमी होने के कारण तथा जनपद में शान्ति व्यवस्था व अन्य ड्यूटियों की अधिकता के कारण पी० ए० सी० गार्द हटा ली गयी थी ।

जी हां, ग्राम मऊकनार में व ग्राम टिकरी में एक डकैती तथा ग्राम पाल में एक लूट की घटना घटित हुई थी, अन्य ग्रामों में कोई अपराध घटित नहीं हुआ है । ग्राम मऊकनार में डेढ़ सेक्सन पी० ए० सी० व ग्राम पाल में एक सशस्त्र गार्द लगा दी गयी है तथा ग्राम लोहई में पुलिस चौकी खोलने का प्रस्ताव भेजा जा चुका है, जो ग्राम टिकरी के पास है । इस क्षेत्र में लालाराम गैंग के 5 सदस्य मारे गये हैं तथा क्षेत्र में व्यापक गस्त का प्रबन्ध कर दिया गया है । अन्य किसी ग्राम में पुलिस बल नियुक्त किया जाना आवश्यक नहीं है ।

जनपद जालौन के थाना रामपुरा के ग्राम उदोतपुरा जागीर में पड़ी डकैती में घायल व्यक्तियों को आर्थिक सहायता तथा लाइसेन्स के प्रार्थना-पत्र पर विचार

114–श्री श्रीराम (जालौन)––

क्या गृह मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद जालौन में थाना रामपुरा के अन्तर्गत ग्राम उदोतपुरा जागीर में दिनांक 16/17-11-91 की रात्रि को डकैतों के द्वारा गांव में आग लगाकर तथा डकैती डालने की कोशिश करते हुए, डकैतों का मुकाबला थाना रामपुरा के सिपाहियों तथा ग्रामवासियों द्वारा किये जाने पर डकैतों की गोलियों से सिपाही व गांव के लोग घायल हुए थे ? यदि हां, तो डकैतों की गोली से घायल होने वाले सिपाही व ग्रामवासी कौन-कौन थे ? क्या घायल होने वाले ग्रामवासियों व सिपाहियों के उपचार व बहादुरी के कार्य हेतु शासन द्वारा आर्थिक सहयोग या पुरस्कार दिया गया है ? यदि हां, तो क्या और कब ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या डकैतों से मुकाबला करने वाले घायल ग्रामवासियों व उनके परिवार वालों की डकैतों से जानमाल की सुरक्षा के लिये शस्त्र लाइसेंस स्वीकृत किये जायेंगे ? यदि हां, तो कब ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह––

जी हां ।

डकैतों की गोली से निम्न पुलिस कर्मी व ग्रामवासी घायल हुये थे :–

1–का० पृथ्वी सिंह, थाना रामपुरा

2–होमगार्ड, लाल जीवन, थाना रामपुरा

घायल ग्रामवासी :––

1–भगवानदीन पुत्र भगीरथ निवासी उदोतपुरा

2–विजय सिंह पुत्र पूरन सिंह ,,

3–शिव प्रसाद पुत्र सीताराम ,,

4–मखौले पुत्र छुटई पाल ,,

स्थानीय स्तर पर कां० जयकीतर सिंह एवं का० पृथवी सिंह को वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, जालौन द्वारा क्रमशः 100 व 150 रु० का पुरस्कार दिया गया है । घायल होने वाले आरक्षी पृथवी सिंह तथा होमगार्ड लाल जीवन एवं जनता के घायल व्यक्तियों को आर्थिक सहायता दिये जाने पर विचार किया जा रहा है ।

घटना से प्रभावित व्यक्तियों द्वारा लाइसेंस हेतु आवेदन-पत्र दिये । जिस पर विचार किया जा रहा है:––

1–शिव प्रसाद पुत्र श्री सीताराम निवासी उदोतपुरा

2–सुल्तान सिंह पुत्र लल्लू ,, ,,

3–भीषम सिंह पुत्र श्री मुरलीधर ,, ,,

4–जयराम सिंह पुत्र श्री चेतराम ,, ,,

5–रवीन्द्र सिंह पुत्र श्री रामपाल ,, ,,

6–रूप सिंह पुत्र श्री श्यामलाल ,, ,,

जनपद मैनपुरी के कतिपय व्यक्तियों के विरुद्ध गैंगेस्टर ऐक्ट लागू करने की कार्यवाही

115–श्री राम औतार शाक्य––

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि वर्ष 1990-91 में मैनपुरी जनपद में कितने लोगों के विरुद्ध गैंगेस्टर ऐक्ट के अन्तर्गत कार्यवाही की गई ? क्या सरकार ने ऐसे किसी व्यक्ति का वर्ष 91 में गैंगेस्टर ऐक्ट वापिस कर लिया जिस पर 32 अपराधिक मुकदमें कायम रह चुके हैं ? यदि हां, तो गैंगेस्टर को वापिस कराने में सरकार का क्या मानक रहा ?

श्री कल्याण सिंह––

वर्ष 1990-91 में मैनपुरी जनपद में 78 लोगों के विरुद्ध गैंगेस्टर ऐक्ट के अन्तर्गत कार्यवाही की गयी ।

जी हां । गैंगेस्टर ऐक्ट के अन्तर्गत की गई कार्यवाही को वापस कराने में सरकार का कोई मानक निर्धारित नहीं हैं । वाद वापसी का निर्णय उस वाद की परिस्थितियों के आधार पर किया जाता है ।

लखनऊ विकास प्राधिकरण विस्तार योजना (कुर्सी रोड) पर उल्लिखित ग्रामों के प्रतिकर में भिन्नता

116–श्री राम ललित चौधरी––

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ विकास प्राधिकरण विस्तार योजना (कुर्सी रोड) पर ग्राम सिकन्दरपुर, पहाड़पुर, खरगापुर जागीर तथा गुड्डयन पुरवा का एवार्ड एक साथ हुआ था ? यदि हां, तो प्रतिकर में अन्तर क्यों है ?

श्री कल्याण सिंह––

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

117–श्री राधेश्याम वर्मा––

[दिनांक 30-3-92 को अता० प्र० सं० 208 द्वारा उत्तरित]

जनपद जालौन के मु० कछोरन निवासी श्री जमीपाल सिंह यादव के विरुद्ध दर्ज अपराध संबंधी मुकदमों को वापस लेने की मांग

118–श्री श्रीराम (जालौन)–

क्या गृह मंत्री कृपया बतायेंगे कि श्री जमीपाल सिंह यादव पुत्र श्री बाला प्रसाद नि० मु० कछोरन, कस्बा जालौन, जनपद जालौन को दिनांक 30-1-1986 से 20-2-86 तक गुण्डा ऐक्ट की धारा–3 के अनतर्गत जिला कारागार, उरई में बन्द रखा गया था ? यदि हां, तो क्या उसके विरुद्ध जेल में बन्द रहने के दौरान कोतवाली, जालौन में दिनांक 9-2-86. 7-2-86. 10-2-86. 12-2-86, 13-2-86. 15-2-86 को विभिन्न अपराधों की कथित प्राथमिकी दर्ज की गयी थी ? यदि हां, तो क्यों ? क्या कोतवाली जालौन के संबंधित पुलिस अधिकारियों के द्वारा फर्जी मुकदमा अंकित किये जाने के कारण उन्हें दण्डित करके जमीपाल सिंह यादव के विरुद्ध पंजीकृत किये गये उपरोक्त तिथियों के मुकदमें सरकार द्वारा वापस लिये जायेंगे ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह–

जी हां ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

उत्तर प्रदेश राज्य सचिवालय के अनुभागों में उप सचिव स्तर का अनुभाग अधिकारी के तैनाती का औचित्य

119–श्री राम औतार शाक्य–

क्या मुख्य मंत्री को जानकारी है कि उनके अधीन सचिवालय प्रशासन विभाग के अन्तर्गत अनुभाग अधिकारी, केन्द्रीय अनुभाग के पद पर कौन अधिकारी कार्यरत हैं ? क्या यह सही है कि अनुभाग अधिकारी के पद पर वर्तमान में कार्यरत अधिकारी, उप सचिव के स्तर का है ? यदि हां, तो क्या

सचिवालय के समस्त अन्य अनुभागों में उप सचिव स्तर के अनुभाग अधिकारियों को तैनात करने का आदेश प्रदान करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह–

जी हां, सचिवालय प्रशासन विभाग के अन्तर्गत अनुभाग अधिकारी, केन्द्रीय अनुभाग के पद पर सम्प्रति श्री बराती लाल वर्मा, निजी सचिव (विशेष श्रेणी) कार्यरत हैं । यह सही है कि वेतनमान की दृष्टि से निजी सचिव (विशेष श्रेणी) का पद उत्तर प्रदेश सचिवालय सेवा के उप सचिव के स्तर का है, परन्तु कार्य एवं उत्तरदायित्व की दृष्टि से निजी सचिव संवर्ग के सभी श्रेणियों के पद सामान्यतया एक समान हैं और उनमें कोई विभेद नहीं किया गया है । उक्त परिपेक्ष्य में और शासकीय कार्य के हित में श्री वर्मा को केन्द्रीय अनुभाग में तैनात किया गया है जिसके कार्य की प्रकृति एवं उत्तरदायित्व उत्तर प्रदेश सचिवालय के समस्त अन्य अनुभागों से पृथक एवं विशिष्ट हैं, इसीलिये वहां सदैव निजी सचिव संवर्ग के अधिकारी को ही तैनात किया जाता है । अतः सचिवालय के अन्य अनुभागों में उप सचिव स्तर के अधिकारियों को तैनात किये जाने का कोई औचित्य नहीं है ।

120–श्री राम प्रसाद सिंह–

[5वें सोमवार में अता० प्र० सं० 179 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

अयोध्या में राम मन्दिर के निर्माण की प्रगति का प्रकरण

121–श्री श्याम देव राय चौधरी–

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि अयोध्या में श्री राम के मन्दिर निर्माण की दिशा में कितनी प्रगति हुई है ?

श्री कल्याण सिंह–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

प्रदेश में पुलिस निरीक्षकों की पुलिस उपाधीक्षकों के पद पर प्रोन्नति

122–श्री भागवत पाल–

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि जुलाई सन् 1986 में प्रदेश के कितने पुलिस इन्सपेक्टरों की क्षेत्राधिकारी पद पर प्रोन्नति की गयी ? इनमें से कितनों को स्थायी किया गया है और कितने अभी तक स्थायी नहीं हुए हैं ? क्या यह भी बतायेंगे कि स्थायी न होने के क्या कारण हैं ?

श्री कल्याण सिंह–

जुलाई, 1986 में 247 पुलिस निरीक्षकों की पुलिस उपाधीक्षक के पदों पर अस्थायी/स्थानापन्न रिक्तियों के विरुद्ध तदर्थ आधार पर प्रोन्नति की गयी थी ।

अभी किसी को स्थायी नहीं किया गया है ।

अस्थायी तदर्थ आधार पर प्रोन्नत पुलिस उपाधीक्षकों के विनियमितीकरण की कार्यवाही प्रचलित है । विनियमितीकरण हो जाने पर स्थायी रिक्तियों की उपलब्धता के आधार पर स्थायीकरण किया जायेगा ।

जनपद फैजाबाद के अयोध्या में विवादित ढांचे की सुरक्षा का प्रकरण

123–श्री अमरेश चन्द्र पाण्डेय–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद फैजाबाद में अयोध्या में कोई बाबरी नाम की मस्जिद है ? यदि हां, तो क्या उसकी सुरक्षा को दृष्टिकोण में रखते हुए नई सरकार ने राम मन्दिर बनाने की कोई योजना तैयार कर ली है ? यदि हां, तो वह योजना कौन सी है ?

श्री कल्याण सिंह–

कदाचित प्रश्नकर्ता का तात्पर्य अयोध्या स्थित विवादित ढांचे से है । सरकार द्वारा स्वयं राम मन्दिर बनाने की कोई योजना नहीं है ।

124–श्री अमरेश चन्द्र पाण्डेय–

[5वें सोमवार में अता० प्र० सं० 180 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

जनपद मऊ में कार्यरत कान्सटेबिलों को प्रोन्नति प्रदान किये जाने की कार्यवाही

125–श्री अमरेश चन्द्र पाण्डेय–

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जनपद मऊ में कितने ऐसे कान्सटेबिल हैं जो हेड कान्सटेबिल की परीक्षा उत्तीर्ण करके, ट्रेनिंग पूरी कर चुके हैं और अब तक उन्हें पदोन्नति नहीं दी गयी है ? क्या सरकार उक्त सभी कान्सटेबिलों को अन्यत्र जिलों में रिक्त हेड कान्सटेबिलों के पद पर प्रोन्नति देकर स्थानान्तरित करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह–

जनपद मऊ में नागरिक पुलिस का कोई ऐसा कान्सटेबिल नियुक्त नहीं है, जिसने हेड कान्सटेबिल नागरिक पुलिस की परीक्षा उत्तीर्ण करके ट्रेनिंग पूरी कर ली हो, किन्तु सशस्त्र पुलिस बल के ऐसे दो कान्सटेबिल हैं, जिन्होंने हेड कान्सटेबिल सशस्त्र पुलिस की परीक्षा उत्तीर्ण करके ट्रेनिंग पूरी कर ली है, और उन्हें शीघ्र प्रोन्नति प्रदान किये जाने की कार्यवाही विचाराधीन है ।

126–श्री अमरेश चन्द्र पाण्डेय–

[आश्वासन समिति के विचाराधीन होने के कारण निरस्त]

जनपद मऊ के कतिपय ग्राम सभाओं में प्रधानों के रिक्त पद हेतु चुनाव कराने का प्रकरण

127–श्री अमरेश चन्द्र पाण्डेय–

क्या पंचायती राज मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद मऊ में कितनी ग्राम सभायें, प्रधानों से रिक्त हैं ? क्या यह भी बतायेंगे कि उक्त ग्राम सभाओं में रिक्त स्थानों पर प्रधानों के चुनाव कब तक पूर्ण करा दिये जायेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कृष्ण स्वरूप वैश्य–

जनपद मऊ में 16 गांव सभाओं में ग्राम प्रधान के पद रिक्त हैं । ग्राम सभा प्रधानों के रिक्त स्थानों पर चुनाव कराने का प्रकरण अभी शासन के विचाराधीन है ।

128–श्री तेजभान सिंह–

[5वें सोमवार में अता० प्र० सं० 181 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

जनपद लखनऊ की न्यू ऐशबाग राजकीय कालोनी में अत्यावश्यक कार्यों का कराया जाना

129–श्री नेतराम सिंह–

क्या मुख्य मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि न्यू ऐशबाग राजकीय कालोनी, लखनऊ में अत्यावश्यक कार्य कराये जाने हेतु अधीक्षण अभियन्ता, 39वां वृत्त, लोक निर्माण विभाग का पत्र दिनांक 19 सितम्बर, 1991, राज्य सम्पत्ति अधिकारी, अधिशासी अभियन्ता, अनुरक्षण खण्ड–3 का पत्र दिनांक 24 सितम्बरे, 1991, उप सचिव, राज्य सम्पत्ति तथा श्री कुंवर मानवेन्द्र सिंह, सदस्य, विधान परिषद् का पत्र दिनांक 23 नवम्बर, 1991 वित्त मंत्री तथा लोक निर्माण राज्य मंत्री को प्राप्त हुए हैं ? यदि हां, तो उक्त पत्रों के प्रमुख बिन्दु क्या हैं तथा उन पर दिनांक 27 दिसम्बर, 1991 तक बिन्दुवार क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री कल्याण सिंह–

अधीक्षण अभियन्ता एवं अधिशासी अभियन्ता के पत्र क्रमशः दिनांक 19-9-91 व 24-9-91 तथा मा० लोक निर्माण राज्य मंत्री जी को सम्बोधित कुंवर मानवेन्द्र सिंह, सदस्य, विधान परिषद् का पत्र दिनांक 23 नवम्बर, 1991 राज्य सम्पत्ति विभाग में प्राप्त हुए हैं । कुंवर मानवेन्द्र सिंह के उपरोक्त पत्र में ऐशबाग राजकीय कालोनी, लखनऊ में कतिपय सुविधायें उपलब्ध कराने हेतु अधीक्षण अभियन्ता द्वारा प्रेषित पत्र के अनुसार आगणनों को स्वीकार करने की संस्तुति की गयी है । अधीक्षण अभियन्ता, 39 वां वृत्त, लोक निर्माण विभाग के उपर्युक्त पत्र में उक्त कालोनी के आवासों की छतों की मरम्मत करने, भूतलीय आवासों को कांटेदार तार से घेरने, दस जोनों में चैनलगेट लगाने, कमरों में आलमारियों का निर्माण करने तथा एक इण्डिया मार्क–2 हैण्ड पम्प लगाने हेतु पूर्व प्रेषित मूल कार्यों के लम्बित 7 आगणनों का उल्लेख करते हुए अंततः मुख्य रूप से छतों पर लाइम टेरेसिंग की मरम्मत करके सी० सी० फ्लोरिंग करने हेतु शासन को उपलब्ध कराये गये दो आगणन (जिनकी पुनरीक्षित लागत क्रमशः रु० 2.14 लाख व रु० 63,000 है) को स्वीकृत करने का अनुरोध किया गया था । उपरोक्त दोनों आगणनों का सम्यक परीक्षण करने पर वित्त विभाग के परामर्श से यह पाया गया कि चूंकि इन आवासों का निर्माण लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा अभी कुछ ही वर्ष पूर्व किया गया है, अतः इन छतों की मरम्मत का कार्य उन्हीं के द्वारा किया जाना चाहिये । तद्नुसार लखनऊ विकास प्राधिकरण से अनुरोध किया गया । लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा दी गयी सूचना के अनुसार प्राधिकरण ने दिनांक 27-12-91 के पूर्व छतों का निरीक्षण करा लिया है ।

उ० प्र० सचिवालय के कृषि सचिव शाखान्तर्गत पशुधन अनुभाग–1 में कार्यरत प्र० व० स० श्री हृदय नारायण तिवारी के स्थानान्तरण का प्रकरण

130–श्री अरविन्द प्रताप सिंह–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश सचिवालय की कृषि सचिव शाखान्तर्गत पशुधन अनुभाग–1 के प्रवर वर्ग सहायक श्री हृदय नारायण तिवारी कब से उक्त अनुभाग में तैनात हैं ? शासन की स्थानान्तरण नीति के आधार पर क्या इनकी तैनाती अवधि निर्धारित अवधि से अधिक है अथवा कम ? यदि अधिक हो गयी है, तो इनको अब तक स्थानान्तरित न किये जाने का क्या औचित्य है ? क्या इनकी तैनाती अवधि को देखते हुए इनका स्थानान्तरण तुरन्त अन्य अनुभाग अथवा विभाग में किया जायेगा ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह–

पशुधन अनुभाग–1 में श्री हृदय नारायण तिवारी, प्रवर वर्ग सहायक के पद पर दिनांक 28 फरवरी, 1987 के अपरान्ह से कार्यरत हैं ।

पशुधन अनुभाग–1 में तैनाती की अवधि निर्धारित अधिकतम अवधि (3 वर्ष) से अधिक है । किन्तु एक शाखा में निर्धारित अवधि (6 वर्ष) से कम है । कार्यहित में पशुधन अनुभाग–1 से शाखा के किसी अन्य अनुभाग में श्री तिवारी को स्थानान्तरित नहीं किया गया । सचिवालय प्रशासन विभाग के आदेश दिनांक 31-7-1991 द्वारा श्री तिवारी का स्थानान्तरण लोक निर्माण विभाग में किया गया था किन्तु कार्यहित में इन्हें अवमुक्त नहीं किया गया ।

जनपद उन्नाव में व्याप्त अराजकता के संबंध में प्रश्नकर्ता के पत्र पर जांच आदेश

131–श्री हृदय नारायण दीक्षित–

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि उन्नाव जिले में व्याप्त अराजकता के संबंध में प्रमुख सचिव, गृह को प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 18 सितम्बर, 91 पत्रांक–139/91 मिला है ? प्रमुख सचिव, गृह ने पत्र पर क्या आदेश किस तिथि को दिये ? जांच निष्कर्ष क्या हैं एवं क्या कार्यवाही की गयी है ? जनप्रतिनिधियों के गम्भीर प्रकृति के पत्रों पर त्वरित कार्यवाही के लिये क्या प्रयास किये जा रहे हैं ?

श्री कल्याण सिंह–

जी हां ।

प्रमुख सचिव, गृह ने दिनांक 19-9-91 को जांच के आदेश दिये थे ।

जांच से पत्र में उल्लिखित आरोप अप्रमाणित पाये गये ।

शीघ्र कार्यवाही की जाती है ।

जनपद उन्नाव में अराजकतत्वों की जांच तथा प्रश्नकर्ता को सुरक्षा व्यवस्था हेतु अंगरक्षक की मांग

132–श्री हृदय नारायण दीक्षित–

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रश्नकर्ता का उन्नाव जिले के कुछ अराजकतत्वों की जांच संबंधी पत्र दिनांक 26-6-91 उनके कार्यालय को किस तिथि को मिला ? क्या यह भी बतायेंगे कि मुख्य मंत्री सचिवालय से पत्र की प्राप्ति के कितने दिन बाद किस तिथि को पत्र प्रमुख सचिव, गृह को मिला ? उक्त पत्र पर प्रमुख गृह सचिव, उ० प्र० शासन की टिप्पणी के साथ किस तिथि को पत्र उन्नाव के एस० पी० को भेजा गया और वहां प्राप्त हुआ ? एस० पी० कार्यालय उन्नाव में प्रश्नकर्ता के उक्त पत्र पर क्या कार्यवाही हुई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह–

दिनांक 27-6-91 को प्राप्त हुआ । 2 माह 13 दिन बाद दिनांक 10-9-91 को प्राप्त हुआ ।

दिनांक 11-11-91 को एस० पी०, उन्नाव को भेजा गया और उसी तिथि को वहां प्राप्त हो गया ।

पत्र में माननीय विधायक जी द्वारा अपने विरोधियों से सुरक्षा व्यवस्था हेतु मांग की गयी थी । विधायक जी की सुरक्षा व्यवस्था हेतु अंगरक्षक उपलब्ध करा दिये गये हैं ।

जनपद उन्नाव के थाना असोहा के ग्राम पहासा के मृतक से संबंधित अभियुक्तों के विरुद्ध कृत कार्यवाही

133–श्री देवेन्द्र पाल सिंह–

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि दिनांक 24-4-90 को ग्राम कालू खेड़ा, थाना असोहा, जनपद उन्नाव में एक दलित की हत्या हुई थी, जिसमें भल्लर पासी आदि को उक्त हत्याकाण्ड में स्थानीय पुलिस से मिलकर ग्राम प्रधान ने मुल्जिम बना दिया है ? यदि हां, तो क्या मामले की जांच हुई और मृतक की विधवा ने भल्लर पासी को निर्दोष बताते हुए कोर्ट (न्यायालय) में हलफनामा दाखिल कर दिया है ? यदि हां, तो ऐसे जघन्य अपराध में निर्दोष को फंसाने पर पुलिस तथा ग्राम प्रधान के विरुद्ध अब तक क्या कार्यवाही हुई ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि उक्त भल्लर पासी ने पुलिस तथा ग्राम प्रधान के भय से घर छोड़ दिया है और उसने पुलिस द्वारा की गयी कुर्की में 3,55,507 रुपयों का नुकसान करने की जांच कराने के लिये 15 दिसम्बर, 1991 तक कितने प्रार्थना-पत्र जिला प्रशासन एवं उत्तर प्रदेश शासन को दिये हैं ? इस संबंध में शासन ने अब तक क्या कार्यवाही की है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह–

जी नहीं, बल्कि श्रीमती फूलमती पत्नी श्री गुरु प्रसाद पासी निवासिनी ग्राम पहासा, थाना असोहा, जनपद उन्नाव ने दिनांक 20-4-90 को थाना असोहा में लिखित सूचना दी कि वह अपने पति के साथ जीप से मायके जा रही थी । कालू खेड़ा के पास शीतल, भगौती पुत्रगण महाबीर, भल्लर पुत्र हन्नू, सुन्दर पुत्र भगौती ने जीप को रोककर उनके पति को लोहे के सरियों से मारा पीटा तथा हाथ पैर तोड़ डाले । इस तहरीर के आधार पर उपरोक्त अभियुक्तों के विरुद्ध मु० अ० सं० 54/90 धारा 308/325 भा० दं० वि० पंजीकृत किया गया । गुरु प्रसाद की मृत्यु हो जाने के कारण दिनांक 21-4-90 को मुकदमा धारा 304 भा० दं० वि० के अन्तर्गत तरमीम किया गया ।

यह सत्य नहीं है बल्कि मृतक की पत्नी की लिखित सूचना के आधार पर भल्लर पासी आदि को मुल्जिम बनाया गया ।

जी हां ।

विवेचनोपरान्त अभियुक्तों के विरुद्ध आरोप पत्र दिनांक 14-5-90 को न्यायालय प्रेषित किये गये । वादिनी फूलमती द्वारा शपथ पत्र दिनांक 10-8-90 को दिया गया । चूंकि मामला न्यायालय में विचाराधीन है । इसलिये किसी के विरुद्ध कार्यवाही करने का प्रश्न नहीं उठता है ।

जी नहीं, वह अब भी अपने निवास स्थान पर रह रहा है ।

जिला प्रशासन तथा उ० प्र० शासन को कोई पत्र नहीं मिला बल्कि इस संबंध में हरी श्याम तिवारी द्वारा दो पत्र पुलिस महानिदेशक को भल्लर पासी द्वारा एक पत्र आई० जी०, लखनऊ जोन को दिया गया है । अनुरोधानुसार जांच कार्य विशेष जांच प्रकोष्ठ, उ० प्र०, लखनऊ को दी जा रही है ।

जनपद मैनपुरी में नवीन थाना एवं रिपोर्टिंग पुलिस चौकी खोलने का निर्णय

134–श्री राम औतार शाक्य–

क्या सरकार को जानकारी है कि ग्राम विछांव, थाना भोगांव में नवीन थाना एवं ग्राम जागीर, थाना एलाम, जनपद मैनपुरी में रिपोर्टिंग पुलिस चौकी खोले जाने का कोई प्रस्ताव शासन के विचाराधीन है ? यदि हां, तो उसमें क्या कार्यवाही हुई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह–

जी हां ।

स्थापना के संबंध में कार्यवाही प्रचलित है । इस क्रम में कतिपय वांछित सूचनायें उ० प्र० पुलिस मुख्यालय से संकलित की जा रही हैं । उनके प्राप्त होने पर परीक्षणोपरान्त स्थापना के संबंध में शीघ्र ही निर्णय ले लिया जायेगा ।

जनपद जौनपुर के लोक निर्माण विभाग में कार्यरत अभियन्ताओं के विरुद्ध श्री राम केवल यादव द्वारा प्रेषित पत्रों की विवेचना

135–श्री पवन कुमार पाण्डेय––

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री राम केवल यादव पुत्र भगौतीदीन यादव, ग्राम पिपरौल, पोस्ट दुखई का पूरा, थाना सरपतहा, जौनपुर ने निर्माण खण्ड, लो० नि० वि०, जौनपुर के अभियन्ताओं के विरुद्ध भष्टाचार तथा सरकारी धन के गबन के सम्बन्ध में एफ० आई० आर० दर्ज करने हेतु दो अलग-अलग प्रार्थना-पत्र दिनांक 13–11–91 को थानाध्यक्ष, सरपतहा को दिये हैं ? यदि हां, तो क्या उक्त एफ० आई० आर० दर्ज हुई ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह––

जी हां ।

दोनों प्रार्थना-पत्र सम्बन्धित थाना लाइन बाजार को प्रेषित किये गये, जहां मु० अ० सं० 65/92 धारा 409/420/506 भा० दं० वि० पंजीकृत किया गया जो विवेचनाधीन है ।

जनपद मऊ के थाना मधुवन में फायर स्टेशन की स्थापना अप्रस्तावित

136–श्री अमरेश चन्द्र पाण्डेय––

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जनपद मऊ के थाना मधुवन अन्तर्गत 1 जनवरी, 91 से 31 दिसम्बर, 91 तक कुल कितने ग्रामों मे प्राकृतिक दृष्टिकोण से आग लगी ? कुल कितने रुपये का नुकसान हुआ ? थाना मधुवन के अन्तिम ग्राम चक्की मूसाडोही, जो कि देवरिया के सरहद पर है उससे मऊ जनपद मुख्यालय की दूरी क्या है ? क्या उक्त दूरी को देखते हुए सरकार मधुवन में कोई फायर स्टेशन की स्थापना करने पर विचार करेगी ? यदि हां, तो इसकी स्थापना कब तक हो जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह––

जनपद मऊ के थाना मधुवन अन्तर्गत दिनांक 1 जनवरी, 1991 से 31 दिसम्बर, 1991 तक कुल 6 ग्रामों में प्राकृतिक दृष्टिकोण से आग लगी जिसमें लगभग रु० 2,08,000 की क्षति हुई । थाना मधुवन के ग्राम चक्की मूसाडोही की जनपद मुख्यालय से दूरी लगभग 55 कि० मी० है । संप्रति प्रदेश के सीमित वित्तीय संसाधनों एवं प्रदेश की अन्य भागों की तुलनात्मक आवश्यकताओं को देखते हुए एवं अन्य प्रशासनिक कारणों से वर्तमान में मधुवन में फायर स्टेशन की स्थापना का कोई प्रस्ताव नहीं है ।

जनपद मऊ के थाना मधुवन के कतिपय ग्रामों में पड़ी डकैतियों का विवरण एवं सुरक्षा हेतु उक्त ग्रामों को बन्दूक का लाइसेंस प्रदान करने का प्रकरण

137–श्री अमरेश चन्द्र पाण्डेय––

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद मऊ के थाना मधुवन में जनवरी, सन् 89 से दिसम्बर, सन् 91 तक कुल कितनी और किस-किस ग्राम सभा में डकैतियां पड़ीं ? पुलिस द्वारा कितनी डकैतियों का तफ्तीश के बाद राज खोला गया तथा कितने लोगों की गिरफ्तारी हुई ? क्या यह सही है कि उन डकैतियों में स्थानीय पुलिस ने कुछ लोगों को गलत ढंग से पकड़ कर जेल में डाल दिया है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त दोषी पुलिस कर्मियों के विरुद्ध जांच कराकर उन्हें दण्डित करने पर

विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या सुरक्षा व्यवस्था हेतु उक्त ग्रामों में बन्दूक का लाइसेंस सरकार जारी करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह––

जनवरी, 89 से दिसम्बर, 91 तक की अवधि में जनपद मऊ के थाना मधुवन के अंतर्गत ग्राम अल्लीपुर, मुरारपुर, लौव्वा सोध, भयारी, कल्यानपुर, बहादुरपुर, वहरामपुर उसरी, हरनहा मीरपुर ग्राम सभाओं में कुल दस डकैतियां पड़ी ।

पुलिस ने आठ डकैतियों का तफ्तीश के बाद राज खोला तथा 30 व्यक्तियों की गिरफ्तारी की गई ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

ग्राम मुरारपुर एवं भयारी कल्यानपुर के अतिरिक्त सभी ग्रामों में शस्त्र लाइसेन्स हैं । ग्राम पुरारपुर के डकैती से प्रभावित श्री इन्दल यादव को शस्त्र लाइसेन्स प्रदान किये जाने का मामला विचाराधीन है । ग्राम मयारी कल्यानपुर के किसी व्यक्ति ने शस्त्र लाइसेन्स हेतु प्रार्थना-पत्र नहीं दिया है ।

जनपद बांदा के अन्तर्गत तहसील नरैनी में कार्यरत परगनाधिकारी श्री नरेश चन्द्र श्रीवास्तव की नियमानुकूल नियुक्ति

138–श्री राम प्रसाद सिंह–

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जनपद बांदा के अन्तर्गत तहसील नरैनी में कार्यरत परगना अधिकारी की नियुक्ति ट्रेनिंग के ही अंश के रूप में परिवीक्षा में की गयी है ? यदि हां, तो कितनी अवधि के लिये ? क्या यह सत्य है कि परिवीक्षा काल में ही वर्तमान में कार्यरत परगना अधिकारी, नरैनी को परगना का चार्ज दे दिया गया है एवं मुकदमों का निस्तारण करना उन्होंने प्रारम्भ कर दिया है ? यदि हां, तो क्या मुकदमों के निस्तारण के अधिकार दिये जाने का नोटिफिकेशन होता है ? यदि हां, तो किस स्तर से ? क्या वर्तमान में कार्यरत परगना अधिकारी, नरैनी को मुकदमों के निस्तारण का अधिकार दिया गया है ? यदि हां, तो किस स्तर से और कब ? क्या अधिकृत किये जाने के पूर्व के निर्णय भी वैधानिक हैं ? यदि हां, तो क्या परिवीक्षा समाप्ति के पूर्व उन्हें इन्चार्ज बनाकर एवं मुकदमें निस्तारण करवा कर इसमें अनियमितता की गयी है ? यदि हां, तो इसके लिये कौन दोषी है ? दोषी व्यक्ति के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह–

जनपद बांदा में नरैनी के परगनाधिकारी के पद पर 15-12-91 से श्री नरेश चन्द्र श्रीवास्तव, स्थानापन्न डिप्टी कलेक्टर तैनात हैं । राजस्व नियम संग्रह के प्रस्तर 312 के अनुसार प्रोन्नति द्वारा नियुक्त डिप्टी कलेक्टर को प्रथम नियुक्ति पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से सहायक कलेक्टर प्रथम श्रेणी के अधिकार प्राप्त होते हैं । अतः उक्त अधिकारी की परगना अधिकारी के पद पर नियुक्ति पूर्णतया नियमानुकूल है ।

जनपद बांदा के थाना-रैपुरा के ग्राम-बगरेही के श्री बाबूलाल की हत्या का प्रकरण

139–श्री राम प्रसाद सिंह–

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जनपद बांदा के थाना-रैपुरा अन्तर्गत ग्राम बगरेही में दिनांक 9-8-82 को श्री बाबूलाल की हत्या की गयी है जिसका अपराध संख्या 65/82 धारा-302/452 ता० हिं० है ? यदि हां, तो क्या हत्या अभियुक्त अन्तर्राज्यीय गैंग ददुवा दस्यु एवं उसके साथी हैं ? यदि हां, तो क्या अभियुक्त अभी भी फरार रहकर स्वच्छन्द जीवन बिता रहे हैं और मृतक बाबूलाल के परिवार व गवाहन को लगातार उनसे खतरा है ? यदि हां, तो क्या मृतक बाबूलाल के परिवार के सदस्यों की सुरक्षा व्यवस्था पुलिस एवं प्रशासन द्वारा की गयी ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह–

जी हां ।

जी नहीं ।

प्रश्नगत अभियोग में अभियुक्तगण परदेशी, देवी दयाल, शिवकुमार उर्फ ददुवा व दुनगुवा न्यायालय द्वारा बरी हो गये ।

जांच से पाया गया कि मृतक बाबूलाल का लड़का हरी शंकर दस्यु ददुवा का साथी व शरणदाता है । उनके परिवार वालों को कोई खतरा नहीं है । इसलिये विशेष सुरक्षा व्यवस्था करने की आवश्यकता नहीं प्रतीत होती । स्थानीय पुलिस द्वारा सुरक्षा की दृष्टि से ग्राम बगरेही में बराबर गश्त की जा रही है ।

जनपद सिद्धार्थनगर के थानों में नियुक्त थानाध्यक्षों के विरुद्ध जांच

140–श्री शिव लाल मित्तल–

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि नेपाल के सीमावर्ती जनपद सिद्धार्थनगर में कौन-कौन थानाध्यक्ष ऐसे नियुक्त हैं, जिनकी आयु 50 वर्ष से ऊपर है ? इनकी नियुक्ति हेतु संस्तुति किस अधिकारी द्वारा दी गयी ? उक्त जनपद में कौन-कौन थानाध्यक्ष ऐसे नियुक्त हैं जिनके विरुद्ध पूर्व में तैनाती के स्थानों पर गड़बड़ी करने के आरोप में जांच चल रही है ? उन्हें अब किन परिस्थितियों में पुनः उक्त जनपद में चार्ज दे दिया गया है ?

श्री कल्याण सिंह–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

141–श्री शिव लाल मित्तल–

[6 वें सोमवार में अता० प्र० सं० 179 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

जनपद लखनऊ की अलीगंज योजना सेक्टर सी- में मार्गो/सीवर एवं बिजली आदि व्यवस्था का प्रकरण

142–श्री राजेन्द्र प्रसाद सिंह–

क्या मुख्य मंत्री बतायेंगे कि सीतापुर रोड योजना सेक्टर-सी, अलीगंज, लखनऊ के मार्गो/सीवर लाइन/पानी एवं बिजली आदि की व्यवस्था हेतु वर्ष 87 से अब तक कौन-कौन सी योजनायें बनायी गयी हैं इन पर कितना-कितना धन खर्च किया गया ? क्या अनुसूचित जाति आदि के लिये बनायी गयी डबल स्टोरी के समस्त आवासों का कब्जा आवंटियों को वर्ष 84 से अब तक दिया गया और कौन-कौन से आवास आवंटित नहीं किये गये ? क्या सरकार विभागीय अधिकारियों की दूषित प्रणाली के कारण हो रहे डबल स्टोरी के अनाधिकृत कब्जों/पानी सप्लाई/सीवर लाइन विद्युत आदि पर हो रहे लाखों रुपये की हानि को जिम्मेदारी निर्धारित कर उनसे वसूल की जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री कल्याण सिंह–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

जनपद इलाहाबाद की तहसील चायल के मंझनपुर एवं सिराथू में युवा कल्याण द्वारा चलायी जा रही योजनाओं हेतु आर्थिक सहायता

143–श्री दिनेश चन्द्र सोनकर–

क्या युवा कल्याण मंत्री कृपया बतायेंगे कि इलाहाबाद जनपद की तहसील चायल, मंझनपुर एवं सिराथू में युवा कल्याण की कौन-कौन सी योजनायें चलायी जा रही हैं तथा प्रस्तावित हैं ? क्या तहसील चायल में युवक मंगल दलों एवं महिला युवक दलों का गठन ग्राम सभा स्तर एवं विकास खण्ड स्तर तक पूर्ण हो गया है ? क्या उक्त गठित दलों को शासन द्वारा घोषित अनुदान प्राप्त हो गया है ? यदि हां, तो कितना और कब ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री केदार सिंह फोनिया–

जनपद इलाहाबाद की तहसील चायल, मंझनपुर एवं सिराथू में युवा कल्याण की ग्रामीण खेलकूद, राष्ट्रीय कार्यक्रम-वृक्षारोपण, अल्पबचत व परिवार कल्याण कार्यक्रम चलाये जा रहे हैं । इसके अतिरिक्त, महिला मंगल दलों का गठन, पंजीकरण, खेलकूद व सांस्कृतिक कार्यक्रम चलाये जा रहे हैं । युवक मंगल दलों एवं महिला मंगल दलों का गठन ग्राम सभा स्तर पर होता है । तहसील चायल के विकास खण्डों में प्रत्येक ग्राम सभा स्तर पर युवक/महिला मंगल दलों का गठन अभी पूर्ण नहीं है । शासन द्वारा वर्ष (1991-92) के आय–व्ययक के जिला सेक्टर में युवक तथा महिला मंगल दलों के सुदृढ़ीकरण हेतु आर्थिक सहायता तथा महिला संगठकों को मानदेय के लिये धनराशि रु० 4.50 लाख आवंटित है । आर्थिक सहायता हेतु युवक /महिला मंगल दलों का चयन जिले में गठित कमेटी द्वारा किया जा रहा है । चयन के बाद 31 मार्च 1992 तक चयनित युवक/महिला मंगल दलों को आर्थिक सहायता रु० 1000/- प्रति दल की दर से उपलब्ध करा दी जायेगी ।

बरेली मंडल में कारसेवा से संबंधित कार सेवकों के विरुद्ध लगाये गये मुकदमों को वापस लेने की मांग

144–डा० दिनेश जौहरी–

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि गत वर्ष कार सेवा के दौरान बरेली मंडल से जिले वार कितने और कौन लोगों के विरुद्ध झूठे मुकदमें कायम किये गये और विभिन्न जेलों में बन्द रखा गया ? क्या सरकार यह भी बताने की कृपा करेगी कि बरेली मण्डल में क्या सभी कार सेवकों के विरुद्ध मुकदमें वापस ले लिये गये ? यदि नहीं, तो क्या सभी कार सेवकों पर से मुकदमें यथाशीघ्र वापस लेने की कृपा करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

बरेली सहित प्रदेश में आतंकवाद प्रभावित क्षेत्र के मा० विधायकों के अनुरोध पर अंगरक्षक व गनर की सुविधा

145–डा० दिनेश जौहरी–

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बरेली सहित प्रदेश के अन्य आतंकवाद से प्रभावित जिलों में जनप्रतिनिधियों और उनके परिवार की सुरक्षा के लिये उन्होंने क्या कोई योजना बनायी है ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह–

आतंकवाद से प्रभावित जिलों के जनप्रतिनिधियों एवं उनके परिवार की सुरक्षा-व्यवस्था जिला प्रशासन एवं अभिसूचना विभाग की आख्या के आधार पर शासन द्वारा उनके वास्तविक जीवन भय के आधार पर की जाती है । आतंकवाद प्रभावित क्षेत्र के मा० सांसदों व विधायकों को उनके अनुरोध पर अंगरक्षक व गनर की सुविधा उपलब्ध कराई जाती है ।

जनपद जालौन के मुख्यालय उरई में जिला परिषद् द्वारा निर्मित कराई गयी दुकानों में से अनु० जाति के व्यक्तियों को उपलब्ध कराये जाने की मांग

146–श्री श्रीराम (जालौन)–

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि जनपद जालौन के मुख्यालय उरई स्थित जिला परिषद् के कार्यालय परिसर में रोड के किनारे जिला परिषद् जालौन द्वारा दुकानों का निर्माण कराया गया है ? यदि हां, तो कितनी दुकानों का निर्माण कराया गया है ? निर्मित दुकानों में से प्रत्येक दुकान की लम्बाई चौड़ाई क्या है तथा प्रति दुकान निर्माण में कितना धन व्यय हुआ है ? क्या निर्मित दुकानों में अनुसूचित जाति के लोगों को दुकानें उपलब्ध कारायी गयी हैं? यदि हां, तो कितनी ? यदि नही, तो क्यों ?

श्री कृष्ण स्वरूप वैश्य–

जिला परिषद् जालौन स्थान उरई के कार्यालय परिसर में रोड के किनारे विभिन्न चरणों में कुल 54 दुकानों का निर्माण कराया गया है जिनकी लम्बाई चौड़ाई निम्नानुसार है :–

20 दुकानें	3.00x2.40 वर्गमीटर
2 दुकानें	3.50x2.40 ,,
2 दुकानें	3.00x2.40 ,,
1 दुकान	3.58x2.22 ,,
1 दुकान	3.58x2.44 ,,
1 दुकान	3.58x2.70 ,,
1 दुकान	3.58x2.80 ,,
1 दुकान	3.58x3.05 ,,
8 दुकानें	3.10x2.50 ,,
1 दुकान	$\frac{3.25+3.10}{2} \times \frac{1.55+2.40}{2}$
1 दुकान	$2.85 \times \frac{1.40+0.20}{2}$
1 दुकान	$\frac{3.65+2.25}{2} \times \frac{2.85+2.55}{2}$
1 दुकान	4.15x2.15 वर्गमीटर
1 दुकान	$\frac{3.05+2.55}{2} \times \frac{0.75+2.60}{2}$
4 दुकानें	3.17x2.40 वर्गमीटर
1 दुकान	3.20x2.45 ,,

1 दुकान	3.20x1.15	वर्गमीटर
1 दुकान	3.20x2.45	,,
1 दुकान	3.18x2.35	,,
1 दुकान	3.18x2.65	,,
1 दुकान	3.17x2.50	,,
1 दुकान	3.18x1.22	,,
1 दुकान	3.20x2.50	,,

दुकानों के निर्माण में कुल रु० 897282.70 व्यय हुआ है । औसतन प्रति दुकान की व्यय लागत रु० 16,616/- है । निर्मित दुकानों में से दुकानें अनुसूचित जाति के लोगों को भी उपलब्ध करायी जाती है । अभी तक 2 दुकानें उन्हें उपलब्ध करायी गयी हैं ।

जनपद फर्रुखाबाद के संकिसा में बौद्ध स्थल की देखरेख करने वाले चौकीदार का अप्रस्तावित स्थानान्तरण की मांग

147–श्री रामेश्वर दयाल बाल्मीकि–

क्या मुख्य मंत्री को जानकारी है कि जनपद फर्रुखाबाद बौद्ध स्थल संकिसा में कुछ लोगों द्वारा विवाद पैदा करने के लिये अलग-अलग कुछ पत्थरों की मूर्तियां रखी गयी हैं जबकि उक्त स्थल की देखरेख करने के लिये एक चौकीदार तैनात है ? क्या सरकार उक्त बौद्ध स्थल पर अवैध रूप से रखी गयी मूर्तियों को हटवाने व मूर्तियां रखने वाले दोषी व्यक्तियों के खिलाफ उचित कार्यवाही करने जा रही है ? क्या सरकार उक्त स्थल की देखरेख करने वाले चौकीदार का स्थानान्तरण किसी अन्यत्र जगहों पर करने जा रही है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह–

जी नहीं, विवाद पैदा करने के लिये कथित मूर्तियां नहीं रखी गयी हैं, अपितु उक्त बौद्ध स्तूप के निकट विसारी देवी का एक प्राचीन मन्दिर है तथा मंदिर के बाहर शंकर जी व हनुमान जी आदि देवताओं की मूर्तियां भी स्थापित हैं जो काफी प्राचीन हैं । उक्त स्थल की देखरेख के लिये नियुक्त चौकीदार के स्थानान्तरण का वर्तमान में कोई प्रस्ताव नहीं है ।

जनपद कानपुर के महर्षि बाल्मीकि विद्यालय, नवाबगंज द्वारा वैकल्पिक भूखण्ड की मांग

148–श्री रामेश्वर दयाल बाल्मीकि–

क्या मुख्य मंत्री को जानकारी है कि महर्षि बाल्मीकि विद्यालय, नबाबगंज, कानपुर द्वारा भूखण्ड के आवेदन पत्र पर कानपुर विकास प्राधिकरण ने 1984 में भूखण्ड आवंटित किया था जिस पर अनाधिकृत कब्जे हो जाने के कारण विद्यालय प्रबन्धक ने उसी क्षेत्र में दूसरा भूखण्ड जो खाली है दिये जाने का प्रार्थना पत्र दिया है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह–

जी हां ।

उक्त विद्यालय द्वारा जो वैकल्पिक भूखण्ड मांगा जा रहा है, वह व्यावसायिक भूखण्ड है । अतः प्रकरण निर्णयार्थ प्राधिकरण के बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत किया जाना प्रस्तावित है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद लखीमपुर खीरी के थाना-गोला गोकर्णनाथ के ग्राम-कंजा की अनुसूचित जाति की महिला का उत्पीड़न करने वाले अभियुक्तों को जेल भेजे जाने की मांग

149– श्री निरवेन्द्र कुमार---

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद खीरी लखीमपुर थाना गोला गोकर्णनाथ के ग्राम कंजा में दिनांक 15–11–91 को अनुसूचित जाति की महिला की बेरहमी से पिटाई गांव के संवर्णो ने की थी, जिसकी रिपोर्ट थाना गोला में पति श्रीपाल पुत्र भोला ने उसी दिन मुकदमा नं० 270/91 धारा 323+3 अनुसूचित जाति जनजाति उत्पीड़न अधिनियम के अन्तर्गत दर्ज कराई ? यदि हां, तो पुलिस ने कोई कार्यवाही की ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह---

उक्त घटना की तहरीरी सूचना दिनांक 15–11–91 को न देकर दिनांक 17–11–91 को उत्पीड़ित महिला के पति श्रीपाल पुत्र भोला द्वारा दी गई जिसकी रिपोर्ट थाना गोला से उसी दिन मुकदमा अपराध संख्या 270/91 धारा 323/504/506 भा० दं० वि० एवं 3 अनुसूचित जाति/जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम की उप धारा 10 व 11 पंजीकृत कर वादी की पत्नी की डाक्टरी कराई गई । डाक्टरी मुआयने में साधारण चोटें होना पाया गया । तहरीरी सूचना में नामजद अभियुक्त राम भरोसे, देवदत्त व महेश ने दिनांक 18–12–91 व अभियुक्त तेजराम ने दिनांक 2–1–92 को न्यायालय में आत्मसमर्पण किया । मामले में विवेचक द्वारा आरोप पत्र द्वारा चालान न्यायालय प्रेषित कर सभी अभियुक्तों को जेल भेजा गया ।

बरेली महानगर में बियावानी कोठी के निकट कस्बा हाफिज पुर में खसरा नं० 288 के पट्टे की भूमि की अवैध बिक्री एवं दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कृत कार्यवाही की जानकारी

150– श्री प्रमोद कुमार---

क्या सरकार को जानकारी है कि बरेली महानगर में वियावानी कोठी के निकट एक तालाब को पाटकर बहुत बड़ी जमीन को कुछ लोगों ने हथियाने की नियत से महापालिका, नजूल भूमि संरक्षण अधिकारी एवं बरेली विकास प्राधिकरण से अवैध रूप से सांठगांठ कर प्लाटिंग कर प्लाट्स बेच दिये जिसमें कुछ मकान बनकर तैयार हो गये हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार इस प्रकरण की पूरी जानकारी से सदन को अवगत कराने की कृपा करेगी एवं उक्त भूमि हथियाने में सहयोग देने वाले अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह---

बरेली महानगर में बियावानी कोठी के निकट कस्बा हाफिजपुर में एक तालाब खसरा संख्या 288 क्षेत्रफल 7-6-0 था राजस्व अभिलेखों के अनुसार जमींदारों के नाम श्रेणी 15 में दर्ज चला आ रहा था । यह तालाब नजूल सम्पत्ति नहीं है । खेवट में उक्त तालाब के लम्बरदार का नाम अवैधानिक तरीके से बदल दिया गया तथा 10 व्यक्तियों के नाम मौरुसी पट्टे तत्कालीन तहसीलदार बरेली द्वारा कर दिये गये । जिलाधिकारी को जानकारी प्राप्त होने पर इन अवैध आदेशों को निरस्त करने की कार्यवाही प्रारम्भ कर

दी है । मौरूसी पट्टेदारों द्वारा तालाब का अधिकांश भाग राधाकृष्ण सहकारी आवास समिति को विक्रय कर दी गई । उसके पश्चात् इसका तलपट मानचित्र बरेली विकास प्राधिकरण को प्रस्तुत किया गया जिसको कि अन्ततः 27–10–90 को निरस्त कर दिया गया । इसके विरुद्ध सम्बन्धित पक्ष अपील में भी गये किन्तु प्राधिकरण का आदेश बहाल रखा गया । वर्तमान में संदर्भित भूमि पर एक भवन का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है तथा एक भवन पर छत डाली जा चुकी है । खेवट में लम्बरदार का नाम बदलने तथा 10 व्यक्तियों के पक्ष में मौरुसी पट्टे करने की अनियमितता बरतने हेतु संबंधित तहसीलदार, कानूनगो, लेखपाल के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही की गई है ।

उपरोक्त परिपेक्ष्य में प्रश्न नहीं उठता ।

151– श्री हृदय नारायण दीक्षित—

[दिनांक 23–2–92 को अता० प्र० सं० 181 द्वारा उत्तरित]

मा० मंत्रियों के टेलीफोन, यात्रा भत्ता, जलपान तथा अतिथि पर हुए व्यय का विवरण

152–श्री राम लखन–

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जुलाई 1991 से दिसम्बर 1991, तक मंत्रियों के टेलीफोन, यात्रा भत्ता, जलपान तथा अतिथि व्यय पर कुल कितना खर्च आया ? मंत्रिमण्डल के सदस्यों का इन खर्चों का अलग-अलग व्यौरा क्या है ?

श्री कल्याण सिंह–

जुलाई, 91 से दिसम्बर, 91 तक माननीय मंत्रियों द्वारा टेलीफोन, यात्रा भत्ता. जलपान अतिथि व्यय आदि पर प्राप्त सत्यापित बिलों के आधार पर कुल रु० 1,06,10,212-05 का खर्च आया । मंत्रिमण्डल के सदस्यों का इन खर्चों का अलग-अलग व्यौरा परिशिष्ट "क" पर संलग्न † है ।

153–श्री राम लखन–

[विस्तीर्णता के आधार पर निरस्त]

जनपद बरेली के औद्योगिक क्षेत्र में अस्पताल निर्माण हेतु भूमि की उपलब्धता

154–डा० दिनेश जौहरी–

क्या सरकार को जानकारी है कि बरेली जनपद में परसाखेड़ा औद्योगिक पट्टी में एक अस्पताल व एक स्कूल की बहुत आवश्यकता महसूस की जा रही है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त क्षेत्र में यू० पी० एस० आई० डी० सी० के माध्यम से अस्पताल व स्कूल के लिये सस्ते दामों पर भूखण्ड उपलब्ध कराने की कृपा करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह–

बरेली जनपद के औद्योगिक क्षेत्र में स्कूल खोलने की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती । इस क्षेत्र में अस्पताल खोलने हेतु यू० पी० एस० आई० डी० सी० द्वारा 1000 वर्गमीटर तक का भूखण्ड औद्योगिक क्षेत्र की वर्तमान भूमि दर के 50% पर नियमानुसार आवंटन हेतु उपलब्ध है ।

जनपद फैजाबाद की तहसील-टाण्डा में बालू खनन हेतु राजस्व हित में संयुक्त निविदा का स्वीकार किया जाना

155–श्री लालजी वर्मा–

क्या उद्ययोग मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद फैजाबाद तहसील टाण्डा के बालू खनन नीलामी/निविदा दिनांक 28-10-91 को हुई थी ? यदि हां, तो क्या कुछ बालू घाटों पर अधिकतम बोली

---

† छापी नहीं गयी ।

बोलने वाले व्यक्तियों से अंतिम परिणाम घोषित करने के बाद 1/2 धनराशि जमा करा ली गयी थी ? यदि हां, तो क्या उन अधिकतम बोली बोलने वाले व्यक्तियों को पट्टा दिया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह–

जी हां ।

जी हां, कुल 24 क्षेत्रों में से 14 क्षेत्रों के लिये नीलामी की अधिकतम बोली देने वालों से आधी धनराशि जमा करा ली गयी थी ।

जी नहीं ।

क्योंकि नीलामी की अधिकतम बोली की तुलना में कुल 24 क्षेत्रों के लिये प्राप्त संयुक्त निविदा के आफर की धनराशि अधिक थी । अतः राजस्व हित में संयुक्त निविदा स्वीकार की गयी ।

जनपद जालौन में अनुसूचित जाति/पिछड़ी जाति के सब इन्सपेक्टरों को प्रत्येक थानों पर नियुक्त करने की मांग

156–श्री श्रीराम (जालौन)–

क्या गृह मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद जालौन में वर्ष 1989-90 तथा माह जून, 1991 तक विभिन्न थानों पर कुल कितने अनुसूचित जाति के थानाध्यक्ष तैनात रहे ? क्या गत वर्षो की अपेक्षा वर्तमान में अनुसूचित जाति के थानाध्यक्ष जनपद के थानों में कम तैनात किये गये हैं ? यदि हां, तो क्यों ? क्या जनपद के प्रत्येक थाने पर एक सब इन्सपेक्टर अनुसूचित जाति का तैनात है ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या अनुसूचित जाति के सीनियर सब इन्सपेक्टरों को गत वर्षो की भांति जनपद के विभिन्न थानों पर थानाध्यक्ष तथा अनुसूचित जाति या पिछड़ी जाति के सब इन्सपेक्टरों को प्रत्येक थानों पर नियुक्त किया जायेगा ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

जनपद आजमगढ़ में निर्धारित अवधि में अनु०.जाति जनजाति के उत्पीड़न संबंधी मामलों में कार्यवाही

157–श्री अंगद सिंह यादव–

क्या सरकार बतायेगी कि जनपद आजमगढ़ में विगत 6 माह के दरमियान अनुसूचित जाति/जनजाति उत्पीड़न के कितने मामले दर्ज किये गये ? उसमें से कितने मामलों पर कार्यवाही की गयी और कितनों पर नहीं ? यदि कार्यवाही की गयी, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह–

जनपद आजमगढ़ में विगत 6 माह में अनुसूचित जाति/जनजाति उत्पीड़न के 25 मुकदमें पंजीकृत हुए ।

सभी मामलों में कार्यवाही की गयी ।

19 अभियोगों में आरोप पत्र व एक में अन्तिम रिपोर्ट न्यायालय प्रेषित की गयी । 5 अभियोग विवेचनाधीन है ।

जनपद उन्नाव में हस्तक्षेपी अपराधों में वृद्धि तथा मवई क्षेत्र में पुलिस चौकी खोलने का विचार अप्रस्तावित

158–श्री हृदय नारायण दीक्षित–

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि माह अक्टूबर नवम्बर, दिसम्बर, 1991 में थाना मौरावां, जिला-उन्नाव में हस्तक्षेपी अपराधों की तादाद बहुत बढ़ गयी है ? यदि हां, तो क्या सरकार प्रश्नगत तिमाही में घटित हस्तक्षेपों अपराधों का तथा इसी तिमाही में घटित हस्तक्षेपों अपराधों का तथा इसी तिमाही का वर्ष 1990 में घटित अपराधों का तुलनात्मक विवरण सदन के पटल पर रखेगी ? क्या सरकार मौरावां थाने के अन्तर्जनपदीय सीमा रायबरेली से जुड़े मवई क्षेत्र में पुलिस चौकी स्थापित करने पर विचार कर रही है ? यदि हां, तो पुलिस चौकी कब तक स्थापित हो जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह–

प्रश्नगत तिमाही में घटित हस्तक्षेपी अपराधों का तथा इसी तिमाही का वर्ष 90 में घटित अपराधों का तुलनात्मक विवरण देखने से अपराध में कुछ वृद्धि परिलक्षित हुई है ।

विवरण

क्र०सं०	अपराध	भा० दं० वि०	वर्ष 1-10-91 से 31-12-91 तक	वर्ष 1-10-90 से 31-12-90 तक
1	2		3	4
1	डकैती		3	1
2	लूट		2	3
3	मुठभेड़		–	–
4	हत्या		3	1
5	बल्वा		9	–
6	304 भा० दं० वि०		–	–
7	307/308 भा० दं० वि०		3	1
8	नकबजनी		11	5
9	चोरी साधारण		18	6
10	चोरी तार		–	–
11	चोरी ट्रान्सफार्मर		–	–
12	चोरी पशु		1	–
13	चोरी साइकिल		2	3
14	चोरी ट्यूबवेल निजी		1	–
15	279/304 ए भा० दं० वि०		2	1
16	363/366 भा० दं० वि०		–	–
17	376/377		1	1
18	435/436		2	4
19	406/409/420		1	1
20	दहेज हत्या		1	–
21	279/337 भा० दं० वि०		–	–
22	506 ,, ,,		12	5
23	अन्य		23	14
	योग		95	46

अपराध अधिनियम

1	2	3	4
1	25 आर्म्स ऐक्ट	8	3
2	आबकारी अधिनियम	–	४
3	जुआ ,,	2	–
4	मोटर ,,	12	9
5	आवश्यक वस्तु अधिनियम	–	1
6	वन संरक्षण अधिनियम	5	2
7	अन्य	2	–
–	योग ..	29	19

वर्तमान में ऐसा प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है ।

जनपद हरदोई में भूमि संरक्षण विभाग द्वारा नहरों की गूलों के निर्माण में भ्रष्टाचार की जांच तथा दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही

159–श्री खालिद गौरी–

क्या क्षेत्रीय विकास मंत्री को जानकारी है कि भूमि संरक्षण विभाग, हरदोई द्वारा नहरों की गूलों के निर्माण में भ्रष्टाचार की अनेकों शिकायतों के कारण प्रशासक शारदा कमाण्ड ने सात लाख रुपये का भुगतान रोक दिया था ? यदि हां, तो उक्त शिकायतों की जांच किन अधिकारियों द्वारा की गयी तथा जांच का परिणाम क्या आया ?

श्री कृष्ण स्वरूप वैश्य–

जी नहीं । सात लाख रुपये का भुगतान रोकने हेतु कोई आदेश नहीं किये गये । प्रश्नगत भूमि संरक्षण इकाई शारदा नहर प्रणाली बिलग्राम हरदोई में गूल निर्माण के संबंध में प्राप्त शिकायतों पर उप कृषि निदेशक (भू० सं०) शारदा नहर प्रणाली से प्राप्त जांच आख्या पत्रांक 3668/एस० टी०/शिका०, दिनांक 16-2-92 के अनुसार कुलाबा नं० 8–ए, 13, 14 पर निर्मित कच्ची गूल एवं जल निकासी नाली में अनियमिततायें पायी गयी । अतः प्रकरण से संबंधित अवर अभियन्ता श्री के० एन० सिन्हा व संबंधित सहायक भूमि संरक्षण निरीक्षक श्री उमाशंकर उपाध्याय को निलम्बित कर दिया गया है । संबंधित ग्राम प्रधानों को निलम्बित करने के लिये जिलाधिकारी, हरदोई को पत्र दिनांक 16-2-92 द्वारा लिख दिया गया है और संबंधित भूमि संरक्षण अधिकारी को आरोप पत्र जारी करके अनुशासनिक कार्यवाही करने का निर्णय लिया गया है ।

160–श्री श्रीराम (जालौन)–

[दो विभागों से संबंधित होने के कारण निरस्त]

जनपद जालौन के थाना कुठौन्द सिरसाकलार तथा कदौरा में घटित घटनाओं का विवरण तथा सिरसाकलार से लाइसेन्स हेतु प्राप्त प्रार्थना पर विचार

161– श्री श्रीराम (जालौन)–

क्या गृह मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद-जालौन के थाना क्षेत्र कुठौन्द, सिरसाकलार तथा कदौरा बीहड़ एवं डाकूग्रस्त हैं ? यदि हां, तो उक्त थाना क्षेत्रों में वर्ष 1991 के माह जून से लेकर माह नवम्बर तक कितनी डकैतियां, लूट, अपहरण व हत्या की घटनायें घटित हुई तथा प्रत्येक थानावार उक्त घटनाओं

से संबंधित कितने-कितने अपराध पंजीकृत किये गये ? क्या यह सच है कि उक्त घटनायें समाज के कमजोर वर्ग व अनुसूचित जाति एवं पिछड़ी जाति के लोगों के यहां घटित हुई ? यदि हां, तो क्या उक्त थाना क्षेत्रों के बीहड़ व ग्रामीण अंचलों में निवास करने वाले लोगों की जान माल की सुरक्षा हेतु सरकार कोई उचित नीति निर्धारित करेगी ? यदि हां, तो क्या ? क्या उक्त क्षेत्रों के निवासियों को तथा घटना से पीड़ित लोगों को सुरक्षा हेतु शस्त्र लाइसेंस दिये जायेंगे ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह–

जी हां ।

घटित एवं पंजीकृत घटनायें निम्नवत् हैं :–

	कुठौद	सिस्साकलार	कदौरा
डकैती	1	2	0
लूट	0	1	i
अपहरण	4	0	0
हत्या	1	0	5
कुल	6	3	6

जी नहीं उक्त घटनायें समाज के सभी वर्गों के साथ घटित हुई हैं !

प्रभावित थाना क्षेत्रों में थाना पुलिस, पी० ए० सी० सशस्त्र गार्द के माध्यम से नजर रखी जा रही है ।

घटना से प्रभावित थाना सिरसा कलार में एक शस्त्र लाइसेंस हेतु प्रार्थना-पत्र प्राप्त हुआ है जिस पर विचार किया जा रहा है । शेष थाना क्षेत्रों से शस्त्र लाइसेंस हेतु कोई आवेदन पत्र नहीं प्राप्त हुआ है ।

जनपद लखनऊ के दारुलशफा में उत्तराखंड क्रांतिदल के कार्यालय हेतु कक्ष का आवंटन असम्भव

162–श्री हृदय नारायण दीक्षित–

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि उत्तरांचल राज्य के समर्थक पार्टी उत्तराखण्ड क्रांतिदल के अध्यक्ष श्री काशी सिंह ऐरी का पत्र, माह जुलाई/अगस्त, 1991 में उक्त दल को, लखनऊ दारुलशफा में कार्यालय आवंटित किये जाने विषयक मिला है ? यदि हां, तो चुनाव आयोग में पंजीकृत उक्त दल को राज्य मुख्यालय में कार्यालय आवंटित न करने का क्या औचित्य है ?

श्री कल्याण सिंह–

जी हां ।

आवासों की सीमित उपलब्धता के कारण उत्तराखण्ड क्रांतिदल के कार्यालय हेतु कोई कक्ष आवंटित किया जाना संभव नहीं हो सका ।

जनपद फतेहपुर के थाना सिमरैया के ग्राम ख्वाजगीपुर के श्री हनुमंत तथा बैजनाथ की मृत्योपरान्त शवों का दाह-संस्कार

163–श्री श्रीराम (जालौन)–

क्या गृह मंत्री कृपया बतायेंगे कि दिनांक 21-12-91 को ग्राम ख्वाजगीपुर, सिमरैया थाना थरियांव जनपद-फतेहपुर में श्री हनुमन्त पुत्र श्री बैजनाथ पुत्र श्री शीतल की हत्या की गयी थी ? यदि हां, तो

क्या श्री हनुमन्त पुत्र श्री बैजनाथ की घटनास्थल पर तथा श्री बैजनाथ पुत्र श्री शीतल की उपचार हेतु अस्पताल ले जाते वक्त मृत्यु हो गयी थी ? यदि हां, तो क्या उक्त घटना की प्राथमिकी भारतीय दण्ड संहिता की धारा 302 के अन्तर्गत दर्ज की गयी थी ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या घटना के आधे घण्टे बाद ही थानाध्यक्ष, क्षेत्राधिकारी एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मौके पर पहुंच गये थे और मृतकों के शव पोस्ट-मार्टम हेतु भिजवाकर पोस्ट मार्टम के बाद मृतकों के शव वादी को सुपुर्द न करके लावारिस मानकर फिकवाये तथा इसके बाद घटना की प्राथमिकी दर्ज की गयी थी ? यदि हां, तो क्या उक्त घटना में थाना-अध्यक्ष तथा पुलिस के उपरोक्त अधिकारियों की मिली भगत सुनियोजित ढंग से की गयी थी ? यदि हां, तो क्या इस घटना की जांच सी० आई० डी० विभाग द्वारा कराई जायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या निष्पक्ष जांच के लिये वर्तमान थाना अध्यक्ष, थरियांव का अविलम्ब स्थानान्तरण किया जायेगा ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्या वादी व उसके परिवार को अभी भी जान माल का खतरा है ? यदि हां, तो उनकी सुरक्षा की क्या व्यवस्था की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या घटना के नामजद मुल्जिमानों के असलहे जमा कराये गये हैं ? यदि हां, तो कब ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह–

जी नहीं । यह हत्या नहीं अपितु एक सदोष मानव वध की घटना थी । हनुमन्त एक अपराधी-प्रकृति का व्यक्ति था । वह अपने दो साथियों के साथ श्री विपिन बिहारी के छत पर अवैध तमंचा लेकर चढ़ा था और उनके साथ हुई मुठभेड़ में मारा गया । मृत हनुमन्त को देखने उसका पिता बैजनाथ घटनास्थल पर पहुंचा तो उत्तेजित ग्रामीणों ने उसे लाठी-डण्डों से पीटा । उसे पुलिस द्वारा अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उसकी मृत्यु हो गयी ।

सदोष मानव का वध होने के कारण धारा 302 भा० दं० वि० के बजाये धारा 147/148/149/304 भा० दं० वि० के अन्तर्गत थाना थरियांव पर अपराध संख्या 255 ए/91 पंजीकृत किया गया ।

सूचना प्राप्त होने पर पुलिस अधीक्षक, उपाधीक्षक एवं थानाध्यक्ष मौके पर पहुंचे । पोस्टमार्टम के बाद दोनों शव पुलिस को प्राप्त हुए । मृतकों के परिवार का कोई व्यक्ति शव प्राप्त करने के लिये नहीं आया । काफी प्रतीक्षा के उपरान्त पुलिस द्वारा धार्मिक रीति-रिवाज के अनुसार दाह-संस्कार किया गया, लावारिस मानकर शवों को फेंका नहीं गया ।

जी नहीं, बैजनाथ के पुत्र जगतपाल की सूचना पर पोस्टमार्टम से पूर्व ही प्राथमिकी दर्ज की गयी थी । यथाकथित जैसी कोई मिली-भगत नहीं रही ।

अभियोग में तत्परतापूर्वक गिरफ्तारी कर आरोप-पत्र न्यायालय में प्रस्तुत कर दिया गया है, जो विचाराधीन न्यायालय है । सी० आई० डी० जांच अथवा थानाध्यक्ष के स्थानान्तरण की आवश्यकता नहीं पायी गयी है ।

जानमाल के कथित खतरे की रिपोर्ट नहीं है । फिर भी, उनकी सुरक्षा हेतु सतर्क दृष्टि रखी जा रही है ।

अभी नहीं । लाइसेंस निरस्तीकरण की कार्यवाही की गयी है । शस्त्र जमा कराने की कार्यवाही यथासमय की जायेगी ।

164–श्री राम आसरे वर्मा–

[मा० उपाध्यक्ष होने के कारण हटाया गया]

जनपद मेरठ के थाना-मवाना के अन्तर्गत दर्ज दहेज संबंधी प्रकरण की अपराध शाखा से जांच

165–श्री समी उल्ला–

क्या गृह मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद मेरठ के थाना-मवाना में अपराध संख्या-320/91, दिनांक 21-9-91 के अन्तर्गत दहेज से संबंधित प्रकरण दर्ज कराया गया जिसमें भाजपा के जिला मंत्री डा० वेद प्रकाश कौशिक एवं उनके पुत्र, पत्नी आदि को अभियुक्त बनाया गया है ? यदि हां, तो अभियुक्तों की गिरफ्तारी न किये जाने के क्या कारण हैं ?

श्री कल्याण सिंह–

जी हां ।

उक्त अभियोग अप० संख्या-320/91 धारा 498 ए भा० दं० वि० व 3/4 दहेज अधिनियम की जांच अपराध शाखा से करायी जा रही है । अपराध शाखा की जांच प्रचलित होने के कारण अभियुक्तों की गिरफ्तारी नहीं की गयी ।

जनपद बाराबंकी के जिला युवा कल्याण एवं प्रान्तीय विकास दल अधिकारी द्वारा प्रबन्धक यूपिका हैण्डलूम हाउस को मफतलाल मिल के कपड़ों की आपूर्ति

166–श्री राम देव आचार्य–

क्या उद्योग मंत्री कृपया बतायेंगे कि जिला युवा कल्याण एवं प्रान्तीय विकास दल अधिकारी, बाराबंकी द्वारा प्रबन्धक, यूपिका हैण्डलूम हाउस, फैजाबाद के बिल नं०-745/88-89, दिनांक 22-2-89 द्वारा मफत लाल सूटिंग, टेरीकाट खाकी कपड़ा 877.15 मीटर अंकन रु० 51,313.25 का क्रय किया गया है ? यदि हां, तो क्या यूपिका को मफतलाल मिल के कपड़े विक्रय का अधिकार प्राप्त है ?

श्री कल्याण सिंह–

जी नहीं । उक्त बिल संख्या द्वारा प्रबन्धक, यूपिका हैण्डलूम हाउस, फैजाबाद ने युवा कल्याण एवं प्रान्तीय विकास दल अधिकारी, बाराबंकी को मेसर्स डीलक्स करघा औद्योगिक सहकारी समिति लि०, साउथ, इस्लामाबाद, मेरठ से लिये गये कपड़े की आपूर्ति की है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद सीतापुर के थाना-महोली के ग्राम-ब्रह्मावली निवासी एडवोकेट श्री बाबूराम बाजपेई की हत्या एवं कृत कार्यवाही

167–श्री हृदय नारायण दीक्षित–

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि सीतापुर समाजवादी जनता पार्टी के नेता व प्रतिष्ठित अधिवक्ता श्री सीताराम बाजपेई की हत्या माह जून, 1991 में की गयी थी ? यदि हां, तो हत्याकाण्ड के प्रमुख अभियुक्त विवेचना के बाद कौन-कौन पाये गये ? क्या यह सच है कि एक प्रमुख अभियुक्त राजू से पुलिस ने एक 32 बोर का रिवाल्वर व एक हीरो हांडा मोटर साइकिल बरामद की थी ? यदि हां, तो उक्त रिवाल्वर किसका था ? क्या यह सही है कि हत्याकाण्ड में उक्त रिवाल्वर के मालिक का भी हाथ था ? क्या सरकार बतायेगी कि रिवाल्वर के मालिक पर कोई मुकदमा अक्टूबर, 1991 में इसी प्रकरण का कायम हुआ ? यदि हां, तो उसकी धारायें क्या थीं ?

श्री कल्याण सिंह–

जी नहीं । सीताराम बाजपेई नाम के किसी व्यक्ति की हत्या का कोई मामला प्रकाश में नहीं आया अपितु दि० 10-7-91 को श्री राम खेलावन बाजपेई पुत्र बाबूराम बाजपेई की लिखित सूचना के आधार पर बाबूराम बाजपेई एडवोकेट नि० ब्रह्मावली थाना महोली जनपद सीतापुर के अपहरण के संबंध में मु० अ० सं० 276/91 पंजीकृत हुआ जो कि दिनांक 11-7-91को कपड़े व चश्मा का खोल व दिनांक 13-7-91 को वादी के कथनानुसार एक नर कंकाल प्राप्त होने एवं शिनाख्त के आधार पर उक्त अपराध में धारा 302/201 भा० दं० वि० की बढ़ोत्तरी कर विवेचना की गयी । बाबूराम बाजपेई हत्याकाण्ड के अभियोग की विवेचना में राजू उर्फ राजकुमार, मंगू, मुल्लू, भोलई तथा शिवकान्त दीक्षित प्रकाश में आये जिसमें अभियुक्त राजू उर्फ राजकुमार व भोलई को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया तथा अभियुक्त मंगू व मुल्लू के न्यायालय में आत्मसमर्पण के पश्चात् जेल भेजा गया । अभियुक्त शिवकान्त दीक्षित का नाम साक्ष्य के अभाव में प्रमाणित नहीं हो सका ।

जी नहीं । बाबूराम बाजपेई हत्याकाण्ड में राजू के पास से श्री कन्हैया लाल मिश्र की मोटर साइकिल के अतिरिक्त विपिन बिहारी एडवोकेट के रिवाल्वर का लाइसेंस तथा दो कारतूस बरामद हुए । साथ ही अभियुक्त राजू के साथी द्वारिका के पास से विपिन बिहारी बाजपेई का रिवाल्वर तथा चार कारतूस बरामद हुए ।

उक्त रिवाल्वर श्री विपिन बिहारी बाजपेई, एडवोकेट निवासी ब्रह्मावली, थाना महोली सीतापुर का था । विवेचना से ऐसा कोई साक्ष्य नहीं मिला जिससे यह सिद्ध हो सके कि उक्त हत्याकाण्ड में रिवाल्वर मालिक का हाथ था ।

रिवाल्वर मालिक विपिन बिहारी बाजपेई के विरुद्ध मु० अ० सं० 442/91 धारा 30 आर्म्स ऐक्ट दिनांक 11-10-91 को पंजीकृत हुआ था । इस अभियोग में आरोप पत्र न्यायालय प्रेषित कर दिया गया तथा विपिन बिहारी बाजपेई के रिवाल्वर के लाइसेंस के निलम्बन की कार्यवाही पूर्ण की जा चुकी है ।

क्षेत्रीय विकास के अपर निदेशक श्री केशव चन्द्र जोशी द्वारा वित्तीय अनियमितता तथा अधीनस्थ कर्मचारियों का उत्पीड़न करने के संबंध में भूतपूर्व नेता विरोधी दल श्री सत्यपाल सिंह यादव के पत्र पर कार्यवाही न किये जाने की शिकायत

168–श्री रवीन्द्र प्रताप–

क्या पंचायती राज मंत्री को जानकारी है कि भूतपूर्व नेता विरोधी दल, उत्तर प्रदेश, विधान सभा श्री सत्यपाल सिंह यादव ने श्री केशव चन्द्र जोशी, अपर निदेशक, क्षेत्रीय विकास विभाग द्वारा की जा रही वित्तीय अनियमितता तथा अधीनस्थ कर्मचारियों के उत्पीड़न की शिकायतों के संबंध में एक पत्र माह नवम्बर, 1990 में तत्कालीन क्षेत्रीय विकास मंत्री तथा सचिव को दिया था ? यदि हां, तो उक्त शिकायती पत्र पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कृष्ण स्वरूप वैश्य–

जी नहीं ।

कार्यवाही का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता ।

169–श्री तेजभान सिंह–

[6वें सोमवार में अता० प्र० सं० 180 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

जनपद सीतापुर के थाना-महोली के ब्रह्मावली निवासी श्री बाबूराम बाजपेई की हत्या की जांच में श्री विपिन बिहारी बाजपेई के विरुद्ध आरोपों का प्रमाणित न होना

170–श्री हृदय नारायण दीक्षित–

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि जिला-सीतापुर में जून, 1991 में प्रसिद्ध समाजवादी कार्यकर्ता व विद्वान अधिवक्ता श्री बाबूराम बाजपेई की हत्या कर दी गयी थी ? यदि हां, तो क्या विवेचना में कुछ पुलिस कर्मी भी संदिग्ध पाये गये थे ? यदि हां, तो क्या हत्याकाण्ड की जांच के संबंध में केन्द्रीय उप गृह मंत्री श्री राम लाल राही का पत्र मुख्य मंत्री को मिला है ? यदि हां, तो पत्र की जांच किसने की तथा जांच के निष्कर्ष क्या हैं ? क्या यह सत्य है कि कई प्रमुख अभियुक्तों में से एक श्री विपिन बिहारी पर पुलिस ने कोई कार्यवाही की है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह–

दिनांक 10-7-91 को श्री राम खेलावन बाजपेई पुत्र श्री बाबूराम बाजपेई की लिखित सूचना के आधार पर बाबूराम बाजपेई के अपहरण के संबंध में थाना महोली, सीतापुर पर मु० अ० सं० 276/91 पंजीकृत हुआ जोकि दिनांक 11-7-91 को कपड़े व चश्में का खोल व दिनांक 13-7-91 को वादी राम खेलावन के कथनानुसार एक नर कंकाल प्राप्त होने एवं शिनाख्त के आधार पर उक्त अपराध में धारा 302/201 भा० दं० वि० की बढ़ोत्तरी कर विवेचना की गयी । माननीय उप गृह मंत्री के पत्र में उल्लिखित हत्याकाण्ड की जांच क्षेत्राधिकारी सदर, सीतापुर द्वारा की गयी । जांच से 5 अभियुक्त प्रकाश में आये जिसमें से दो अभियुक्तों को बन्दी बनाकर जेल भेजा गया तथा दो अभियुक्तों ने न्यायालय में आत्मसमर्पण किया और जेल भेजे गये । एक अन्य अभियुक्त पर साक्ष्य के अभाव में अभियोग प्रमाणित नहीं हो सका । श्री विपिन बिहारी बाजपेई, एडवोकेट, निवासी ब्रह्मावली, थाना महोली, सीतापुर पर कोई अभियोग प्रमाणित नहीं हुआ अतः किसी पुलिस कार्यवाही का प्रश्न नहीं उठता ।

पापुलर हैण्डलूम इण्डस्ट्रीज नेशनल टेक्सटाइल्स एवं रहवर हैण्डलूम द्वारा तैयार कपड़ा उ० प्र० राज्य हथकरघा निगम को देने के संबंध में भुगतान का विवरण

171–श्री विजय पाल सिंह तोमर–

क्या उद्योग मंत्री को जानकारी है कि पापुलर हैण्डलूम इण्डस्ट्रीज नेशनल टेक्सटाइल्स एवं रहवर हैण्डलूम ने उ० प्र० राज्य हथकरघा निगम को कपड़ा तैयार करके दिया था ? गत करीब पांच वर्षों से बार-बार लिखा पढ़ी के बाद भी उनके बकायों का भुगतान निगम द्वारा नहीं किया गया है ? यदि हां, तो इस संबंध में क्या कार्यवाही की जा रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह–

जी हां ।

जी नहीं । पूरा भुगतान कर दिया गया है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद लखनऊ की जगत जननी सहकारी आवास समिति कानपुर रोड स्थित भूमि को विकास प्राधिकरण द्वारा अधिग्रहीत कर प्रतिकर का भुगतान

172–श्री बच्चा पाठक–

क्या आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जगत जननी सहकारी आवास समिति लखनऊ की कानपुर रोड पर स्थित खसरा नं०-459 की भूमि लखनऊ विकास प्राधिकरण लखनऊ द्वारा वर्ष 1986 में अधिग्रहीत कर ली गयी है ? यदि हां, तो क्या प्रतिकर का भुगतान बाजार भाव पर कर दिया गया है ? यदि नहीं, तो कब तक कर दिया जायेगा ?

श्री कल्याण सिंह–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद लखनऊ के विकास प्राधिकरण की कानपुर रोड योजना के सेक्टर बी के कामर्शियल काम्पलेक्स के सामने स्थित बिल्डिंग के अवशेषों को हटाने संबंधी प्रकरण

173–श्री बच्चा पाठक–

क्या आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ विकास प्राधिकरण, लखनऊ की कानपुर रोड योजना के सेक्टर---बी के कामर्शियल काम्पलेक्स के सामने स्थित पुरानी बिल्डिंग के अवशेषों/दुकानों को हटवाने के संबंध में श्री कृष्ण वीर सिंह सिरोही, श्री राम सिंह व श्री विशुन दयाल कौल, सदस्य, विधान सभा का पत्र माह दिसम्बर, 1991 में उपाध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह–

जी हां ।

यह मामला इस समय मा० उच्च न्यायालय के विचाराधीन है ।

174–श्री धनीराम वर्मा–

[6 वें सोमवार में अता० प्र० सं० 181 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

एवरेस्ट विजेता श्री एच० सी० रावत को देहरादून में उच्च आय वर्गीय फ्लैट निःशुल्क प्रदान करने का प्रकरण

175–श्री राम औतार शाक्य–

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि सन् 1965 अथवा उसके बाद कें एवरेस्ट पर्वत पर चढ़ने वाले पर्वतारोहियों को, जिन्होंने देश का गौरव बढ़ाया है, को अब तक उ० प्र० सरकार द्वारा क्या-क्या सुविधायें दी गयी हैं ? क्या श्री एच० सी० रावत 1965 के एवरेस्ट विजेता को कोई सुविधायें दी गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या यह सच है कि देहरादून में उच्च आय वर्गीय फ्लैट निःशुल्क प्रदान करने का उनका प्रकरण लम्बे अर्से से लम्बित हैं ? यदि हां, तो सरकार उस पर कब तक निर्णय ले लेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री केदार सिंह फोनिया–

वर्ष 1985 में मंत्रि-परिषद् द्वारा प्रदेश के मूल निवासी एवरेस्ट और नन्दा देवी पर्वत शिखरों पर विजय प्राप्त करने वाले 5 पर्वतारोहियों को 2.00 लाख रुपये की लागत का एक-एक भवन देने का निर्णय लिया गया था । एच० सी० रावत का नाम मूल प्रस्ताव में शामिल नहीं था । इसलिये उनके नाम पर विचार नहीं हुआ । श्री रावत का इस आशय का प्रार्थना-पत्र शासन के विचाराधीन है । इस पर यथा-संभव शीघ्र निर्णय लिया जायेगा ।

जनपद उन्नाव के विकास खण्ड-असोहा में लक्ष्य के विपरीत समस्त शौचलयों का निर्माण

176–श्री हृदय नारायण दीक्षित–

क्या पंचायती राज मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उन्नाव जिले के असोहा विकास खण्ड में शौचालय बनाये जाने का वर्ष 1989-90 व 90-91 का लक्ष्य क्या था ? निर्धारित समय में 89-90 व 90-91 में लक्ष्य के विपरीत कितने शौचालय निर्मित हो गये हैं ? क्या यह सच है कि न्याय पंचायत असावर में किसी ग्राम सभा में कोई शौचालय नहीं बना है, क्या सरकार बतायेगी कि उक्त के संबंध में जिलाधिकारी उन्नाव को सम्बोधित प्रश्नकर्ता के दो शिकायती-पत्र दिनांक 19-12-91 को जिलाधिकारी उन्नाव को मिले हैं ? यदि हां, तो जांच निष्कर्ष क्या है ?

श्री कृष्ण स्वरूप वैश्य–

जनपद उन्नाव के विकास खण्ड असोहा के अन्तर्गत वर्ष 1989-90 एवं 1990-91 में लक्ष्य के विपरीत समस्त शौचालय निर्मित हो चुके हैं, जिसका विवरण निम्नवत् है :–

वर्ष	लक्ष्य	पूर्ति
1989-90	33	33
1990-91	230	230

यह सच है कि उक्त अवधि में विकास खण्ड असोहा के न्याय पंचायत असावर में कोई शौचालय नहीं बना, क्योंकि न्याय पंचायत असावर के किसी ग्राम सभा में वर्ष 1989-90 एवं 1990-91 में कोई शौचालय स्वीकृत नहीं हुआ था । वर्ष 1991-92 में न्याय पंचायत असावर के ग्राम दऊं में 23 शौचालय स्वीकृत हुए हैं, जिनमें 11 पूर्ण हो गये हैं और 12 निर्माणाधीन हैं ।

जिलाधिकारी, उन्नाव को सम्बोधित प्रश्नकर्ता के दो शिकायती पत्र दिनांक 19-12-91 जिलाधिकारी, उन्नाव को प्राप्त हुए । शिकायती पत्रों की जांच में शिकायतें सही नहीं पायी गयी ।

177–श्री बच्चा पाठक–

[7वें गुरुवार में अता० प्र० सं० 183 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

थाना बरेली जंक्शन पर श्री अमर नाथ द्वारा दर्ज अपराध संख्या 395/91 के सम्बन्ध में मा० सांसद श्री सत्यपाल सिंह यादव के पत्र पर कृत कार्यवाही

178– श्री देवेन्द्र पाल सिंह––

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि थाना बरेली जंक्शन पर अपराध संख्या 395/91 धारा 379 भा० द० वि० के अन्तर्गत दिनांक 6/7 नवम्बर, 1991 की रात्रि में अमर नाथ नामक व्यक्ति ने 60–70 हजार रुपये की कीमत की चोरी की कोई रिपोर्ट दर्ज करायी ? यदि हां, तो थानाध्यक्ष द्वारा मुल्जिमों के नाम सुरेन्द्र व बब्बू बताये जाने के बावजूद अब तक मुल्जिमों को गिरफ्तार तथा माल बरामद न किये जाने का क्या कारण है ? इस सम्बन्ध में श्री सत्य पाल सिंह यादव, सांसद तथा शासन के पुलिस अनुभाग–10 के नवम्बर व दिसम्बर, 1991 में लिखे गये पत्रों पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह––

सूचना एकत्र की जा रही है ।

जनपद रायबरेली के विवेकानन्द एवं सुभाष सरकारी आवास समिति लि० के पट्टे सम्बन्धी प्रकरण

179– श्री तेजभान सिंह–––

क्या आवास मंत्री कृपया बतायेंगे कि उनको सम्बोधित श्री रामकरण सिंह, सचिव, आई० टी० आई० सहकारी आवास समिति लि०, रायबरेली का दिनांक 16–8–91 का पत्र जिसमें समिति के शाश्वत पट्टे वापस न करने की शिकायत की गयी है जिलाधिकारी, रायबरेली को, पत्रांक–वी० आई० पी० 1615/91 द्वारा दिनांक 21-8-91 को प्रेषित किया गया है ? यदि हां, तो क्या विवेकानन्द एवं सुभाष सहकारी आवास समिति लि०, रायबरेली के सदस्यों के 10 शाश्वत पट्टे दिसम्बर, 1986 मे पंजीकृत करके सदस्यों को वापस किये गये हैं ? यदि हां, तो उक्त पट्टों को अब तक न वापस करने के क्या कारण हैं ? क्या इस संबंध में जांच करके दोषी के विरुद्ध कार्यवाही करेंगे ?

श्री कल्याण सिंह––

जी हां ।

जी नहीं । कथित पट्टे संबंधित कार्यालय को प्राप्त नहीं हुए हैं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद लखनऊ के निशातगंज की पेपर मिल कालोनी अल्प मध्यम आय वर्ग की आवासीय समस्याओं के निदान हेतु केन्द्र सरकार से ऋण प्राप्त करके निर्माण कराया जाना तथा भवन विक्रय का विचाराधीन प्रस्ताव

180– श्री भगवती प्रसाद शुक्ल––

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि पेपर मिल कालोनी, निशातगंज, लखनऊ और ऐसी ही दूसरी कालोनियां जो 1962 से 1965 के बीच लोगों के रहने के लिये केन्द्रीय सरकार से ऋण व सहायता लेकर बनवाई गई थी ? यदि हां, तो केन्द्रीय सरकार ने यह ऋण किन शर्तों पर दिया था ? क्या पेपर मिल कालोनी, निशातगंज, लखनऊ के भवनों का निर्माण हायर परचेज पर दिये जाने के लिए किया गया था ? यदि हां, तो उन्हें किराये पर दिए जाने का निर्णय किस लिए लिया गया और उनके किराये किन आधारों पर तय किये गये ? क्या पेमर मिल कालोनी, निशातगंज, लखनऊ तथा शहर की अन्य कालोनियों के भवन सरकार बेचना चाहती है ? यदि हां, तो सरकार की भवन बेचने की नीति क्या है तथा इन भवनों को किन शर्तों पर बेचने का प्रस्ताव है ?

श्री कल्याण सिंह–

जी हां ।

केन्द्र सरकार द्वारा राज्य सरकार को ऋण दिया गया था । उसके पश्चात् राज्य सरकार ने नगर महापालिकाओं को अल्प एवं मध्यम आय वर्ग के आवासीय समस्याओं के निदान हेतु किराया क्रय पद्धति/ एक मुश्त विक्रय तथा किराये पर अध्यासन हेतु भवन उपलब्ध कराने हेतु ऋण दिया गया था ।

तत्समय की मांग व पूर्ण परिस्थितियों के परिप्रेक्ष्य में किराये पर उठाने का निर्णय लिया गया ।

इस संबंध में लखनऊ विकास प्राधिकरण ने शासन को प्रस्ताव भेजा है जो विचाराधीन है ।

जनपद लखनऊ के थाना मोहनलालगंज के ग्राम भसण्डा निवासी श्रीमती मंदाकिनी देवी की सुरक्षा व्यवस्था की मांग

181–श्री बनवारी लाल दोहरे–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्रीमती मंदाकिनी देवी पत्नी श्री रामकृष्ण तिवारी, निवासिनी ग्राम-भसण्डा, थाना-मोहनलालगंज, जनपद लखनऊ ने श्री रवि शंकर बाजपेई तथा श्री प्रभात शंकर बाजपेई उर्फ पप्पू आदि के विरुद्ध दिनांक 7-3-91 को एस० एस० पी०, लखनऊ के आदेश पर दिनांक 9-3-91 को थाना मोहनलालगंज में कोई प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करायी है और पुलिस ने अभियुक्तों के विरुद्ध मुकदमा सं० 63/91 कायम करके आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया है ? यदि हां, तो क्या यह सत्य है कि न्यायालय द्वारा इन अभियुक्तों के विरुद्ध बिना जमानती वारण्ट सामान की कुर्की आदि के आदेश निर्गत किये जाने के बावजूद भी उन्हें गिरफ्तार किये जाने में पुलिस द्वारा ढील बरती जा रही है ? यदि हां, तो क्या न्यायालय द्वारा इनके विरुद्ध दाखिल किये गये आरोप पत्र का संज्ञान लेने के बावजूद भी सरकार मामले में जांच करा रही है ? यदि हां, तो क्यों ? क्या इस प्रकरण में न्यायालय की अवमानना हुई है ? क्या मुख्य मंत्री को इस बात की जानकारी है कि अभियुक्तों के आतंक तथा डर से श्रीमती मंदाकिनी देवी तथा उनका परिवार लगभग एक वर्ष हुए गांव छोड़कर चले गये हैं ? यदि हां, तो सरकार उनकी सुरक्षा की क्या व्यवस्था कर रही है ?

श्री कल्याण सिंह–

जी हां, श्रीमती मंदाकिनी देवी के प्रार्थना-पत्र दिनांक 7-3-91 पर दिनांक 9-3-91 को मु० अ० सं० 63/91 धारा 395/397 पंजीकृत हुआ जो ग्राम भसण्डा, थाना मोहनलालगंज के रवि शंकर व प्रभात शंकर सहित सात व्यक्तियों के विरुद्ध था । उक्त अभियोग में विवेचना के दौरान धारा 147/148/149/325/323/504/506 भा० दं० वि० में तरमीम हुआ । दो अभियुक्तों ने आत्मसमर्पण किया और उनके विरुद्ध दिनांक 21-6-91 को चालान न्यायालय भेजा गया । तीन अभियुक्तों के विरुद्ध आरोप पत्र न्यायालय भेजा गया । दो अभियुक्तों को गिरफ्तार कर आरोप पत्र न्यायालय प्रेषित किया गया । न्यायालय के आदेश पर रविशंकर बाजपेई व प्रभात शंकर बाजपेई की चल सम्पत्ति कुर्क कर थाने पर जमा की गयी है । मामले में किसी अभियुक्त की गिरफ्तारी शेष नहीं है एवं न ही किसी अभियुक्त के विरुद्ध ढील दी गयी है ।

उक्त मामले में अपराध शाखा, अपराध अनुसंधान विभाग द्वारा पुलिस की निष्पक्षता के विषय में प्राप्त शिकायत की जांच की जा रही है जांच से न्यायालय की कोई अवमानना नहीं होती है ।

श्रीमती मन्दाकिनी देवी अपने गांव में सपरिवार रह रही हैं । उनके बच्चे लखनऊ में पढ़ते हैं और श्रीमती मन्दाकिनी देवी यदा-कदा उनसे मिलने लखनऊ आती रहती हैं ।

182–श्री शिवेन्द्र सिंह–

[मा० सदस्य द्वारा वापस लिया गया]

जनपद बांदा की नगरपालिका के अन्तर्गत बड़े डाक घर के सामने अवैधानिक निर्माण को ध्वस्त किये जाने के उपरान्त प्राधिकरण द्वारा मलवा हटाया जाना

183–श्री राम प्रसाद सिंह–

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जनपद बांदा के नगरपालिका बांदा अन्तर्गत मुहल्ला बंगालीपुरा के श्री रामेश्वर प्रसाद, अवकाश प्राप्त उप विद्यालय निरीक्षक ने दि० 12-11-91 को जिला अधिकारी को सम्बोधित एवं सचिव, विकास प्राधिकरण, बांदा को पृष्ठांकित पत्र भेजकर बड़े डाकघर के सामने की गली/आम रास्ता से अवरोध हटाने एवं उसे बनाने हेतु अनुरोध किया है ? यदि हां, तो उस

बारे में अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? क्या विकास प्राधिकरण द्वारा अतिक्रमण तोड़ने के बाद गिरा हुआ मलवा उठाया जायेगा ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह–

प्रश्नगत प्रकरण में मा० सदस्य विधान सभा श्री राम प्रसाद सिंह का पत्र दिनांक 12-11-91 प्राप्त हुआ है ।

बड़े डाकघर के सामने हुए अवैधानिक निर्माण को नियमानुसार ध्वस्त कर दिया गया है ।

प्राधिकरण द्वारा अतिक्रमण तोड़ने के बाद गिरा हुआ मलवा हटा दिया गया है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद टिहरी गढ़वाल की भरपुर (दशरथांचल) पेयजल योजना का निर्माण कराने की मांग

184–श्री मातवर सिंह कण्डारी–

क्या उत्तरांचल विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि भरपुर (दशरथांचल) पेयजल योजना, टिहरी गढ़वाल का निर्माण कब तक प्रारम्भ किया जायेगा ? खच्चरों द्वारा पानी का ढुलान पर इस क्षेत्र में कितना खर्चा एक माह में किया जाता है ? इस खर्चे को कैसे रोका जा सकता है ?

श्री पूरन चन्द्र शर्मा–

आवश्यक भूमि एवं सामग्री की व्यवस्था के उपरान्त योजना का निर्माण कराया जायेगा ।

तहसील देवप्रयाग की पट्टी भरपुर के ग्राम बमाणा, वनसाणा, कुर्न तथा चिलपड़ में खच्चरों द्वारा पानी के ढुलान पर दिनांक 23-6-91 से 15-8-91 तक कुल 5.45 लाख रु० व्यय हुए । उल्लिखित योजना के क्रियान्वयन के पश्चात इस खर्चे को रोकना सम्भव होगा ।

लवा-चाका पेयजल योजना, टिहरी गढ़वाल का पूर्ण होना

185–श्री मातवर सिंह कण्डारी–

क्या उत्तरांचल विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लवा-चाका पेयजल योजना टिहरी गढ़वाल कब तक बन पायेगी ? क्या यह नितान्त आवश्यक पेयजल योजना सरकार शीघ्र पूरी करवा देगी ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री पूरन चन्द्र शर्मा–

यह योजना पूर्व में ही मार्च, 1983 में पूर्ण हो गयी थी और जल संस्थान द्वारा इसका रखरखाव किया जा रहा है किन्तु वर्तमान जनसंख्या के लिये इसका स्रोत पर्याप्त न होने के कारण गढ़वाल जल संस्थान ने इस योजना का पुनर्गठन करने का प्रस्ताव किया है जिसके संबंध में विश्वबैंक (ग्रामीण) कार्यक्रम के अन्तर्गत कार्यवाही की जानी सम्भव हो सकेगी ।

पुलिस महानिरीक्षक द्वारा इलाहाबाद जोन 19 हेस्टिंगंज रोड बंगला, इलाहाबाद में अनाधिकृत निर्माण के विरुद्ध कार्यवाही

186–श्री जैदान सिंह यादव–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि पुलिस महानिरीक्षक, इलाहाबाद जोन ने 19. हेस्टिंगंज रोड बंगला, इलाहाबाद में एक कमरा तथा पश्चिम में एक बाथरूम बिना नक्शा स्वीकृति कराये तथा मकान मालिक के स्वीकृति के बिना बना लिये हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार इस अवैध निर्माण को हटवाने की कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री कल्याण सिंह -

जी हां ।

उक्त अनाधिकृत निर्माण के विरुद्ध उ० प्र० नगर योजना एवं विकास अधिनियम की धारा–27 एवं 28 के अन्तर्गत कार्यवाही प्रगति पर है ।

सेवा निवृत्ति हेड कान्सटेबिल श्री जगत बहादुर सिंह का पेंशन के संबंध में प्रार्थना-पत्र दिये जाने का प्रकरण

187–श्री विश्वनाथ–

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि श्री जगत बहादुर सिंह एच० सी० 12, अ 147/90, पेंशनर लखनऊ का शासनादेश द्वारा प्रदत्त परिवार कल्याण, प्रोन्नति वेतनमान व पेंशन आदि की सुविधायें प्राप्त न होने के संबंध में दिनांक 10 अक्टूबर, 91 को कोई शिकायती पत्र प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही हुई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह–

प्रश्न में उल्लिखित प्रश्नकर्ता का शिकायती पत्र दिनांक 10 अक्टूबर, 1991 वित्त मंत्री जी को प्राप्त नहीं हुआ है, किन्तु सेवानिवृत्त हेड कान्सटेबिल श्री जगत बहादुर सिंह द्वारा एक प्रार्थना-पत्र दिनांक 10 अक्टूबर, 1991 वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, लखनऊ के कार्यालय में प्रस्तुत किया गया है । चूंकि प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 10 अक्टूबर, 1991 प्राप्त नहीं हुआ है अतः कथित बिन्दुओं पर स्थिति स्पष्ट करने का प्रश्न नहीं उठता है ।

जनपद बांदा की तहसील कर्वी में सहायक शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) अभियोजन संबंधी पक्ष की पैरवी की जांच में आरोप सिद्ध न पाया जाना

188–श्री राम प्रसाद सिंह–

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जनपद बांदा के अन्तर्गत तहसील कर्वी में कार्यरत सहायक शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) द्वारा अभियोजन पक्ष की पैरवी में हस्तक्षेप करने व अपराधियों की सहायता के लिये जोर देने संबंधी शिकायती पत्र प्रश्नकर्ता द्वारा दिनांक 12-3-91 को मुख्य मंत्री को दिया गया है ? यदि हां, तो पत्र पर क्या कार्यवाही हुई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह–

जी हां ।

जांच करायी गयी । आरोप प्रमाणित नहीं हुए ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद महराजगंज के विकास खण्ड-निचलौल के ग्राम रामनगर के ग्राम प्रधान द्वारा पंचायत भवन को बनाये जाने के प्रकरण की जांच

189–श्री शिवेन्द्र सिंह–

क्या पंचायती राज मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम प्रधान, राम नगर, विकास खण्ड निचलौल, जनपद महराजगंज की देखरेख में गांव में पंचायत भवन एवं प्राइमरी पाठशाला भवन का निर्माण पूर्ण कराने का प्रमाण पत्र जारी किया गया है जबकि सम्पूर्ण धन व्यय करने के पश्चात् भी उक्त दोनों भवनों का स्थल पर कार्य मात्र 20 प्रतिशत भी नहीं हुआ है ? क्या पूरे मामले की जांच करवा कर प्रधान के विरुद्ध कार्यवाही सुनिश्चित करायेंगे ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या ग्रामीणों की

सुविधा का ध्यान रखते हुए उक्त भवनों का निर्माण भी पूर्ण करायेंगे ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कृष्ण स्वरूप वैश्य–

जी नहीं । निर्माण कार्य पूर्ण कराने का प्रमाण-पत्र जारी नहीं किया गया है । पंचायत भवन का निर्माण कार्य ग्राम प्रधान द्वारा कराया जा रहा है, जिसका निर्माण लगभग 30 प्रतिशत हुआ है । प्रारम्भिक पाठशाला भवन का निर्माण कार्य ग्रामीण अभियंत्रण सेवा विभाग, महराजगंज द्वारा कराया जा रहा है, जिसका निर्माण कार्य लगभग 60 प्रतिशत तक हुआ है । पंचायत भवन निर्धारित आकार से बड़े आकार का बनाये जाने के प्रकरण पर जांच की जा रही है और जांच पूर्ण हो जाने के पश्चात् संबंधित ग्राम प्रधान के विरुद्ध यथोचित कार्यवाही की जायेगी । पंचायत भवन का निर्माण यथाशीघ्र पूर्ण कराने का निर्देश संबंधित ग्राम प्रधान को दे दिया गया है तथा प्रारम्भिक पाठशाला भवन का निर्माण कार्य माह जून, 1992 तक पूर्ण करा लिया जायेगा ।

जनपद लखनऊ के मोहिबुल्लापुर के ग्राम पल्टन छावनी निवासी श्री राज दुलारे तिवारी के मकान के सामने वाले मार्ग पर खड़ंजा बिछाने की मांग

190–श्री राम लखन–

विधान सभा का प्रथम सत्र 1988 के छठवें सोम को उत्तरित अता० प्र० सं० 95 के उत्तर में यह सूचित किया गया था कि ग्राम पल्टन छावनी, मोहिबुल्लापुर, लखनऊ में राज दुलारे तिवारी के मकान के सामने (खुशीराम यादव एवं श्री तिवारी के मकान के बीच) वाले मार्ग पर खड़ंजा बिछा दिया गया है ? क्या यह सही है कि उक्त मार्ग पर अभी खड़ंजा नहीं बिछाया गया है ? यदि हां, तो खड़ंजा कब तक बिछा दिया जायेगा ? गलत सूचना देने वाले के विरुद्ध क्या कार्यवाही की जा रही है ?

श्री कृष्ण स्वरूप वैश्य–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

191–श्री राम औतार शाक्य–

[दिनांक 10-3-92 को अता० प्र० सं० 68 द्वारा उतरित]

बुन्देलखण्ड की ऊबड़खाबड़ पथरीली गहराई के जलस्तर हेतु हैवी रिंग बोर के लिये प्रस्तावित धनराशि बढ़ाने की मांग

192–श्री राम प्रसाद सिंह–

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि बुन्देलखण्ड की ऊबड़खाबड़ पथरीली गहराई के जलस्तर को देखते हुए हैवी रिंग बोर के लिये बढ़े हुए खर्च के अनुसार किसानों को प्रोत्साहित करने के लिये अनुदान राशि 60 हजार रुपया प्रति बोर दिया जाने का प्रस्ताव शासन में विचाराधीन है ? यदि हां, तो प्रस्तावित अनुदान की राशि कब तक बढ़ा दी जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

पुलिस निरीक्षक, मेरठ श्री परमेश्वर राय के लखनऊ में निर्माणाधीन भवन के संदर्भ में सतर्कता विभाग से जांच एवं दण्डित करने की मांग

193–श्री कृष्ण किंकर सिंह तथा श्री ओम प्रकाश (गोरखपुर)–

दशम् विधान सभा के प्रथम सत्र 1991 के प्रथम बुधवार के लिये निर्धारित अतारांकित प्रश्न संख्या 20 के उत्तर के संदर्भ में क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या प्रश्नगत भवन की वास्तविक लागत ज्ञात कर ली गयी है ? उक्त जांच रिपोर्ट शासन को कब तक मिल जाने की संभावना है ? क्या सरकार यह भी बताने की कृपा करेगी कि संबंधित पुलिस निरीक्षक को जांच की निष्पक्षता हेतु अब तक निलम्बित न किये जाने का क्या कारण है ? क्या सरकार उसे तत्काल निलम्बित करके जांच पूरी करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह–

भ्रष्टाचार निवारण संगठन लखनऊ द्वारा जांच प्रचलित है ।

पूर्व मुख्य मंत्री द्वारा आयोजित रैलियों पर हुए व्यय का विवरण

194–श्री श्याम देव राय चौधरी–

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि नवम्बर, 90 तक पूर्व मुख्य मंत्री द्वारा सम्बोधित किये गये साम्प्रदायिक सद्भावना रैलियों के आयोजन पर कुल कितना व्यय हुआ ?

श्री कल्याण सिंह–

जनपद मुरादाबाद व फैजाबाद को छोड़कर अन्य जनपदों के ज्येष्ठ पुलिस अधीक्षकों/पुलिस अधीक्षकों से प्राप्त सूचना के अनुसार पुलिस अनुदान से रु० 2080. 47344 पैसे का व्यय हुआ है ।

जनपद उन्नाव के मौरावां क्षेत्र के गनर प्राप्त व्यक्तियों के अपराधिक इतिहास को पटल पर रखने की मांग

195–श्री हृदय नारायण दीक्षित–

क्या गृह मंत्री कृपया बतायेंगे कि गनर/अंगरक्षक देने के कोई मानक नई सरकार ने बनाये हैं ? यदि हां, तो वे मानक क्या हैं ? क्या सरकार बतायेगी कि उक्त मानकों के अतिरिक्त उ० प्र० में कितने लोगों को गनर/अंगरक्षक दिये गये हैं ? क्या सरकार ने अपराधिक इतिहास वाले लोगों को भी गनर दिये हैं ? यदि नहीं, तो क्या सरकार प्रश्नकर्ता के क्षेत्र के थाना-मौरावां, जिला-उन्नाव में गनर की सुविधा प्राप्त व्यक्तियों का अपराधिक इतिहास सदन के पटल पर रखेगी ?

श्री कल्याण सिंह–

शासन की यह नीति है कि सामान्यतया व्यक्तियों को उनके वास्तविक जीवन भय, जीवन भय का कारण, परिवार में शस्त्र लाइसेंसों की स्थिति, क्रियाकलापों, आर्थिक स्थिति व अन्य विशेष परिस्थितियों के आधार पर जिला प्रशासन व अभिसूचना विभाग की रिपोर्ट प्राप्त करके अंगरक्षक/गनर देने पर विचार किया जाता है । मा० सांसदों व विधायकों को उनके अनुरोध पर तत्काल अंगरक्षक/गनर उपलब्ध कराने की व्यवस्था है तथा आख्या बाद में प्राप्त की जाती है । प्रदेश में आतंकवाद प्रभावित तराई क्षेत्र में मा० सांसदों व विधायकों को उनके अनुरोध पर अंगरक्षक/गनर दोनों प्रदान किये जाने की व्यवस्था की गयी है । जिला प्रशासन को यह अधिकार दिये गये हैं कि जिन मामलों में तात्कालिक जीवन भय हो ऐसे व्यक्तियों को अपने विवेक से आवश्यक सुरक्षा व्यवस्था प्रदान कर शासन के अनुमोदनार्थ संदर्भित

कर सकते हैं । मानकों के विपरीत किसी भी व्यक्ति को अंगरक्षक/गनर नहीं दिया गया है । वास्तविक जीवनभय तथा जिला प्रशासन व अभिसूचना की आख्या के आधार पर ऐसे कुछ व्यक्तियों को गनर/अंगरक्षक दिये गये हैं । थाना-मौरावां जनपद-उन्नाव के किसी भी अपराधिक इतिहास वाले किसी भी व्यक्ति को शासन स्तर पर गनर नहीं दिया गया है । अतः गनर की सुविधा प्राप्त व्यक्तियों का अपराधिक इतिहास सदन के पटल पर रखे जाने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता ।

जनपद वाराणसी के विकास प्राधिकरण द्वारा इक्वायर की गयी भूमि पर भू-स्वामी श्री जवाहर लाल जायसवाल के अवैध कब्जे की जांच

196–श्री ऊदल–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेगें कि आराजी नं० 326 रकबा–84 डि० गांव पाण्डेयपुर, दौलतपुर, प० शिवपुर, त० व जिला-वाराणसी, पाण्डेयपुर हाउसिंग स्कीम और सिनेटरी डेवलपमेंट व इम्प्रूवमेंट के लिये, वाराणसी विकास प्राधिकरण, वाराणसी द्वारा एक्वायर की गयी है ? यदि हां, तो क्या इस पर वाराणसी विकास प्राधिकरण वाराणसी ने कब्जा नहीं लिया और आराजी के चारों तरफ चहार दीवारी श्री राधेश्याम जायसवाल, जमीन के मालिक से मिलकर खिंचवा दिया है ? यदि हां, तो क्या इस संबंध में प्रश्नकर्ता ने दिनांक 1 नवम्बर, 1991 को अपर सचिव, श्री सिंह वाराणसी विकास प्राधिकरण, वाराणसी को पत्र दिया है ? यदि हां, तो इस पर क्या कार्यवाही की गयी ? क्या सरकार इसकी जांच कराकर उचित कार्यवाही करेगी ?

श्री कल्याण सिंह–

जी हां ।

वाराणसी विकास प्राधिकरण ने आराजी नं० 326 रकबा-84 डि० पर दिनांक 21-10-83 को कब्जा लिया था कब्जा लेने के उपरान्त भू-स्वामी द्वारा दायर रिट याचिका पर मा० उच्च न्यायालय द्वारा स्थगनादेश पारित होने के कारण इस भूखण्ड पर अग्रेतर कोई कार्यवाही न की जा सकी । स्थगनादेश का लाभ उठाते हुए भूधारक श्री जवाहर लाल जायसवाल ने एक तरफ चहारदीवारी का निर्माण कर लिया । भूखण्ड के शेष तीनों तरफ पहले से ही आबादी एवं चहारदीवारी से घिरा हुआ क्षेत्र था । इस भूखण्ड के मालिक श्री राधेश्याम जायसवाल नहीं हैं ।

जांच की जा रही है ।

उद्योग विभाग द्वारा ब्रिक कोयले का प्लान्ट बनाने हेतु लाइसेंस का न दिया जाना

197–श्री सुरेन्द्र सिंह–

क्या उद्योग मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1990-91 में ब्रिक कोयले का प्लांट बनाने के लिये वृहद रूप से कितने लाइसेंस दिये गये ? यदि हां, तो क्या लाइसेंस धारक निर्धारित कोयला लेकर पर्याप्त मात्रा में ब्रिक कोयला बना रहे हैं ? यदि नही, तो निर्धारित कोयले का प्रयोग कहां किया जा रहा है ? क्या इन अनियमितताओं को रोकने के लिये सरकार कोई उपाय कर रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह–

ब्रिक कोयले का प्लांट बनाने के लिये कोई लाइसेंस उद्योग विभाग द्वारा निर्गत नहीं किया जाता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद लखनऊ की विकास नगर कालोनी में मकान नं० 6/200 भवन के पास टर्निंग प्वाइंट पर अनाधिकृत निर्माण के संबंध में नियमानुसार कृत कार्यवाही

198–डा० दिनेश जौहरी–

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जनपद लखनऊ की विकास नगर कालोनी में सेक्टर-6 स्थित डिस्प्ले सेंटर पार्क के कार्नर के प्लाट संख्या 6/200 के पास एण्ड प्वाइंट (अंतिम छोर) पर सरकारी गली में किये गये निर्माण गिराने संबंधी सूचना श्री दिवाकर विक्रम सिंह, मा० सभापति, लोक लेखा समिति के पत्र संख्या 31 दिनांक 10-3-92 द्वारा सचिव, आवास, उ० प्र० शासन को दी गयी है ? यदि हां, तो क्या संबंधित जूनियर इंजीनियर, श्री प्रेम कुमार यादव व सहायक अभियन्ता श्री बसंत लाल द्वारा उक्त अवैध निर्माण को गिरा दिया गया है ? यदि हां, तो किस सक्षम अधिकारी के किस आदेश संख्या द्वारा ? यदि नहीं, तो क्या दोषी जनों के विरुद्ध कार्यवाही होगी ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह–

जी हां । विकास नगर योजना लखनऊ के सेक्टर-6 में साइट एवं सर्विस के भवन संख्या-6/199 के आवंटी ने 6/200 भवन के पास टर्निंग प्वाइंट पर सड़क की भूमि पर बाउन्ड्रीवाल बनाकर अवैध रूप से कब्जा कर लिया है । इस अवैध निर्माण के विरुद्ध सक्षम अधिकारी (अधिशासी अभियन्ता) द्वारा परिषद् अधिनियम 1965 की धारा–82 के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस दिया गया है । सुनवाई के उपरान्त सक्षम अधिकारी द्वारा अग्रिम कार्यवाही की जायेगी । प्रश्नगत अनाधिकृत निर्माण के संबंध में नियमानुसार कार्यवाही की जा रही है अतः श्री प्रेम कुमार यादव अवर अभियन्ता एवं श्री बसंत लाल सहायक अभियन्ता के विरुद्ध कार्यवाही किये जाने का प्रश्न नहीं उठता है ।

199–श्री तेजभान सिंह–

[पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त]

जनपद सिद्धार्थनगर के समस्त विकास खण्डों में लघु एवं सीमान्त कृषकों को निःशुल्क बोरिंग की सुविधा का सत्यापन

200–श्री श्याम नारायण–

क्या क्षेत्रीय विकास मंत्री यह भी बतायेंगे कि विकास खण्ड-बांसी मिसवल, खेसरहा, उसका, जोगिया, उदमपुर, बढ़नी, जिला सिद्धार्थनगर में वर्तमान वित्तीय वर्ष में किन-किन गांवों में किन-किन किसानों को निःशुल्क बोरिंग की सुविधा उपलब्ध करा दी है ? क्या सभी किसानों को शासन प्रदत्त उक्त सुविधायें प्रदान की गयी है ? यदि हां, तो उसका सत्यापन भी किसी सक्षम अधिकारी द्वारा किया गया है ? यदि हां, तो उनका ब्यौरा क्या है ?

श्री कल्याण सिंह–

संबंधित विकास खण्डों में दिनांक 22-2-1992 तक कुल 790 कृषकों को सुविधा प्रदान की गयी है । सूची मा० राज्य मंत्री के कक्ष में देखी जा सकती है ।

जी नहीं, केवल लघु एवं सीमान्त कृषकों को उपलब्ध कराई गयी है ।

जी हां ।

उपलब्ध सूची के अनुसार सभी का सत्यापन किया गया ।

भूगर्भ जल विभाग में अधिकारियों की सेवा नियमावली को शीघ्र पूर्ण करने की मांग

201–श्री यदुनाथ सिंह–

क्या क्षेत्रीय विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि भूगर्भ जल विभाग में अधिकारियों की सेवा नियमावली बनाने में इतने विलम्ब का कारण क्या है ? इसे यथाशीघ्र कब तक पूरा कर लिया जायेगा ?

श्री कृष्ण स्वरूप वैश्य–

भूगर्भ जल विभाग, उ० प्र० के अधिकारियों की सैवा नियमावली दिनांक 29-4-81 को निदेशक से प्राप्त हुई थी । इसके बाद विभाग का पुनर्गठन प्रस्तावित होने के कारण इस पर कार्यवाही रोक दी थी । अन्ततोगत्वा 16-9-91 को नियमावली का प्रारूप निदेशक से प्राप्त हुआ । इसका विधिक्षण नियमावली सेल द्वारा किया जा चुका है । अब इसे अनुमोदन हेतु लोक सेवा आयोग को भेजने की कार्यवाही की जा रही है । आयोग का अनुमोंदन मिलने के बाद उसे शीघ्र पूर्ण कर लिया जायेगा ।

भूगर्भ जल विभाग में श्रेणी–2 के जियोलाजी संवर्ग में पदोन्नति पर विचार

202–श्री यदुनाथ सिंह–

क्या क्षेत्रीय विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि भूगर्भ जल विभाग में श्रेणी–2 के जियोलाजी संवर्ग में अब तक कोई पदोन्नति की गयी है ? वर्तमान में इसमें पदोन्नति के कितने पद रिक्त हैं तथा इन पदों पर कौन-कौन से निचले संवर्ग के कार्मिक पदोन्नति के पात्र हैं ? इनकी पदोन्नति कब तक कर दी जायेगी ?

श्री कृष्ण स्वरूप वैश्य–

भूगर्भ जल विभाग में श्रेणी–2 के जियोलाजी संवर्ग में अब तक कोई प्रोन्नति नहीं की गयी है ।

पदोन्नति कोटा के अन्तर्गत कुल 8 पद रिक्त है ।

इन पदों पर श्रेणी–3 के तकनीकी जियोलाजी अर्हता के प्राविधिक सहायक प्रोन्नति के पात्र हैं ।

सेवा नियमावली के प्रख्यापित होने के बाद पदोन्नति पर विचार किया जायेगा ।

भूगर्भ जल विभाग के नव सृजित खण्डों में कार्य करने हेतु विभाग के श्रेणी-3 एवं श्रेणी–4 के कर्मचारियों की व्यवस्था

203–श्री हृदय नारायण दीक्षित–

क्या क्षेत्रीय विकास मंत्री को जानकारी है कि शासनादेश सं०-2903/54-3-91-1800(77)87, दिनांक 28-9-91 द्वारा भूगर्भ जल विभाग में तीन नये खण्डों का सृजन किया गया है ? यदि हां, तो क्या यह सही है कि उक्त नवसृजित खण्डों में श्रेणी-3 एवं 4 के पदों को स्वीकृत नहीं किया गया है ? यदि हां, तो उक्त खण्डों के सृजन का औचित्य क्या है ?

श्री कृष्ण स्वरूप वैश्य–

जी हां, भूगर्भ जल विभाग में तीन नये खण्डों का सृजन विभाग की तीन क्षेत्रीय इकाइयों को उच्चीकृत करते हुए किया गया है ।

यह सही है कि उक्त नवसृजित खण्डों में श्रेणी-3 एवं श्रेणी-4 के पदों को स्वीकृत नहीं किया गया है ।

शासन की मितव्ययिता नीति के अन्तर्गत शासनादेश संख्या-2905/54-3-91-1800(77)/87, दिनांक 28-9-91 द्वारा आगरा, इलाहाबाद, वाराणसी में पूर्व में कार्यरत विभाग की क्षेत्रीय इकाईयों से उच्चीकृत करते हुए खण्डीय कार्यालय की स्वीकृति प्रदान की गयी है । वित्तीय अधिभार कम से कम आये, इस दृष्टिकोण से फिलहाल यह व्यवस्था की गयी है कि विभाग के अन्य कार्यालयों में कार्यरत श्रेणी–3 एवं 4 के कर्मचारियों की पदस्थापना इन नये खण्डों में करने के उपरान्त शासकीय कार्यों को सम्पादित किया जावे । तद्नुसार इन नये खण्डों में सीमित संख्या में कार्मिकों की पदस्थापना की गयी है ।

जनपद बाराबंकी स्थित राम सनेहीघाट में समाजवादी जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं पर पुलिस द्वारा किये गये लाठीचार्ज के संबंध में नियम 311 के अन्तर्गत सूचना

(सदन के पुनः प्रारम्भ होने पर)

श्री अध्यक्ष–

जैसे कि मैंने पहले घोषणा की थी कि मैं पहले नियम 311 की सूचना लूंगा । उसके बाद 301 तथा फिर 300 की सूचना लूंगा ।

* श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

मान्यवर, यह जो नियम–311 के अन्तर्गत प्रश्न आपके सामने उपस्थित कर रहे हैं, श्रीमन्, शायद हमारे सामने ऐसी कोई घटना प्रदेश में नहीं हुई जिसमें भूतपूर्व मुख्य मंत्री, विधायक, एम० एल० सी० और लोक सभा के सदस्य इतनी संख्या में एक साथ पुलिस की बर्बरता का शिकार हुए । श्रीमन्, कल हमारी पार्टी के अध्यक्ष माननीय मुलायम सिंह यादव के साथ हम सब लोग अयोध्या जा रहे थे । श्रीमन् हम कोई गलत काम नहीं कर रहे थे । आज पूरे देश में अयोध्या में जो मंदिर तोड़े जा रहे हैं, जो इनका ऐतिहासिक महत्व समाप्त किया जा रहा है .....

(शोर)

श्री प्रमोद तिवारी–

अब आप स्वयं देख लें ।

श्री अध्यक्ष–

मैं जब विपक्ष के लोगों से शांति की अपेक्षा करता हूं तो आपसे भी यही अपेक्षा करूंगा । अब आप लोग कृपया शांति से सुनिये ।

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

श्रीमन्, जब हम मंदिर की रक्षा का नाम लेते हैं तो इन्हें इतनी चिढ़ क्यों हो जाती है इससे इनका पाप जाहिर होता है .....

(शोर)

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

और श्रीमन्, जब पापी का घड़ा भर जाता है तो उसे नष्ट होने में देर नहीं लगती है .....

(शोर)

मान्यवर, पाप जो है वह खुद ही सिर पर चढ़कर बोलता है आज इनकी वहीं हालत है .....

(शोर)

मान्यवर, हम लोग जब सत्ता में आये थे तो हम लोग कानून और संविधान की बात करते थे। कानून की रक्षा के लिये सत्ता चली गयी लेकिन आज भी प्रदेश की जनता श्री मुलायम सिंह यादव जी को याद करती है और वह पछताती है कि क्यों हमने इन्हें नहीं जिताया ? मान्यवर, आज आठ नौ महीने हो गये आपको सरकार में आये हुए आपने मंदिर बनाने का वायदा किया था और आज आप काम कर रहे हैं मंदिरों को तोड़ने का .....

(शोर)

श्रीमन्, अब विपक्ष के लोग शोर नहीं मचा रहे हैं। आज इनको सुनने का धैर्य नहीं रह गया है। मान्यवर, संकट मोचन मंदिर जो है उसका अपना एक पौराणिक और ऐतिहासिक महत्व है। हमें पूरी सूचना मिली है कि उसे ध्वस्त कर दिया गया है उसमें लगी हनुमान जी की सैकड़ों वर्ष पुरानी स्थापित की हुई मूर्ति को तोड़ दिया गया है, उस मूर्ति की टांग तोड़ दी गयी है ।

(शोर)

मान्यवर, हम पहले भी कह रहे थे कि अगर धर्म के ठेकेदार पार्टी में होंगे तो धर्म का स्वरूप नष्ट हो जायेगा। श्रीमन्, आज इन्होंने हिन्दू धर्म को इतना अपमानित किया है, इतना प्रताड़ित किया है कि इतिहास में आज तक किसी ने भी इसे इतना अपमानित नहीं किया होगा। श्रीमन् साक्षी गोपाल मन्दिर, संकट मोचन मंदिर जो तोड़ा गया है, उसको देखने जा रहे थे। हम सब लोग जन प्रतिनिधि हैं और प्रदेश की जनता के हित के लिए यहां बैठे है, जनता ने इनको सरकार चलाने की जिम्मेदारी जरूर दे दी है, लेकिन अगर सरकार निरंकुश हो जाय, सरकार तानाशाह हो जाय, तो विपक्ष का यह कर्तव्य होता है कि वह उसे रास्ते पर लाये, उस पर अंकुश लगाये। मान्यवर, अगर यह मतवाले हाथी की तरह चलेंगे, तो हम लोग इन पर अंकुश लगाने का काम अवश्य करेंगे। मान्यवर, हम लोग कोई तोड़फोड़ करने वाले नहीं हैं, कोई हिंसा फैलाने वाले नहीं हैं, कोई साम्प्रदायिकता फैलाने वाले नहीं हैं, हम शान्ति में विश्वास करते हैं, गांधी जी के रास्ते पर चलने वाले लोग हैं। हमको जो सूचना अयोध्या के बारे में मिली थी, उसको देखने के लिए जा रहे थे और उस सूचना को प्रदेश की जनता को बताना चाहते थे। हम लोग जब कल श्री मुलायम सिंह यादव जी के साथ जा रहे थे, तो हमको रास्ते में रोक लिया गया, लेकिन रास्ते में जितना स्वागत कल इस काफिले का किया गया उतना स्वागत पहले कभी नहीं हुआ।

(सत्ता पक्ष की ओर से अनेक सदस्यों के बीच में टोकाटाकी करने पर व्यवधान)

आप लोग घमण्ड मत करो, क्या पता 15 दिन की जिन्दगी बाकी हो और 15 दिन के बाद विपक्ष में जहां कम्युनिस्ट पार्टी के लोग बैठे हैं, वहां आप बैठें। तो मान्यवर, रामसनेहीघाट के पास हम लोगों को रोक लिया गया, हमारे काफिले में काफी बड़ी संख्या में लोग थे। हम लोगों ने कोई अशान्ति नहीं फैलाई, कोई पुलिस के साथ हाथापाई नहीं की। हम सभी लोग श्री मुलायम सिंह जी के साथ वहीं जमीन पर बैठ गये, जब पुलिस ने हमें आगे जाने से रोका। उसके बाद पुलिस ने निर्ममतापूर्वक हम लोगों के ऊपर लाठियों से प्रहार करना शुरू कर दिया, श्रीमन् इस तरह की घटना इतिहास में पहले कभी

नहीं हुई, जब इतने सारे विधायक, जिसमें सर्वश्री शिवकुमार बेरिया, राधेश्याम वर्मा, छोटे लाल यादव, अखिलेश इसके अलावा दो सांसद श्री छोटे सिंह व श्री राम सागर रावत, विधान परिषद में हमारे नेता श्री रमाशंकर कौशिक, विधान परिषद् के सदस्य श्री हीरा लाल यादव, पूर्व मंत्री श्री भगवती सिंह सहित अनेक लोगों को गम्भीर चोटें आई, इन लोगों को पुलिस ने लाठियों से मार-मार कर गिरा दिया । मैं चाहता हूं कि सदन की एक कमेटी बना दी जाय, तो आज भी जाकर वहां देख लें, सड़क पर खून के निशान मौजूद हैं ।

(सत्ता पक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा बीच में टोकाटाकी करने पर घोर व्यवधान)

श्रीमन जिन लोगों का वहां पर डाक्टरी मुआवना हुआ है, उनकी सूची मेरे पास है, सबका नाम लेने में तो काफी वक्त लगेगा, लेकिन यह 100 लोगों की सूची है, जिनका चिकित्सीय परीक्षण कराया गया ।

(श्री रवीन्द्र प्रताप, श्री किशोरी श्याम, श्री लालजी वर्मा, श्री राम कुमार शुक्ल, श्री श्याम देव राय चौधरी सहित कई माननीय सदस्य अपने-अपने स्थानों पर खड़े होकर कुछ बोलने का प्रयास करने लगे, जिससे सदन में घोर व्यवधान उत्पन्न हो गया)

श्री अध्यक्ष–

आप लोग अपना स्थान ग्रहण करें ।

(सत्ता पक्ष के कई माननीय सदस्यों के एक साथ खड़े रहने पर सदन में शोरगुल व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

मैं यह अपेक्षा करता हूं कि जो भी माननीय सदस्य अपने विचार व्यक्त कर रहे हैं, उनकी बात को धैर्यपूर्वक व शान्तिपूर्वक सुना जाय । यह आवश्यक नहीं है कि आप उनकी बात से सहमत ही हों । दूसरी बात यह बात है कि अगर इस सदन के अन्दर विचार-विमर्श नहीं होगा और एक दूसरे की बात को नहीं सुना जायेगा तो कैसे सदन की कार्यवाही सुचारु रूप से चलेगी ? मैं इस समय दाहिनी तरफ बैठे माननीय सदस्यों से आग्रह करूंगा कि वह कृपया शान्तिपूर्वक बात करें । अगर वह अपनी कोई बात कहना चाहेंगे तो उनको अवसर मिलेगा । माननीय मुख्य मंत्री जी हैं, माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी हैं, अगर वह किसी बात का खण्डन करना चाहते हों तो वह कर सकते हैं ।

* डा० दिनेश जौहरी–

मान्यवर, एक व्यवस्था का प्रश्न है । माननीय श्री वर्मा जी ने अभी एक सूची दिखाई, जिसमें उन्होंने कहा कि इतने लोगों को चोटें आई हैं । यदि श्री वर्मा जी को कोई चोट आई हो तो वह मुझे दिखा दें । मुझे तो कोई चोट उन्हें लगी नहीं दिखाई दे रही है ।

श्री अध्यक्ष–

यह कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है ।

---

* वक्ता ने भाषण का पुर्नवीक्षण नहीं किया ।

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

माननीय अध्यक्ष जी, जौहरी साहब का मैं बड़ा आभारी हूं जो उन्होंने मेरी चोट देखने की कोशिश की । परन्तु उनको जो चोट आई है, उसको वह अच्छी तरह से देख रहे हैं ।

श्री अध्यक्ष–

वह अपने पेशे की बात कर रहे थे ।

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

इस सरकार के द्वारा उन्हें चोट पहुंचायी गयी है । यह अच्छा हुआ, माननीय मुख्य मंत्री जी भी आ गये हैं । माननीय मुख्य मंत्री जी का कविता ज्ञान हम तब से सुन रहे हैं, जब वह विपक्ष में थे । गांव का किसान नारी का सम्मान आदि-आदि । कल आपने नारियों का जो सम्मान किया, उसे नारियां खूब याद रखेंगी । पुलिस ने बर्बतापूर्वक उनकी पिटाई की । इसकी फोटो भी हैं । इंग्लैण्ड की जो टीम आयी थी, उनके पास भी वीडियो फिल्म रिकार्डिग है । पी० ए० सी० के लोगों ने महिलाओं को मार-मार कर गिरा दिया । इतना बड़ा अपमान उत्तर प्रदेश में नारियों का शायद कभी हुआ हो । माननीय मुख्य मंत्री जी आपको [x x x] चाहिए । महिलायें चाहे जिस पार्टी की हों । .....

(सत्ता पक्ष के कई सदस्यों के एक साथ खड़े होने पर सदन में शोरगुल होने लगा । व्यवधान)

(व्यवधान के मध्य)

श्रीमती गुलाब देवी–

महिलाओं के सम्मान की बात आज ये लोग कर रहे हैं । जिस तरह से महिलाओं की इज्जत के साथ इन्होंने सदन के अन्दर खिलवाड़ किया, इनको शर्म आनी चाहिए ।

(व्यवधान)

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

क्या हमको बोलने नहीं देंगे । हर समाज हर समय हमारे देश में मीर जाफर और जयचन्द जैसे लोग पैदा होते रहे हैं (व्यवधान) महिलायें चाहे जिस जाति की हों, जिस वर्ग की हों उनको विशेष दर्जा मिलना चाहिए, हम उनको किसी पार्टी का नहीं मानते हैं । यह सरकार बड़ी खुश हुई होगी एक तो बदला तो उन्होंने ले लिया महिलाओं की उन्होंने अच्छी पिटाई कर दी (व्यवधान) लेकिन अगर इमानदारी से स्वीकार कर लें तो हम उनकी बहादुरी मान लेंगे (व्यवधान) यह एक अभूतपूर्व कार्यवाही हुई है । कल आपने वहां एक बदले की भावना से महिलाओं के साथ जो व्यवहार किया उसमें किसी को नहीं छोड़ा, श्रीमती निशा सिंह, विमला जी, मिथिलेश कुमारी जी आदि आज अस्पताल में भर्ती हैं, एक महीने में भी स्वस्थ नहीं होंगी उन्हें पुरुष पुलिस ने बर्बरता से मारा है (व्यवधान) यह खुश हो रहे हैं । खुश मत हो ।

श्री लाखीराम जोशी–

इन्होंने क्या किया ? (व्यवधान)

नोटः–[x x x] यह अंश मा० अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

सरकार में जो लोग रहते हैं उनमें धैर्य और संयम होना चाहिए, पहली बार सरकार में आये हैं घमण्ड से काम मत करो । 15 दिन से ज्यादा आपकी जिन्दगी नहीं रह गयी । 15 दिन बाद कोई पूछने वाला नहीं है । हम याद दिला रहे हैं इनके धर्म के ठेकेदार चाहे बजरंग दल वाले हों या विश्व हिन्दू परिषद् वाले हों सब भाजपा के साथ जुड़े हैं । वह कहते हैं अगर श्री मुलायम सिंह यादव अयोध्या आयेंगे तो मुंहतोड़ जबाब देंगे (व्यवधान) इनके नेता ने कहा आपको इसलिए रोका गया कि अगर वहां जाते तो मारे जाते । (व्यवधान) यह उन्माद फैला रहे हैं ।

श्री लाखीराम जोशी–

इनके एक दल के नौ दल हो गये हैं ।

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

पुलिस के जरिये बहादुर बनते हो, हिम्मत हो तो समाजवादी जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं को मैदान में उतार दो । इनके यह डण्डी मारने वाले लड़के हमारे किसान बहादुर लड़कों का मुकाबला नहीं कर सकते हैं (व्यवधान)

श्री राम कुमार शुक्ल–

मेरा व्यवस्था का प्रश्न है । मान्यवर, यह चाहते हैं कि सदन न चले (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

कृपया बैठ जायं । (व्यवधान)

श्री राम कुमार शुक्ल–

यह संसदीय परम्परा की बात करते हैं, यह किस विषय पर बोल रहे हैं ? (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

माननीय मयंकर सिंह जी आप क्या कहना चाहते हैं (व्यवधान) माननीय शुक्ला जी आप बैठ जायं ।

श्री राम कुमार शुक्ल–

[xxx]

श्री अध्यक्ष–

माननीय शुक्ला जी आप बैठ जायं (व्यवधान) आप बिना अनुमति के बोल रहे हैं, लिखा नहीं जायेगा ।

नोटः– [xxx] यह अंश मा० अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

मान्यवर, जिन लोगों में संयम नहीं होता है, जिन लोगों में तर्क का सही स्थान नहीं होता है उन लोगों से इससे ज्यादा उम्मीद भी नहीं कर सकते हैं । मान्यवर, कल की जो घटना घटी है जिसमें महिलाओं पर, निर्बलों पर, जन प्रतिनिधियों पर, लोक सभा के सदस्यों पर पुलिस के जरिये माननीय मुख्य मंत्री जी ने व उनकी सरकार ने बदले की भावना से जिस तरह से कल कार्यवाही की है वह ठीक नहीं है । इसे जनता न भूल सकती है न कभी माफ कर सकती है । आप लोग जिस तरह से सरकार में आये हैं लोगों की भावनाओं को भड़का कर उन्हीं की भावनाओं को आहत कर रहे हैं अयोध्या में मंदिर तुड़वाकर और हम लोगों पर लाठी चार्ज करवाकर । इसका पूरा खामियाजा आपकों भुगतना पड़ेगा । इस समय तो आप सरकार में हैं परन्तु अबकी बार आप विरोध पक्ष के सदस्य के रूप में दोबारा नहीं आ सकते । श्रीमन्, मेरा आपसे निवेदन है कि इस गम्भीर घटना पर सम्पूर्ण कार्यवाही रोक कर चर्चा कराने की कृपा करें ।

* श्री प्रमोद तिवारी–

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपका बहुत आभारी हूं कि आपने मुझे बोलने का अवसर दिया है । मान्यवर, लोकतंत्र मे सभी को लोकतांत्रिक ढंग से अपनी बात कहने का, सुनने का और सुनाने का अधिकार है । कल की घटना के बारे में माननीय सदन में कुछ माननीय सदस्यों ने कहा, जो अपनी आप बीती सुनाई तो मान्यवर, इस सदन की परम्परा रही है कि जब कोई माननीय सदस्य सदन में कुछ कहता है तो वह सही बातों से सदन को अवगत करा रहा होता है। श्री बेनी प्रसाद वर्मा जी ने जिस प्रकार से बताया कि कल इनके समाजवादी दल के कार्यकर्ताओं पर कल्याण सिंह की पुलिस ने बर्बरतापूर्वक और नृशंसतापूर्वक हमला किया है मान्यवर, वह कोई लोकतांत्रिक ढंग से चुनी हुई सरकार नहीं करती है । मान्यवर, माननीय मुख्य मंत्री जी बड़ा दम भरते हैं और जिस जोश-खरोश से कहते हैं कि अयोध्या में कोई मंदिर नहीं तोड़ा गया है और हमारी सरकार पारदर्शी सरकार है तो मना क्यों करते हैं क्यों रोकते हैं जब विभिन्न दलों के लोग अयोध्या में जाकर विवादित स्थल पर जहां मंदिर तोड़ दिये गये हैं, तब आपकी पारदर्शिता में आपकी राजनैतिकता में परदा क्यों पड़ जाता है ? इससे तो यही लगता है कि उन लोगों का वहां इसलिये नहीं पहुंचने देना चाहते जिससे कहीं आपकी पोल न खुल जाय और टूटे हुए मंदिर उनको न दिख जांय ।

(घोर व्यवधान)

(सत्ता पक्ष की तरफ से कई सदस्य एक साथ बोलने लगे)

मान्यवर, आप इन्ही को सुन लें मैं बैठ जाता हूं ।

श्री अध्यक्ष––

नहीं, नहीं आप अपमी बात कहें ।

श्री प्रमोद तिवारी–

मान्यवर, इस तरह से तो नहीं होगा । आप सदन व्यवस्थित करेगें तो बोलूंगा अन्यथा नहीं ।

(एक सदस्य के खड़े होने पर)

---

* वक्ता ने भाषण का पुनवीक्षण नहीं किया ।

श्री अध्यक्ष–

नहीं आप बैठ जायं । तिवारी जी आप अपनी बात कहें ।

श्री प्रमोद तिवारी–

मान्यवर, यह कोई छिपी हुई बात नहीं रह गई है । मुख्य मंत्री जी सदन में मौजूद हैं । अगर मै गलत कह रहा होऊंगा । अखबारों में खबर छपी है कि इन्होंने तो खुद ही आग्रह किया है कि केन्द्र सरकार से, केन्द्रीय गृह मंत्री से और प्रधान मंत्री से कि एक सर्व दलीय समिति और राष्ट्रीय एकता समिति की एक टीम अयोध्या भेज दी जाय । अगर मैं गलत कहता हूं तो मंत्री जी कहें । मेरी समझ में नहीं आता कि इनकी पार्टी में दो विचारधारा क्यों आ गई हैं ? एक तरफ यह ऐसा बोलते हैं और दूसरी तरफ इनके सर्वोच्च नेताओं का कहना है कि इससे प्रदेश के आंतरिक मामलों में दखल होगा ।

मान्यवर, यह विरोधाभास है । मान्यवर, मैं एक बात बड़े विश्वास से, बड़ी जिम्मेदारी के साथ इस सम्मानित सदन में शपथ लेकर कहूंगा कि हम कांग्रेस विधान मण्डल दल के 12 सदस्य वहां गये थे हमने अपनी आंखों से देखा है साक्षी गोपाल मंदिर, संकट मोचन हनुमान मंदिर तोड़ दिया गया हैं । आज अयोध्या में मंदिर तोड़े गये हैं । अगर मेरी बात गलत हो तो मैं मौखिक रूप से अपना त्यागपत्र दे रहा हूं अगर सरकार में नैतिकता हो तो यह भी अपना त्यागपत्र दे दें । आज सर्वदलीय समिति अयोध्या चली जाये, अगर मंदिर गिरे मिल जाये तो एक मिनट भी कल्याण सिंह को रहने का अधिकार नहीं है और अगर साक्षी मंदिर, संकट मोचन मंदिर नहीं गिरे होंगे तो मैं विधान सभा की सदस्यता से त्याग पत्र दे दूंगा और फिर कभी चुनाव नहीं लड़ूंगा ।

(व्यवधान)

आप एक सर्वदलीय समिति भेज दें, मैं पुनः दोहराना चाहता हूं जो नियमानुसार है लोकतन्त्र के अनुसार है कि आप एक सर्वदलीय समिति भेज दें, जिसमें इनके दल के भी लोग हों और हमारे दल के भी लोग हों मैं चाहूंगा कि इसमें आप भी चलें, तो बहुत अच्छा होगा, अगर मान्यवर, वहां पर कल्याण सिंह जी की सरकार ने चार-चार मंदिर न गिराये हों हुनमान जी की मूर्ति न टूटी हो तो मैं अपना त्याग पत्र दे दूंगा अन्यथा कल्याण सिंह जी अपना इस्तीफा दे दें ।

(व्यवधान)

[xxx] जिन्होंने मंदिरों को तोड़ा था मंदिरों की अस्मिता को तोड़ा था

(व्यवधान)

मान्यवर, ग्राह्यता के संदर्भ में कहना चाहता हूं कि भारत के संविधान के अनुच्छेद-49 में आप देखें "कोई राष्ट्रीय महत्व के संग्रहालय हो, राष्ट्रीय महत्व की वस्तुओं को तोड़ा जायेगा तो वह निश्चित रूप से नियमों के विपरीत होगा । इसी तरह से उपासना स्थल विधेयक है जो भारत के संविधान के अनुच्छेद-49 के अन्तर्गत पारित किया गया है और वह भारत का कानून बन गया है । मंदिर विवादित स्थल के अन्दर है तो उच्च न्यायालय के आदेशों की अवहेलना की गई है ।

(व्यवधान)

नोट :– [xxx] यह अंश मा० अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

जिसका अधिकार किसी को नहीं है । अयोध्या में विवादित राम जन्म भूमि और बाबरी मस्जिद के स्थल को छोड़कर उपासना स्थल विधेयक सम्पूर्ण अयोध्या में लागू होता है अगर यह विवादित स्थल में गये हैं तो इन्होंने उच्च न्यायालय के आदेशों की अवहेलना की है और इन्होंने प्राचीन मंदिरों को गिराया है तो यह उपासना स्थल विधेयक 1991 के दोषी हैं । उसकी सजा क्या है आप जानते हैं ? तीन वर्ष्ा की सश्रम कारावास की सजा है ।

(व्यवधान)

अगर कोई अपराधी यह कार्य करता है तो तीन वर्ष की सजा होगी अगर सरकार ने यह अपराध किया है तो वह भी तीन वर्ष की सजा की हकदार हो जाती है और वह अपराधी की श्रेणी में आती है अगर सरकार ने मंदिर तोड़े हैं तो अपना त्याग-पत्र देकर इन्हें जेल में चकिया पीसनी चाहिये, इसके अलावा इसका दूसरा कोई विकल्प नहीं है । मान्यवर, माननीय नेता समाजवादी दल ने एक निश्चित आरोप लगाया कि उनके दल पर लाठी चार्ज हुआ जब वह यह देखने जा रहे थे कि मंदिर टूटे हैं या नहीं । इसमें कोई ऐसी बात नहीं थी । अयोध्या में पासपोर्ट लागू नहीं होता है अयोध्या जाने में इस सरकार की इजाजत की जरूरत नहीं है । यह राजनीतिक मान्यता प्राप्त दल है इस सरकार को इसमें इस तरह से नहीं करना चाहिये था ।

(व्यवधान)

जब इनकी एकता यात्रा निकली थी तो मान्यवर, हमारी सरकार ने पूरी सुरक्षा दी थी, मान्यवर, जिस समय श्री मुलायम सिंह यादव अपने दल को लेकर अयोध्या जा रहे थे उस समय इस सरकार की नैतिक जिम्मेदारी थी कि समाजवादी दल को पूरी सुरक्षा देते और उन्हें अयोध्या ले जाते । विवादित स्थल का मुआयना करने देते, लेकिन आपने यह नहीं किया । आज स्थिति इतनी गिर गयी है कि कानून व्यवस्था आपके हाथ में नहीं रह गई है । श्री मुलायम सिंह यादव स्पष्ट घोषणा करके यह देखने जा रहे थे कि मंदिर टूटे हैं या नहीं मान्यवर, उनके ऊपर वहां जो बर्बर लाठी चार्ज हुआ है ?उसके लिये मैं सरकार की कटु निन्दा करता हूं । इस सरकार ने महान अलोकतांत्रिक कार्य किया है इसकी मैं कठोर शब्दों में निन्दा करता हूं और निवेदन करना चाहता हूं कि इस संबंध में न्यायिक जांच की घोषणा की जाय और इस मामले की न्यायिक जांच कराई जाय ।

श्री स्वामी नाथ यादव–

इस महत्वपूर्ण मामले पर मान्यवर, मुझे भी आप सुन लें ।

श्री अध्यक्ष–

आप बैठ जायं, मैं आपकी बात सुनूंगा, आपको अवसर मिलेगा ।

श्री कैलाश नाथ सिंह यादव–

माननीय अध्यक्ष महोदय, यह मसला बड़ा संवेदनशील है । मेरी यह मान्यता है कि बहुत ज्यादा संवेदनशील मसले में हम लोगों को भी अपने हृदय को विशाल करना चाहिये । सरकार किसी की हो, पुलिस प्रशासन को भी यह काम शोभा नहीं देता है, अगर किसी पार्टी का मुखिया केवल किसी विवादित स्थल को देखना चाहता है तो उसके कार्यकर्ताओं पर लाठी चार्ज किया जाना अत्यन्त अनुचित है । मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं, जिस बात की चर्चा की गयी, नेताओं ने कहा कि प्लाट नं० 2274 जो विवादित विषय है उसके संबंध में इस सरकार ने हलफनामा दे रखा है ।

हाईकोर्ट का एक डिसीजन हुआ है, सुप्रीमकोर्ट का भी स्टे है, उसमें सरकार ने हलफनामा दे रखा है कि वह कोई विवादित स्थल पर मंदिर या मस्जिद नहीं गिरायेगी और वहां कार्यकर्ताओं के शिविर या जो धार्मिक कृत्य हैं केवल उन्हीं को किया जायेगा । मैं चाहूंगा कि माननीय मुख्य मंत्री जी जब जवाब दें तो मैंने जिस हलफनामें का जिक्र किया है उसके बारे में जरूर कहें । यहां पर संकट मोचन मंदिर, सुमित्रा भवन, साक्षी विनायक की चर्चा की गयी, इन मंदिरों को धराशायी किया गया है । क्या यह कार्य न्याय की परिधि से हटकर नहीं है, क्या यह कार्य न्यायालय के आदेशों की अवमानना नहीं है । आपको जानकारी है कि उपासना स्थल विधेयक पारित हो चुका है । क्या आपने यह कार्य करके उसका उल्लंघन नहीं किया है ? आपने संविधान के तहत जो शपथ ग्रहण किया है, जो कसम ली है क्या उसको आपने तोड़ा नहीं है ? मान्यवर, कोई भी धर्म या कानून मंदिर या मस्जिद तोड़े जाने की इजाजत नहीं देता है । क्या आपने इसके लिये कोई नियमावली बनायी है । मैं पहले भी कह चुका हूं कि मैं मंदिरों का पुजारी नहीं रहा हूं लेकिन मंदिरों का रक्षक हूं और जो मूर्ति भंजन हुआ है उसका मैं मान्यवर हमेशा विरोध करता हूं ।

काशी विश्वनाथ मंदिर है, आपने सारी व्यवस्था की है आप उसके गेट पर चले जायं । वहां पर पहली लाइन लिखी है "आर्य धर्मोतराणाम-प्रवेशो निषिद्धः" आर्य धर्म से इतर धर्म मानने वाले व्यक्तियों का प्रवेश निषिद्ध है । क्या आपने वहां पर विसमिल्ला खां की शहनाई नहीं बजवाई है ? अगर मंदिर में यह काम हो सकता है तो आर्य धर्म से इतर लोगों के मंदिर में जाने पर रोक क्यों है ? मैं समझता हूं कि इसकी जितनी निन्दा की जाय या इसकी जितनी भर्त्सना की जाय वह कम होगी । मैं माननीय मुख्य मंत्री जी आपको धन्यवाद देना चाहता हूं, आपके शीर्ष नेतृत्व ने कहा कि अगर दिल्ली की सर्वदलीय समिति जायगी तो बड़ा भारी विवाद हो जायेगा । लेकिन मैं आपको बधाई देना चाहता हूं कि आपने कहा कि आप आयें, हमने कोई गलत काम नहीं किया है और हम दिखाना चाहते हैं ।

इसी बधाई के साथ मैं कहना चाहता हूं कि इस सदन की एक सर्वदलीय समिति बनायी जाय । मैं मान्यवर, आपके माध्यम से मांग कर रहा हूं कि आपके लोग उसमें ज्यादा हों । उधर के जो सनातम धर्म में विश्वास करने वाले लोग हैं उनको लेकर और हमारे सदस्यों को लेकर एक कमेटी बना दी जाय तो मैं पूर्ण बधाई दूंगा । मुलायम सिंह यादव जी भी उसमें हों और मैं अध्यक्ष जी से निवेदन करूंगा कि अध्यक्ष जी इसकी स्वयं अध्यक्षता करें । हम सब लोग वहां पर जायं और वहां पर देखें ताकि यह पता चल सके कि सरकार जो कह रही है वह बात सही है या नहीं, या सरकार ने गलत काम किया है । उस स्थल के दर्शन कर लेने मात्र से, वहां देखने जाने से कौन सी बात बिगड़ जाती है । मान्यवर, हमने आन्दोलन किया था, आपको याद होगा कि आन्दोलन में हमने कहा था–मस्जिद बचाओ, मंदिर बनाओ, यह अभियान हमने छेड़ा था और राम सनेहीघाट या कोई जगह सआदतगंज, जहां से हम लोगों को गिरफ्तार किया गया था । अब मुलायम सिंह यादव जी और उनकी पार्टी के लोग यदि अयोध्या जा रहे थे और उसकी पूर्व सूचना थी, अगर आप चाहते थे कि यह लोग जायं, देखें और देखने के बाद अपनी रिपोर्ट पेश करें तो रास्ते में आपको इस तरह का अन्याय नहीं करना चाहिये था । हिन्दू धर्म बड़ा विशाल है ।

हिन्दू धर्म जो है वह सबको अपने में समाहित कर लेता है इसको किसी छोटे दायरे में नापने की कोशिश न करें । श्रीराम का चरित्र क्या है, मैं कहना चाहूंगा उधर बैठे हुए लोगों से कि श्री राम के चित्र की पूजा करना छोड़ें अगर उन्हें पूजा करनी है तो श्री राम के चित्र के बजाय उनके चरित्र की पूजा करें । अगर आप ऐसा करेंगे तो विपक्ष के लोग आपको सहयोग देंगे । श्री राम कौन थे, आपने संकट मोचन मंदिर को ढहाया, राणा प्रताप की फौज में संथाल थे, श्री राम की फौज में वानर जाति के लोग

थे, आपने हनुमान मंदिर तोड़ा, क्या यह उचित काम है ? मुझे स्पष्ट जानकारी है कि हनुमान मंदिर को तोड़ने के बाद वहां की मूर्ति को लेटे-लेटे अवस्था में चौबुर्जी के पास रख दिया गया है । मैं यह भी चाहूंगा कि स्पष्ट करें कि क्या वह मूर्ति लिटा कर रखी गयी, क्या उसको तोड़ने के बाद लिटाकर ढक कर रख दिया गया है । आपने जो लोग राम भक्त हैं, उनकी भावनाओं पर प्रहार किया है । ऐसे संवेदनशील मसले में जब कुछ लोग लोकतांत्रिक ढंग से देखने गये तो उन पर आपने लाठियों से प्रहार किया । खासतौर से उन लोगों पर जो इस सदन के सदस्य हैं, प्रहार किये जाने से पूरा सदन मर्माहत है । हमने पहले भी कहा था कि सांसद श्री रशीद मसूद, श्रीमती विमला राकेश, श्री मोहम्मद हसन, श्री जगदीश राणा और मास्टर कुंवर पाल सिंह इत्यादि विधायकगणों पर हमला किया गया था । उनको मारा पीटा गया था । चार विधायक घायल हुए । फिर इस बार सांसद श्री छोटे सिंह यादव और श्री राम सागर रावत पर हमला किया गया ।

दर्जनों विधायकों व महिलाओं पर हमला किया गया । कई लोग घायल हुए । मुझे दुख है कि वहां पर महिला पुलिस तक नहीं थी । आपने महिला पुलिस रखी होती तो मैं कुछ नहीं कहता । यहां पर 3-4 महिला विधायक हैं, किन्तु बाहर दर्जन भर महिलाएं होती हैं, लेकिन वहां पर एक भी महिला पुलिस का न रखना इस बात का द्योतक है कि आपने पुरुषों को महिलाओं पर हाथ उठाने की इजाजत दी । वहां पुलिस के लोग थे, चोटें जरूर आयी होंगी । ये लोग झूठ नहीं बोल सकते । मेरे कार्यकर्ताओं ने बताया है, मुझे मालूम पड़ा है कि वहां विधायकों, सांसदों पर बहुत बड़ा अत्याचार किया गया है । मान्यवर, कोई उपासना स्थल है, आराधना स्थल है, पूजा स्थल है, इबादतगाह है, कोई मनुष्य वहां जाना चाहता है अपना धर्म निभाने के लिये, तो कोई रुकावट नहीं होनी चाहिये ।

मेरा मानना है कि आपने इस संवेदनशील मामले पर बड़ा बुरा काम किया है, गलत काम किया है । इसमें वस्तुस्थिति को सब लोग देख लें, इसलिये मैं कहता हूं कि आप इसमें एक कमेटी बना दें । आपकी अध्यक्षता में कमेटी सुबह चले और सब लोग उस कमेटी के माध्यम से देख लें, फिर जो फैसला होना चाहिये, हो जाय । मुझे आशंका है कि इन लोगों ने जांच के आयोग को बदल कर दूसरा बैठा दिया, शायद इतिहास में यह मामला होगा जब न्यायपालिका के ऊपर हाथ उठा है और हम लोगों को बोलना पड़ा है । न्यायापालिका सर्वोच्च है । न्यायपालिका में श्री जगमोहन लाल सिन्हा जैसे व्यक्ति रहे हैं । जिन्होंने प्रधान मंत्री तक के मामले में उपर्युक्त निर्णय दिया । चतुर्वेदी आयोग को बदलने का क्या कारण था । एक न्यायाधीश पर विश्वास होना ही चाहिये । आप स्वयं एक न्यायविद हैं । आप जो भी निर्णय देते हैं, हमें शिरोधार्य होता है । आपके माध्यम से हम संरक्षण की मांग करते हैं । मगर न्यायपालिका के एक न्यायाधीश के ऊपर इस तरह से बदल कर दूसरा आयोग बैठाने का काम दुराग्रहपूर्ण रहा है । आपने आयोग को बदल दिया और जो जांच के 10 बिन्दु थे, उनको भी बदल कर 4 कर दिया । उन बिन्दुओं को हटाने का क्या कारण हो सकता है ? आपके दिमाग में हो सकता है कि कोई कारण हो, लेकिन इससे यह आशंका बलवती हो रही है कि आखिर एक न्यायाधीश को बदलने का क्या कारण है ।

उस आयोग में एक अल्पसंख्यक न्यायाधीश भी था । उसको बदलने की क्या जरुरत थी ? उसको बदलने के बाद मैं समझता हूं कि अब भी कोई रिपोर्ट आने की गुंजाइश नहीं है । मेरे मित्र बता रहे हैं कि मित्तल साहब राजेन्द्र गुप्त जी के रिश्तेदार हैं, हो सकता है कि न हों, मुझे सही मालूम नहीं है । इसकी जांच करवा कर दिखवा लें । मैं खुद अपनी बात-बता रहा हूं कि मैं नहीं जानता हूं कि रिश्तेदार हैं कि नहीं, इसकी जांच करवा लें । यह अविलम्बनीय लोक महत्व का सवाल है । आपने हमको सुना ।

मैं बल दे रहा हूं कि एक सर्वदलीय समिति बनाकर आप अध्यक्षता करें और हम लोग वहां चलें । तभी दूध का दूध और पानी का पानी हो सकेगा और हमको आगे कहने का अवसर मिलेगा कि हमने जो कहा सही था और आपकी बात गलत थी ।

वित्त, संस्थागत वित्त, संसदीय कार्य एवं नियोजन मंत्री (श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त)–

मान्यवर, अभी माननीय यादव जी, जो यहां के वरिष्ठ सदस्य हैं, श्री मित्तल से इन्होंने हमारी रिस्तेदारी बताई, यह मान्यवर, बहुत गंदी विचार-धारा का परिचायक है । मान्यवर, जब कहीं हम न्यायाधीश की नियुक्ति करते हैं, उच्च न्यायालय से न्यायाधीश का नाम मांगते हैं । हमने अवकाश प्राप्त जजों में से चयन नहीं किया था हमने उच्च न्यायालय से न्यायाधीश का नाम मांगा था । हम तो बसुधैव कुटुम्बकम् को मानते हैं, सभी लोग हमारे रिश्तेदार हैं ।

(घोर व्यवधान)

श्री कैलाश नाथ सिंह यादव–

मान्यवर, यह स्पष्ट करें कि रिश्तेदार नहीं हैं । मेरा तो आरोप ही यह नहीं है । मैंने तो आपको आरोपित ही नहीं किया । अगर रिश्तेदार नहीं हैं, तो कह दें कि रिश्तदार नहीं हैं ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, मैंने कहा कि हर आदमी हमारा रिश्तेदार है । जहां तक मेरी याददास्त है, मेरा उनका दर्शन भी नहीं हुआ है । मैं यह भी नहीं जानता कि उनका जन्म-स्थान कहां है । हमने अवकाश प्राप्त न्यायाधीश से चयन नहीं किया था ।

(व्यवधान)

श्री नरेश अग्रवाल–

हम इनकी सत्यता इस बारे में मान सकते हैं कि ओम प्रकाश गुप्ता, जो इनके रिश्तेदार हैं, उनके ऊपर ये अत्याचार करवा रहे हैं ।

(व्यवधान)

राज्य मंत्री, नगर विकास (सुरेश कुमार खन्ना)–

मान्यवर, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है ।

श्री अध्यक्ष–

मा० राज्य मंत्री, साधारणतया मा० मंत्रीगण व्यवस्था का प्रश्न नहीं उठाते हैं ।

श्री सुरेश कुमार खन्ना–

मान्यवर, मैं इस सम्मानित सदन का सदस्य भी हूं । मैं एक बात की जानकारी चाहता हूं, जानकारी यह चाहता हूं कि यह बता दिया जाय कि नियम 311 और नियम 56 में इस समय चर्चा हो रही है या ग्राह्यता पर बोलने के लिये आपने पुकारा है ?

श्री अध्यक्ष–

चर्चा नहीं हो रही है, केवल ग्राहयता पर ही बोल रहे हैं ।

श्री विजय सिंह राणा–

मान्यवर, ग्राह्यता पर कितना समय दीजिएगा ।

श्री राम लखन–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपका बड़ा आभारी हूं कि आपने मुझे बोलने का समय दिया । श्रीमन् कल स० ज० पा० के सांसदों और विधायकों पर जो पुलिस द्वारा लाठी चार्ज किया गया, वह बहुत ही निन्दनीय है । सत्ता पक्ष में बैठे हुए लोग राम-रोटी का ढिंढोरा पीट कर सत्ता में आये और उन्होंने इस बात की शपथ ली थी कि मंदिर बनवायेंगे और मन्दिर की हिफाजत करवायेंगे ।

मैं फैजाबाद का रहने वाला हूं, आज इनको मंदिर बनवाने से कोई नाता नहीं है और ये सारे मंदिरों को ढहा दे रहे हैं, मंदिर अगर ये बनवाना चाहते हैं और माननीय मुलायम सिंह यादव उनकी हिफाजत में जा रहे हैं कि अयोध्या में क्या हो रहा है, मंदिर बनाया जा रहा है या गिराया जा रहा है, यह बात उनको अच्छी नहीं लगी, इन्होंने पुलिस द्वारा पिटाया । मंदिर गिरवाना और मंदिर न बनवाना इनका दो काम है, लेकिन सम्पूर्ण विपक्ष मंदिर और मस्जिद दोनों की हिफाजत चाहता है । आज ये अपनी सत्ता की बदौलत अपने अधिकारों का दुरुपयोग कर रहे हैं । आज अयोध्या में जो मंदिर हैं, जो पुजारी हैं और जो गरीब हैं, कमजोर हैं, उनको डरा धमका कर और पैसे का लालच देकर मंदिरों को गिराने का काम किया जा रहा है और आज जब इनसे पूछा जाता है तो यह जवाब नहीं दे पा रहे हैं । जब इनके कारनामों को उजागर करने के लिए वहां पर जाना चाहते हैं, तो यह उनको अच्छा नहीं लगता है ।

अगर यह बहुत सच्चे हैं, तो जैसा कि प्रमोद तिवारी जी ने कहा और माननीय कैलाश नाथ सिंह यादव जी ने कहा, मेरा निवेदन है कि एक कमेटी का गठन कर दिया जाये और सदन एक दिन के लिए स्थगित कर दिया जाये और सत्ता पक्ष की ओर से माननीय मुख्य मंत्री जी चलें और मान्यवर आप भी चलें और सारी चीजों को देखें तो बात स्पष्ट हो जायेगी । इसके साथ ही साथ में यह कहना चाहता हूं कि कांग्रेस ने अयोध्या में राम मंदिर का शिलान्यास करवाया और बी० जे० पी० की सरकार ने राम मंदिर का सत्यानाश किया है । मान्यवर, यह बड़ा ही गम्भीर विषय है, इसलिए आप एक कमेटी का गठन कर दें । हम लोग आपके साथ चलने के लिए तैयार हैं, सच्चाई क्या है, इसका पता चल जायेगा ।

* श्री उदल–

माननीय अध्यक्ष जी यह प्रश्न बहुत ही गम्भीर है । प्रजातंत्र में किसी को बोलने का अधिकार है या नहीं, किसी को संगठन बनाने का अधिकार है या नहीं, इसलिए यह महत्वपूर्ण हो जाता है कि जब कल माननीय मुलायम सिंह जी और उनके दल के लोग अयोध्या जा रहे थे, तो उनके कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज किया गया । इनके साथ जो लोग जा रहे थे, उनमें भूतपूर्व मंत्री, एम० एल० सी० और सांसद जा रहे थे, उनको राम सनेही घाट पर रोका गया और लाठी-चार्ज किया गया और उनको वहां पर जाने नहीं दिया गया ।

आखिर बात क्या है ? प्रश्न यह है कि यह जो लोग जा रहे थे, तो वहां पर केवल मंदिरों को देखते, कि वह गिराये जा रहे हैं या नहीं और ज्यादा से ज्यादा अपनी रिपोर्ट देते और सदन में कोई

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

प्रस्ताव लाते और तो कुछ नहीं करने जा रहे थे, तो उनको क्यों रोका गया? मान्यवर, मंदिर बनाने के नाम पर कई मंदिर तोड़ दिये गये। सरकार की ओर से कहा जाता है कि जमीन एक्वायर की गयी है। तो क्या जो मंदिर गिराये गये हैं, उनको मुआवजा दिया गया है और उन लोगों ने मुआवजा ले लिया।

मैं चुनौती के साथ कहना चाहता हूं कि एक व्यक्ति के अलावा किसी ने भी मुआवजा नहीं लिया है, तो आपको क्या अधिकार है कि आप मंदिर गिरवा दें। हनुमान जी का मंदिर तोड़ा गया, उनकी मूर्ति बैठी हुई थी, उसको लिटा दिया और उस मूर्ति को कहीं और ले जा रहे हैं और उस मूर्ति की टांग टूट गयी है और मुलायम सिंह यादव जी इन्हीं सब बातों को देखने के लिए जा रहे थे, तो वह क्या बुरा कर रहे थे। मूर्ति को दूसरे स्थान पर ले जा रहे हैं और कह रहे हैं कि प्राण-प्रतिष्ठा की जायेगी। हनुमान जी की मूर्ति बैठी हुई थी, उसको लिटा दिया है और यह कहते हैं कि हम राम भक्त हैं।.....सर्वोच्च न्यायालय का फैसला है और जिस दिन मंदिर इन लोगों ने तोड़ा है, जिस दिन हनुमान जी की [xxx] दी, इनके खिलाफ बजरंग दल के खिलाफ, विश्व हिन्दू परिषद के खिलाफ माननीय हाईकोर्ट में रिट भी दाखिल की गयी है। सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला किया था कि जब तक फैसला नहीं हो जायेगा तब तक किसी मंत्री को नहीं हटाया जायेगा तो आज मान्यवर, भारतीय जनता पार्टी जिसको प्रजातंत्र में विश्वास नहीं है फासिस्टवादी तरीके इनके शुरू हो गये हैं, किसी को ये बोलने नहीं देंगे, किसी को प्रदर्शन नहीं करने देंगे, किसी को संगठन नहीं बनाने देंगे, किस तरह से यह जनता की आवाज को दबाना चाहते हैं और संविधान की हत्या करना चाहते हैं।

जिस संविधान ने हमको यह सारे अधिकार दिये हैं कि हम सब कुछ कर सकते हैं। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि इस प्रश्न की ग्राह्यता बनती है। माननीय और नेताओं ने जो बात कही है, मैं भी उनसे अपने को सम्बद्ध करते हुए आपसे निवेदन करता हूं कि आप इस पर कार्यवाही को स्थगित कर दें और इस पर चर्चा कराने की कृपा करें और इसके साथ-साथ न्यायिक जांच की बात है, आपको कैसे कहूं, माननीय नेताओं ने तो आपको भी घसीट लिया कि आपकी अध्यक्षता में चलें, आप तो उस कुर्सी पर विराजमान हैं, आपको नहीं कहता हूं, मैं इसीलिए न्यायिक जांच की मांग करता हूं अगर इस सरकार की हिम्मत हो तो न्यायिक जांच को मान ले और किसी जज को भेज दे जो जाकर देखे कि हनुमान जी की [xxx] है या नहीं।

श्री अध्यक्ष–

माननीय दीनानाथ सिंह यादव जी, राम गोविन्द चौधरी जी, यदुनाथ जी, राणा जी, स्वामीनाथ जी और माननीय बेरिया जी इतने लोगों को बुलवाऊंगा मेरा निवेदन है कि दो-दो मिनट में अपनी बात कहें। जिन माननीय सदस्यों के सूचना पर हस्ताक्षर नहीं हैं, उनको नहीं सुनूंगा।

(व्यवधान)

* मुख्य मंत्री (श्री कल्याण सिंह)–

श्रीमन्, यह तो आपके अधिकार क्षेत्र का विषय है कि किनको-किनको आप बुलवायें, उसमें कुछ नहीं कहना है लेकिन एक निवेदन अवश्य है आपके माध्यम से सभी दलीय नेताओं से और सभी सदस्यों

नोट–[xxx] यह अंश मा० अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

से कि कृपा करके उधर के बाद सत्तापक्ष की बात सुनने के लिए बैठे रहे, बीच में वाकआउट करके न चले जायं क्योंकि अपनी बात तो कह जाते हैं और सत्तापक्ष की बात नहीं सुनते हैं ।

श्री नरेश अग्रवाल–

सुनेंगे ।

श्री दीनानाथ सिंह यादव–

मान्यवर, यह सत्तापक्ष में बैठे हुए लोग जब इधर बैठे थे ।

(श्री कृष्ण कुमार नवमान द्वारा बोलने का प्रयास करने पर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

मैंने क्रम इंगित कर दिया है और समय निर्धारित कर दिया कि 2-2 मिनट में सदस्य अपनी बात कहें । अगर उचित समझूंगा तो आपकी बात सुन लूंगा, आप कृपया बैठ जायं । आपको बाद में सुन लूंगा ।

(व्यवधान)

(श्री कृष्ण कुमार नवमान के खड़े रहने से घोर व्यवधान उत्पन्न हुआ)

कुछ भी लिखा नहीं जायेगा, आप बैठ जायं ।

* श्री दीनानाथ सिंह यादव–

मान्यवर, सत्ता पक्ष में बैठे हुए बहुत से लोग कल तक इधर बैठते थे तो अयोध्या में मस्जिद तोड़ने का काम कर रहे थे, सत्ता पक्ष में चले गये तो मंदिर तोड़ने का काम कर रहे हैं, हम लोग मस्जिद की रक्षा कर रहे हैं और मंदिर की रक्षा कर रहे हैं, यही फर्क है । यही मुलायम सिंह यादव जी ने सवाल रखा है । इसी को लेकर मुलायम सिंह यादव जी की पार्टी के तमाम विधायक, सांसद और कार्यकर्ता कोई हथियार लेकर नहीं बल्कि शान्तिपूर्वक देखना चाहते थे कि मंदिर तोड़ा गया है, उनके द्वारा जिन्होंने कल मस्जिद को नुकसान पहुंचाया था । जाने से रोके गये, रोके गये होते तो भी ठीक था, हम लोगों ने भी अपनी पार्टी के एक कार्यकर्ता को इनके साथ भेजा था, यह सही है कि महिलाओं का अपमान किया गया है, पीटा गया है । सत्ता पक्ष के लोग भारतीय संस्कृति की बड़ी दुहाई देते हैं, महिलाओं के उत्थान के लिए लम्बी-लम्बी बातें करते हैं, लेकिन महिलाओं का अपमान हो रहा है । यह मामला बहुत गम्भीर है । यह सही है कि अयोध्या में 9 मंदिर तोड़े गये हैं ।

अदालत के फैसले का उल्लंघन करके 10 फिट ऊंची दीवाल की चुनाई हो रही है । क्या केवल सत्ता पक्ष के लोग और बजरंग दल के लोग ही वहां जायेंगे, क्या केवल उन्हीं को इजाजत दी जायेगी, हम लोगों को भी अधिकार है, संविधान में मिला हुआ है । ऐसी स्थिति में जब कि अदालत के फैसले का उल्लंघन हो रहा है, संविधान का उल्लंघन हो रहा है, अगर इस सरकार में जरा भी नैतिकता है, अदालत के फैसले का सम्मान करती है, न्यायालय के फैसले का सम्मान करती है, तो इसे तुरन्त त्याग-पत्र दे देना चाहिए । निश्चित रुप से इस प्रश्न की ग्राह्यता बनती है और इस पर चर्चा के लिये समय

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

निर्धारित किया जाना चाहिये । जब माननीय बेनी प्रसाद वर्मा जी बोल रहे थे, कुछ भारतीय जनता पार्टी के सदस्य कह रहे थे कि आप पंजाब और काश्मीर क्यों नहीं जाते सत्ता पक्ष के ही लोगों की पार्टी पंजाब में है, हमारी भी पार्टी है, सरकारी रिपोर्ट मंगा ली जाय और पता लगा लिया जाय कि कितने लोग इनके मारे गये हैं और हमारी पार्टी के कितने लोग मारे गये हैं, अगर भारतीय जनता पार्टी के ज्यादा कार्यकर्ता मारे गये होंगे तो मैं सदन से त्याग-पत्र दे दूंगा । जो कल श्री मुलायम सिंह यादव जी के साथ घटना हुई है, उसकी मैं कड़े शब्दों में निन्दा करता हूं ।

[समय–1 बजकर 45 मिनट]

मान्यवर, इसकी ग्राह्यता बनती है, इस पर चर्चा करायी जाय ।

* श्री राम गोविन्द चौधरी---

मान्यवर, 311 में जो हमने प्रस्ताव दिया है और यह मांग की है कि सदन की अन्य कार्यवाही रोक कर इस पर चर्चा करायी जाय । श्रीमन् यह विषय नियम 311 में आता है और नियम 311 की सभी शर्तों को पूरी तरह से पूरी करता है । नियम 311 में लाने योग्य यह प्रस्ताव है, मैं इसको बिन्दुवार व्यक्त कर दूंगा । मैं कुछ बिन्दुओं की तरफ आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं नियम 311 में यह प्रस्ताव इसलिये दिया है कि कल माननीय मुलायम सिंह यादव और माननीय बेनी प्रसाद वर्मा जी के नेतृत्व मे समाजवादी जनता पार्टी के तमाम विधान मण्डल सदस्य सांसद और कुछ कार्यकर्ता इनके साथ अयोध्या जा रहे थे सत्याग्रह में शामिल होने के लिये ।

इसकी पूर्व घोषणा माननीय मुलायम सिंह यादव ने अखबारों के जरिये की भी थी कि 30 तारीख को अयोध्या जायेंगे विधान मण्डल सदस्यों के साथ लोक सभा व राज्य सभा के सांसदों के साथ व कार्यकर्ताओं के साथ । यह पूरी जानकारी मुख्यमंत्री जी और प्रशासन को भी थी और विधान सभा के तमाम सदस्यों को भी थी और अखबार के जरिये मान्यवर आपको भी थी । यही नहीं माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने सदन में घोषणा भी की थी कि वे 30 तारीख को अयोध्या, साथियों के साथ जायेंगे । कल इनके नेतृत्व में हम वहां जा रहे थे । बाराबंकी में राम सनेही घाट पर जो फैजाबाद से 75-80 कि० मी० इधर ही पड़ता है हजारों पुलिस कर्मी रास्ता अवरोध करके खड़े हो गये । इस सदन के सदस्य, विधान परिषद् के सदस्य, एम० पी० सभी लोग जीप, कार, बस में सवार होकर वहां गये थे पुलिस ने कहा कि हम आगे बढ़ने नहीं देंगे । सारे लोग सवारियों से उतर कर माननीय मुलायम सिंह यादव जी के पीछे आकर खड़े हो गये, सड़क पर खड़े हो गये । कुछ कार्यकर्ता आगे बढ़ रहे थे, बिना किसी कारण के, बिना कोई चेतावनी दिये, बिना कोई आंसू गैस छोड़े, न वहां कोई ऐसी स्थिति थी, न कोई धक्का मुक्की थी, कुछ सिपाहियों ने दनादन लाठी चलाना शुरू कर दिया । राम सागर जी वहां चिल्ला, रहे थे कि मैं एम० पी० हूं, उनका जो शेडो साथ में था वह कह रहा था कि एम० पी० साहब हैं लेकिन उनको मारकर गिरा दिया हाथ पैर उन्होंने तोड़ दिये । इसी तरह से अधिकांश को मारकर घायल कर दिया । दूसरे एम० पी० छोटे सिंह यादव जी वे कहते रहे हाथ उठाकर कि मैं एम० पी० हूं लेकिन उनको भी पूरी तरह से लाठियों से मारा । हमारे एम० एल० ए० बेरिया साहब, अभी सामने से कुछ सदस्य कह रहे थे कि चोटें लगी थी तो दिखायें, तो यह अपनी चोट अभी दिखा देंगे । दूसरे सदस्य बाल्मीकी जी इनको चोटे लगी हैं । बाल्मीकी जी सदन में तो अपनी चोट दिखा नहीं सकते क्योंकि ऐसी जगह लगी है लेकिन

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

यह कक्ष में आकर चोट दिखला देंगे । (व्यवधान) हमारे एक अन्य सदस्य को हाथ मे चोट लगी है, इनके हाथ में प्लास्टर लगा हुआ है । पुलिस अधीक्षक बाराबंकी के सामने, वहां के सी० एम० ओ० के सामने तमाम घायलों की इन्जरी रिपोर्ट तैयार की गयी है । यह ग्राह्यताके लिये पहला बिन्दु था । अब दूसरा बिन्दु देखें मान्यवर, महिलाओं के प्रति माननीय मुख्यमंत्री जी सही आंसू बहाते थे लेकिन वहां क्या हुआ ? अभी माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी निश्चित रूप से खड़े होकर कह देंगे धक्का मुक्की हुई और ढीलाबाजी हुई । महिलाओं का कितना जोर था उन पुरुष पुलिस कर्मियों के सामने विमलेश यादव बेहोश होकर वहां गिर गयीं । उनको बचाने में, मैं बच गया जब मैंने कहा कि महिला गिर गयी तो पुलिस वाले हट गये । विमला सिंह वह भी पूरी तरह से घायल हुई । विधान परिषद के सदस्य हीरा लाल यादव भी घायल हुए । उनके दल के वरिष्ठ नेता माननीय राम सरन जी का कुर्ता फट गया । इसी तरह से बहुत से लोगों को वहां मार-मार कर गिराया पुलिस वालों ने और जिलाधिकारी ने उस समय जब माननीय मुख्य मंत्री जी कार्यकर्ताओं को सम्बोधित कर रहे थे, उस माईक से वहां के जिलाधिकारी ने यह घोषणा किया कि इस लाठी चार्ज की जानकारी हमें नहीं है, पुलिस अधीक्षक ने घोषणा की कि इसकी जानकारी हमें नहीं है । तो मान्यवर, यह इसलिये ग्राह्य योग्य है कि जब जिलाधिकारी ने लाठी चार्ज का आदेश नहीं दिया एस० एस० पी० ने आदेश नहीं दिया तो हमारा यह कहना है उस पुलिस के सिपाहियों को सरकार ने निजी तौर पर संदेश देकर हमारे कार्यकर्ताओं को पीटा, हमारी महिलाओं को पीटा यह इसलिये महत्वपूर्ण है ।

दूसरा प्वाइंट यह है कि किन परिस्थितियों में यह घटना घटी । मान्यवर, जब आयोध्या का प्रकरण इस सदन में उठा था तो उस प्रकरण पर विपक्ष के अनेक माननीय सदस्यों को तीन दिन के लिये निलम्बित कर दिया गया था । इस मामले पर जो जबाब सत्ता पक्ष की ओर से आया था उससे पूरा विपक्ष असंतुष्ट था जिस कारण वह सदन के वेल में आ गये और उन्हें निलम्बित कर दिया गया । सरकारी पक्ष अगर गलत बात करे और पूरा प्रदेश यह जानता हो कि वहां अयोध्या में मंदिर ढहाये जा रहे हैं और अगर नहीं ढहाये गये हैं तो फिर हमको या इससे पहले श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह को या किसी भी व्यक्ति को अयोध्या जाने से रोकने का क्या औचित्य था ? माननीय मुलायम सिंह यादव जी वहां जाना चाहते थे मंदिरों को देखने के लिये ।

आपने यह कहा कि अगर माननीय मुलायम सिंह यादव जी वहां गये तो उनमें और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं में टसल हो सकती है इसलिये वहां नहीं जाना चाहिये तो मैं कहना चाहता हूं कि शासन के पास पुलिस है, पूरा प्रशासनिक अधिकार है और अगर इनमें इतना भी दम नहीं है कि यह अपने कार्यकर्ताओं को कन्ट्रोल में रख सकें तो यह बिल्कुल अक्षम हैं इसलिये जो मैंने नियम-311 का प्रस्ताव दिया है, जो एम० पी०, एम० एल० ए०, विधान सभा के सदस्य या महिलायें मारी गयी हैं, मंदिर तोड़ दिये गये हैं, वह सब शर्तों को पूरी करता है.अतः सारे नियमों को निलम्बित करते हुए इसके अन्तर्गत चर्चा करायी जाये ।

एक सदस्य–

मान्यवर, इन्होंने मारे गये हैं कहा है ।

श्री अध्यक्ष–

जब शासन से उत्तर आयेगा तब पता चल जायेगा कि क्या स्थिति है ।

* श्री यदुनाथ सिंह–

मान्यवर, तीन दिन से विपक्ष के सदस्य इसी प्रकरण को लेकर निलम्बित रहे । कल माननीय मुलायम सिंह यादव अपनी पार्टी के लोगों के साथ और अपने कार्यकर्ताओं के साथ इस प्रकरण को देखने के लिये गये थे वहां पर मंदिर गिराये जा रहे हैं या नहीं । मान्यवर, कल्याण सिंह जी की सरकार राम, रोटी और इंसाफ के नारे पर आयी थी पर यह विडम्बना रही है यह सरकार को पहले तो मस्जिद की सुरक्षा में मा० मुलायम सिंह यादव जी को अपनी सरकार गवानी पड़ी मंदिरों को तोड़ने से क्या फायदा मिल रहा है, सुमित्रा भवन को तोड़ने से क्या फायदा मिल रहा है ? हनुमान जी की मूर्ति की टांग को तोड़ने से क्या फायदा मिल रहा है? वहां पर तमाम लोग मारे गये हैं । यह तो मुंह में राम बगल में छुरी वाली जो लोकोक्ति है उसको चरित्रार्थ कर रहे हैं । यह भगवान के भक्त नहीं है । मणिपुर से लेकर गुजरात तक के जो लोग हैं वह हरि को मानने वाले हैं और राम भक्तों को कपटी कहते हैं । यही स्थिति इनकी भी है मान्यवर, यह लोग जो मुलायम सिंह यादव ने आयोग बिठाया था, उन 3 जजों को सेकुलर नहीं मानते और इनका एक जज सेकुलर है । मान्यवर, और भी जगह हनुमान जी के, राम जी के मंदिर हैं, लेकिन वहां जाने पर कोई वीसा पासपोर्ट नहीं है और कल जब मुलायम सिंह यादव जी और इनके दल के लोग अयोध्या जा रहे थे तो इनको रामसनेही घाट के पास वहां जाने से रोक दिया गया । मान्यवर, आज मेरा आपसे आग्रह है कि एक सर्वदलीय समिति बनाई जाय, जिसमें मुख्य मंत्री जी भी हों, उसमें विपक्ष और सत्ता पक्ष के विधायक भी हों । यह भी बताया जाना चाहिये कि इनकी केन्द्र सरकार से क्या बात हो रही है, एस० बी० चव्हाण से क्या बात हो रही है ? अभी हम ट्रेन से मथुरा से आ रहे थे, वहां लोग बात कर रहे थे ...

श्री अध्यक्ष–

अब समाप्त करें ।

श्री यदुनाथ सिंह–

तो मान्यवर, वहां बात हो रही थी कि बी० जे० पी० के लोग सौन्दर्यीकरण के नाम पर पर्यटन के नाम पर मंदिरों को तोड़ने का काम कर रहे हैं ।

श्री अध्यक्ष–

आप विषय से अलग बोल रहे हैं, अब आप समाप्त करें ।

श्री यदुनाथ सिंह–

मान्यवर, अगर कोई संविधान की अवमानना हो .....

श्री अध्यक्ष–

अब समाप्त करें, काफी हो चुका ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

* श्री शिव कुमार बेरिया–

माननीय अध्यक्ष जी, संविधान में हम लोगों को कुछ मौलिक अधिकार दिये गये हैं । इन मौलिक अधिकारों में प्रदर्शन करना, कहीं आना जाना, भाषण करना आदि सारी चीजें हमें मौलिक अधिकारों के अन्दर प्राप्त हैं । मान्यवर, जब सदन में आवाज उठाई जा रही थी कि अयोध्या में मंदिर तोड़े जा रहे हैं और सरकार पूरे प्रदेश को साम्प्रदायिकता की आग में झोंकने का काम कर रही है, तो हम लोगों को बोलने नहीं दिया गया । इससे पहले यही सरकार के लोग चुनावों के समय बड़े जोर शोर से कह रहे थे कि अयोध्या में लाखों लोग मार दिये गये, बड़ा नरसंहार हो गया, पूरी सरयू लाल हो गयी और इन्होंने वायदा किया कि हम सत्ता में आने के बाद मस्जिद तोड़कर रातोंरात मंदिर का निर्माण करा देंगे, आज 9 महीना हो गया और मस्जिद तो अपनी जगह बरकरार है और मस्जिद के बारे में सत्तापक्ष की ओर अब तो कोई बात ही नहीं होती, लेकिन इन्होंने मंदिर बनाने के बजाय मंदिरों को तोड़ने का काम अवश्य शुरू कर दिया । मान्यवर, संविधान में हमको यह अधिकार है कि जब सत्ता पक्ष द्वारा कहीं अन्याय हो, संविधान के विपरीत काम हो, तो वहां पर विपक्षी दलों को पूरी निष्ठा के साथ उसके विरुद्ध आवाज उठानी चाहिये । मान्यवर, हम लोग कल वहां पर पूरी तरह अहिंसक थे और केवल मुलायम सिंह यादव जी के साथ यही देखने जा रहे थे कि अयोध्या में कौन-कौन से मंदिर तोड़े गये ? वहां हनुमान जी की मूर्ति, जो सैकड़ों वर्षों से स्थापित थी, उसको तोड़ दिया गया, इसी तरह कई मूर्तियों को इन्होंने खंडित करने का काम किया ।

श्री अध्यक्ष–

यह सब चर्चा में पहले आ चुका है, माननीय सदस्यों ने यह बातें ध्यान में ला दी हैं । आप इसके अलावा कुछ बोलें ।

श्री शिव कुमार बेरिया–

रास्ते में रोक कर हम पर लाठी चार्ज किया गया । अभी सत्तापक्ष के लोग तो कह देंगे कि लाठीचार्ज तो पहले भी हुए हैं । हां, पहले भी हुए हैं । हमारे अयोध्या जाने के बाद अगर हमारी ओर से कोई अराजकता होती, कोई तोड़-फोड़ की कार्यवाही होती जिससे जनमानस उद्वेलित हो जाता, तब तो एक बात थी । अयोध्या में बैठे बजरंग दल, लंगूर दल कहें कि मुलायम सिंह यादव जब यहां आयेगा तो उससे निपट लिया जायेगा । श्री मुलायम सिंह यादव जी के साथ लाखों-लाख लोग अयोध्या इसलिये गये थे कि जिन लोगों ने मंदिर तोड़े हैं, उनको मुंह तोड़ जवाब दिया जा सके ।

हम पर लाठी चार्ज किया गया, हमारे पूर्व मंत्री श्री राजेन्द्र त्रिपाठी जी पर लाठीचार्ज किया गया, श्री उत्तम जी पर लाठीचार्ज किया गया, श्री हीरालाल जी का हाथ तोड़ दिया गया, श्री अग्निहोत्री जी व श्री संतोष जी को घायल कर दिया गया । पुलिस ने महिलाओं को बर्बरतापूर्वक पीटा । उनके सारे शरीर को घायल कर दिया गया । इसलिये मैं चाहता हूं कि इस प्रकरण पर एक समिति का गठन कर दिया जाय, जो इसकी जांच करे ।

(श्री स्वामी नाथ यादव व श्री अमरेश चन्द्र पाण्डेय जी के खड़े होने पर)

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री अध्यक्ष–

श्री पाण्डेय जी आपकी सूचना है । इसलिये आप कृपा करके बैठ जायं । यदि माननीय सदस्य ज्यादा समय लेंगे तो फिर मुझे कटौती करनी पड़ेगी । श्री राणा जी अगर आप इसे अन्यथा न समझें तो मैं पहले श्री राम स्वरूप वर्मा जी को सुन लूं ।

श्री विजय सिंह राणा–

मान्यवर, मुझे कोई आपत्ति नहीं है । आप सुन लें ।

* श्री राम स्वरूप वर्मा–

माननीय अध्यक्ष जी, नियम 311 को निलम्बित करके इस महत्वपूर्ण विषय पर विचार होना ही चाहिये । हम इस सदन में बैठे हैं, यह जनतंत्र की कृपा है । श्रीमन्, जनतंत्र के दो सिद्धान्त हैं-बोलो और डोलो । बोलो का मतलब है, अपनी बात को कहने के लिये जगह-जगह बोलो । डोलो के मायने हैं, सब जगह घूमो ताकि सब जगह विचार फैल सके । माननीय समाजवादी जनता पार्टी के नेताओं ने मंदिरों को तोड़ने पर उनको देखने की इच्छा प्रकट की । यह एक मानी हुई बात है कि देश में साम्प्रदायिक सद्भाव तब तक रहेगा, जब तक पूजा स्थलों की तोड़-फोड़ नहीं होती । मान्यवर, पूजा स्थल के तोड़फोड़ का जब समाचार मिला तो स० ज० पा० के नेताओं ने वहां जाना चाहा तो उन पर निर्मम लाठी चार्ज करना, उनको वहां जाने से रोकना यह जनतंत्र पर कुठाराघात है । ऐसे महत्वपूर्ण विषय पर विचार होना ही चाहिये क्योंकि जनतंत्र में कहना और सहना दो बातें बहुत जरूरी हैं । जनतंत्र में अपनी बात को कहने का हक है तो सुनने का ताब भी होना चाहिये । तो इस पर जब विचार होगा, यह अविलम्बनीय लोक महत्व का विषय है, इस पर दोनों तरफ से कहने और सहने की परीक्षा हो जायेगी । इसलिये मेरा नम्र निवेदन है कि साम्प्रदायिक सद्भाव कायम करने के लिये किसी को पूजा स्थल गिराने का हक नहीं है इससे साम्प्रदायिक सद्भाव खत्म होता है ।

इसकी रक्षा होनी चाहिये और इस संबंध में जो बर्बर लाठी चार्ज हुआ इस पर विचार करनें के लिये सदन के अन्य कार्य स्थगित कर इस अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न पर विचार होना जरूरी है ।

*श्री विजय सिंह राणा–

मान्यवर, इस संबंध में सदन में बहुत चर्चा हो चुकी है और चर्चा में उठाये गये किसी बिन्दु को छूना नहीं चाहता । मैं केवल दो बातें कहना चाहता हूं । मान्यवर, अयोध्या के मामले में वहां पर संविधान का उल्लंघन हो रहा है, न्यायालय की बात नहीं मानी जा रही है, भारत सरकार के कानूनों का परिपालन नहीं हो रहा है, वहां निहत्थी भीड़ पर लाठी चार्ज किया गया, यह सारी बातें आपके सामने आ चुकी हैं । मैं केवल दो बातें कहना चाहता हूं एक तो यह कि माननीय कल्याण सिंह सरकार बनने से पहले और सरकार बनने के बाद यह हमेशा कहते रहे बड़े जोर शोर से घोषणा करते रहे कि मुलायम सिंह यादव फैजाबाद घुस नहीं पायेंगे क्योंकि वहां जनता उनका विरोध करेगी ।

तो अब धैर्य क्यों टूट रहा है जब वह वहां जा रहे थे और वह वहां घुस नहीं पाते, अच्छा था आप उनको वहां जाने देते जनता विरोध करती, आपके लिये कहने को होता कि जनता विरोध कर रही थी संघर्ष हुआ और चोट आ गयी आपका बचाव हो जाता । लेकिन आपने ऐसा नहीं किया और 60, 70

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

कि० मी० पहले ही आपने जाने वालों को रोक दिया और रोकने के बाद फिर लाठी चार्ज की क्या आवश्यकता रह गयी थी । 60, 70 कि० मी० से वह उड़ कर फैजाबाद नहीं जाते और अगर जाते तो वहां गिरफ्तार कर लेते । रास्ते में पुलिस और पी०ए०सी० वालों से लाठी चार्ज कराने की क्या आवश्यकता थी । तो इससे साफ जाहिर होता है कि इनकी सारी बातें झूठ थीं उनमें कहीं कोई सच्चाई नहीं थी, इनकी पुरानी सब की सब बातें निराधार थीं । मैं तारीफ करूंगा मुलायम सिंह यादव जी की उन्होंने एक घोषणा की, सारे प्रदेश में डंके की चोट में कहा कि हम मस्जिद की रक्षा करेंगे चाहे अपनी कुर्बानी देनी पड़े ।

माननीय मुलायम सिंह यादव ने साबित कर दिया । मस्जिद की रक्षा के लिये उन्होंने सत्ता का परित्याग कर दिया और सत्ता से अलग हट गये । इसके विपरीत आज जब समय आया मंदिरों की रक्षा का तो कहा हम मंदिर तोड़ने नहीं देंगे आप क्या कह रहे हैं, आप कहते हैं कि गर्भ गृह पर मंदिर बनायेंगे और कहते हैं राम लला हम आयेंगे, मंदिर वहीं बनायेंगे लेकिन मंदिरों को तोड़ रहे हैं । इसलिये यह साबित हो गया कि आप न मंदिर के हितैषी हैं और न मस्जिद के रक्षक हैं । जो आपने किया है आप इतिहास उठा कर देख लें विदेशी आक्रंता चाहे वह मलिक काफूर रहा हो चाहे गजनवी रहा हो जितनी तादात में आपने मंदिर तोड़े हैं उतने उन आक्रंताओं ने नहीं तोड़े । तो आप न तो मंदिर के हितैषी हैं और न मस्जिद की रक्षा करना चाहते हैं आप हिन्दू और मुसलमान के खून से इतिहास बनाना चाहते हैं ।

इस देश की धरती में हिन्दू और मुसलमान के खून से सत्ता बनाना चाहते हैं । आपकी नियत जनता के सामने साफ हो गयी है, आप जनता के सामने कुछ कहने के लिये नहीं रह गये हैं । आज इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर प्रदेश और देश की जनता सशंकित है । आप ऐसा वातावरण बनाना चाहते हैं जिसमें हिन्दू भी विद्रोही हो रहा है और मुसलमान भी विद्रोही हो रहा है । और मान्यवर, सिख, ईसाई, जैन, पारसी सभी सशंकित हैं कि इस देश की धरती पर कोई धर्म बचेगा कि नहीं । मान्यवर, आज ऐसी स्थिति पैदा हो गई है इससे महत्वपूर्ण विषय आज और क्या हो सकता है । इसलिये मान्यवर, मेरा निवेदन है कि आगे की कार्यवाही रोक कर इस पर चर्चा कराई जाय ।

श्री स्वामी नाथ यादव–

मान्यवर, इन्होंने तो ब्रिटानिया हुकूमत को भी मात कर दिया है । गांधी का देश, जिसे सत्याग्रह, धरने के माध्यम से आजादी मिली थी आज यह उस महान आदमी की आत्मा को भी चोट पहुंचा रहे हैं । जिस आदमी ने सिद्धान्तों के बल पर इस देश को आजाद कराया उस मुल्क का यह हाल बना रहे हैं । मुलायम सिंह यादव की पार्टी के जो भी लोग जा रहे थे, सम्पूर्ण शांति से जा रहे थे, निहत्थे थे, इनके साथ कोई हथियार लिये हुए नहीं था । मान्यवर, इन लोगों पर लाठी चार्ज किया गया ।

मान्यवर, जब से यह सरकार हुकूमत में आयी है इसने श्री वी० पी० सिंह को जाने से रोका है, चौधरी अजित सिंह को रोका, श्री मुलायम सिंह को जाने से रोका है । इनका तब से यही कार्यक्रम चला आ रहा है कि अयोध्या में किसी दल के नेता नहीं जा सके क्योंकि मंदिर तोड़े जा रहे हैं, मस्जिद तोड़ने की सोच रहे हैं । आपके दिल और दिमाग बहुत साफ हैं, आपके अंदर कोई भी कालिमा नहीं है । आज तक आपने कुछ नहीं किया जब केन्द्र सरकार ने डन्डा मारा है तब आप कहते हैं कि एक एकता समिति के स्थायी सदस्य अयोध्या जायं और वहां जाकर देखेंगे । मान्यवर, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि इस सदन की भी एक समिति गठित की जाय । जिसमें इस सदन के सदस्य हों, सत्ता और विपक्ष

दोनों और यह समिति अयोध्या जाकर वास्तविकता का निरीक्षण करे । मान्यवर, मैं आपके माध्यम से सरकार से कहना चाहूंगा कि जो समिति बनायी जाय, उसके आप अध्यक्ष हों ।

श्री अध्यक्ष–

अब आप समाप्त करें । (माननीय अध्यक्ष द्वारा श्रीमती ज्ञानवती सिंह का नाम पुकारा गया)

श्री स्वामी नाथ यादव–

मान्यवर, मैं चाहता हूं कि सरकार यह घोषणा करे कि आपकी अध्यक्षता में एक समिति बनाई जायेगी । मैं आपसे चाहूंगा कि नियम 56 के अन्तर्गत जो सूचना मैंने दी है उसके अनुसार सारे कार्यों को स्थगित कर मुख्य विषय पर चर्चा करायी जाय ।

श्री अध्यक्ष–

अब खत्म हो गया है । मैंने श्रीमती ज्ञानवती को पुकार लिया है ।

श्रीमती ज्ञानवती सिंह–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपसे निवेदन करूंगी कि इस विषय पर चर्चा अवश्य की जाय । मान्यवर, अभी जैसा आपने सुना हमारे अनेक नेताओं ने और सदस्यों ने बताया कि राम सनेही घाट पर क्या-क्या हुआ ? माननीय मुलायम सिंह यादव जी के नेतृत्व में गये हुए सांसदों, विधान सभा के सदस्यों और महिलाओं पर भी, सत्ता में बैठे हुए लोगों ने जो सत्ता के मद में इतने अहंकारी हो गये कि अपना मानसिक संतुलन ही खो बैठे उन्होंने कुछ भी नहीं देखा, और निहत्थे लोगों पर इस तरह से अत्याचार किया जो प्रजातंत्र का पूरी तरह से हनन है । प्रजातंत्र में सबको अधिकार है कि वह वहां पर जायें और देखें कि क्या हो रहा है ? अगर इनके मन में कोई भी भय नहीं है, उनको कुछ भी छिपाना नहीं है, किसी बात से शंकित नहीं हैं, तो क्यों इन लोगों को वहां जाने से रोका गया ? अगर रोकते हैं तो इससे साफ जाहिर होता है कि वहां कुछ ऐसा अवश्य है जो छिपाया जा रहा है ।

यह सबको विदित हो गया है, अखबारों से भी और अन्य लोगों से भी कि वहां पर छोटे मंदिरों को तोड़ा जा रहा है । जो पुराने मंदिर थे, अनेक सालों से जहां पर अभिमंत्रित मूर्तियां बड़े सम्मान व श्रद्धा के साथ स्थापित की गयी थीं उनको तोड़ा जा रहा है । लोगों की भावनाओं को, जो अपनी श्रद्धा के फूल वहां चढ़ाते थे, उनको आहत किया जा रहा है । उनकी भावनाओं को ठेस पहुचाई जा रही है । ऐसी स्थिति में अगर कोई भी वहां जाकर देखना चाहता है कि कौन-कौन से मंदिरों को तोड़ा गया है तो उन्हें क्यों रोका जा रहा है ? (इस समय 2 बजकर 16 मिनट पर श्री उपाध्यक्ष पीठासीन हुए) अभी एक भाजपा के सदस्य ने पूछा कि मंदिरों के नाम बतायें, मंदिरों के नाम कैसे बतायें ? जब आप वहां जाने नहीं देना चाहते हैं और हम जाकर देखना चाहते हैं कि सही स्थिति क्या है और आप लोग छिपाना चाहते हैं । सब लोगों को आप शासन के द्वारा तथा अपनी ताकत के द्वारा, नृशंसता से रोकना चाहते हैं और किसी भी बात का ध्यान न रखकर प्रजातंत्र का हनन करते हैं । इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए मैं कहना चाहती हूं और आपसे अनुरोध करना चाहती हूं कि आप इस पर चर्चा करायें ।

श्री अकबर–

मान्यवर, कल लोकतांत्रिक तरीके से सजपा के नेता पूर्व सूचना देकर अयोध्या जा रहे थे ।

श्री उपाध्यक्ष–

अकबर जी कृपया माइक पर बोलें ।

श्री अकबर–

सरकार ने निहत्थे लोगों पर जो बर्बर लाठी चार्ज किया उसकी निन्दा सारे नेता कर चुके हैं मैं भी उसकी निन्दा करता हूं । मान्यवर, यह सरकार जो संविधान विरोधी कार्य कर रही है जो न्यायालय के आदेश के विरुद्ध कार्य कर रही है जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया के विरुद्ध कार्य कर रही है, उसे सदन के संज्ञान में लाते हुए यह कहना चाहता हूं कि उससे पूरे प्रदेश की जनता आतंकित है लोग आतंकित हैं आज इस सरकार ने प्रदेश में इस तरह के हालात पैदा कर दिये हैं जिससे पूरे प्रदेश की जनता को शंका है । पूरे प्रदेश की जनता सशंकित है । मान्यवर, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि जो हम लोगों को शंका है उसको आपके सामने रखते हैं और आपसे मांग करते हैं कि अयोध्या के प्रकरण पर जिस तरह का रुख सरकार ने अपनाया है उसके विरुद्ध हमने और हमारे नेतागणों ने जो विचार रखे हैं उनकी गम्भीरता को देखते हुए सदन की सारी कार्यवाही को स्थगित करके इस प्रकरण पर चर्चा कराई जाय ।

* श्री अरविन्द प्रताप सिंह–

मान्यवर, कल दिनांक 30-3-92 को मैं अपने विधायकों, माननीय सांसदों और क्षेत्रीय पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ माननीय मुलायम सिंह यादव जी की अध्यक्षता में, समाजवादी जनता पार्टी के नेतृत्व में, अयोध्या में तोड़े गये मंदिरों को देखने जा रहा था, जनपद बाराबंकी के राम सनेहीघाट पर सरकार के आदेशानुसार हम लोगों को रोका गया और बर्बरतापूर्वक लाठीचार्ज किया गया । हम तथा हमारे साथ छोटे सिंह यादव जी चल रहे थे माननीय सांसद छोटे सिंह यादव जी के गम्भीर चोटें आई । हमने अपने को बचाने का प्रयास भी किया लेकिन पी० ए० सी० के एक जवान ने हमें गिराते हुए हमारा गला दबाना चाहा जिसको हमारे शैडो ने बचाया अन्यथा इस सदन में आज शोक मनाया जा रहा होता । हमारे क्षेत्र से आये हुए अन्य कार्यकर्ता भी थे उनके ऊपर लाठीचार्ज किया गया है और उनको चोटें आयीं हैं ।

एक आवाज–

पढ़ा हुआ मान लिया जाय, माननीय सदस्य पढ़ रहे हैं ।

श्री उपाध्यक्ष–

माननीय सदस्य को बोलने दें, व्यवधान न डालें ।

श्री अरविन्द प्रताप सिंह–

मैं यह कहना चाहता हूं कि मैं राम का वंशज हूं, इस सरकार ने हमें अपने वंशजों के पास नहीं जाने दिया । मैं आरोप लगाना चाहता हूं कि इस सरकार ने हमारे वंशजों का जितना अपमान किया है

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

उतना किसी ने नहीं किया । हमारे वंशज शीघ्र ही इस सरकार को सजा देंगे । मैं आपसे इस लोक महत्व के प्रश्न पर चर्चा कराने की मांग करता हूं ।

श्री अमरेश चन्द्र पाण्डेय–

मान्यवर, यह बड़ा दुखद प्रसंग है । 4-5 दिनों से इस विधान सभा में किसी न किसी रूप में इस विषय पर चर्चा हो रही है ।

श्री किशोरी श्याम–

मान्यवर, क्या आप चर्चा करा रहे हैं ?

श्री उपाध्यक्ष–

ग्राह्यता पर सुना जा रहा है, आप शांति बनाये रखें ।

श्री अमरेश चन्द्र पांडेय–

यह बहुत ही महत्वपूर्ण मामला है ।

श्री मोहम्मद आजम खां–

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न है ।

श्री उपाध्यक्ष–

माननीय अमरेश चन्द्र पांडेय ने भाषण देना शुरू किया है, मैं इस व्यवस्था के प्रश्न की अनुमति नहीं दे रहा हूं ।

श्री अमरेश चन्द्र पांडेय–

मान्यवर, 4 दिन से चर्चा हो रही है लेकिन यह समझ में नहीं आ रहा है सरकार क्यों जिद कर रही है ? हमारे नेता माननीय प्रमोद तिवारी, तथा अन्य माननीय नेताओं ने भाषण दिये हैं और केवल एक प्रश्न रखा है, इनका कहना है कि विधान मंडल दल की एक सर्वदलीय समिति अयोध्या भेज दी जाय । मुख्य मंत्री जी बैठे हुए हैं आप उससे क्यों भाग रहे हैं ? यहां पर जनता के प्रतिनिधि बैठे हैं जो नियम कानून बनाते हैं, वह मांग कर रहे हैं कि एक समिति अयोध्या भेजी जाय आपके पक्ष से ज्यादा लोग उसमें हो जायं, 5-6 लोग आपके पक्ष के हो जायं, विरोध पक्ष के आप 3 सदस्य ही रख लें तो आप इससे क्यों भाग रहे हैं यह मेरी समझ में नहीं आता है ?

यह राम के नाम पर चुनकर आयी सरकार, मंदिर की शपथ लेकर आयी सरकार ठीक उल्टा काम कर रही है । संविधान के रक्षक ही आज संविधान की अवहेलना कर रहे हैं । मान्यवर, मैं ज्यादा भाषण नहीं देना चाहता, महात्मा गांधी जिनका चित्र मान्यवर, आपके पीछे लगा हुआ है, महात्मा गांधी ने कहा था, हमारे संविधान में भी वही कहा गया है कि हम शांतिपूर्वक आन्दोलन कर सकते हैं, सत्याग्रह कर सकते हैं । श्रीमन् इसी के तहत समाजवादी जनता पार्टी के लोग अयोध्या जा रहे थे तो उनके ऊपर सरकार ने लाठियां बरसायीं । वह लोग कार सेवा नहीं करने जा रहे थे वह वहां जाकर देखने जा रहे थे जो समाचार पत्रों में, न्यूज में खबरें आ रही हैं कि मंदिर गिराने का काम शुरू हो गया है, वह उसी को देखने जा रहे थे तो उन पर लाठियां चलाना यह बहुत घृणित कार्य है ।

मेरी मांग है कि नियमों का निलम्बन करके इस पर चर्चा करायी जाय और माननीय प्रमोद तिवारी जी ने जो प्रस्ताव किया है कि एक समिति विधान मंडल दल की बनायी जाय और मौके की जांच

करायी जाय, इस मांग का मैं समर्थन करता हूं । मैं चाहता हूं कि समिति के लोग वहां जायं । श्रीमन्, आप भी चलें । बहुत से लोगों ने प्रस्ताव किया है कि माननीय अध्यक्ष जी चले लेकिन आसन पर आप बैठ गये माननीय अध्यक्ष जी नहीं हैं तो आपसे अनुरोध कर रहा हूं कि आप ही चलें, माननीय मुख्य मंत्री जी को भी ले चलें । श्रीमन्, आज ही माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने घोषणा की कि मस्जिद गिराई जा रही है, तो आपसे प्रार्थना है, विनम्र निवेदन है कि अपने नेतृत्व में विधान मण्डल की एक समिति अयोध्या ले चलें और इस संविधान विरोधी भाजपा सरकार के कार्यों को देखें । प्रमोद तिवारी जी ने चुनौती भी दे दी है कि वे इस्तीफा दे देंगे । माननीय मुख्य मंत्री जी बैठे हैं । मैं इसकी ग्राह्यता पर बल देते हुए आपसे अनुरोध करूंगा कि इसको स्वीकार कर लें और इस पर चर्चा कराने की कृपा करें ।

* श्री मुलायम सिंह यादव–

उपाध्यक्ष महोदय, सदन के सभी दलों के नेताओं ने और माननीय सदस्यों ने विस्तार से चर्चा की, इसलिये उन बातों को मैं नहीं दोहराना चाहता । ग्राह्यता के संबंध में 3-4 बातें 2-3 मिनट में कहना चाहता हूं । जो कल लाठी चार्ज हुआ है, उसकी कोई आवश्यकता नहीं थी । हम शांतिपूर्ण तरीके से सड़क पर बैठ गये थे । आपने भी समाचार पत्रों में देखा होगा कि सड़क पर बैठे हैं । वहां पर सम्मानित जितने भी सांसद, विधायक और अन्य साथी थे, सड़क पर बैठ गये और बिना चेतावनी के लाठीचार्ज किया गया । दूसरी बात हमारा सुझाव है, इससे हटकर के कि इस सदन की परम्परा रही है कि जब इस सदन के सदस्य पर अगर पुलिस ने या किसी ने ज्यादती की है तो पार्टी से हटकर पूरा सदन एक हुआ है ।

आज आपसे कहना चाहता हूं कि आपको भी इस स्थिति का मुकाबला करना पड़ेगा, तब आपकी बात सुनने वाला कोई नहीं रहेगा । हम तो साहस कर रहे हैं आप तो उस लायक भी नहीं हैं । हमने आपकी बहादुरी और हिम्मत देख ली । मुख्य मंत्री जी को भी जानता हूं (व्यवधान)

श्रीमती गुलाब देवी–

(व्यवधान के मध्य) मैं जानना चाहती हूं कि आप सड़क पर क्यों बैठे ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

उपाध्यक्ष महोदय, मेरा सुझाव है कि विशेष रूप से सत्ता पक्ष के सदस्यों से कि पुलिस आपका या हमारा अपमान करती है तो इस मामले को सरकार से हटकर और माननीय मुख्य मंत्री जी से कहूंगा कि दल से हट कर इस मामले को गम्भीरता से लेना चाहिये और सबको एक होना चाहिये (घोर व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष–

आप लोग शांति से सुनें । आप शांति से बैठ जायं । क्या हो रहा है ? क्या नहीं हो रहा है ? आपसे नहीं पूछा जा रहा है । आप सभी बैठ जायं ।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री मुलायम सिंह यादव–

मुझे निजी जानकारी है कि भारतीय जनता पार्टी के विधायकों को एक पुलिस अधिकारी ने पीटकर बाहर निकाल दिया, उनकी हिम्मत नहीं पड़ी है, शायद उन्होंने माननीय मुख्य मंत्री जी से शिकायत भी की है ।

(व्यवधान)

ये सरकार के लोग इतने बेहया हैं, स्वाभिमान खोकर बैठे हुए हैं ।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष–

माननीय यादव जी, आप अपने को ग्राह्यता तक ही सीमित रखें ।

श्री प्रमोद तिवारी–

माननीय उपाध्यक्ष जी,

श्री उपाध्यक्ष–

यह गलत परम्परा है । माननीय यादव जी ग्राह्यता पर बोल रहे हैं, उनको बोलने दीजिये ।

श्री प्रमोद तिवारी–

मान्यवर, माननीय मुलायम सिंह यादव जी बोल रहे हैं और सत्ता पक्ष की ओर से बार-बार अवरोध डाला जा रहा है ।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष–

सत्ता पक्ष और विपक्ष से मेरा निवेदन है कि शांति से बिना किसी व्यवधान के जो माननीय मुलायम सिंह जी बोल रहे हैं, उसे सुनें ।

श्री मुलायम सिंह यादव–

दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि, शायद सरकार की तरफ से अपना पक्ष रखा जायेगा ।

(घोर व्यवधान)

उपाध्यक्ष जी, जैसा माननीय विजय सिंह राणा जी ने कहा कि मुलायम सिंह यादव जी अगर अयोध्या और फैजाबाद जाते, तो उन्हें खतरा हो जाता, लेकिन 23 दिसम्बर को मैं चौधरी चरण सिंह के जन्म दिवस के अवसर पर अयोध्या गया था, समाचार-पत्र उठाकर देख लें ।

(व्यवधान)

अखबारों में कुछ दिन पहले छपा था कि जो अयोध्या और फैजाबाद की जनता नाराज थी, वह मुलायम सिंह यादव का अभिवादन हाथ उठाकर कर रही थी ।

(घोर व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष–

माननीय सदस्य आप बैठ जायं, माननीय मुलायम सिंह यादव को बोलने दें।

माननीय मुलायम सिंह यादव जी, आप विषय की ग्राह्यता पर ही बोलें।

श्री मुलायम सिंह यादव–

माननीय उपाध्यक्ष जी, उस समय अगर खतरा ही था और खतरा करने की साजिश थी, पहले से सूचना दे दी थी। एकता यात्रा में पूरी सुरक्षा केन्द्र सरकार की थी।

(घोर व्यवधान)

श्री मुलायम सिंह यादव–

दूसरी बात यह है कि अभी हमारे माननीय सदस्यों ने अध्यक्ष महोदय को दिखाया कि हमारे चोटें आईं, माननीय सदस्य ने कहा कि अध्यक्ष जी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के लोग कह रहे हैं कि हमारे भी चोटें आईं, लेकिन अन्तर है, लेकिन जब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को चोटें आईं, तो उनका ऐलान था कि मस्जिद तोड़ कर मंदिर बनायेंगे, उसकी सुरक्षा में हमारी सरकार चली गयी, हमारे कार्यकर्ता लोग जा रहे थे मंदिर की रक्षा के लिये, मंदिर की रक्षा के लिये अगर हमें प्राणों की कुरबानी भी देनी पड़ेगी, तो हम उससे चूकेंगे नहीं।

(घोर व्यवधान)

माननीय मुख्य मंत्री जी ने और इनके नेताओं ने 25 जून को कहा कि मुलायम सिंह यादव जो सबसे बड़े बाधक थे, वह हट गये, अब मंदिर बनेगा।

श्री राम कुमार शुक्ल–

मान्यवर, आप बतायें कि क्या ग्राह्यता पर बोला जा रहा है ?

श्री उपाध्यक्ष–

आप कृपया बैठ जायें और शांति बनाये रखें। माननीय यादव जी कृपया अपनी बात को संक्षिप्त कर दें और ग्राह्यता तक ही अपने को सीमित रखें।

श्री मुलायम सिंह यादव–

इसलिये मैं कहना चाहता हूं कि जब चुनाव में गिनती शुरू हुई तो कहा कि एक एक ईट सरजू में बहा दी जायेगी, तो यह गुमराह कर रहे हैं। यह मंदिर को तोड़ रहे हैं और जब हम वहां पर देखने जाते हैं, तो केवल इनको शंका यह है कि वहां पर लाखों लोग इकट्ठे होने वाले थे।

श्री उपाध्यक्ष–

आप कृपया पीठ को ही संबोधित करें।

श्री मुलायम सिंह यादव–

इनको भी आप रोकिये। उपाध्यक्ष जी हम इनको जानते हैं। अपने दरवाजे पर कौन बहादुर होता है ?

श्री प्रमोद तिवारी–

गली में ।

श्री मुलायम सिंह यादव–

गली में, सभी जानते हैं । इसलिये सत्ता का ज्यादां मद न होना चाहिये । सत्ता में हम भी रह चुके हैं । इनकी उम्र ज्यादा नहीं है ।

श्री रवीन्द्र प्रताप मल्ल–

25 साल ।

श्री मुलायम सिंह यादव–

25 दिन भी नहीं । उपाध्यक्ष महोदय निर्मम पिटाई की गयी, महिलाओं की पिटाई की गयी । यह कानून का उल्लंघन वहां कर रहे हैं, इसीलिये वहां पर नहीं जाने देना चाहते हैं । यह ग्राह्यता पर बनता है । मैं चाहता हूं कि इस पर चर्चा करावें और इसकी न्यायिक जांच करावें ।

नेता विरोधी दल (कुंवर रेवती रमण सिंह)–

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अभी इस प्रकरण पर माननीय नेता कांग्रेस पार्टी, माननाय नेता जनता दल (अ), माननीय नेता सजपा, माननीय नेता बसपा, माननीय नेता सी० पी० आई० और सी० पी० एम० और श्री राम स्वरूप वर्मा जी और माननीय मुलायम सिंह यादव जी सभी लोगों ने अपने विचार रखे हैं । मान्यवर, कल की घटना अप्रत्याशित नहीं थी । यह आज जो सत्ता में बैठे हैं इनकी फासिस्टवाद की मानसिकता है । इसलिये 2-3 दिन पहले जब श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह के नेतृत्व में जो रामों वामों का प्रतिनिधि मंडल जा रहा था । तब भी मान्यवर, राम सनेही घाट पर रोक लगायी थी और फैजाबाद में पहुंचा था और वहां इन्होंने लाठीचार्ज भी कराया था और कल सजपा का जब प्रतिनिधिमंडल जा रहा था माननीय मुलायम सिंह यादव जी के नेतत्व में तब भी इन्होंने वही हरकतें कीं । पहले यह घटनायें क्यों घट रही हैं इसका विश्लेषण करना जरूरी है, इसलिये जरूरी है क्योंकि इनकी करनी और कथनी में जमीन और आसमान का अन्तर है । यह कहते कुछ हैं और करते कुछ हैं । अभी आज सदन में यह सवाल कई बार से आ रहा है कि कितने लोग 30 अक्टूबर और 2 नवम्बर को हताहत हुए थे । 1990 में और कितने को इन्होंने मुआवजा दिया, क्षतिपूर्ति दी ?

मान्यवर, वह सवाल का जवाब कभी नहीं देंगे, न दे रहे हैं और न कभी देंगे, जब तक यह शासन में रहेंगे तब तक जवाब नहीं देंगे क्योंकि लोग कुछ थे, हजारों में कह दिया सैकड़ों में कह दिया और कह दिया कि सरजू लाल हो गयी, यह पूरे देश और प्रदेश को बता दिया । लोगों को इन्होंने भ्रमित किया था, धार्मिक उन्माद इन्होंने फैलाया था और इसी की बदौलत सत्ता में आये हैं । मान्यवर, मुख्य मंत्री जी गांधी जी की बड़ी दुहाई देते हैं । गांधी जी कहते थे कि किसी मंजिल तक जाने के लिये जो रास्ता चुनना पड़ता है वह भी साफ सुथरा होना चाहिये लेकिन आपने सत्ता में आने के लिये जो रास्ता चुना वह बहुत ही घिनौना और गन्दा रास्ता चुना और इस प्रदेश और देश के धार्मिक उन्माद के नाम पर आपने सैकड़ों दंगे करवाये । पूरे देश में एक ऐसा कलंकित इतिहास आपने कायम कर दिया है कि आने वाला इतिहास आपको माफ नहीं करेगा ।

मान्यवर, कल आपने लाठीचार्ज किया और क्यों किया क्योंकि आप बार-बार अखबारों में बयान देते हैं, सदन में बयान देते हैं कि हमने कोई मंदिर नहीं गिराया है अगर आपने मंदिर नहीं गिराया है तो

फिर आपको किस बात का डर है, किस बात का संशय है कि आप लोगों को जाने नहीं देते ? आप कहते हैं कि अगर वहां पर सजपा का प्रतिनिधिमंडल जाता तो वहां शांति व्यवस्था भंग होने का खतरा था । मान्यवर, जब आप एकता यात्रा कर रहे थे तब शांति व्यवस्था नहीं भंग हो रही थी । जब पुलिस आपके साथ, सी० आर० पी०, बी० एस० एफ० आपके साथ । काश्मीर में जब आप पहुंचे थे तो आर्मी को भी साथ में लिया था तब खतरा नहीं पैदा हो रहा था, बड़े गड्स की बात थी तो पंजाब से भाग चले और काश्मीर गये झंडा फहराने तो किसी ने देखा और किसी ने देखा ही नहीं, 8 बजे सुबह गये ।

(शोर)

मान्यवर, जब उस समय आपने इतनी पुलिस की व्यवस्था, मिलेट्री की व्यवस्था आपने कराई तो मैं यह चाहता हूं कि अगर आप बड़े सिद्धान्तवादी हैं जो कि आप हैं नहीं, आपने अपने कर्मों से यह साबित कर दिया है । मेरा एक प्रस्ताव है कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ उस विवाद को अगर आप खत्म करना चाहते हैं तो मेरा यह प्रस्ताव है कि कल मान्यवर, सदन का कार्य स्थगित कर दीजिये और 425 जितने सदस्य हैं सबको बस ले जायं और यह दिखा दिया जाय कि क्या स्थिति है ? मैं चाहता हूं कि आप भी चलें, आपके सब सदस्य चलें लेकिन मान्यवर, इसको आप मानेंगे नहीं क्योंकि फासिस्टवाद का सबसे बड़ा और पहला अध्याय जो है कि 100 बार असत्य बोलो तो वह असत्य सच में बदल जायेगा ।

[समय 2 बजकर 45 मिनट]

इसीलिये मेरी चुनौती को आप स्वीकार करें । कल आपने जो घिनौना काम किया, अगर आप चाहते हैं कि प्रदेश की जनता को मालूम हो कि सच्चाई क्या है तो उसके लिये मेरे प्रस्ताव को स्वीकार करें, न्यायिक जांच भी मत बैठाइये, यहां की समिति भी मत बैठाइये, अध्यक्ष जी को भी मत ले चलिये, कल सदन स्थगित करके सबको बसों के द्वारा वहां ले चलिये पता चल जायेगा कि आपने साक्षी गोपाल और संकट मोचन का मंदिर गिराया है या नहीं, सीता का रसोइयां गिराया है या नहीं और सुमित्रा जी का मंदिर गिराया है या नहीं । अगर इतना दम है तो मेरे प्रस्ताव को स्वीकार करिये ।

कल पूरे देश में साबित हो जायेगा कि सच्चाई क्या है ? आप कहते हैं कि वहां पर बहुत खतरा है, मैं भी अयोध्या गया हूं, आज अयोध्या असामाजिक तत्वों के कब्जे में है, वहां कोई भला आदमी और श्रद्धालु जा नहीं सकता है । इसलिये बाबा लाल दास को कोर्ट के स्थगन आदेश के बावजूद भी पुलिस के बल पर उस मंदिर से अलग कर दिया । उन्हें थानों में बिठाया गया था । मैंने सुना था कंस के राज्य में जिस तरह से पुजारियों का अपमान हुआ था, वैसा ही काम आप कर रहे हैं । जबर्दस्ती पुजारियों से दस्तावेज पर दस्तखत करा रहे थे, अरे कुछ शर्म करो, ज्यादा दिनों तक सत्ता में बैठे नहीं रहोगे, जाना आपको भी है, लेकिन आपका नाम काले अक्षरों से, इतिहास में अंकित किया जायेगा ।

यह भी कहता हूं कि इसके बाद आपको सत्ता की हल्दी लगने वाली नहीं है और हमेशा सदन की बात याद करोगे कि भूतपूर्व रहे हैं, जनता भी आपको माफ करने वाली नहीं है । इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने प्रस्ताव पर बल देता हूं और कल की घटना की निन्दा करता हूं । आज के प्रस्ताव पर बल देता हूं कि सभी सदस्यों को अयोध्या ले चलें ताकि क्या सही है क्या गलत है इसका फैसला हो जाय ?

मुख्य मंत्री (श्री कल्याण सिंह)–

माननीय उपाध्यक्ष जी, मैंने माननीय नेताओं को और अन्य माननीय सदस्यों को बड़े ध्यान से सुना । चूंकि बिन्दु इतने उठा दिये गये हैं जिसका उत्तर देने में कुछ समय लगेगा परन्तु मैं कोशिश करूंगा कि एक-एक बिन्दु पर बहुत संक्षेप में अपने विचार रखूं ।

पूरी चर्चा में 4 बिन्दु उभरकर सामने आये हैं । एक बिन्दु आया है कि वर्तमान सरकार ने न्यायालय के निर्णयों की अवहेलना की है, दूसरा बिन्दु आया है कि इस सरकार ने मंदिर तुड़वाये । तीसरा बिन्दु जो आज नियम 311 का विषय था वह था कि सजपा के माननीय प्रान्तीय अध्यक्ष को या अन्य साथी सहयोगियों को वहां जाने से क्यों रोका गया ? इसी के साथ-साथ लगा हुआ बिन्दु आया है उनके साथ मारपीट हुई और भी कुछ बिन्दु कहे गये जिनका कि मैं उत्तर देने की कोशिश करूंगा ।

श्री नरेश अग्रवाल–

सदन की एक कमेटी बनाने की बात कही गयी ।

श्री कल्याण सिंह–

सदन की कमेटी का भी बिन्दु है ।

श्रीमन्, वैसे तो इस विषय पर 24 मार्च, 1992 को बहुत विस्तार से चर्चा हो गयी थी, केवल कल जो सजपा के कार्यकर्ता गये थे उस प्रकरण को छोड़कर के । मैंने गिनती की थी उसमें विपक्ष के १७ लोगों ने विचार व्यक्त किये थे और सत्तापक्ष की ओर से 3 लोगों ने विचार व्यक्त किये थे । लेकिन, चूंकि उस समय विपक्ष के सभी माननीय नेता और अधिकांश माननीय सदस्य बहिष्कार कर गये थे ...

श्री प्रमोद तिवारी–

निकाल दिये गये थे ।

श्री कल्याण सिंह–

वह तो बहुत स्पष्ट है कि बहानेबाजी खोजी गयी, विपक्ष के लोग सत्ता पक्ष को सुनना नहीं चाहते थे, सत्य और तथ्य सुनने का उनमें धैर्य नहीं था । श्रीमन्, मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि मेरी सरकार ने न तो किसी भी न्यायालय के किसी निर्णय की अवहेलना की है ...

एक सदस्य–

इनको पहले शपथ दिलायी जाय ।

श्री कल्याण सिंह–

आज जो विषय लाया गया है उसमें राष्ट्रीय एकीकरण परिषद् में कही गयी बात का जिक्र नहीं किया गया । राष्ट्रीय एकीकरण-परिषद् में जो बात कही थी उसका कहीं उल्लंघन हमने नहीं किया है । जो कुछ कार्यवाही की है वह कानून के तहत की है । 2.7744 एकड़ जमीन का अधिग्रहण केन्द्रीय भूमि अधिग्रहण अधिनियम 1894 के तहत ही किया है और न्यायालय ने अधिग्रहण के आधार को स्वीकारा है । न्यायालय ने अधिग्रहण के ऊपर किसी तरह का कोई प्रश्नचिन्ह नहीं लगाया । हां, केवल इतना कहा कि उस पर कोई स्थायी निर्माण नहीं हो सकता । एक बार जब अधिग्रहण हो गया तो उसका स्वामित्व सरकार में निहित हो गया । फिर उस पर खड़े ढांचे हैं उनको हटाने का अधिकार सरकार में निहित हो गया । वहां पर जो कुछ हटाया गया है, मैं विस्तार से आ रहा हूं, उसके लिये क्षतिपूर्ति भी दे दी गयी और उसमें से लोगों ने क्षतिपूर्ति कुछ प्राप्त कर ली है और कुछ आज भी न्यायालय में जमा है ।

(इसी मध्य सदन में बिजली गुल हो गयी)

(व्यवधान)

श्री प्रमोद तिवारी–

आपने इतना [xxx] बोला कि बिजली चली गयी [xxx] बर्दाश्त नहीं कर पायी बिजली ।

श्री शिव कुमार बेरिया–

यह सरकार ही अंधेरे में आ गयी है ।

श्री कल्याण सिंह–

जब आप जैसे साथी मिल जायेंगे तो कुछ न कुछ अंधेरा तो होगा ही ।

श्री शिव कुमार बेरिया–

हनुमान जी नाराज हैं मुख्य मंत्री जी जिनकी टांग तोड़ी गयी ।

(सदन में विद्युत बाधा के कारण माईक काम नहीं कर रहे थे)

श्री प्रमोद तिवारी–

मान्यवर, मेरा एक सुझाव है । अगर माननीय मुख्य मंत्री जी ने जो [xxx] कहा है उसे वापस ले लें तो बिजली वापस आ जायेगी ।

श्री शिव कुमार बेरिया–

मान्यवर, लगता है कि सरकार का फ्यूज उड़ गया है ।

श्री देवेन्द्र पाल सिंह–

मान्यवर, जब पूरी सरकार यहां पर बैठी है और यहां पर विद्युत की आपूर्ति नहीं हो पा रही है तो गांव देहातों का क्या हाल होगा ?

(विपक्ष की ओर से नारा लगा कि ऊर्जा मंत्री को बर्खास्त करो, बर्खास्त करो)

श्री लालजी वर्मा–

मान्यवर, यह जो मंदिर तोड़े जा रहे हैं उससे भगवान रुष्ट हो गये हैं इसीलिये बिजली चली गयी है ।

(सदन में विद्युत के पुनः आने पर)

श्री प्रमोद तिवारी–

मान्यवर, एक मेरा निवेदन है वह यह है कि माननीय मुख्य मंत्री जी बोलें वह सही बोलें नहीं तो बिजली फिर से चली जायेगी ।

श्री कल्याण सिंह–

श्रीमन्, जब प्रमोद तिवारी जैसे साथी होंगे तो वहां पर अंधेरा ही होगा ।

श्री उपाध्यक्ष–

मुझे तो सबसे ज्यादा चिन्ता इस बात की थी कि अंधेरे में कहीं टक्कर न लग जाये ।

नोट [xxx] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

श्री प्रमोद तिवारी–

मान्यवर, आज तक के इतिहास में, जहां तक मुझे जानकारी है, इतनी देर तक सदन में बिजली नहीं रही तो इसकी जांच करा लें कि किन परिस्थितियों में बिजली इतनी देर तक गयी ?

श्री बाबू राम यादव–

मान्यवर, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है ।

श्री उपाध्यक्ष–

मैं उसे उठाने की अनुमति नहीं देता हूं । आप कृपया बैठ जायें ।

श्री कल्याण सिंह–

तो, श्रीमन्, मैं कह रहा था कि 25 अक्टूबर, 1991 को जो मा० उच्च न्यायालय ने निर्णय दिया था उस निर्णय के विरुद्ध एक भी कार्य इस सरकार ने नहीं किया और मैं कहना चाहता हूं कि मा० उच्च न्यायालय ने उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा अयोध्या में राम जन्म भूमि में 2.77 एकड़ भूमि के अधिग्रहण की कार्यवाही को वैध ठहराया है । लेकिन स्थाई निर्माण कराने की मनाही थी ।

श्री मो० आजम खां–

वहां पक्की दीवार बन रही है ।

श्री उपाध्यक्ष–

माननीय मंत्री जी बोल रहे हैं, आप बैठें ।

(सदन की बिजली चले जाने पर)

कुंवर रेवती रमण सिंह–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्य मंत्री जी से आग्रह करूंगा कि सदन में केवल सत्य बोलें, तो बिजली नहीं जायेगी, सत्य से परे बात बोलेंगे, तो बिजली चली जायेगी ।

श्री कल्याण सिंह–

मान्यवर, हमारे कई विपक्षी सदस्यों ने असत्य भाषण कर दिये हैं, जिसका दुष्परिणाम धीरे-धीरे हो रहा है । तो श्रीमन्, मैं इस निर्णय को पढ़कर माननीय सदन का समय नहीं लेना चाहता, लेकिन इतना कहना चाहता हूं कि किसी तरह से न्यायालय के निर्णय का उल्लंघन नहीं हुआ है । मैं चाहता हूं कि यह बड़ा संवेदनशील मामला है और इसके लिये हमको कोई ऐसी बात नहीं कहनी चाहिये, जिससे देश और प्रदेश की जनता के अन्दर अनावश्यक भ्रम पैदा हो, लेकिन मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि इन लेगों द्वारा सरासर असत्य, निराधार आरोप लगाकर, बेबुनियाद बातें कहकर इस प्रदेश की जनता को गुमराह करने की कोशिश की जा रही है । अयोध्या में मन्दिर तोड़े जा रहे हैं, यह सच नहीं है, मैं इस बात को अनेक बार स्पष्ट कर चुका हूं, वहां पर श्रीमन् न्यायालय ने हमको यह अधिकार दिया है...

(बीच में बाबूराम यादव के खड़े होकर कुछ बोलने का प्रयास करने से व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष–

माननीय यादव जी, माननीय मुख्य मंत्री जी बोल रहे हैं, आप बैठ जायें और माननीय मुख्य मंत्री जी को अपना भाषण पूरा करने दें ।

(श्री बाबूराम यादव जी के पुनः बोलने का प्रयास करने पर)

श्री उपाध्यक्ष–

यादव जी जो कुछ कह रहे हैं, वह लिखा नहीं जायेगा ।

श्री शिव कुमार बेरिया–

मान्यवर, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है ।

श्री उपाध्यक्ष–

यह गलत परम्परा है । माननीय नेता सदन बोल रहे हैं और आप लोग व्यवधान पैदा कर रहे हैं ।

श्री शिव कुमार बेरिया–

मान्यवर, अगर अयोध्या में कोई मन्दिर नहीं गिराया जा रहा है तो आप एक कमेटी क्यों नहीं बना देते, वह अयोध्या जाकर देख लेगी, सारा विवाद ही खत्म हो जायेगा ?

श्री उपाध्यक्ष–

यादव जी व श्री बेरिया जी आप लोग अपने-अपने स्थान पर बैठ जायें।

श्री कल्याण सिंह–

मान्यवर, वहां पर साक्षी गोपाल काम्पलेक्स है, उसमें 16 कमरे हैं और न्यायालय का आदेश है कि जिस कमरे में डेइटी रखी है, उसे सुरक्षित रखा जायेगा ।.मैं बताना चाहता हूं कि जिस कमरे में डेइटी रखी है, वह कमरा पूरी तरह सुरक्षित है, उसके अलावा भी एक कमरे को सुरक्षित रखा गया है, इस प्रकार वहां पर कोई मन्दिर नहीं तोड़ा गया है ।

साक्षी गोपाल काम्पलेक्स का मूर्तिवाला कमरा तथा उससे लगे कमरे को छोड़कर, शेष भवन को हटा दिया गया है । इसे हमने स्वीकार किया है ।

(श्री अतीक अहमद, श्री शिव कुमार बेरिया, श्री मुहम्मद आजम खां आदि प्रतिपक्ष के सदस्यों के खड़े होने पर व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष–

माननीय मुख्य मंत्री जी को आप लोग ध्यानपूर्वक सुनें ।

श्री कल्याण सिंह–

दूसरा, जो सुमित्रा भवन था, उसे हटा दिया गया है । परन्तु मैं बताना चाहता हूं कि वह मन्दिर नहीं था । तीसरा, राम जन्म भूमि विवादित ढांचे के बाहर के सभी दुकानों को हटा दिया गया है । वे मंदिर नहीं थे । चौथा, गोपाल भवन को हटा दिया गया है । यह मंदिर नहीं था । पांचवां, लोमेश आश्रम को हटा दिया गया है । यह एक गुमटी टाईप की कुटिया जैसी थी, परन्तु यह भी मंदिर नहीं था । छठा, अभिराम दास जी के मण्डप को भी हटा दिया गया है, यह भी मंदिर नहीं था । सातवां, वहां पर एक पुलिस की कैन्टीन थी ।

श्रीमन्, वहां पर एक पुलिस की चाय कैन्टीन थी उस कैन्टीन को भी हटा दिया गया, परन्तु विपक्ष के नेताओं को भ्रम हो गया कि वह भी मंदिर था, वह मंदिर नहीं था । (व्यवधान) साक्षी गोपाल की बात मैंने बता दी है । श्रीमन्, जिस चीज को लेकर बड़ा शोर मचाया जा रहा है संकट मोचन मंदिर के

बारे में बताना चाहता हूं कि वहां के महंत ने स्वेच्छा से, स्वविवेक से उस मूर्ति को हटा लिया और दूसरे स्थान पर मूर्ति स्थापित हो गयी है, साश्वत तरीके से, विधि विधान से स्थापित हो गयी है, चौबुर्जी में मूर्ति स्थापित है वहां पर पूजा हो रही है हनुमान भक्त चौबुर्जी जा सकते हैं ।

इसके अलावा 2.77 एकड़ भूमि पर कुछ झोपड़ियां थीं या जो अस्थायी निर्माण थे उनको भी हटा दिया गया है । तो वह झोपड़ियां भी मंदिर नहीं थी ।

श्री अतीक अहमद–

[xxx].

श्री उपाध्यक्ष–

माननीय अतीक साहब आप बैठ जायं ।

(व्यवधान)

श्री कल्याण सिंह–

श्रीमन्, नारे बाजी चाहे कर लें लेकिन वाक आऊट करके मत भाग जायं ।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष–

माननीय मुख्य मंत्री जी बोल रहे हैं, उनको शांति से सुनें, यह परम्परा गलत है बार-बार खड़े होकर व्यवधान पैदा करना ठीक नहीं । (व्यवधान) मैं अनुमति नहीं दे रहा हूं । जो कुछ माननीय सदस्य कह रहे हैं वह कार्यवाही से निकाल दिया जायेगा ।

श्री. शिव कुमार वेरिया–

[xxx]

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष–

जो कुछ बोल रहे हैं लिखा नहीं जायेगा ।

श्री अतीक अहमद–

[xxx]

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष–

माननीय अतीक अहमद साहब से अनुरोध कर रहा हूं कृपया वह बैठ जायं । माननीय मुख्य मंत्री जी बोल रहे हैं, आप बैठ जायं । (व्यवधान) आप जो कुछ कह रहे हैं लिखा नहीं जायेगा । मैं अनुमति नहीं दे रहा हूं ।

(घोर व्यवधान)

नोट: [xxx] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

श्री अतीक अहमद–

[xxx]

(घोर व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष–

अतीक अहमद जी आप बैठ जायं । आपको अनुमति नहीं दी है । आप कृपा करके बैठ जायं । आप व्यवधान पैदा कर रहे हैं ।

(व्यवधान)

श्री राम औतार शाक्य–

मान्यवर, एक स्पष्टीकरण चाहता हूं ।

श्री उपाध्यक्ष–

स्पष्टीकरण बाद में लिया जाता है पहले नहीं । पहले शांति से मुख्य मंत्री जी की बात सुन तो लें । अभी आप बैठ जायं । जब माननीय मुख्य मंत्री जी की बात समाप्त हो जाय उस समय आप स्पष्टीकरण मांगें । यह समय स्पष्टीकरण मांगने का नहीं है । कृपया आप बैठ जायं ।

श्री कल्याण सिंह–

श्रीमन्, संकट मोचन हनुमान जी के मंदिर के बारे में जो चर्चा फैलाई जा रही है इसके बारे में, मैं आपको बताना चाहता हूं कि वहां के महन्त श्री राम आसरे दास का वह पत्र मेरे पास है जिसमें उन्होंने स्वेच्छा से वहां से मूर्ति हटाने की बात लिखित रूप से दी है ।

(घोर व्यवधान)

श्री विजय सिंह राणा–

मान्यवर, यहां पर लोगों को शंका हो रही है ।.....

(व्यवधान)

श्री शिव कुमार बेरिया–

मान्यवर, पुजारी को पूजा करने का अधिकार है । उसको यह अधिकार नहीं है कि वह मंदिर को किसी को बेचे या दान में दे । यह जबरदस्ती लिखवाया गया होगा ।

श्री कल्याण सिंह–

श्रीमन्, मैं बता रहा था कि वहां से मूर्ति को हटाकर चौबुर्जी आश्रम में ले जाकर स्थापित कर दिया गया है । जहां पर पूजा अर्चना हो रही है । श्रीमन्, इसी प्रकार से वहां पर जो साक्षी गोपाल मंदिर में 16 कमरे थे । उनमें से जहां मूर्ति स्थापित है उस कमरे और उसके साथ लगे हुए कमरे ज्यों के त्यों पूर्ववत् बने हुए हैं । मेरे पास वहां के महन्त राम कृपाल दास का भी लिखित पत्र मौजूद है जिसमें उन्होंने लिखा था मैं रामकृपाल दास चेला महन्त श्री भरत दास साक्षी गोपाल मंदिर, मोहल्ला राम कुटी, थाना-राम जन्म भूमि, जिला फैजाबाद का रहने वाला हूं तथा साक्षी गोपाल मंदिर का महन्त भी हूं । मुझे बड़ी

प्रसन्नता है कि राम मंदिर का निर्माण शीघ्र ही होने वाला है । मैं अपने साक्षी गोपाल मंदिर का समस्त मलवा, खिड़की, दरवाजे आदि स्वेच्छा से बिना किसी जोर दबाव से दूसरी जगह ले जा रहा हूं । तहरीर लिख दी ।....

(घोर व्यवधान)

(कई सदस्य एक साथ खड़े होकर बोलने लगे)

श्री सुरेन्द्र सिंह–

यह जबरदस्ती लिखवाई गई है । सत्य से परे सदन में बात कह रहे हैं ।

(व्यवधान)

श्री कल्याण सिंह–

इसी प्रकार से मैंने सुमित्रा भवन के बारे में चर्चा की थी । उसे हटाया गया है । वहां के जो मालिक हैं उन्होंने भी लिखित रूप से दे दिया है ।....

(घोर व्यवधान)

(दोनों पक्षों के माननीय सदस्य एक साथ बोलने लगे)

श्री उपाध्यक्ष–

आप लोग कृपया शांति बनाये रखिये ।

(व्यवधान)

कृपया शान्ति बनाए रखें ।

(व्यवधान)

कुंवर रेवती रमण सिंह–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से मुख्य मंत्री जी से आग्रह करूंगा कि इन्होंने जो हुल्लड़बाजों की फौज इकट्ठा की है–

(घोर व्यवधान)

श्री सत्य देव पचौरी–

जो हुल्लड़बाजों की फौज कहा है यह असंसदीय है इसको सदन की कार्यवाही से निकाला जाना चाहिए ।

(घोर व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष–

कृपया आप सब शांत हो जाएं ।

कुंवर रेवती रमण सिंह–

मान्यवर, इन बेचारों पर बड़ी दया आती है कि संसदीय परिपाटी नहीं जानते हैं और सीखना भी नहीं चाहते हैं । माननीय मुख्य मंत्री जी जरा इनको समझा दीजिए ।

(व्यवधान)

मान्यवर, यह सुनना ही नहीं चाहते हैं इन्होंने यह साबित कर दिया है कि संसदीय प्रणाली में इनका कोई विश्वास नहीं है और इन्होंने मंदिर गिरवाए हैं इसलिए मैं और मेरा दल सदन का बहिष्कार करता है।

(कुंवर रेवती रमण सिंह जी ने अपने दल के सदस्यों के साथ सदन का त्याग किया)

श्री उपाध्यक्ष–

कृपया शान्ति बनाए रखें और मुख्य मंत्री जी को सुनें।

श्री अतीक अहमद–

श्रीमन्, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है–

श्री उपाध्यक्ष–

मैं आपको अनुमति नहीं दे रहा हूं।

माननीय अतीक अहमद जी आप बार-बार खड़े होकर व्यवधान न पैदा करें, कृपया बैठ जायं। संसदीय परम्पराओं का ज्ञान हासिल करें।

श्री अतीक अहमद–

[xxx]

श्री उपाध्यक्ष–

मा० अतीक साहब जो बोल रहे हैं वह नहीं लिखा जायगा।

श्री अतीक अहमद–

[xxx]

श्री उपाध्यक्ष–

आप कृपया बैठ जायं।

श्री कल्याण सिंह–

श्रीमन्, मैं जहां रुका था वहीं से प्रारम्भ कर रहा हूं। सुमित्रा भवन के जो महन्त हैं, राज मंगल दास, उन्होंने लिखित तहरीर दी है। मैं उसको बता रहा हूं। मैं राज मंगल दास, चेला श्री श्री 108 रामदास, निवासी सुमित्रा भवन, मोहल्ला राम कुटी, थाना राम जन्म-भूमि, अयोध्या, जिला फैजाबाद का निवासी हूं। निकट भविष्य में श्री राम मंदिर का निर्माण होने वाला है, मुझे इस बात की बड़ी प्रसन्नता है। मैं अपने निवास स्थान का मलबा, खिड़की दरवाजे आदि, स्वेच्छा से प्रसन्नचित्त होकर बिना किसी जोर दबाव के लेकर जा रहा हूं। तहरीर लिख दिया ताकि वक्त जरूरत काम आये।

मान्यवर, मैं यह स्पष्ट करना चाहता हूं कि दो बातें साफ हो गयीं हैं। एक तो जो कुछ सरकार ने वहां कार्यवाही की है वह अपने वैधानिक अधिकार के निर्णय के अन्तर्गत की है न तो न्यायालय की

[xxx] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

कहीं किसी प्रकार से अवहेलना हुई है और न राष्ट्रीय एकता परिषद् में जो कुछ हमने कहा था उसकी अवहेलना हुई है ।

श्री मोहम्मद आजम खां–

आपने जो कहा था उसकी अवहेलना हुई है ।

श्री कल्याण सिंह–

श्रीमन्, माननीय नेताओं ने कुछ बिंदु उठाये हैं । हमारे स० ज० पा० के नेता श्री बेनी प्रसाद वर्मा जी ने दो बातें कही हैं ।

श्री उपाध्यक्ष–

माननीय बेनी प्रसाद वर्मा स० ज० पा० के नेता हैं आपके नेता तो नहीं हैं ।

श्री कल्याण सिंह–

मान्यवर, स० ज० पा० के नेता हैं लेकिन हमारे मित्र हैं । हमारी मित्रता बहुत पुरानी है इसमें किसी को क्या ऐतराज हो सकता है ?

श्रीमन्, माननीय वर्मा जी ने कहा कि सरकार को चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिये । लेकिन मुझे लगता है कि जिस प्रकार की बातें वे कर रहे हैं या जिस प्रकार से निराधार वह प्रचार कर रहे हैं उसके लिये, डूबने के लिये चुल्लू भर पानी पर्याप्त न होकर किसी तालाब का पानी भी कम पड़ जायगा । वर्मा जी ने आरोप लगाया कि वे बदले की भावना से कार्य कर रहे हैं । मैं यकीन दिलाना चाहता हूं कि बदले की भावना से किसी के खिलाफ न आज कोई कार्यवाही कर रहे हैं और न कल करेंगे ।

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

मान्यवर, यह फासिस्टवादी सच पर आधारित है ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

चलो यह तो जानकारी मिल गयी कि आपने फासिस्टवाद पढ़ा है ।

श्री नरेश अग्रवाल–

फासिस्टवाद पढ़ा नहीं, बल्कि देख रहे हैं ।

श्री कल्याण सिंह–

श्रीमन्, स० ज० पा० के प्रान्तीय अध्यक्ष और हमारे पुराने मित्र माननीय श्री मुलायम सिंह जी,.....

हम तो अब भी आपको मित्र मानते हैं ।

श्री उपाध्यक्ष–

माननीय मुख्य मंत्री जी, अपने संबंधों का खुलासा क्यों कर रहे हैं ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

क्या यह सच है कि आप मुझे मित्र मानते हैं ?

श्री कल्याण सिंह–

यह अपराध बोध क्यों हो रहा है कि हम आपको मित्र नहीं मानते ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

क्या यह सच है कि माननीय मुख्य मंत्री जी हमको मित्र मानते हैं ? आप जो बोल रहे हैं, क्या यह सच है, मित्र मान रहे हैं ? सच क्या है ?

श्री कल्याण सिंह–

मान्यवर, हम तो सबको अपना मित्र मानते हैं, उसी में माननीय मुलायम सिंह जी भी हैं । अगर ऐसा लग रहा है कि मित्र नहीं मान रहे हैं तो यह उनका अपराध बोध है, उसको ठीक कर लें ।

श्री मुलायम सिंह यादव–

सबको मित्र मानते हैं, उसी में मुझे मानते हैं । मुझको सामान्य कर दिया । सभी में मुलायम सिंह यादव भी मिल जाते हैं । स्थिति तो सामने आ गयी । नहीं तो मुझे आधा घंटा बोलने का मौका दिया जाता । ये हमारी स्वतंत्रता का हनन कर रहे हैं । इससे ज्यादा असत्य और क्या बोलेंगे ?

श्री कल्याण सिंह–

मैंने यह कह दिया कि सबको मित्र मानता हूं तो मुलायम सिंह यादव जी को प्रसन्नता व्यक्त करनी चाहिये । क्या मुझको यह कहना चाहिये कि आपको मित्र मानता हूं और बाकी को नहीं मानता हूं मैं यह नहीं मानता कि इस सदन के अन्दर यहां जितने लोग बैठे हैं, कोई भी माननीय सदस्य सम्मान की दृष्टि से किसी भी तरह से नीचे हैं । इसलिये कह दिया कि सबको मित्र मानता हूं । हमारी मित्रता का दायरा चौड़ा है, इसके लिये इनको प्रसन्नता होनी चाहिये, बजाय इसके कि ये कहें कि इन्हीं को मित्र मानते हैं, सबको नहीं । श्रीमन्, अभी एक बात यह कही कि बाधाओं को दूर करेंगे और यह भी कहा गया कि हम यह कहते हैं कि मुलायम सिंह यादव जी बाधा हैं, इसलिये उनको दूर करेंगे, उनको हमने नहीं, जनता ने दूर किया है । लेकिन मैं साफ कह देना चाहता हूं कि राम मंदिर जैसे राष्ट्रीय महत्व के मुद्दे पर जो भी बाधक बनेगा, जनता उसको निकाल देगी, जनता उसको पराजित कर देगी । श्रीमन्, माननीय नेता विरोधी दल चले गये । उनका कहना था कि जनता को भ्रमित करके हम सत्ता में आये हैं सच यह है कि जनता के सामने अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करके, स्पष्ट रूप से रख कर हम सत्ता में आए हैं, किसी को भ्रमित नहीं किया है । एक बात और कही गयी चलते-चलते ।

श्री प्रमोद तिवारी–

चलते-चलते, सरकार के चलते-चलते या कल्याण सिंह के चलते । जब स्वीकार कर लिया चलते-चलते तो क्या सरकार जाने वाली है ?

श्री कल्याण सिंह–

इन्होंने कुछ ऐसी बातें कही हैं जो चलते-चलते रास्ते में बता दूंगा । चलती हुई बातें हैं । एक बात पता नहीं कैसे कही गयी, माननीय नेता विरोधी दल द्वारा कि सरकार ने 100 दंगे करा दिये । मैं नहीं जानता था कि माननीय नेता विरोधी दल का अंकगणित कमजोर होगा, इतना कमजोर होगा कि 100 और 2 में भी फर्क नहीं कर सकते ।

इस शासन के रहते यह पहला मौका है जब जलता, धधकता उत्तर प्रदेश मिला, साम्प्रदायिक दंगे में जलता हुआ उत्तर प्रदेश मिला । हमने उन दंगों पर नियंत्रण किया है और जो भी साजिश दंगे की करेगा, वह कोई भी क्यों न हो, सख्ती से निपटा जायेगा । वह अपने ही दल के नेता, उस समय के तत्कालीन मुख्य मंत्री, उनका इतिहास उठा कर देखें, कितनी जानें चली गयीं, दंगों में, और उन्हीं के समय में मुठभेड़ों के नाम पर जाने गयीं ।

(घोर व्यवधान)

श्रीमन्, उनके कार्यकाल में खासतौर से पिछड़े वर्ग के लोगों की हत्यायें कराई गयीं । क्या इस पाप से वह मुह मोड़ सकते हैं ? यह वह सरकार है जो सबकी जान की सुरक्षा देकर काम कर रही है । एक बात कही गयी कि श्रीनगर गये, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री मुरली मनोहर जोशी ने वहां पर पुलिस, पी० ए० सी० के संरक्षण में झंडा-रोहण किया ।

(व्यवधान)

श्री मुलायम सिंह यादव–

उससे ज्यादा आप कर रहे हैं ।

(व्यवधान)

श्री कल्याण सिंह–

यह सरकार उतनी ही जागरूक है ।

(व्यवधान)

श्रीमन्, श्रीनगर के अन्दर भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने झंडा-फहराया । मैं कहना चाहता हूं कि कोई तो आकर निकले, चाहे जनता दल हो, चाहे निर्दलीय ही हो, 15 अगस्त का दिन आ रहा है, कोई भी माई का लाल हो, तो वह वहां पर जाकर श्रीनगर में झंडा-रोहण करे ।

(मेजों की थपथपाहट)

श्री शिव कुमार बेरिया–

मान्यवर, मिलिट्री के घेरे में झंडा-रोहण किया ।

(घोर व्यवधान)

श्री कल्याण सिंह–

हमने तो सबको कहा कि जिसके अन्दर साहस हो, वह जाय ।

(घोर व्यवधान)

श्री शिव कुमार बेरिया–

मान्यवर, माननीय मुख्य मंत्री ने पूरे सदन को चुनौती दी है ।

(घोर व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष–

कृपया माननीय मुख्य मंत्री को अपनी बात पूरी करने दें ।

श्री शिव कुमार बेरिया–

मान्यवर, पूरे सदन को चुनौती दी गयी है । मैं उस चुनौती को स्वीकार करता हूं ।

(घोर व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष–

आप कृपया बैठ जायं ।

यह तरक्की ठीक नहीं हैं ।

(व्यवधान)

श्री कल्याण सिंह–

माननीय कैलाश नाथ सिंह जी ने कुछ बिन्दु उठाये । उनकी बात को सुनकर दुख हुआ ।

श्री अतीक अहमद–

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न है ।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष–

आप व्यवस्था का प्रश्न उठाकर अपनी बात कह लेते हैं और बार-बार खड़े हो जाते हैं । कृपया मुख्य मंत्री जी को बोल लेने दीजिये । पहले वह अपनी बात कह दें, तब आप व्यवस्था का प्रश्न उठायें ।

(श्री अतीक अहमद के खड़े रहने पर)

आप कृपया बैठ जाइये । मैं कह रहा हूं कि पहले माननीय मुख्य मंत्री जी को बोल लेने दीजिये ।

श्री कल्याण सिंह–

श्रीमन्, माननीय कैलाश नाथ सिंह यादव जी ने सदन में एक बात कह दी, जिसको सुनकर बड़ा दुख हुआ । उन्होंने कहा कि पिछली बार जब अयोध्या कांड के लिये आयोग का गठन किया गया था, तो उसमें अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक जज थे और इस बार ऐसा नहीं किया गया है । मैं कहना चाहता हूं कि वह अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक की मानसिकता के शिकार हैं और न्यायपालिका की परिधि पर उसी भाषा में बोल रहे हैं । जज जज होता है । जज सबको न्याय देता है । वह यह नहीं देखता है कि जिसने केस रखा है, वह अल्पसंख्यक है या बहुसंख्यक है । जज को अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक की परिधि में लाना न्यायपालिका के साथ अन्याय है, और उसका अवमान है ।

जज की गरिमा होती है और न्यायपालिका की एक गरिमा होती है । उन्होंने अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक की बात कहकर न्यायपालिका की गरिमा को ठेस पहुंचाया है । वह चयन सरकार का था और यह चयन हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस का है । उच्च न्यायालय को लिखा गया कि एक न्यायाधीश भेज दें, उन्होंने जो व्यक्ति दे दिया उसको हमने स्वीकार कर लिया । उसका चयन सरकार के हाथ में नहीं था, उच्च न्यायालय ने किया है । अवकाश प्राप्त जज सरकार द्वारा मनोनीत थे और अब जिस सिटिंग जज का नाम उच्च न्यायालय ने दिया है, उससे जांच करायी जायेगी ।

श्री प्रमोद तिवारी जी ने कुछ बिन्दु उठाये । मैंने कहा कि हमारी सरकार पारदर्शी है । मैं फिर दोहराता हूं कि इस प्रकार की सरकार पहले कभी सूबे में नहीं आयी है और न कभी आयेगी । अब मान्यवर, कुछ सदस्यों ने कहा कि जल्दी ही भूतपूर्व हो जायेंगे ....

[समय 3 बजकर 45 मिनट]

उत्तर प्रदेश को अभूतपूर्व सरकार मिली है, भूतपूर्व कैसे हो जायेगी । श्रीमन्, आपने कहा माननीय प्रमोद जी ने कहा दो दृष्टिकोण अपनाये जा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी अयोध्या में संसद के दल को और राष्ट्रीय एकीकरण परिषद् की स्थायी समिति के आने पर ऐतराज प्रकट कर रही है ।

श्री प्रमोद तिवारी–

मैंने यह नहीं कहा था, गलतबयानी हो जायेगी । मैंने यह कहा था कि आपने पत्र लिखकर गृह मंत्री, भारत सरकार और प्रधान मंत्री को कहा कि भेजें, लेकिन आपके नेता श्री अटल बिहारी बाजपेयी और श्री जोशी जी ने कहा है कि वहां भेजने की आवश्यकता नहीं है, यह राज्य के मामले में हस्तक्षेप होगा ।

श्री कल्याण सिंह–

मैं यही कहने जा रहा था, आपने यह कहा कि मुख्य मंत्री के नाते से हमने भारत के माननीय प्रधान मंत्री और माननीय गृह मंत्री जी को लिखा, उस निमंत्रण को याद कराते हुए, जो हमने राष्ट्रीय एकीकरण परिषद् की बैठक को दिया कि राष्ट्रीय एकीकरण परिषद् की समिति आकर अयोध्या का भ्रमण करे । दुबारा से उनको आग्रह किया, लिखकर भेज दिया अब माननीय तिवारी जी का कहना है कि मुख्य मंत्री के नाते, सरकार के नाते हमने नियंत्रण भेजा है, तो भेजा है, यह कहा गया कि डा० जोशी नें और अटल बिहारी बाजपेयी जी ने इसका यह कह कर विरोध किया कि संसद सदस्यों के या वहां के दल के यहां आने से इस प्रकार के कामों में हस्तक्षेप है, यह कोई औचित्य नहीं है ।

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

आपने बुलाया है तो हमारी जैसी खातिर करने का इरादा तो नहीं है ?

श्री कल्याण सिंह–

वह भी बता देंगे । माननीय अटल बिहारी बाजपेई और डा० मुरली मनोहर जोशी ने जिस संदर्भ में कहा है उस संदर्भ को अनदेखा कर के उसे एकाकी रूप में देखा जायेगा तो उचित नहीं होगा । यह तब कहा उस प्रसंग में जब भारत सरकार के गृह मंत्री जी ने राज्य सभा के अन्दर उत्तर प्रदेश की सरकार के खिलाफ संविधान के आर्टिकल 356 के अन्तर्गत कार्यवाही करने की धमकी दी और यह कहा कि यह फैक्ट फाइंडिंग कमेटी के रूप में काम करेगी फाल्ट फाइंडिंग कमेटी के रूप में ज्यादा काम करेगी ।

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

राज्य सभा में सरकार ने धमकी देकर गलत काम किया था. यह नहीं करना चाहिये था । इनको यह करना चाहिये था, मैं तो कहता हूं, कार्यवाही कराइये ।

(शोर)

श्री कल्याण सिंह–

मैं चाहता हूं कि अगर यह करने में कांग्रेस कमजोर पड़ रही हो तो माननीय वर्मा जी की पार्टी भी जाकर तेल मालिश कर दे और कार्यवाही करने की सिफारिश करा दें। हमारा दृष्टिकोण स्पष्ट है जनता के द्वारा विधिवत् निर्वाचित सरकार को भंग करने की धमकी देना अलोकतांत्रिक है, असंवैधानिक है और जनता के साथ विश्वासघात है, जनता इसे कभी बरदाश्त नहीं कर सकती। उस प्रसंग में कहा गया धमकी देकर वहां जाना चाहते हैं तो क्या औचित्य है ? हमने अपने नेताओं से कहा स्थाई समिति के सदस्य वहां भी जाकर देखें तो श्रीमन्, किसी प्रकार का विरोधाभास नहीं है। आपने कहा कि हमने पूजा स्थल अधिनियम, 1991 की अवहेलना की है, अगर की है तो अदालत में जाइये, दरवाजे खुले हैं। मैं यह कहना चाहता हूं कि हमने पूजास्थल अधिनियम, 1991 की कोई अवहेलना नहीं की है।

(व्यवधान)

जो लोग अयोध्या में मंदिर तोड़ने का निराधार आरोप लगाकर प्रदेश और देश की जनता को गुमराह कर रहे हैं ऐसे लोगों को हम अयोध्या को राजनीति का अखाड़ा बनाने की इजाजत नहीं दे सकते।

(श्री अतीक अहमद के खड़े होने से घोर व्यवधान)

अयोध्या में मंदिर तोड़ने का आरोप लगाने वालों के लिये न तो मंदिर महत्वपूर्ण है, न मस्जिद महत्वपूर्ण है और न गुरुद्वारा महत्वपूर्ण है, केवल वोटर लिस्ट महत्वपूर्ण है, उसी पर नजर रखकर सारी कार्यवाही की जा रही है।

(श्री बेनी प्रसाद वर्मा के खड़े होने पर व्यवधान)

अयोध्या में मंदिर का मुद्दा कोई साम्प्रदायिक मुद्दा नहीं है, यह राष्ट्रीय अस्मिता, राष्ट्रीय गौरव का मुद्दा है। राष्ट्रीय पहचान का मुद्दा राम जन्म-भूमि पर राम का मंदिर बनेगा और मेरी सरकार हर बाधा को दूर करेगी। उसे बनाने के लिये कोई भी कीमत बड़ी नहीं है। राम मंदिर बनाने के मार्ग में अगर आवश्यकता पड़ गयी कि सत्ता चुननी है कि मंदिर तो हम सत्ता को छोड़कर मंदिर को चुनेंगे क्योंकि यह लोगों की भावनाओं का सवाल है।

(श्री अतीक अहमद के खड़े होने से व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष–

आप बैठ जायें बार-बार व्यवधान न पैदा करें। मैं अनुमति नहीं दे रहा हूं।

(श्री अतीक अहमद के खड़े रहने से व्यवधान उत्पन्न हुआ)

श्री उपाध्यक्ष–

आप बैठ जायें मैं अनुमति नहीं दे रहा हूं।

श्री कल्याण सिंह–

मैं मंदिर की बात उठाने वालों से जानना चाहता हूं, मेरा कहना है कि मंदिर नहीं तोड़े गये हैं, फिर भी प्रचार करके गुमराह किया जा रहा है अनन्तनाग के अन्दर .....

(श्री अतीक अहमद के खड़े होकर बोलने का प्रयत्न करने से घोर व्यवधान उत्पन्न हुआ)

श्री उपाध्यक्ष–

आप कृपया बैठ जायें ।

(व्यवधान)

माननीय अतीक अहमद जी आप बार-बार व्यवधान पैदा करने की कोशिश न करें, मैं अनुमति नहीं दे रहा हूं, आप कृपया बैठ जायं ।

श्री हरेन्द्र सिंह–

मान्यवर, यह जानने की कोशिश की जा रही है कि बाधायें क्या-क्या हैं मंदिर बनाने में, दूसरे यह मंदिर कैसे टूटे हैं ?

श्री उपाध्यक्ष–

माननीय मुख्य मंत्री जी की बात समाप्त होने के बाद कोई भी माननीय सदस्य यदि चाहे तो स्पष्टीकरण पूछ सकता है । बीच में टोकाटाकी न करें ।

श्री कल्याण सिंह–

उस अनन्तनाग में, कश्मीर घाटी में जब मंदिर ध्वस्त किये गये थे तो इनका मंदिर प्रेम कहां चला गया था ? मान्यवर, यह राम जन्म-भूमि के मुद्दे को लेकर न इनमें कोई मंदिर की चिन्ता है न मस्जिद की चिन्ता है, केवल वोट की चिन्ता है । अगर मंदिर की चिन्ता होती तो अनन्तनाग में जो मंदिर तोड़े गये थे तो इनमें से एक तो कोई वहां जाता ।

श्रीमन्, सजपा के माननीय नेतागण व अन्य कार्यकर्ताओं को क्यों रोका गया, यह बताना चाह रहा हूं । तीन स्थानों पर उन्हें रोका गया । रस्सा बांध कर उन्हें बताया गया कि इससे आगे नहीं जायेंगे पहले रस्से पर रोका गया लेकिन नहीं रुके ...

श्री हृदय नारायण दीक्षित–

उन्हें वहां क्यों रोका गया ?

श्री कल्याण सिंह–

हम बता देंगे कि क्यों रोका गया ।

श्रीमन्, उसके बाद इधर उधर से उस रस्से को हटाकर दूसरे रस्से पर पहुंच गये वहां रोका गया लेकिन आगे बढ़ते रहे । तीसरे रस्से पर जाकर हाथापाई कर डाली, पुलिस पर पथराव किया गया, उन पर डण्डे निकालकर हमला किया गया । पुलिस के एक कर्मचारी रमेश कुमार यादव का सिर फट गया उनके सिर पर टांके आये हैं जाकर देख आइये । इसी प्रकार से नौ अन्य कांस्टेबिलों को चोटें आयी हैं आपस में गुत्थमगुथा हो गयी । मैं मानता हूं कि प्रदर्शनकारियों को भी चोटें आयीं लेकिन किसी को भी गम्भीर चोटें नहीं हैं । जब गुत्थमगुथा होगी, पुलिस पर पथराव होगा, डण्डे बरसाये जायेंगे तो आखिर वहां पर कानून व्यवस्था, शांति व्यवस्था बनाये रखने के लिये कुछ तो करना ही पड़ेगा कि कहीं अयोध्या में इस तरह की कोई स्थिति न पैदा होने पाये कि कहीं वहां कोई ऐसी बात न घटित हो जाय जिससे कि देश प्रदेश का वायुमण्डल खराब हो जाय, इस नाते रोकने की कोशिश की । असली बात क्या है ? असली बात यह है कि यह ऐलान करके गये थे कि 10 हजार लोग जायेंगे, लोग मुश्किल से गये साढ़े चार सौ । तो यह अयोध्या का इनका कूच पूर्णतया विफल था क्योंकि इसमें जनता ने साथ नहीं दिया ।

(सत्तापक्ष की ओर से मेजों की थपथपाहट) और जनता ने यह जता दिया कि आगे भी इस तरह के किसी कूच को सफलता नहीं प्रदान करेगी ।

श्रीमन्, अयोध्या में जाकर धरना, प्रदर्शन, नारेबाजी होती, आपस में टेंशन होता, टकराव होता, तनाव होता तो तब इन्हें कहने का मौका मिल जाता कि उत्तर प्रदेश की सरकार की वजह से वहां तनाव पैदा हो गया । मान्यवर, आज प्रदेश में कहीं कोई तनाव नहीं है, देश में कहीं कोई तनाव नहीं है । तनाव पैदा किया है विपक्ष ने । लोक सभा के अन्दर, राज्य सभा के अन्दर तनाव पैदा किया गया है । तनाव केवल वोटों के सौदागरों के दिमाग में है और कहीं नहीं है । श्रीमन्, हमारे दृष्टिकोण बड़े स्पष्ट हैं । मैं फिर दोहराना चाहता हूं कि यहां पर हमने किसी भी प्रकार से कभी भी माननीय न्यायालय की अवमानना नहीं की है और जो कुछ काम हमने किया है वह कानून की परिधि में रहते हुए किया है । मैं खंडन करना चाहता हूं कि जो आरोप लगाया गया है कि राम मंदिर तोड़े गये हैं वह गलत है । श्रीमन्, स० ज० पा० के कार्यकर्ताओं को इसलिये रोका गया कि अयोध्या में कहीं किसी प्रकार की अशांतिपूर्ण बात न पैदा हो जाये । मैं फिर कहना चाहता हूं कि हम अयोध्या के लोगों की वोट की राजनीति का अखाड़ा नहीं बनने देंगे ।

प्रदेश की कानून व्यवस्था सम्हाले रखने की जिम्मेदारी सरकार की है । इसलिये श्रीमन्, मैं कहना चाहता हूं कि यह नियम-311 के अन्तर्गत नहीं आता, यह ग्राह्य करने योग्य नहीं इसलिये इसको निरस्त किया जाना चाहिये ।

श्री प्रमोद तिवारी–

मान्यवर, एक व्यवस्था का प्रश्न है । एक स्पष्टीकरण चाहता हूं ।

श्री उपाध्यक्ष–

मैं इसे उठाने की अनुमति नहीं देता हूं ।

श्री प्रमोद तिवारी–

आपने तो कहा था कि बाद में आप स्पष्टीकरण पूछ लेना ।

श्री उपाध्यक्ष–

मैंने आपसे नहीं कहा था । माननीय अतीक अहमद जी बार-बार खड़े होकर टोका-टाकी कर रहे थे इसलिये उनसे कहा था कि बैठ जायें । इस पर कोई चर्चा नहीं हो रही है । आप सहयोग करें और मार्गदर्शन करें ।

श्री प्रमोद तिवारी–

लेकिन मान्यवर, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है कृपया उसे सुन लें ।

श्री उपाध्यक्ष–

यह कोई चर्चा नहीं हो रही है । इस पर ग्राह्यता पर सुना जा रहा था । मैं इस सूचना को नियम-311 के अन्तर्गत जो प्राप्त हुई है, उसे अग्राह्य करता हूं और दूसरी सूचना जो माननीय मुलायम सिंह यादव जी की है, उसे लेता हूं ।

श्री प्रमोद तिवारी–

मान्यवर, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है कृपया सुन लें ।

श्री उपाध्यक्ष–

ठीक है कहिये ।

श्री प्रमोद तिवारी–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्य मंत्री जी को बधाई देना चाहता हूं कि यद्यपि उन्होंने घृणित काम किया है मंदिरों को तोड़कर, स्वीकार तो कर लिया है कि मंदिर को हटाया गया है । एक व्यवस्था चाहता हूं । मान्यवर, जिस भवन के हिस्से में विधिवत् मूर्ति की पूजा होती हो ....

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष–

आप लोग कृपया बैठ जायें और माननीय प्रमोद तिवारी जी को अपनी बात कह लेने दें ।

* श्री प्रमोद तिवारी–

मान्यवर, क्या उस स्थान को, जहां मूर्ति धर्मसम्मत ढंग से, विधि विधान से स्थापित की जाय और वर्षों तक सार्वजनिक रूप से दर्शन होता रहे, चढ़ावा चढ़ता रहे, क्या उसे मंदिर कहते हैं या नहीं कहते हैं, मैं इस पर आपकी व्यवस्था चाहता हूं । दूसरी बात, जैसा कि सभी दलों के लोगों ने उल्लेख किया । माननीय मुख्य मंत्री जी कहते हैं कि मंदिर नहीं तोड़े गये, हम कहते हैं कि तोड़े गये हैं । चलिये आप हमारी बात पर विश्वास न करिये, मुख्य मंत्री जी की बात पर भी विश्वास मत करिये । मैं कहता हूं कि यह मेरी चुनौती को स्वीकार करें और माननीय कल्याण सिंह अपना त्याग-पत्र दे दें, मैं अपना त्याग-पत्र दे दूं और सर्वदलीय समिति वहां चली जाय और वहां जाकर सच्चाई देख लें ।

श्री उपाध्यक्ष–

मैं इसकी अनुमति नहीं देता । यह कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है ।

श्री प्रमोद तिवारी–

जिस स्थान पर पूजा होती हो, जहां मूर्तियां स्थापित हों, आरती होती हो, क्या उस स्थल को मंदिर कहते हैं या नहीं कहते हैं, मैं इस पर आपकी व्यवस्था चाहता हूं ।

श्री उपाध्यक्ष–

यह कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है, मैं इसकी अनुमति नहीं देता हूं ।

श्री प्रमोद तिवारी–

मान्यवर, केवल साम्प्रदायिकता फैलाने के लिये इस सरकार द्वारा मंदिरों को तोड़ा गया है । मैं और मेरा दल इसके विरोध में सदन का बहिष्कार करता हैं ।

(श्री प्रमोद तिवारी ने अपने दल के सदस्यों के साथ सदन का बहिष्कार किया)

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री विजय सिंह राणा–

मान्यवर, मैं भी इसके विरोध में सदन का बहिष्कार करता हूं।

(श्री विजय सिंह राणा ने अपने दल के सदस्यों के साथ सदन का बहिष्कार किया)

*श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

मान्यवर, मेरी मुख्य मंत्री जी से अपेक्षा थी और अब भी अपेक्षा है, क्योंकि वह विपक्ष में भी रहे हैं कि वह दरोगा की भाषा का इस्तेमाल नहीं करेंगे। कल की घटना में माननीय सदस्य, विधान सभा, माननीय सदस्य, विधान परिषद् और कई सांसद जख्मी हुए हैं।

श्री उपाध्यक्ष–

माननीय वर्मा जी, किसी चर्चा की अनुमति नहीं दी गयी है, आप अपना स्थान ग्रहण करें।

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

मान्यवर, आप वहां इसलिये नहीं बैठे हैं कि किसी को उसके अधिकारों से वंचित कर दें।

यह इतना गम्भीर मसला है, महिलाओं का अपमान हुआ है, यहां पर कई सदस्यों ने स्वयं अपनी चोटें दिखाई हैं। मैं चाहता था कि मुख्य मंत्री जी इस पर निष्पक्ष जांच की घोषणा करेंगे। लेकिन बदले की भावना से हमारे दल के लोगों को कुचला गया है। मैं चाहता हूं कि आप इस पर निष्पक्ष जांच की घोषणा करें।

श्री उपाध्यक्ष–

श्री वर्मा जी, इस पर कोई चर्चा नहीं हो रही है।

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

आप वहां बैठे हैं, लेकिन सबके अधिकारों का हनन करने के लिये नहीं।

श्री उपाध्यक्ष–

मैं इसकी अनुमति नहीं देता, आप बैठें।

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

मान्यवर, मैं इस अपराधी सरकार के आपराधिक कृत्य के विरोध में अपने दल के साथ सदन का बहिष्कार करता हूं।

(श्री बेनी प्रसाद वर्मा ने अपने दल के सदस्यों के साथ सदन का बहिष्कार किया)

जनपद फैजाबाद के मोहल्ला कसाईबाड़ा स्थित मस्जिद में बम विस्फोट से उत्पन्न स्थिति के संबंध में नियम 311 के अन्तर्गत सूचना

श्री उपाध्यक्ष–

जो नियम-311 के अन्तर्गत अन्य सूचनायें हैं, उनको अग्राह्य करता हूं। एक अन्य सूचना माननीय मुलायम सिंह यादव जी की है, फैजाबाद जिले में कसाईबाड़ा में एक पुरानी मस्जिद को बम विस्फोट द्वारा उड़ाने तथा अनेक व्यक्तियों के घायल हो जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री घनश्याम शुक्ल–

मान्यवर, यह एक व्यवस्था का प्रश्न है। अभी श्री प्रमोद तिवारी जी ने माननीय मुख्य मंत्री जी के ऊपर एक टिप्पणी की थी ....

श्री उपाध्यक्ष–

यह कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं बनता है। मैं आपको इसकी अनुमति नहीं देता हूं।

* श्री मुलायम सिंह यादव–

मान्यवर, मैंने नियम 311 के अन्तर्गत प्रस्ताव किया था कि कसाईबाड़ा, फैजाबाद शहर के अन्दर आज सबेरे 4.40 बजे एक मस्जिद को डाइनामाइट से तोड़ दिया गया है।

(श्री किशोरी श्याम जी के खड़े होने पर–व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष–

मैं आपको अनुमति नहीं दे रहा हूं। माननीय श्री मुलायम सिंह यादव जी यादव आप ग्राह्यता पर अपनी बात कहें।

श्री मुलायम सिंह यादव–

... और पांच मिनट बाद ही नमाज पढ़ने वाले सैकड़ों लोग जा रहे थे। दो घायल हो गये हैं। उस मस्जिद को तोड़ने के कारण वहां इतना असंतोष व्याप्त हो गया है।.....

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष–

आप कृपया बैठ जायं (व्यवधान) शांति से सुनें, कृपया व्यवस्था बनाये रखें। नियम 311 के अन्तर्गत माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने एक सूचना दी थी जिसको माननीय अध्यक्ष जी ने ग्राह्यता पर सुनने के लिये अनुमति दी है। आप कृपया शांति से सुनें। (व्यवधान)

श्री मुलायम सिंह यादव–

उपाध्यक्ष महोदय, जो कसाई बाड़े की मस्जिद तोड़ी गयी एक विस्फोटक से, कहा जाता है कि डायनामाइट से तोड़ी गयी (व्यवधान) यह बहुत गम्भीर सवाल है। यह विस्फोट उस समय हुआ जब 5, 10 मिनट बाद सैकड़ों लोग नमाज पढ़ने जाने वाले थे। एक षडयंत्र के तहत पूरी मस्जिद को उड़ाने की बात थी। इसके विरोध में फैजाबाद में बहुत दुकानें बन्द हैं। यह क्यों तोड़ी गयी इसके पीछे एक साजिश है। आज सदन में मंदिर तोड़ने पर चर्चा हो रही है। मन्दिर और मस्जिद तोड़ने का काम सरकार के संरक्षण में हो रहा है। मंदिर मस्जिद नहीं तोड़ रहे हैं बल्कि देश तोड़ने की बुनियाद रखी जा रही है। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष–

माननीय यादव जी ग्राह्यता पर बोलें।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री मुलायम सिंह यादव–

एक बहुत बड़ी घटना होते-होते बच गयी । 10 मिनट बाद, जब डायनामाइट डाला गया उसके 10 मिनट बाद सैकड़ों लोग नमाज पढ़ने वाले निर्दोष मौलवी, मौलाना तथा और लोग मारे जाते फिर भी दो लोग गम्भीर रूप से घायल हुए हैं । (व्यवधान) यह इस बात को गम्भीरता से नहीं ले रहे हैं, मैं कहना चाहता हूं सत्ता के मद में बहुत ज्यादा मत रहो (व्यवधान) यह चलने वाला नहीं हैं । आज पूरे प्रदेश और देश के अन्दर आक्रोश व्याप्त हो गया है, शांति व्यवस्था खतरे में है । सरकार के पास कोई चारा नहीं रह गया है इसलिये पूरे प्रदेश और देश में सुनियोजित तरीके से दंगे कराने की साजिश है (व्यवधान) सरकार इसको गम्भीरता से नहीं ले रही है ।

मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा और गिरजाघर टूटेंगे । पंजाब के नाम पर, आतंकवादियों के नाम पर सिक्खों को परेशान किया जायेगा उनके गुरुद्वारे तोड़े जायेंगे । इस प्रकार भारतीय जनता पार्टी धर्म के नाम पर सत्ता में बने रहना चाहती है । उनके सामने कोई धर्म नहीं, कोई जाति नहीं और यह देश की बात करते हैं (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष–

माननीय यादव जी, कृपया ग्राह्यता पर बोलें ।

श्री मुलायम सिंह यादव–

ग्राह्यता पर बोल रहा हूं, जब आप यहां बैठते थे बोलते थे हम भी उसी तरह ग्राह्यता पर बोल रहे हैं । उपाध्यक्ष महोदय, आज पूरे प्रदेश में किसी भी धर्म के अल्प संख्यक हों उन सबको खतरा पैदा हो गया है । मस्जिद के इस मामले में मुझे पता चला है इसकी गूंज लोक सभा में भी है । तो चाहे मंदिर टूट रहे हों या मस्जिद टूट रहे हों इसके पीछे एक साजिश है तो इसलिये मान्यवर, हम आपसे इस लोक-महत्व के प्रश्न पर चर्चा चाहते हैं और इसलिये चाहते है कि आज सभी मर्यादाओं को तोड़ा जा रहा है, कानूनों को तोड़ा जा रहा है, संविधान को तोड़ा जा रहा है । मंदिर मस्जिद तो बहुत मामूली बात रह गयी है । मान्यवर, जब सरकार ही बढ़ावा देगी तो फिर क्या बात है ? कोई महन्त, कोई संत किसी मंदिर को बेच नहीं सकता, किसी पूजा स्थल को तोड़ा नहीं जा सकता है ।

अगर आप ही बढ़ावा देंगे तो फिर यह कैसे रुकेगा और जो भी हमारे यहां और धर्मों को मानने वाले हैं जैन धर्म के मानने वाले हों या बौद्ध धर्म के मानने वाले हों सबके लिके असुरक्षा का वातावरण पैदा हो जायेगा । साम्प्रदायिक एकता और सद्भावना कैसे रुक सकती है । मान्यवर, इस सरकार ने देश को तोड़ने की कोशिश की है । इन्होंने ऐसी साजिश रची है सत्ता में बने रहने के लिये जिससे फैजाबाद में एक भी मुसलमान न रहने पाये इन्होंने ऐसी नीति बनाई है । मंदिर के पुजारी हैं, उनको भी धमकाया जा रहा है । यह पूरी की पूरी योजना सरकार की है कि फैजाबाद के अन्दर एक भी मुसलमान न रहने पाये और फिर कहेंगे कि वहां मस्जिद की क्या आवश्यकता है । इस तरह से देश को तोड़ रहे हैं । संविधान की धज्जियां उड़ा रहे हैं, कानून की धज्जियां उड़ा रहे हैं ।

न्यायालय की बात यह मानते नहीं हैं । न्यायालय इनके लिये कुछ भी नहीं रह गया है । इसलिये हम कह रहे थे कि फासिस्टवाद शब्द तो इनके लिये छोटा पड़ गया है । इसके ऊपर कोई शब्द हो तो वह हैं यह लोग । मैं चाहता हूं कि सारी कार्यवाही रोककर के इसको नियम-311 के अन्तर्गत स्वीकार करें और इस पर चर्चा कराई जाय ।

(व्यवधान)

नेता विरोधी दल (कुंवर रेवती रमण सिंह)–

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अभी माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने फैजाबाद में कसाईबाड़ा में जो मस्जिद में विस्फोट की घटना बताई है, मान्यवर, उससे पूरा सदन व पूरा प्रदेश चिंतित है । मान्यवर, जब हम लोग यह बात इस सदन में बार-बार कह रहे हैं कि पूजा-स्थल, चाहे वह हिन्दुओं का हो, चाहे हमारे मुसलमान भाइयों का हो, सिक्खों का हो या ईसाइयों का हो, सबको यथावत् यथास्थिति कायम रखनी चाहिये और उनकी सुरक्षा का दायित्व जो भी सरकार हो, उसके ऊपर होता है । मान्यवर, फैजाबाद में जो धमाका हुआ कसाईबाड़ा में, वह इतना बड़ा धमाका था कि पूरे फैजाबाद के सभी मकान और दुकानें उससे हिल गईं और मान्यवर, वहां पर लोग माननीय मुख्य मंत्री जी की बात भी मानने को तैयार नहीं हैं । मान्यवर, मैं कह रहा था कि इससे गम्भीर बात और कोई नहीं हो सकती । वहां सैकड़ों लोग धराशायी हो जाते । अभी मैं कहना नहीं चाहता कि आप लोग किस तरह से सत्ता में आये है और आप कैसे मंत्री बने हैं ? अभी कह दूंगा तो नागवार गुजरेगा ।

(घोर व्यवधान)

श्री सत्यदेव पचौरी––

माननीय नेता विरोधी दल को अपने पद की गरिमा से हटकर ऐसी बात नहीं कहनी चाहिए ।

श्री उपाध्यक्ष––

कृपया शांति बनाये रखिये ।

कुंवर रेवती रमण सिंह––

एक तो माननीय मुख्य मंत्री जी अपने मंत्रियों को ही आचरण बता दीजिये ।

मुख्य मंत्री (श्री कल्याण सिंह)––

ठीक है, हमने टोक दिया ।

कुंवर रेवती रमण सिंह––

मान्यवर, वहां पर इस घटना से लोग भयक्रान्त हैं । अभी कुछ दिन पहले किशनपुर बराल, मेरठ में भी मुसलमानों की मस्जिद में आग लगाई गई थी । माननीय मुख्य मंत्री जी उसे अन्यथा न लीजियेगा । मैं स्वयं वहां गया था । आपकी पार्टी के उम्मीदवार थे जय प्रकाश तोमर उन्होंने उस पर कार्यवाही करवाई, परन्तु अभी तक क्षति-पूर्ति नहीं की गई है । जब हमने आज यह अयोध्या का प्रकरण गम्भीरता से लिया तो आपने जो यह सदन में पढ़ा है इससे बड़ा मजाक और कुछ नहीं हो सकता है । आपने पढ़ा है कि मंदिर के लिये लिखकर दे दिया महन्त और पुजारी ने, हमने दुनिया में सुना कि महन्त और पुजारी को यह अधिकार है कि मंदिर को ध्वस्त करा दें, आपने कहा है कि राजी-खुशी से मंदिर गिराने का अधिकार सरकार को दे दिया, तो आपकी ही सरकार इस तरह का काम करा सकती है । यह रिहर्सल कर रहे थे और रिहर्सल करते-करते मंदिर से मस्ज़िद तक पहुंच गए ।

मुझे शंका है कि बाबरी मस्ज़िद को भी डायनामाइट लगाकर इसी तरह से ध्वस्त कर सकते हैं और कह देंगे कि किसी ने ध्वस्त कर दिया । आज इसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी सरकार को लेनी चाहिए और ऐलान करना चाहिए चाहे जो पूजा स्थल हो मंदिर हो, मस्ज़िद हों, गिरिजाघर हों, उनकी सुरक्षा सरकार

करायेगी । इनकी कथनी-करनी से यह घटना हो गयी अगर कुछ लोग इसमे मर गये होते तो प्रदेश की फ़िजा आज दूसरी ही होती । आप धर्म का नाम लेकर देश और प्रदेश को बांटना चाहते हैं । आप धार्मिक स्थलों को इस तरह से ध्वस्त कराने का काम करायेंगे, तो ऐसा नहीं होना चाहिए । वहां धमाका हुआ दो लोग घायल हुए झोपड़ी में आग लगी और आज तक किसी के खिलाफ कार्यवाही नहीं की गई ।

किसी को गिरफ्तार नही किया गया । यह सरकार मंदिर गिराते-गिराते मस्ज़िद पर आ गई तो मान्यवर, इस देश और प्रदेश को बचाइये । यह हमारी आपसे प्रार्थना है । इस तरह की घटना की पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए, यह जिम्मेंदारी इस सरकार की हैं ।

(व्यवधान)

श्री प्रमोद तिवारी––

मान्यवर, सर्वदलीय समिति दिल्ली से आने वाली है वह वहां न जा सके इसके लिये इनकी सोची-समझी साजिश थी । नमाज पढ़ने वाले सैकड़ों लोग मारे जाएं और सर्वदलीय समिति वहां न जा पाए ।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष––

माननीय मुख्य मंत्री जी इस पर बोल लें । अगर इस तरह से चर्चा होती रहेगी तो आगे के कार्यों में काफी समय लग जायेगा । माननीय नेता विरोधी दल बोल चुके हैं अब किसी को बोलने नहीं दिया जायेगा ।

(व्यवधान)

श्री बेनी प्रसाद वर्मा––

मान्यवर, इस पर सूचना आ जाये ?

श्री कैलाश नाथ सिंह यादव––

हां मान्यवर, इस पर सूचना आ जाने दीजिए ।

* श्री कल्याण सिंह––

श्रीमन् , फैजाबाद में मस्ज़िद के पिछवाड़े जो बम विस्फोट हुआ है यह हमारे लिये बहुत दुखद बात है । मैं आशा करता हूं कि गम्भीर मसलों पर आप कभी-कभी गम्भीर हो जाया करें ।

(व्यवधान)

मान्यवर, यह बम विस्फोट बहुत दुर्भाग्यपूर्ण हैं । यह जनता से जुड़ा हुआ विषय है और बहुत ही संवेदनशील मामला है सबसे हमारी अपील है कि इस प्रकार के संवेदनशील मामलों पर हम सबको संयम और संतुलन बरतना चाहिए ताकि प्रदेश का वातावरण विषाक्त न होने पाये । जब मैं कह रहा हूं कि सरकार ने इस मामले को बहुत गम्भीरता से लिया है और हमारे लिये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि बम विस्फोट हुआ । मान्यवर, आज 31-3-92 को प्रातःकालीन नमाज अदा करने के लगभग 10-12 मिनट

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

पूर्व 4.45 पर मोहल्ला है कसाईबाड़ा, क्षेत्र कोतवाली फैजाबाद में मुख्य सड़क के किनारे एक मस्जिद स्थित है, उसके पिछवाड़े बम विस्फोट हुआ और दीवार में एक मीटर का छेद हो गया, दीवार टूट गयी। श्रीमन्, मैं बहुत संक्षेप में दो बातें कहना चाहता हूं। तत्काल उसकी सुरक्षा की व्यवस्था, स्थल की सुरक्षा की पूरी व्यवस्था और कड़ी कर दी गयी है। मौके पर उच्चाधिकारी पहुंच चुके हैं, तथा पहुंच कर सब चीजों को स्वयं देखा है। हमने यह भी आदेश किया है कि स्थानीय लोगों को विश्वास में लेकर टूटी हुई दीवार की यथाशीघ्र मरम्मत भी कर दी जाय। श्रीमन्, मैं एक और बात कहना चाहता हूं, मुझे ऐसा लगता है कि प्रदेश के वायुमंडल को विषाक्त बनाने के लिये, आपसी भाईचारे को ध्वस्त करने के लिये शांति व्यवस्था को भंग करने के लिये कुछ तत्व, समाज विरोधी तत्वों की यह कोई गहरी साजिश है।

मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं कि सरकार सरगर्मी से, जो कोई भी होगा, ऐसे समाज विरोधी तत्वों को बेनकाब करेगी और उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्यवाही करने से नहीं चूकेगी। (मेजों की थपथपाहट) मान्यवर, मुझे ऐसा लगता है, अभी राष्ट्रीय एकीकरण परिषद् की स्थायी समिति और माननीय सांसदों के दल को निमंत्रण दिया है और माननीय गृह मंत्री, भारत सरकार द्वारा कोई तिथि निश्चित होनी है.....

श्री नरेश अग्रवाल—

7 तारीख निर्धारित हुई हैं।

श्री कलयण सिंह–

7 तारीख हुई होगी, मेरे पास लिखित में नहीं आया है, स्वागत है, मुझे ऐसा लगता है कि कुछ तत्व जरूर साजिश कर रहे हैं कि हमारी राष्ट्रीय एकीकरण समिति और माननीय सांसद जो आने वाले हैं, उनके सामने कुछ विकृत स्वरूप पेश किया जाय इस साजिश के तहत कुछ समाज विरोधी तत्व सरकार को बदनाम करना चाहते हैं। मैं सदन में चेतावनी के रूप में कहना चाहता हूं कि सरकार पूरी मुस्तैदी के साथ ऐसे समाज विरोधी तत्वों जिन्होंने मजिस्द के ऊपर बम विस्फोट किया है, उनको बेनकाब करेगी और उनके खिलाफ अवश्य कड़ी से कड़ी कार्यवाही करेगी। हमारे लिये चाहे मंदिर हो, चाहे मस्जिद हो या चाहे गुरुद्वारा हो या कोई पूजा स्थल हो, सभी पूजा स्थल श्रद्धा के केन्द्र हैं। हम नहीं चाहते कि देश टूटे, हम पहले व्यक्ति होंगे जो देश की एकता, अखंडता की बलिबेदी पर बलिदान होंगे, यह हमारा प्रण है। हम कभी नहीं चाहते कि समाज की समरसता और एकता तथा अखंडता को नष्ट भ्रष्ट करें। समाज की एकता समरसता तोड़ने वाली ताकतों की साजिश को यह सरकार नाकाम करेगी। श्रीमन्, मैं यहां जो आरोप लगाया गया है उसका खंडन अवश्य करना चाहूंगा क्योंकि वह यहां की कार्यवाही में आ गया है।

माननीय नेता विरोधी दल ने मेरठ की किसी मस्जिद के टूटने के संबंध में भा० ज० पा० के श्री जय प्रकाश तोमर के बारे में आरोप लगाया, मैं इसका खंडन करता हूं। भा० ज० पा० के लिये मंदिर पवित्र है, मस्जिद पवित्र है, गुरुद्वारा पवित्र है और जितने भी पूजा के स्थल हैं वह सभी पवित्र हैं। फैजाबाद की इस घटना के लिये, जो मस्जिद बम विस्फोट हुआ है, सरकार ने उसको गम्भीरता से लिया है और सरगर्मी से उन तत्वों को बेनकाब किया जायेगा जिन्होंने ऐसा घृणित कार्य किया है। उनके साथ कड़ी से कड़ी कार्यवाही की जायेगी, मैं यह आश्वासन सदन में देना चाहता हूं।

श्री प्रमोद तिवारी—

मान्यवर, यह सरकार वहां पर ऐसी स्थिति उत्पन्न कर देना चाहती है जिससे कि सर्वदलीय समिति और राष्ट्रीय एकता परिषद् की समिति वहां पर न जा सके।

श्री उपाध्यक्ष––

मैं इस सूचना को अग्राह्य करता हूं और शेष जो सूचनाएं नियम 311 की हैं, उनको इस स्वतंत्रता के साथ अग्राह्य करता हूं कि यदि माननीय सदस्य चाहें तो उनको पुनः दे सकते हैं ।

नियम 301 के अन्तर्गत सूचनाएं

आज दिनांक 31 मार्च, 1992 को नियम 301 के अन्तर्गत कुल 17 सूचनाएं प्राप्त हुई । प्राप्त सूचनाओं में से शलाका के आधार पर....(व्यवधान)

(श्री मोहम्मद आजम खां, श्री हृदय नारायण दीक्षित, श्री बलराम यादव, श्री अतीक अहमद, श्री शिव कुमार बेरिया तथा अनेक माननीय सदस्य फ्लोर पर आ गये ।)

श्री उपाध्यक्ष––

कुछ भी नहीं लिखा जायेगा । आप लोग कृपया अपनी सीट पर जायं । जिस सूचना को माननीय मुलायम सिंह यादव ने रखा है, मैंने उसको अग्राह्य कर दिया है । आप सब कृपया सीट पर जायं । पहले आप अपनी सीट पर जायं । यहां से कोई बात नहीं सुनी जायेगी ।

(घोर व्यवधान)

मैं सदन को 5.00 बजे तक के लिये स्थगित करता हूं ।

(इसके बाद 4 बजकर 36 मिनट पर श्री उपाध्यक्ष ने सदन की कार्यवाही 5 बजे तक के लिये स्थगित कर दी ।)

(5 बजे सदन की कार्यवाही श्री अध्यक्ष के सभापतित्व में पुनः आरम्भ हुई ।)

(सदन के पुनः बैठने पर)

श्री अध्यक्ष–

मैं पहले नियम 301 की सूचना ले रहा हूं ।

(व्यवधान)

ईद के अवसर पर फैजाबाद में शांति व्यवस्था कायम रखने के संबंध में सुरक्षा की मांग

श्री मोहम्मद आजम खां–

मान्यवर, मैं केवल सरकार तक अपने इन जजबात को पहुंचाना चाहता हूं कि यह जो फैजाबाद में मस्जिद का हादसा हुआ है, यह कोई नई बात नहीं है जमाने से इस पर प्रदेश के अल्प संख्यक मुसलमान बहुत परेशान हैं । इस समय हमारी परेशानी यह है कि ईद का त्योहार और जुमेतुलविद बहुत करीब है और फैजाबाद बहुत सेंसेटिव जगह है । मुझे दुःख है कि जो बात मैं कहना चाहता था, उसे माननीय मुख्य मंत्री नहीं सुनना चाहते हैं । एक बड़ा त्यौहार आने वाला है फ्राई-डे की अलबिदा का त्यौहार है । फैजाबाद की जो हालात है, उसे आप अच्छी तरह से जानते हैं । वहां पर मरम्मत कराने के लिये मस्जिद को घेर कर मरम्मत न कराई जाये, उससे मुसलमानों में बहुत बड़ा रोष है । कृपया आप मरम्मत की फिक्र न करें ।

श्री अध्यक्ष–

अब नहीं ।

वित्त, संस्थागत वित्त, संसदीय कार्य एवं नियोजन मंत्री (श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त)–

हम भी इस बात को स्वीकार करते हैं, वातावरण में कोई व्यवधान नहीं होना चाहिये । जिस बात की ओर माननीय सदस्य ध्यान आकर्षित कर रहे हैं, उसके बारे में हम और आप बैठकर देख लेंगे ।

श्री अध्यक्ष–

जहां तक मैं समझ रहा हूं कि आपकी चिन्ता इस बात की है कि जो त्योहार होने वाले हैं, अमन-चैन उस समय कायम रहे । मैं माननीय संसदीय कार्य मंत्री से कहूंगा कि वह सुनिश्चित करें कि फैजाबाद (अयोध्या) में अमन चैन कायम रहे ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, मैंने सभी पक्षों से बिनती किया है कि इसमें सभी दलों का सहयोग रहे ।

श्री प्रमोद तिवारी–

मान्यवर, विरोधी दल की ओर से पूरा-पूरा सहयोग रहेगा ।

श्री अध्यक्ष–

आजम खां जी, आप समाप्त करें ।

अलविदा की अंतिम नमाज के दिन सदन के उपवेशन को स्थगित करने का अनुरोध

नेता विरोधी दल (कुंवर रेवती रमण सिंह)–

मैं एक बात आपके संज्ञान में लाना चाहता हूं कि शुक्रवार को सदन का कार्यक्रम निर्धारित है ।

श्री अध्यक्ष–

आज कार्य-मंत्रणा समिति की बैठक है ।

कुंवर रेवती रमण सिंह–

मेरा निवेदन है कि अलबिदा की नमाज है, उस दिन के लिये सदन को बन्द रखा जाये । शुक्रवार को छुट्टी रखी जाय ।

श्री प्रमोद तिवारी–

यह आग्रह तो मैं पहले ही कर चुका हूं कि सदन उस दिन न हो ।

श्री अध्यक्ष–

एक सूचना माननीय सदस्य श्री अब्दुल ए० सलाम ने दी है, उन्होंने कहा है कि सदन बन्द रखा जाये । वैसे तो उस दिन रमजान का अंतिम शुक्रवार है । 3-4-1992 को निर्बन्धित अवकाश सरकार की तरफ से घोषित है, लेकिन यह विषय सदन का नहीं है कार्य-मंत्रणा समिति का यह विषय है और आज कार्य-मंत्रणा समिति की बैठक है, उसमें इस पर विचार कर लिया जायेगा ।

नियम 311 के अन्तर्गत सूचनायें (क्रमागत)

श्री अध्यक्ष–

जहां तक शेष नियम 311 की सूचनाओं का प्रश्न है, आज बजट पर माननीय नेता विरोधी दल बोलने के लिये तैयार हैं और अपना भाषण करना चाहते हैं, इसलिये नियम 311 की जो सूचनायें हैं

उनको अगले कार्यकारी दिवस को जिस दिन नियम 311 की सूचनायें ली जायेंगी, उस दिन ले लिया जायेगा।

श्री नरेश अग्रवाल–

नेता विरोधी दल आज नहीं बोलना चाहते हैं।

श्री बलराम यादव–

माननीय, उनको पढ़ दें, जिससे मालूम हो जाये कि किस-किस की है ?

श्री अध्यक्ष–

पहली सूचना श्री राम ललित चौधरी की है, दिनांक 12-13 मार्च की रात में अजय उर्फ पप्पू नामक 14 वर्षीय अनुसूचित जाति के बालक की हत्या से खलीलाबाद जनपद बस्ती में उत्पन्न रोष के संबंध में है, दूसरी सूचना श्री राम लखन, श्री बी० आर० वर्मा, श्री अंगद सिंह यादव, श्री अब्दुल ए० सलाम, श्री दुर्गा प्रसाद यादव, श्री बलराम यादव, श्री फागू चौहान और श्री दल सिंगार यादव की दिनांक 19 मार्च, 1992 को 12 बजे दिन में माननीय अंगद सिंह यादव, सदस्य, विधान सभा के अंगरक्षक तथा रिश्तेदार को सरेआम गोली मार कर हत्या कर देने से आजमगढ़ जनपद में कानून व्यवस्था अस्त-व्यस्त हो जाने के संबंध में है, तीसरी सूचना श्री देवेन्द्र पाल सिंह की शाहजहांपुर नगरपालिका में दिनांक 16 मार्च, 1992 से सफाई कर्मचारियों द्वारा हड़ताल किये जाने में शहर में गन्दगी फैलने की आशंका के संबंध में है, चौथी श्री स्वामी नाथ यादव की जनपद देवरिया में जिला परिषद् अध्यक्ष श्री गोकरन सिंह की द्वेशपूर्ण गिरफ्तारी के विरुद्ध आन्दोलन तथा तनाव से उत्पन्न स्थिति के संबंध में है और पांचवीं श्री हरिवंश सहाय की प्रदेश में लगभग 4 करोड़ कुन्तल गन्ना खेतों में सूख जाने के संबंध में है।

श्री नरेश अग्रवाल–

माननीय, मैंने भी आज नियम 311 में दिया था।

श्री अध्यक्ष–

उसको मैंने नियम 56 में परिवर्तित कर दिया है।

नियम 301 के अन्तर्गत सूचनायें (क्रमागत)

श्री अध्यक्ष–

आज नियम 301 के अन्तर्गत कुल 17 सूचनायें प्राप्त हुई हैं। प्राप्त सूचनाओं में से शलाका के आधार पर अग्राह्य को छोड़ते हुए सात सूचनायें स्वीकार की गयी हैं। पहली सूचना श्री अंगद सिंह यादव की बांदा के अधिशासी अभियंता, अल्प सिंचाई, बांदा द्वारा चेक डेमों के निर्माण तथा रिंग/इनवेलरिंग बोरिंग के पाइपों की सौदेबाजी में कथित दलाली करने के संबंध में है ...

दूसरी सूचना श्री इस्लाम साबिर और श्री सुधीर की जनपद बरेली के हाफिजगंज थाने की पुलिस द्वारा ग्राम सिगरा में सिख समुदाय के दो व्यक्तियों को गोली मारने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में, तीसरी सूचना श्री स्वामी नाथ यादव की देवरिया जनपद की छोटी नदी गण्डक में चीनी मिलों द्वारा जहरीला पानी छोड़ने से मछलियों के मरने एवं मछुवारों के सामने भुखमरी की समस्या पैदा होने के संबंध में, चौथी श्री शिव चरन प्रजापति की है और वे उपस्थित नहीं हैं, पांचवीं श्री राम ललित चौधरी की अजय उर्फ पप्पू नामक 14 वर्षीय हरिजन बालक की हत्या की न्यायिक जांच करवाने एवं मृतक के परिवार को

आर्थिक सहायता देने के संबंध में, छठी श्री सुरेन्द्र सिंह गाजीपुर में 33 के० वी० विद्युत उपकेन्द्र कासिमाबाद तथा मरदह द्वारा नियमित विद्युत आपूर्ति न करने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में और सातवीं श्री अरविन्द प्रताप सिंह की संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान में व्याप्त कथित अनियमितताओं के संबंध में है ।

इन सूचनाओं के साथ ही साथ चूंकि श्री शिव चरन प्रजापति जी उपस्थिति नहीं हैं इसलिये प्रतीक्षा सूची में श्री मातवर सिंह कण्डारी की सूचना चिरवटिया लस्या तथा नरेन्द्र नगर कीर्तिनगर, टिहरी गढ़वाल में फलपट्टी योजना लागू करने के संबंध में है, लेता हूं यह सूचनायें शासन को भेजी जा रही हैं । (संलग्न यह सूचनायें पढ़ी हुई मानी गयीं ।)

जनपद बांदा के अधिशासी अभियन्ता, अल्प सिंचाई द्वारा डैमों के निर्माण तथा बोरिंग में कथित अनियमितता के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री अंगद सिंह यादव–

[मान्यवर, आपको मैं अवगत कराना चाहता हूं कि जनपद बांदा में सहगूराम आर्य, अधिशासी अभियन्ता, अल्प सिंचाई, बांदा द्वारा चैक डैमों के निर्माण में तथा रिंग/इनवेलरिंग बोरिंग के पाइपों की सौदेबाजी में दलाली की जा रही है । चैक डैमों के निर्माण में निम्न कोटि की सामग्री प्रयोग की जा रही है । जनपद बांदा के बडोखर ब्लाक के ग्राम करछा के चैक डैम निर्माण में सहगूराम की लापरवाही से दिनांक 23-12-91 को निम्न किस्म की सामग्री डालने से चैक डैम निर्माण करते समय जालिम नाम के मजदूर की मृत्यु हो गयी थी तथा चार-पांच लोग घायल हुए थे । इसी तरह 1987 में जनपद झांसी में सहायक अभियन्ता के पद पर रह कर 105 बोरा गेहूं कालाबाजारी करने के संबंध में थाना सकरार में अगस्त, 1987 में मुकदमा अपराध संख्या 43/87 धारा 407/420 468/471/414/411 भारतीय दण्ड वि० के अन्तर्गत मुकदमा दर्ज हुआ था जिसमें जेल गये थे लेकिन उच्च अधिकारियों की सांठ-गांठ से विभाग द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गयी न ही निलम्बन किया गया बल्कि जनपद बांदा में पदोन्नति करके अधिशासी अभियन्ता के पद पर भेज दिया गया ।

उक्त प्रकरणों की जांच नितांत आवश्यक है । इसी तरह 1987 में गोपनीय ढंग से जनपद के बाहर व्यक्तियों की भर्ती फर्जी सार्टिफिकेट निवास बनाकर उक्त अधिकारी द्वारा की गयी तथा आज भी सरकारी गाड़ियों का दुरुपयोग किया जा रहा है तथा सप्ताह में एक या दो दिन जनपद में रह कर उक्त अधिकारी कार्य करते हैं । इसलिये उक्त प्रकरणों की जांच भ्रष्टाचार निवारण संगठन द्वारा करा ली जाय तथा सहायक अभियन्ता से अधिशासी अभियन्ता बनकर शासन को धोखे में रखने पर दंडित किया जाय ।]

जनपद बरेली के डाफिजगंज थाने की पुलिस द्वारा सिख समुदाय के दो लोगों को गोली मारने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री इस्लाम साबिर–

[मान्यवर, जब से प्रदेश में भा० ज० पा० की सरकार का गठन हुआ है, प्रदेश में अल्पसंख्यक समुदाय अपने को असुरक्षित महसूस करने लगा है । दंगा कराने वाले जब शासन में उच्च पदों पर बैठ जाते हैं तो निश्चित ही अल्पसंख्यक समुदाय असुरक्षित हो जाता है ।

नोट :– [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

इस सरकार के गठन के आठ माह में प्रदेश के तमाम जिलों में साम्प्रदायिक दंगे हुए हैं। अल्पसंख्यक समुदाय के तमाम लोग इन दंगों में मारे गये परन्तु दंगाइयों के विरुद्ध शासन द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गयी। दुखः इस बात का है कि सरकार के इशारे पर सामान्य जनता की रक्षक पुलिस ने भी इन दंगों में खुलकर भाग लिया। दिनांक 19 मार्च, 1992 को जनपद बरेली के हाफिजगंज थाने की पुलिस ने बरेली-पीलीभीत मार्ग पर स्थित ग्राम तिगरा में होली का त्योहार मना रहे अल्पसंख्यक सिख समुदाय के दो व्यक्तियों को अकारण दिन-दहाड़े पुलिस द्वारा गोली से उड़ा दिया गया।

पुलिस ने रिपोर्ट लिखाने गये ग्रामीणों की एफ० आई० आर० भी नहीं दर्ज की उल्टे गांव के एक दर्जन से अधिक व्यक्तियों के विरुद्ध डकैती लूट की घटना दर्ज कर दी गयी और उनके विरुद्ध उत्पीड़न की कार्यवाही अब तक जारी है। वर्तमान सरकार का कोई भी मंत्री मौके पर नहीं गया। मृतकों के परिवार को किसी प्रकार का अनुदान भी नहीं दिया गया। इस घटना से सम्पूर्ण बरेली जनपद तथा अन्य निकटवर्ती क्षेत्रों में गम्भीर रोष और भय का आतंक व्याप्त है।

अतः मेरा अनुरोध है कि समस्त नियमों को निलम्बित कर मेरे इस अविलम्बनीय लोकमहत्व के प्रश्न पर तत्काल चर्चा कराने की कृपा करें।]

जनपद देवरिया की गण्डक नदी में चीनी मिलों द्वारा जहरीला पानी छोड़ने से मछलियों के मरने तथा मछुआरों के सामने भुखमरी की समस्या के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री स्वामी नाथ यादव–

[मान्यवर, देवरिया जनपद में छोटी नदी गण्डक मध्य से होकर बहती है इस के किनारे बसे लाखों मल्लाह वीन माझी जाति के लोग अपनी जीविका मछलियों के शिकार से ही करते हैं। परन्तु चीनी मिल कप्तानगंज और भटनी द्वारा जहरीला पानी छोड़ देने से सम्पूर्ण मछलियां हर वर्ष मर जाती हैं तथा इस सत्र में भी पानी छोड़ने से मर गयी हैं जिससे शिकार-गाही का ठेका लेने वाले मल्लाह वीन और माझी जाति के लोगों का लाखों रुपया का नुकसान हो गया तथा साथ ही साथ इन जातियों के सामने भुखमरी की समस्या भी पैदा हो गयी है।

इन मिलों के मनमानी के कारण जहां मछलियां मर जाती हैं वहीं मछलियों के मरने से अनेक प्रकार के संक्रामक रोग भी पैदा हो जाते हैं। इन मछलियों को गरीबों के बच्चे पकड़ कर खा जाते हैं जिससे प्रतिवर्ष 50 बच्चे मर जाते हैं। उक्त चीनी मिलों पर जहरीला पानी छोड़ने पर रोक लगायी जाय तथा मछलियों के मरने का मुआवजा दिलाया जाय।

लोकहित के अविलम्बनीय विषय को सदन के संज्ञान में लाकर कार्यवाही की मांग करता हूं।]

जनपद बस्ती में अजय नामक हरिजन बालक की हत्या की न्यायिक जांच तथा मृतक के परिवार को आर्थिक सहायता देने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री राम ललित चौधरी–

[मान्यवर, दिनांक 12/13 मार्च की रात्रि में अजय उर्फ पप्पू नामक 14 वर्षीय हरिजन बालक की हत्या में खलीलाबाद तहसीलदार एवं एक विधायक व उनके [xxx] का हाथ होने का गम्भीर संदेह वहां

नोटः– [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

नोटः- [xxx] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

की स्थानीय जनता कर रही है । राजनैतिक दबाव के कारण प्रशासन अब तक हत्या से संबंधित सभी अभियुक्तों को गिरफ्तार नहीं कर सकी है ।

विभिन्न सूत्रों से बातचीत के बाद जो निष्कर्ष मिलता है उससे यह स्पष्ट होता है कि बालक की हत्या में एक से अधिक व्यक्तियों का हाथ था । प्राप्त जानकारी एवं मृतक के पिता के बयान के अनुसार यह पूरी आशंका है कि इस घटना में राजनैतिक व्यक्तियों का हाथ है इसलिए सत्तापक्ष के राजनैतिक लोग इसको दबाने का प्रयास कर रहे हैं । विधायक एवं मंत्री के दबाव के कारण वहां की पुलिस बेचारी बनी हुई है ।

अतः इस लोकमहत्व के प्रश्न की ओर सदन का ध्यान आकर्षित करते हुए इस बात की मांग करता हूं कि चूंकि इस मामले में राजनैतिक व्यक्तियों के हाथ होने की आशंका है इसलिए सम्पूर्ण मामले की न्यायिक जांच कराई जाय । तभी मामले का पर्दाफाश होगा तथा मृतक परिवार को कम से कम एक लाख रुपये का आर्थिक सहायता प्रदान की जाय ।]

जनपद गाजीपुर में 33 के० वी० विद्युत उपकेन्द्र कासिमाबाद तथा मरदह द्वारा नियमित आपूर्ति न किये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री सुरेन्द्र सिंह–

[मान्यवर, मैं आपका ध्यान अविलम्बनीय लोक महत्व के जनपद गाजीपुर के ऊर्जा विभाग के 33 के० बी० विद्युत उपकेन्द्र कासिमाबाद के तथा 33 के० बी० उपकेन्द्र मरदह के द्वारा मार्च माह के अन्तिम सप्ताह में लगातार 7 दिनों से विद्युत आपूर्ति न किये जाने से उत्पन्न स्थिति की ओर आकर्षित करना चाहता हूं । कासिमाबाद के सिंगरा फिडर से बहादुरगंज को दस दिनों से विद्युत आपूर्ति नहीं की जा रही है, इस क्षेत्र के किसानों एवं बुनकरों में रोष एवं क्षोभ व्याप्त है ।

अतः आपसे निवेदन है कि आप सरकार को निर्देशित करें कि उपरोक्त केन्द्रों से सभी फीडरों को विद्युत आपूर्ति की जाय एवं दोषी अभियन्ताओं के विरुद्ध कार्यवाही हो जिससे कृषकों एवं बुनकरों, व्यापारियों को न्याय मिल सके ।]

संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान में व्याप्त कथित अनियमितताओं के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री अरविन्द प्रताप सिंह–

[मान्यवर, संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान में गम्भीर अनियमितताएं व्याप्त हैं । संयुक्त निदेशक (प्रशासन) से उनके अधिकार छीन लिए गए हैं जिससे शासन के उच्च अधिकारियों को भी अवगत कराया गया है ।

नोटः– [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

नियत अवधि के लिए नियुक्त उप चिकित्सा अधीक्षक को बिना अध्यक्ष संस्थान की अनुमति के नियमित रूप से अगले वर्षों के लिए नियुक्त कर वेतन वृद्धियां भी दी जा रही हैं ।

अनियमितता का सबसे बड़ा उदाहरण उस संस्थान निदेशक के निजी सचिव को रु० 3000-4500 का वेतनमान का प्रकरण है, यही नहीं उक्त स्केल में नियुक्ति का एरियर का भुगतान भी कराया गया है जो काफी बड़ी रकम है यह नियुक्ति नियमतः अध्यक्ष/मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन की अनुमति से ही की जा सकती है, जो नहीं प्राप्त की गई ।

उक्त संस्थान में नियुक्त चिकित्सा अधीक्षक मिलेट्री से अभी रिटायर ही नहीं हुए है न उन्होंने विधिवत् ज्वाइनिंग रिपोर्ट ही भरी है किन्तु बाकायदा संस्थान की पत्रावलियों को देख रहे हैं तथा संस्थान के वाहन का प्रयोग कर रहे हैं ।

संस्थान में एक वैयक्तिक सहायक को जिसकी सेवा अवधि 3 वर्ष नहीं हुई थी निजी सचिव का वेतन क्रम 2000-3500 दे दिया गया है । उपर्युक्त गम्भीर अनियमितताओं के साथ ही संस्थान में 250 नियुक्तियां की गई हैं ।

इन अनियमितताओं से अनुरोध है कि अतः अविलम्बनीय लोक महत्व के इस विषय को आदरणीय सदन के संज्ञान में लाकर आवश्यक कार्यवाही की मांग करता हूं ।]

जनपद टिहरी गढ़वाल में चिरबटिया लस्या, नरेन्द्र नगर, कीर्ति नगर में फल पट्टी योजना लागू करने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री मातवर सिंह कण्डारी–

[मान्यवर, जनपद टिहरी गढ़वाल उद्योग शून्य है यहां पर कोई उद्योग न लगने के कारण आर्थिक जीवन बहुत पिछड़ा है । कृषि को मुख्य धन्धा माना जाता है किन्तु कृषि हमारे जनपद में घाटे के रूप में की जाती है । फल पट्टी योजना से ही इस पिछड़े क्षेत्र का विकास किया जाना सम्भव है । उदाहरणार्थ हिमांचल प्रदेश ने बागवानी से काफी उन्नति कर दी है ।

अतः मैं चाहता हूं कि चिरबटिया लस्या टिहरी गढ़वाल तथा नरेन्द्रनगर, कीर्तिनगर, टिहरी गढ़वाल की बनी फल पट्टी योजना को तुरन्त लागू कर कार्यरूप में परिणित कर दी जानी चाहिए ।]

औचित्य के प्रश्नों की सूचनाएं

श्री अध्यक्ष–

नियम 300 के अन्तर्गत जो सूचनाएं प्राप्त हुई हैं, मैं माननीय सदस्यों से कहूंगा कि मेरे पास कुल 8 सूचनाएं हैं । इसमें कुछ सूचनाएं तो ऐसी हैं जो नियम 300 में कहीं दूर-दूर से भी नहीं आती हैं । उदाहरण के लिए मैं माननीय राम लखन और माननीय बी० आर० वर्मा की सूचना को लेता हूं । आपने सूचना दी है कि नरेन्द्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, कुमारगंज (फैजाबाद) में एम० एस-सी० (एजी०), प्रथम वर्ष में प्रवेश सूची को जातीय भेदभाव के आधार पर रद्द किये जाने के संबंध में है । मेरा निवेदन है कि आप किसी दूसरे नियम में इसकी सूचना दे दें ।

श्री लालजी वर्मा–

मान्यवर, विधान सभा में कृषि मंत्री ने कहा है कि सबका प्रवेश ले लिया गया है, रद्द नहीं किया गया है । यह विधान सभा के अन्दर कही गयी बात है इसलिए यह नियम 300 में आती है ।

श्री अध्यक्ष–

इसे नियम 301 में या नियम 51 में दे दें ।

नोटः– [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

श्री लालजी वर्मा–

यह विधान सभा की कार्यवाही से सम्बन्धित है । विधान सभा में 24 फरवरी को सूचना दी गयी है जो ध्यानाकर्षण के रूप में थी और कृषि मंत्री का उस पर जवाब आया था ।

नरेन्द्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय कुमारगंज (फैजाबाद) में प्रवेश सूची रद्द किये जाने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न

श्री अध्यक्ष–

मैं नियम 300 को पढ़े देता हूं-औचित्य प्रश्न इन नियमों के या संविधान के ऐसे अनुच्छेदों के, जिनसे सदन का कार्य विनियमित होता है, निर्वचन या पवर्तन के संबंध में होगा और उस में ऐसा प्रश्न उठाया जायेगा जो अध्यक्ष के संज्ञान में हो ।

औचित्य के प्रश्न तत्समय सदन के समक्ष कार्य के संबंध में उठाया जा सकेगा ।

तो यह सदन चूंकि नियमों से और संविधान के जिन अनुच्छेदों से चलता है उसका पवर्तन या निर्वचन के संबंध में यह सूचना नहीं है इसलिए मैंने निवेदन किया कि इसे 301 में या नियम 51 में दे दें ।

श्री बी० आर० वर्मा–

यह जाति धर्म के आधार पर हो रहा है इसलिए नियम 300 के अन्तर्गत दिया गया है इस पर ग्राह्यता के लिए सुन लें ।

श्री लालजी वर्मा–

मान्यवर, यह 24 फरवरी को सदन के संज्ञान में आ गया है उसका जवाब माननीय कृषि मंत्री ने दिया । कृषि मंत्री ने जो कहा है बिल्कुल उसके विपरीत हो रहा है । संविधान में यह व्यवस्था है कि किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जायेगा ।

श्री अध्यक्ष–

बहुत छोटी सी सूचना है मुझे बता दें कि किस प्रकार से 300 में आती है । मै आपकी सूचना पढ़े देता हूं–

नरेन्द्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, कुमारगंज (फैजाबाद) में एम० एस-सी० (एजी०) प्रथम वर्ष में 40 सीट हैं । इस सत्र में योग्यता के आधार पर 40 सीटों की सूची में 32 छात्र अनुसूचित जाति अन्य पिछड़ी जाति तथा अल्पसंख्यक समुदाय के प्रवेश हेतु चयनित किये गये इस सूची का अनुमोदन कुलाधिपति द्वारा भी कर दिया गया । इसके बाद भी मनुवादी मानसिकता सवर्ण छात्रों द्वारा इसका विरोध एवं तालाबन्दी के कारण विश्वविद्यालय की विद्युत परिषद् ने जारी प्रवेश सूची जाति भावना से प्रेरित होकर रद्द कर दी, जो संविधान के अनुच्छेद 15 का सीधा उल्लंघन है ।

इसमें सदन की प्रक्रिया के संचालन में कोई बात आती है ।

श्री लालजी वर्मा–

मान्यवर, सदन के संज्ञान में आ गया है ।

संविधान में यह है कि किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जायगा ।

श्री अध्यक्ष–

सदन के संज्ञान में आ गया, मैं इसे निरस्त करता हूं ।

दूसरी सूचना श्री लाखी राम जोशी की है, मैंने इसे निरस्त कर दिया ।

तीसरी सूचना श्री ज्वाला प्रसाद यादव जी की है, आपने कहा है कि लोकमहत्व का प्रश्न उठाना चाहते हैं । यह सूचना प्रधानाचार्य द्वारा हाई स्कूल तथा इण्टर के बोर्ड के परीक्षार्थियों से अवैध ढंग से धन लेने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है । यह सूचना नियम 300 में नहीं आती है, नियम 51 या 301 में दे दें, देख लूंगा । नियम 300 में इसे निरस्त करता हूं ।

इसके बाद श्री अमरेश चन्द्र पाण्डेय की सूचना है, इसे ग्राह्यता पर सुन लूंगा ।

वर्तमान बजट सत्र के तीसरे बुधवार के अतारांकित प्रश्न संख्या 109 के उत्तर में त्रुटि के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न

श्री अमरेश चन्द्र पाण्डेय–

पिछले सप्ताह भी इस पर सवाल उठाया था कि सत्ता पक्ष की त्रुटियों पर आपका संरक्षण मिलना चाहिये । जब सदन चलता है तो बहुत सी समस्याएं सदन में रखकर पूछ लेते हैं, जब सदन नहीं चलता है तो पत्र के माध्यम से पूछते हैं । प्रथम सत्र 1992 के तीसरे बुधवार के लिये निर्धारित अतारांकित प्रश्न संख्या 109 की तरफ देखने की कृपा करें । इसमें था कि,"क्या प्रश्नकर्ता ने दिनांक 31-8-91 को इस आशय का कोई पत्र सचिव, सिंचाई को मिलकर दिया था ? यदि हां, तो उस पर किसको क्या आदेश दिये गये ?" इसका जवाब मिला कि, " प्रश्नकर्ता द्वारा दिया गया पत्र दिनांक 31-8-91 का नहीं बल्कि 29-8-91 का प्राप्त हुआ है । उक्त पत्र पर रुद्रपुर, जनपद मऊ में घाघरा नदी के कटान से ग्रामों की रक्षा हेतु की जा रही कार्यवाही की सूचना मुख्य अभियन्ता (गण्डक) से मांगी गयी थी ।"

पत्र इन्हें दो दिन पहले ही मिल गया, इस पर मुझे कुछ नहीं कहना है लेकिन जनपद मऊ में "रुद्रपुर" नाम की कोई जगह ही नहीं है । सरकार के मंत्रीगण एक भी पत्र का जवाब नहीं देते हैं, उनके पक्ष के लोग भी इससे प्रभावित होंगे । हमारे पत्र को पढ़ते भी नहीं हैं । नत्थूपुर में रुद्रपुर नाम की कोई जगह ही नहीं है । इसलिए यह औचित्य बनता है ।

सिंचाई, न्याय तथा विधायी मंत्री (श्री ओम प्रकाश सिंह)–

जो सूचना है और उसमें जिस त्रुटि की तरफ ध्यान आकर्षित किया गया है, यह सही है कि इसमें टंकण त्रुटि है । तथ्य "नत्थूपुर" के बारे में हैं, "रुद्रपुर" हो गया है । मुख्य अभियन्ता (गण्डक) से नत्थूपुर के बारे में ही जानकारी मिली है । इससे माननीय सदस्य को कष्ट हुआ होगा, यह खेद की बात है । भविष्य में ऐसा नहीं होगा ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्नों के बारे में कोई त्रुटि होती है तो प्रक्रिया नियमावली में व्यवस्था है । नियम 300 में अस्वीकार करता हूं ।

इसके बाद श्री स्वामी नाथ यादव की सूचना धन आवंटन के सम्बन्ध में है ।

टाउन एरियाओं को सुलभ शौचालयों हेतु आवंटित धनराशि वापस लिये जाने तथा केवल बिठूर, कानपुर को धन आवंटित किये जाने के सम्बन्ध में औचित्य के प्रश्न की सूचना

श्री स्वामी नाथ यादव–

मान्यवर, एक मिनट सुन लें ।

माननीया नगर विकास मंत्री ने एक जी० ओ० 26 मार्च,91 को भेजा फिर 7 मई, 91 को भेजा कि जितनी टाउन एरिया और नगरपालिकाओं को सुलभ शौचालयों हेतु उन्हें धन आवंटन किया गया है । मान्यवर, लेकिन माननीया नगर विकास मंत्री ने एक जी० ओ० 27 मार्च, 92 को भेजा जिसमें सम्पूर्ण धन टाउन एरिया का आवंटित धन काटकर नगरपालिकाओं को दे दिया, बड़ा अच्छा रहा । लेकिन केवल अपनी टाउन एरिया बिठूर को भी धन आवंटित कर दिया, यह बहुत बड़ा अन्याय है ।

पिछली सरकार के दिये गये पैसे को आपने वापस लिया, नगरपालिका के लिये नियम बनाया, लेकिन माननीया मंत्री जी ने अपनी टाउन एरिया बिठूर को ढाई लाख दिया । मान्यवर, यह पूरे प्रदेश का मसला है, टाउन एरिया अतरौलिया का जो पैसा था उसे काट दिया तो फिर केवल अपने क्षेत्र की बिठूर टाउन एरिया को क्यों दिया यह मैं जानना चाहता हूं । मान्यवर, यह सब जी० ओ० की कापी है, यह सूची हैं, इसे आप देख सकते हैं ।

श्री अध्यक्ष–

यह प्रथम दृष्टया नियम 300 के अन्तर्गत नहीं आता है मैं अस्वीकार कर रहा हूं ।

विपक्ष के अधिकांश सदस्यों की अनुपस्थिति में बजट पर सामान्य चर्चा कराये जाने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न

श्री हृदय नारायण दीक्षित–

मान्यवर, मैंने जो नियम 300 के अन्तर्गत सूचना दी है वह इसलिए ग्राह्य है कि कल इस सदन की जब कार्यवाही चल रही थी तो उसमें विपक्ष के अधिकांश सदस्य बाहर थे क्योंकि उन्हें इस बात की सूचना नहीं थी, निलम्बन बीच में वापस हुआ था, कि निलम्बन वापस हो गया । इस तरीके से श्रीमन्, सदन में विपक्षी सदस्यों की अनुपस्थिति में सामान्य बजट पर चर्चा करा दी गयी । मैं बाहर था, मुझे यह बात ज्ञात हुई, मैंने आपके समक्ष भी आकर यह प्रश्न उठाया था कि विपक्ष की अनुपस्थिति में कोई चर्चा करना समीचीन नहीं होगा ।

श्रीमन्, मैं इस बात के समर्थन में इस प्रदेश के भूतपूर्व मुख्य मंत्री श्रद्धेय श्री नारायण दत्त तिवारी जी द्वारा 18 नवम्बर, 1976 को सदन में कही गयी बातों को उद्धरित करना चाहता हूं । उस समय विपक्ष अनुपस्थिति था, जब विपक्ष के नेता आदरणीय चौधरी साहब यहां आये तो श्रद्धेय नारायण दत्त तिवारी जी ने कहा था "श्रीमन्, सर्वप्रथम तो मैं नेता विरोधी दल और अन्य सभी विरोधी दल के सम्मानित सदस्यों को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने इस सदन में स्वयं आने का निर्णय लिया और इस प्रकार जो प्रजातांत्रिक परिपाटी है, उसके अनुसार उन्होंने परिपाटी को पुनः निभाया । मैं समझता हूं कि विरोधी दल का सदन में उपस्थित रहना बहुत ही आवश्यक है ।

इस प्रजातांत्रिक-पद्धति के अनुसार और इसलिये मैं उनके यहां आने का हृदय से स्वागत करता हूं और मैं आशा करता हूं कि जो भविष्य के विवाद हैं, उनमें भी भाग लेते रहेंगे । हम सब चाहते हैं कि विरोधी दल भाग लेता रहे और कोई ऐसा अवसर न पैदा हो कि उसमें विरोधी पक्ष शोभा न बढ़ाये ।" यह परिस्थिति उस समय थी कि सदन का बायकाट किया गया था । जब कि हम सब यहां निकाले गये थे । विपक्ष यहां था नहीं । इसी तरह से एक प्रख्यात पुस्तक है "इनसाइक्लोपेडिया आफ पार्लियामेन्ट" इसकी बाबत माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी जानते हैं शायद पढ़ा भी होगा ।

श्री प्रमोद कुमार–

तिवारी जी से जो आशा करते थे वह आशा आप गुप्ता जी से करते हैं ?

श्री हृदय नारायण दीक्षित–

उसी कुर्सी पर बैठे हैं मैं अपेक्षा करूं तो अनुचित न होगा । उसके पेज नं० 509 पर है अंग्रेजी में है, इसकी दो पंक्तियां मैं पढ़े देता हूं–

'द इम्पारटेन्स आफ द अपोजीशन इन द सिस्टम आफ पार्लियामेन्टरी गवनमेन्ट हैज लांग रिसीव्ड प्रैक्टिकल रिकग्निशन इन द प्रोसीजर आफ द पार्लियामेन्ट्स आफ द ब्रिटिश कामनवेल्थ ।'

श्री अध्यक्ष–

लोकतंत्र में विपक्ष के महत्व पर कोई मतभेद तो है नहीं ।

श्री हृदय नारायण दीक्षित–

मान्यवर, इस सदन में एक आप महत्वपूर्ण हैं, दूसरे आपके दायीं ओर बैठा सत्तापक्ष और तीसरे बायीं ओर बैठा विपक्ष है । बिना सभी पक्षों की सम्यक उपस्थिति के ही सदन चलाया गया ।

और उस अवस्था में सदन में ऐसे विषय पर चर्चा हो जिनका सम्बन्ध हम सबसे हो तो मैं समझता हूं कि यह विधायी औचित्य का प्रश्न है ।

श्री अध्यक्ष–

आप कृपया बैठ जायें माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी बोल रहे हैं ।

वित्त, संस्थागत वित्त, संसदीय कार्य एवं नियोजन मंत्री (श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त)–

मान्यवर, माननीय दीक्षित जी ने जो बात कही है वह बहुत ही अच्छी बात है । मैं उनका और विपक्ष का आभार प्रकट करना चाहता हूं कि वह शांतिपूर्ण ढंग से कार्यवाही में भाग ले रहे हैं । मैं चाहता हूं कि जो कुछ हुआ सो हुआ हम अब एक अच्छे अध्याय की शुरुआत करें । माननीय तिवारी जी का आपने नाम लिया, हम सब उनका बड़ा सम्मान करते हैं ।

मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा भी है । उनकी बात और मेरी बात में कोई विमति भी नहीं है । उन्होंने जो पढ़कर सुनाया है उसका उल्लेख किया कि सब लोग वापस हो गये आपका स्वागत है । मान्यवर, हम भी चाहते हैं कि ऐसे दुःखद क्षण न आयें कि इस प्रकार का वातावरण पैदा हो । हम लोग एक शांतिपूर्ण वातावरण में काम करना चाहते हैं यह मैंने कल भी आपसे कहा था और आज फिर दोहरा रहा हूं कि सदन शंतिपूर्ण ढंग से चले और दोनों ओर के सदस्य हों तभी अच्छा भी लगता है ।

श्री अध्यक्ष–

माननीय हृदय नारायण दीक्षित जी ने जो सूचना दी है वह दिनांक 30-3-92 को बजट पर सामान्य चर्चा के समय विपक्ष का कोई सदस्य उपस्थित न होने और सदन की कार्यवाही एकतरफा चलाये जाने के सम्बन्ध में है, इसमें मेरा यह कहना है कि दिनांक 30-3-92 को प्रश्नकाल आरम्भ होने के पूर्व ही विपक्ष के निलम्बित सदस्यों के निलम्बन का असमाप्त भाग सदन द्वारा निरस्त कर दिया गया था अतः सभी सदस्य सदन में आने के लिए स्वतंत्र थे और उन्हें आना चाहिये था लेकिन नहीं आये.....

श्री प्रमोद तिवारी–

मान्यवर, पांच दिन की छुट्टी थी सब सदस्य अपने-अपने घर पर थे । अगर इतनी सहानुभूति थी और इनकी नियत साफ थी तो इन्हें दूसरे ही दिन निलम्बन वापस ले लेना चाहिए था मगर इन्होंने यह नहीं किया । माननीय ऊदल जी ने भी प्रस्ताव किया था निलम्बन वापस लेने का, नहीं किया ।

श्री अध्यक्ष–

मैं इसे नियम–300 के अन्तर्गत अस्वीकार करता हूं ।

श्री हृदय नारायण दीक्षित–

लेकिन मान्यवर, कल जो सवाल थे उन पर आप विचार कर लें ।

सदस्यों के निलम्बन के सम्बन्ध में, नियम–300 के अन्तर्गत व्यवस्था का प्रश्न

* श्री राम गोविन्द चौधरी–

मान्यवर, यह जो मैंने नियम–300 के अन्तर्गत व्यवस्था का प्रश्न उठाया है इसको मैं पहले भी कई बार उठा चुका हूं और मैं यह भी सोचता हूं कि एक ही बात को कितनी बार उठाया जाये । मैंने उठाया है कि उस दिन एक साथ चौंसठ और फिर दूसरे दिन 14 सदस्यों को निलम्बित जो आपने किया वह नियमों के विपरीत था, परम्पराओं के विपरीत था और यह सब आपने माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी के कहने पर किया । माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने एक उदाहरण पेश किया कि इस सदन में पहले भी एक बार इस तरह का सामूहिक निष्कासन हुआ है ।

मैं मानता हूं कि किन्हीं विशेष परिस्थितियों में एक बार तत्कालीन माननीय अध्यक्ष ने इस प्रकार का निर्णय लिया लेकिन उसी को उदारहण मानते हुए इस प्रकार का कार्य किया जाये तो यह ठीक नहीं है । अगर आप हमसे यह चाहते हैं कि हम नियमों का पालन करें और हमसे यह चाहते हैं कि सदन चले, उसकी कार्यवाही शांतिपूर्ण ढंग से चले, सुचारुरूप से चले तो यह आपकी कल्पना ठीक है और हम लोग भी इस पर बल देते हैं कि सदन की कार्यवाही नियमों से चले, शांतिपूर्ण ढंग से चले.....

लेकिन श्रीमन्, यह परिस्थितियां क्यों आ जाती हैं ? हम लोग याचक हैं, देने वाला सत्ता पक्ष है और दिलवाने वाले आप हैं । हम कोई भी अपनी बात प्रश्नों के द्वारा, लोक महत्व के प्रश्नों द्वारा, नियमों द्वारा चाहे 56. 300. 311. 49. 51. 52 हो, के द्वारा आपके माध्यम से उठाते हैं, तो यह अपेक्षा करते हैं कि सरकार हमको संतुष्ट करे । मान्यवर, आपका यह कर्तव्य होता है कि माननीय सदस्य विपक्ष के जो कह रहे हैं, अगर उनकी बात में दम है, तो आपका यह नैतिक कर्तव्य हो जाता है कि आप उनको समुचित उत्तर दिलवायें ।

अगर सरकार लीपापोती करती है, प्रश्नों को टालना चाहती है, या सही उत्तर नहीं देना चाहती है तो आप माननीय सदस्यों को उनके प्रश्नों के सही उत्तर दिलवायें । श्रीमन्, हम लोग नहीं चाहते कि यहां कोई विवाद खड़ा हो, लेकिन जब माननीय सदस्य को आभास हो जाता है कि हमको सत्ता पक्ष से न्याय नहीं मिल रहा है और जिसकी आशा हम आपसे लगाकर बैठे हैं, उसकी भी पूर्ति आपकी पीठ से नहीं हो रही है, तो श्रीमन, हमारे सामने कोई दूसरा चारा नहीं रह जाता । श्रीमन्, जो यह लाल निशान

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

इसको वेल कहते हैं, वेल माने कुआं । और कोई भी व्यक्ति जब आपनी बात हर तरह से कहने में असमर्थ हो जाता है तो उसके सामने कुयें में गिरकर जान दे देने की नौबत आ जाती है । माननीय विपक्ष के सदस्यों के जब सारे हथियार असफल हो जाते हैं, सत्ता पक्ष भी उनके साथ न्याय नहीं करता, आपकी पीठ से भी न्याय नहीं होता, तो हमारे पास कौन सा चारा है, हम यहां क्या करें ? हम वेल में न जायें तो कहां जावें ? हमको कहां से न्याय मिलेगा, आप बतायें ?

मान्यवर, मैं आपको आरोपित नहीं कर रहा हूं, लेकिन किसी-किसी दिन हम लोगों को ऐसा लगता है कि आप न्याय नहीं कर रहे हैं । श्रीमन्, आप अत्यन्त महत्वपूर्ण कुर्सी पर विद्यमान हैं, आप बुद्धिमान भी हैं । यह नहीं है कि मैं कह दूंगा तो आप बुद्धिमान हो जायेंगे, बल्कि आप बुद्धिमान हैं, आप संसदीय परम्पराओं के ज्ञाता भी हैं, उसके बावजूद भी जब हमको न्याय नहीं मिलता, तो आप बतायें कि हम क्या करेंगे ?

मान्यवर, आप हमारे हितों के संरक्षक हैं, जब हम खड़े होकर कोई बात कहें और हमें उत्तर न मिले.....

(श्री सूर्य प्रताप शाही द्वारा बैठे-बैठे, कहने पर इधर आ जाओ)

मान्यवर, गृह राज्य मंत्री कह रहे हैं कि इधर आ जाओ । मैं कहता हूं कि कसम धराकर अपने माननीय सदस्यों से पूछ लें कि वे सारे संतुष्ट हैं । सत्ता पक्ष में हम भी रहे हैं और हर आदमी कभी संतुष्ट नहीं होता । मान्यवर, मैं एक छोटा सा उदारहण देना चाहता हूं । अभी 24 तारीख को आपने हम लोगों को बलपूर्वक निकलवा दिया, हम लोग सदन से बाहर चले गये । उसके बाद राम औतार शाक्य यहां पर आये, वह भी वेल में गये, पता नहीं इस सरकार को क्या दिमागी परेशानी है, आपने इंगित किया शेष अवधि के लिये संसदीय कार्य मंत्री ने प्रस्ताव रखा, आप कार्यवाही निकालकर देख लीजियेगा कि माननीय राम औतार शाक्य को सदन की सदस्यता से निलम्बित किया जाय, आपने टोका भी नहीं, यह बाद में बदला गया और लिखा गया कि सदन की सेवा से निलम्बित किया जाय । मान्यवर, जब तक आप इनकी मानसिकता पर अंकुश नहीं लगायेंगे, हमको न्याय नहीं दिलवायेंगें.....

तो हमारे पास वेल में जाने के अलावा और कौन सा चारा रह जाता है ? श्रीमन्, कुर्सी पर बैठने से पहले आपका किसी दल विशेष से सम्बन्ध हो, परन्तु इस कुर्सी पर बैठने के बाद 80 प्रतिशत विपक्ष के हितों की रक्षा करना और 20 प्रतिशत सत्ता पक्ष के हितों की रक्षा करने का दायित्व आप पर हो जाता है । परन्तु इधर हम देख रहे हैं कि आपकी पीठ से 80 प्रतिशत सत्ता पक्ष का हित देखा जा रहा है और 20 प्रतिशत विपक्ष का हित देख जा रहा है । इसलिए हमें मजबूरी में वेल पर आना पड़ता है ।

श्रीमन्, दूसरे दिन जब हाऊस चल रहा था तो आपनें आक्रोश में आकर यह कह दिया कि हम जैसा चाहेंगे, वैसे सदन चलायेंगे । श्रीमन्, हम मानते हैं कि आप में पूर्ण अधिकार निहित हैं, परन्तु श्रीमन्, आप भी तो सदन नियमों के अन्तर्गत ही तो चलायेंगे । आपने उस दिन प्रश्नकाल 3.00 बजे तक चलाया । मान्यवर, आप नियम–131 को देखें । उसमें कहा गया है "जब तक अध्यक्ष अन्यथा निदेश न दें ।" 11.00 बजे से लेकर एक घन्टे तक प्रश्नकाल होता है । आपने उस दिन अन्यथा निदेश सदन को नहीं दिया । आवेश में आकर आपने कहा कि पूरक प्रश्न जब तक वर्मा जी नहीं पूछते तब तक प्रश्नकाल चलायेंगे । उस समय ढाई बज रहे थे । मान्यवर, यह आवेश में आने वाली कुर्सी नहीं है । आवेश में हम आ सकते हैं । आपकी कुर्सी को यह शोभा नहीं देता ।

विपक्ष के साथ जब अन्याय हो रहा हो तो आप सत्ता पक्ष की तरफ देखते हैं । सत्ता पक्ष से अगर आप उत्तर दिलवाते हैं तो आप यह सोचने लगते हैं कि कहीं सत्ता पक्ष कुपित न हो जाय । अगर आप निष्पक्ष भाव से, कार्य संचालन नियमावली के हिसाब से, परम्पराओं के हिसाब से सदन को चलायेंगे तो हम जैसे लोग आपको विश्वास दिलाते हैं कि यह सदन कभी भी अव्यवस्थित नहीं हो सकता । सत्ता पक्ष अगर सही उत्तर दे दे या फिर आप उनसे सही उत्तर दिलवा दें, ट्रेजरी बैंच सुसंगत उत्तर दे, नियमों के अनुसार काम हो तो तभी इस सदन की कार्यवाही सुचारुरूप से चल सकती है । मेरी आपसे विनम्र प्रार्थना है कि आप बिना किसी दबाव में आकर, बिना आवेश के, बिना क्रोध के हम विपक्ष के माननीय सदस्यों के हितों की रक्षा करते हुए इस सदन को सुव्यवस्थित ढंग से चलाने की प्रक्रिया अपनायेंगे । इस पर मैं आपकी व्यवस्था चाहता हूं ।

श्री अकबर–

मान्यवर, माननीय श्री चौधरी जी ने विस्तार से अपनी बात कह दी है । उस दिन नियम–311 के अन्तर्गत जब मंदिर तोड़े जाने के ऊपर चर्चा चल रही थी और उसके बाद जो माहौल बना, उसमें लगभग सभी लोग वेल में आ गये मुझे इसलिए बोलना पड़ रहा है कि मेरे साथ लगातार अन्याय हो रहा है । आखिर मेरा दोष क्या है ? मैं भी वेल में चला गया था, किन्तु आपके दो-तीन बार चेतावनी देने के बाद और फिर आप जैसे ही यहां से उठकर चले उसी समय, मैं अपनी सीट पर जाकर बैठ गया था । आपने यहां से जाने के बाद सामूहिक 63 मा० सदस्यों का निलम्बन कर दिया । मैं उस समय वैल में नहीं था । मैं इससे पहले भी अपने ऊपर हो रहे अन्याय के बारे में आपसे मिलकर कह चुका हूं । मान्यवर, मेरा नाम अकबर है, वर्णमाला के अनुसार भी यदि देखा जाय तो सूची में नम्बर एक पर मेरा नाम आना चाहियें । किन्तु नं० 2 पर लिखा गया है बहुत सी छोटी-छोटी बातें हैं मैं उनको नहीं कहना चाहता था । लेकिन 24 तारीख को उस दिन जो तीन दिन के लिये निलम्बन हुआ उसमें मेरे क्षेत्र के एक गम्भीर मामले पर मुख्य मंत्री का वक्तव्य आने वाला था जिसकी जानकारी प्राप्त करने से मुझे वंचित कर दिया ।

श्री अध्यक्ष–

यह जो सूचना दी है उससे अलग बोल रहे हैं ।

श्री अकबर–

मान्यवर, दूसरा अन्याय जो आपके अधिकार में समितियां थीं, मैं तीसरी बार सदस्य चुन कर आया हूं, मुझे किसी समिति में नामिनेट नहीं किया गया ।

श्री अध्यक्ष–

माननीय अकबर जी, यह विषय अलग है ;

श्री अकबर–

इसमें मेरा क्या दोष है ?

श्री अध्यक्ष–

यह दूसरा विषय ले रहे हैं, अगर दूसरे विषय पर आप उठाना चाहते हैं तो संबंधित जो नियम है उसमें सूचना दीजिये ।

श्री अकबर–

मैं जानना चाहता हूं मेरा क्या दोष है । आखिर आप मेरे साथ अन्याय क्यों कर रहे हैं ? आपने सामूहिक तरीके से मुझे निलम्बन में शामिल कर लिया जो गलत था ।

श्री अध्यक्ष–

उस विषय पर मैं नहीं जा रहा हूं ।

* श्री नरेश अग्रवाल–

मान्यवर, आपने नियम 299 में 64 सदस्यों को तीन दिन के लिये सदन की सेवा से निकाल दिया । दुख इस बात का है कि आप जैसे कानून के ज्ञाता, संविधान और नियमावली के ज्ञाता को माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने गुमराह करके आपसे असंवैधानिक कार्य करा दिया जिससे तीन दिन तक हमारे अधिकारों का हनन हुआ । आप 299 पढ़ लीजिये । इसकी उपधारा (1) में लिखा है अध्यक्ष व्यवस्था स्थापित रखेंगे और किसी सदस्य को जिसका व्यवहार उनकी राय में अव्यवस्था पूर्ण हो, अथवा अध्यक्ष के प्रति अवज्ञापूर्ण हो, सदन से तुरन्त बाहर चले जाने का निर्देश दे सकेंगे और जिस सदस्य को इस प्रकार बाहर चले जाने का निर्देश दिया जाय वह तत्काल सभामण्डप से बाहर चले जायेंगे और उस दिन के उपवेशन के अवशिष्ट समय में अनुपस्थित रहेंगे । तो वह एक दिन के लिये है । अब उपधारा (2) में आपको अधिकार है आप एक-एक सदस्य को इंगित करेंगे और उपधारा (3) में जिस सदस्य को इंगित किया जायेगा उसके संबंध में माननीय संसदीय कार्य मंत्री या सत्ता पक्ष का कोई भी सदस्य या मंत्री प्रस्ताव करेगा तब हम लोगों का निष्कसान होगा । तो इस प्रकार वह तीन दिन के लिये लागू होगा । आप प्रोसीडिंग को उठा कर देंख लें माननीय संसदीय कार्य मंत्री ने एक सामूहिक प्रस्ताव किया कि जो जो माननीय सदस्य वेल में आये हैं सबको निकाल दिया जाय । यह प्रस्ताव हुआ है आपने इंगित नहीं किया । इनका प्रस्ताव आपने सदन में रख दिया । उसके बाद आप चले गये ।

उसके बाद उपाध्यक्ष जी आये और एक-एक का नाम लेकर पढ़ना शुरू कर दिया । जो-जो सदस्य का नाम वह पढ़ते गये माननीय संसदीय कार्य मंत्री ने निष्कासन का प्रस्ताव नहीं किया । 299 में आप जैसा चाहेंगे वैसे सदन चलायेंगे । लेकिन आप भी नियमावली के तहत सदन को चलायेंगे । नियमावली के तहत हमको भी अपने अधिकारों को मानने के लिये संरक्षण आपको देना पड़ेगा । आपने एक भी सदस्य को इंगित नहीं किया ।

माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने प्रस्ताव नहीं किया और हम लोग तीन दिन के लिये निलम्बित हो गये और तीन दिनों में प्रश्नों के द्वारा जीरो आवर के द्वारा या अन्य नियमों के तहत हम प्रश्न उठाते लेकिन हमारे सारे अधिकारों का हनन हुआ है और इस नियमावली के नियमों का उल्लंघन हुआ है और आपके द्वारा एक [xxx] निर्णय ले लिया गया जिससे इस सदन की नियमावली के संबंध में भी हम लोगों को शक पैदा हो गया है कि भविष्य में भी संसदीय कार्य मंत्री जी कोई ऐसा प्रस्ताव कर दें जिससे हमें आपका संरक्षण नहीं मिल पायेगा । मान्यवर, इस औचित्य के प्रश्न के माध्यम से मेरा निवेदन है कि गलत निष्कासन तीन दिन का हुआ उसको वापस कराया जाय । हमारे अधिकारों का हनन हुआ है, हमारे प्रश्न खत्म हुए हैं उसकी सुरक्षा की जाय ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

नोटः– [xxx] यह अंश मा० अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

वित्त, संस्थागत वित्त, संसदीय कार्य एवं नियोजन मंत्री (श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त)–

मान्यवर, अभी एक बड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा इस आदरणीय सदन में उठाया गया । उस मुद्दे पर बोलते हुए कुछ ऐसी बातें भी कही गयीं जो कदाचित् बड़ी शोभनीय नहीं हैं । आपके निर्णय के विवेक पर चुनौती दी गयीं । हम लोग जानते हैं कि सदन के व्यवस्थित ढंग से चलाने की जिम्मेदारी आप पर है ।

श्री नरेश अग्रवाल–

आपके कारण ही यह निर्णय दिया था ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

अगर कभी परिस्थिति ऐसी बनती है । हम अपनी गलती मान लेते हैं । मेरी भी बनी होगी । आप वैल में आ गये तो सदन का संचालन करना अध्यक्ष पीठ की जिम्मेदारी है । इसमें निर्णय देना तो अध्यक्ष पीठ का विवेक है । इसलिये मैं उस विचार पर नहीं जाना चाहता । विगत दो-तीन दिन जो घटनायें घटीं वह वास्तव में दुःखद हैं लेकिन जो सदस्यों के निष्कासन की कार्यवाही हुई है वह पूरी प्रक्रिया और परिपाटी के अनुसार पूरी तरह से विधि सम्मत थी । अभी एक प्रश्न उठाया गया कि एक-एक का नाम लेकर के प्रस्ताव आना चाहिये था । नियमावली में लिखा हुआ है लेकिन पूर्व दृष्टान्त देखें तो मालूम होगा कि यह सही था । मैं भी पहले इसे गलत समझता था उस समय मैं भी नया-नया चुनकर आया था इतनी जानकारी नहीं थी । मैं भी सीखना चाहता था ।

श्री प्रमोद तिवारी–

अब यहां के नियमों से परिचित हो गये कि नहीं, इसकी जानकारी दे दें ।

श्री अध्यक्ष–

अभी मालूम हो जायेगा ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, हमने देखा अध्यक्ष पीठ से व्यवस्था हुई । उस व्यवस्था को हमने समझ लिया और जान गये कि नाम लेने की व्यवस्था मात्र इसलिये थी कि उससे सदस्य को पहचाना जा सके । प्रस्ताव सामूहिक भी होते हैं । सदस्यों के सामूहिक रूप से निलम्बन की परिपाटी रही है । इसलिये मैं समझता हूं कि कोई नियम विरोधी कार्य नहीं हुआ है, प्रक्रिया की अवहेलना नहीं हुई है । सदन के संचालन के बारे में आपकी व्यवस्था है । आप जैसा निर्णय देना चाहें ।

(व्यवधान)

श्री स्वामी नाथ यादव–

मेरे साथ जो वेल में थे उनको नहीं निकाला गया है ।

श्री अध्यक्ष–

नहीं-नहीं, यह बार-बार हर प्रस्ताव पर बोलने के लिये खड़े होना ठीक नहीं है । अभी आप नियमों की दुहाई दे रहे थे और नियमों के अनुसार स्वयं काम नहीं कर रहे हैं ।

श्री नरेश अग्रवाल–

श्रीमन्, उस दिन की प्रोसिडिंग दिखवा लें । सामूहिक प्रस्ताव है उसके बाद नाम पढ़े गये हैं ।

श्री अध्यक्ष–

मैंने श्री अकबर, श्री राम गोविन्द चौधरी तथा श्री नरेश अग्रवाल की सूचना पर तीनों माननीय सदस्यों को सुना । इनको सुनने के पश्चात् मैंने संसदीय कार्य मंत्री को भी सुना । राम गोविन्द चौधरी ने आरोप तो नहीं लगाया लेकिन प्रक्रिया संबंधी आपत्ति जरूर की है । एक तो मैं सबको विश्वास दिलाना चाहूंगा कि इस पीठ पर बैठकर लोकतंत्र और सदन की मर्यादा की रक्षा करने के लिये बैठा हूं । सदन नियमों के अनुसार चलता है और नियमों के अनुसार चलेगा । जहां तक सामूहिक निलम्बन की बात है एक सर्वमान्य सिद्धान्त है कि एक वचन में बहुबचन भी सम्मिलित होता है । मैंने सामूहिक निलम्बन के लिये पहले इंगित किया था । मैं नरेश अग्रवाल जी का भ्रम दूर कर दूं । मैं कार्यवाही देख लूंगा । मैंने पहले भी कह दिया था । मुझे आभास हो गया था कि आज इस प्रकार की घटना होगी इसलिये मैंने पहले ही संसदीय कार्य मंत्री से कह दिया था कि जब मैं इंगित करूं तो आप प्रस्ताव करने के लिये तैयार रहियेगा । मैंने पहले इंगित किया और फिर प्रस्ताव किया था । इस बारे में पहले भी अध्यक्ष पीठ से दिये गये महत्वपूर्ण निर्णयों के संकलन में वर्ष 1969-78 के पृष्ठ सं०-42 के क्रम सं०-19 में दिया गया है कि अध्यक्ष पीठ को यह अधिकार है कि अनियमितता करने पर किसी सदस्य को सदन से हटवा दें ।

उत्तर प्रदेश विधान सभा में अध्यक्ष पीठ से दिये गये महत्वपूर्ण निर्णयों के संकलन 1979-84 के पृस्ठ सं०-126 के क्रम सं०-260 में दिये गये निर्णय के अनुसार नाम लेकर इंगित न कर पाने पर सदस्यों को सामूहिक रूप से निष्कासित किये जाने का प्रस्ताव किया जा सकता है । इसके बारे में पहले से व्यवस्था है । और मैंने उन्हीं व्यवस्थाओं के अनुरूप कार्य किया है । मैं एक चीज और बताना चाहता हूं उस दिन पर्याप्त संख्या में माननीय सदस्य वेल में आ गये और सदन अव्यवस्थित हो गया । मैं व्यवहारिक तौर पर कहना चाहता हूं कि 60. 62. 63 जितने भी माननीय सदस्य थे, उनका एक-एक का नाम लेकर अगर प्रस्ताव किया जाता तो एक-एक मिनट तो हर प्रस्ताव में लग जाता, तो इस तरह 64 मिनट लग जाते और उतनी देर सारा सदन अव्यवस्थित रहता, तो सदन को अव्यवस्था से बचाने के लिये यह आवश्यक हो गया था कि सामूहिक निलम्बन का प्रस्ताव होना चाहिये था । अगर दो-चार माननीय सदस्यों की संख्या वेल में आने वालों की रहती है तो ऐसी स्थिति में नाम लेकर प्रस्ताव हो सकते हैं ।

नियम-300 के अन्तर्गत जो सूचनायें दी हैं उनको मैं अस्वीकार करता हूं । मद संख्या 3. 4. 5 में कुछ नहीं है । मद संख्या-6 में भी कुछ नहीं है मद संख्या-7 लेते हैं ।

कार्य-स्थगन प्रस्तावों की सूचनायें

श्री अध्यक्ष–

बहुत कम सूचनायें हैं ।

श्री अखिलेश–

मान्यवर, मैंने एक सूचना दी थी ।

श्री अध्यक्ष–

उसका मैं परीक्षण करा रहा हूं ।

श्री नरेश अग्रवाल–

मान्यवर, कल प्रश्न प्रहर से पहले संसदीय कार्य मंत्री ने प्रस्ताव किया निलम्बन वापस करने के लिये, निलम्बन वापस हुआ और हमारे अधिकार पुनर्जीवित हो गये । आप कल की कार्यसूची देखें उसमें लिखा है कि सदन की सेवा से निलम्बित होने के कारण हटाया गया । जब आपने निलम्बन वापस करने के आदेश कर दिये तो प्रश्नों को लिया जाना चाहिये था । आपने यह माना कि चूंकि सदन की प्रक्रिया में नहीं हैं इसलिये हमने नहीं लिया ; जब अधिकार पुनर्जीवित हो गये तो हमारा अधिकार हो जाता है कि हमारे प्रश्नों के उत्तर हमें मिलें । इस पर मान्यवर, आप व्यवस्था दे दें कि कल जितने प्रश्न माननीय सदस्यों के निलम्बन के कारण हटाये गये उन्हें पुनर्जीवित किया जाए और प्रश्नों के उत्तर आने चाहिये ।

श्री अध्यक्ष–

कार्यसूची पहले छप चुकी थी । निलम्बन बाद में वापस हुआ है । मैं इस पर विचार कर लूंगा ।

नेता विरोधी दल (कुंवर रेवती रमण सिंह)–

मान्यवर, कार्य-स्थगन के संबंध में कहना चाहता हूं बड़ा विलम्ब हो गया है इसलिये जितने कार्य–स्थगन स्वीकृत किये हैं उन्हें अगली तारीख में प्राथमिकता के आधार पर ले लें आज इसे स्थगित कर दें ।

श्री अध्यक्ष–

माननीय नेता विरोधी दल से अनुरोध है कि जो कार्य-स्थगन का प्रस्ताव होता है वह उसी दिन के लिये होता है तो इसको माननीय सदस्य दुबारा दे देंगे तो मैं उस पर विचार कर लूंगा ।

श्री प्रमोद तिवारी–

इसमें मान्यवर, एक वैधानिक कठिनाई है कि शायद दुबारा शलाका में न आये । आप हमारा तो ले लें यह शलाका में आ चुका है और किसी का लें, चाहे न लें, मेरा नाम नम्बर तीन पर है ।

श्री अखिलेश–

मान्यवर, कार्य-स्थगन पर चर्चा करा लें ।

श्री अध्यक्ष–

मैं तो समझता था कि जो सुझाव माननीय नेता विरोधी दल ने दिया है उससे आप सहमत हो जायेंगे ।

श्री प्रमोद तिवारी–

मान्यवर, उस दिन शलाका की बाध्यता न रखें, यह कर लें तो ठीक है ।

श्री अध्यक्ष–

इसमें कठिनाई यह हो रही है कि नियम 56 के अन्तर्गत कार्यवाही का स्थगन उसी दिन होता है । इसी सूचना को आप दोबारा दे दें ।

श्री प्रमोद तिवारी–

उस दिन समय कम था तो आपने सामूहिक निष्कासन कर दिया था उसी तरह से आज मान लीजिये ।

श्री अध्यक्ष–

मैं प्रयास करूंगा कि सारी सूचनाएं आ जायं ।

श्री प्रमोद तिवारी–

आ जायं तो ठीक है नहीं तो मान्यवर, हमारी सूचना को आज ले लें ।

कुंवर रेवती रमण सिंह–

मान्यवर, कठिनाई यह है कि उस दिन यह सूचनायें फिर लगानी पड़ेंगी और हो सकता है कि जो आज स्वीकार हुयी है उस दिन में न आ पाये । आप सदन को आश्वासन दे दें कि इन सूचनाओं को प्राथमिकता के आधार पर ले लिया जायेगा और शलाका की बाध्यता नहीं रहेगी ।

श्री अध्यक्ष–

मैं इस सुझाव पर विचार कर लूंगा ।

श्री प्रमोद तिवारी–

मान्यवर, आप यह बता दें कि कौन सी सूचना स्वीकार हुयी है और कौन सी सूचना अस्वीकार हुयी है ?

श्री स्वामी नाथ यादव–

मान्यवर, हमारी बात सुन लें ।

श्री अध्यक्ष–

माननीय सदस्यों का आग्रह है, मैं यह समझता हूं कि जिन माननीय सदस्यों की सूचना आज लगी है दो-दो मिनट वह ग्राह्यता पर बोल लें ।

(हां मान्यवर, ठीक है, की आवाजें ।)

श्री हृदय नारायण दीक्षित–

मद संख्या- 3 छूट गयी है ।

श्री अध्यक्ष–

मद संख्या-3 में कुछ नहीं है ।

श्री हृदय नारायण दीक्षित–

मान्यवर, गिरफ्तारियां जो हुयी हैं उनकी सूचना आयी होगी ।

श्री अध्यक्ष–

सूचना आयी थी, रिहाई की सूचना भी उसी में आयी है, दोनों की साथ-साथ सूचना है, एक ही सूचना में दोनों हैं ।

श्री राम गोविन्द चौधरी–

मान्यवर, मैंने एक सूचना दी थी बड़ी महत्वपूर्ण सूचना है । देवरिया जनपद के जिला परिषद् के अध्यक्ष की गिरफ्तारी की गयी है ।

श्री अध्यक्ष–

वह सूचना शलाका में नहीं आयी है । अगले दिन दे दीजियेगा ।

* श्री सोमांश प्रकाश–

अध्यक्ष महोदय, मैं आपके संज्ञान में एक बड़ी ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना की जानकारी लाना चाहता हूं । जनपद बरेली में हाफिजगंज में गांव टिगारा में होली के दिन पुलिस के सिपाही राजपाल सिंह गांव में गये और बादाम सिंह से चौथ वसूलने की कोशिश की । इसमें आपस में कुछ झगड़ा हुआ और मारपीट हो गयी । मारपीट होने के बाद राजपाल सिंह सिपाही भाग कर थाना हाफिजगंज पहुंचा और वहां एस० ओ० इंचार्ज से यह कहा कि हमारी बंदूक छीन ली गयी है और मारा पीटा गया है ।

थाना इंचार्ज कुछ सिपाहियों को लेकर गांव टिगारा पहुंचे और हरवंश सिंह जिसके पिता का पिछली होली में स्वर्गवास हो गया था और उसके कुछ रिश्तेदार उसके घर पर पंचायत के रूप में बैठे थे तो थाना अध्यक्ष वहां पहुंच कर बन्दूक के बारे में पूछने लगे । इसी बीच बादाम सिंह जिससे चौथ वसूल करने के बारे में विवाद हुआ था वह मिला । नानक सिंह नाम के व्यक्ति को कुछ सिपाही घसीट कर ले आये और हरवंश सिंह के घर के सामने बेइज्जत करना शुरू कर दिया ।[समय–6 बजे] और उसके साथ मारपीट करते हुए ऐसी दुर्घटना हुई कि सब लोगों के देखते-देखते उसको गोली मार दी । नानक सिंह को गोली लगने से हरवंश सिंह उनके पीछे भागा । पुलिस वाले भी भागे । वह उनके पीछे भाग रहा था तो पुलिस वालों में से किसी ने गोली चलाई और हरवंश सिंह भी मर गया । दुर्भाग्यपूर्ण बात यह हुई कि उसके बाद थाना इंचार्ज और राम प्रकाश सिपाही को छोड़कर अपनी जीप को लेकर पुलिस वाले भाग गये । उन्होंने अपने अधिकारियों पुलिस अधीक्षक आदि को सूचना दी कि गांव में आतंकवादी आ गये हैं और उन्होंने दरोगा और सिपाही को जला दिया है और मार दिया है और आतंकवादियों ने गांव को घेर लिया है । यह सूचना मिलने पर मुख्यालय से फोर्स पहुंची ।

मैं भी वहां गया था । मौके पर माननीय नेता विरोधी दल भी आ गये थे । तमाम आने वालों को उस बात के बाद देखने को मिला कि नानक सिंह नौकरी करता था और हरवंश सिंह ढाबा चलाता था । दोनों के परिवारों की स्थिति बड़ी दयनीय है । नानक सिंह के परिवार में एक छोटा बच्चा 8 साल का, पत्नी और एक बूढ़ी मां है । हरवंश सिंह के परिवार में भी कुछ लोग हैं । उनका कोई दोष नहीं था । वहां पर एक ऐसी घटना बनाई गयी है इसको मुख्यालय से आये अधिकारियों ने भी महसूस किया । दुर्घटना गलत बतायी गयी है और आतंकवाद की कोई बात नहीं है । वहां पर रहने वाले चूंकि सिख थे इसलिये यह बात उड़ा दी । इसमें मेरा आपसे निवेदन है कि हो सकता है कि कोई रिपोर्ट आयी हो ।

मैंने जिलाधिकारी महोदय से बात की, वह स्वयं महसूस कर रहे थे कि इस मामले में गलत सूचना दी गयी है । दो निर्दोष व्यक्तियों को खुलेआम मार दिया गया । इस घटना को लेकर गांव वालों में निराशा हो रही है । वे दरोगा और सिपाही के पीछे भागे । एक सिपाही डण्डा मारने से जख्मी हो गया । दरोगा ने गांव में एक जगह रहकर जान बचायी । इन परिस्थितियो में निवेदन है कि इसकी जांच कराई जाय । इसमें या तो जुडीशियल इन्क्वाइरी कराई जाय क्योंकि पुलिस से संबंधित मामला है । इसकी यदि न्यायिक जांच न करायें तो सी० वी० आई० से इसकी जांच करावें । दोनों व्यक्ति निर्दोष थे । उनके

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

पीछे पालन-पोषण करने वाला कोई नहीं है । इसलिये मेरी मांग है कि कम से कम एक-एक लाख रुपया उन दोनों परिवारों के लिये दिया जाय ।

कुंवर रेवती रमण सिंह---

मान्यवर, यह बड़ी दुखद घटना है । मै परसों गया था उस गांव में, मान्यवर, वहां बहुत ही दहशत व्याप्त है । नानक सिंह और हरवंश सिंह के परिवारों में इतनी हृदय विदारक स्थिति है, छोटे-छोटे बच्चे हैं, पुलिस ने जो कार्य किया है, हम बार-बार सदन में कहते हैं, आज क्या स्थिति है ? आप सरकार में हैं, सत्ता में हैं । वहां पर उनको मारा ही नहीं उनके पास साढ़े तीन हजार रुपया था, उसको लूट लिया और वहां पर आग लगा दी । आज एक नयी प्रवृत्ति इस तरह की पैदा हो रही है, उनका कही भी आतंकवाद से किसी प्रकार का कोई सम्बन्ध नहीं था, महज सिख होने के नाते सबको आशंका की दृष्टि से देखा जायगा और इस तरह से कार्य किया जायगा तो कैसे काम चलेगा ?

वहां पूरे गांव में दहशत है । मैं एक घंटे वहां रहा । वहां पर बड़ी हृदय विदारक स्थिति है । जो पत्र संसदीय कार्य मंत्री को वहां से लिखकर आया होगा, एडमिनिस्ट्रेशन ने पुलिस ने रिपोर्ट भेज दी है । हकीकत से उन्होंने अलग बात की है, अगर उन्होंने कोई दूसरी रिपोर्ट भेजी, मैं चाहता हूं कि वहां आज उस स्थिति को सामान्य करने के लिये एक तो उस सिपाही को भी जो मरा है और जो दो सरदार निर्दोष मारे गये हैं, बहुत ही गरीब परिवार के बेचारे हैं, उन तीनो परिवारों को एक-एक लाख रुपया दिया जाय और वहां पर निष्पक्ष जिलाधीश महोदय, बरेली पुलिस की कार्यवाही से संतुष्ट नहीं है, मैजिस्टेरियल जांच करा देने का कोई औचित्य नहीं है । अगर आप न्यायिक जांच नहीं करवा सकते, तो सी० बी० सी० आई० डी० से ही करवा दीजिए ।

मान्यवर, वे लोग बहुत ही गरीब हैं, उनका दाह-संस्कार भी ठीक से नहीं हो पाया । वहां पर दहशत आज भी कायम है और वहां पर तत्काल सुरक्षा व्यवस्था करायी जाय, ताकि इन घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो । जैसा माननीय सोमांश प्रकाश जी ने कहा कि चौथ को लेकर गये, ऐसी बात नहीं थी, वहां पर शराब वसूली के लिये गये, तो शराब नहीं मिल पाई, शराब के लिये दो आदमियों को मार दिया । यह बहुत ही दुखःद घटना है ।

गृह राज्य मंत्री (श्री सूर्य प्रताप शाही)---

मान्यवर, जो कोई भी घटना में दोषी होगा, उसके खिलाफ पूरी कार्यवाही होगी मैजिस्टेरियल जांच वहां पर हो रही है, जो निष्कर्ष होगा, उससे माननीय सदस्य को अवगत करा दिया जायगा । जिस किसी की भी गलती होगी, उसके खिलाफ पूरी कार्यवाही की जायगी । वहां की स्थिति को हमने सामान्य बनाने के लिये कोशिश की है । इस समय वहां पर कोई भी भय और आशंका की स्थिति नहीं है । लोग अपने परिवारों के साथ ठीक से रह रहे हैं ।

किसी को पुलिस द्वारा नहीं परेशान किया जा रहा है । मै अपनी ओर से आपको आश्वस्त कराना चाहता हूं कि जो भी कोई मैजिस्टेरियल जांच में दोषी पाया जायेगा, उसके खिलाफ कार्यवाही की जायगी ।

श्री सोमांश प्रकाश–

मान्यवर, मृतकों के परिवार की सहायता के बारे में भी बता दें ।

श्री सूर्य प्रताप शाही–

रिपोर्ट आ जाने दीजिये ।

श्री अध्यक्ष–

माननीय रेवती रमण सिंह, माननीय सोमांश प्रकाश और माननीय गृह राज्य मंत्री को सुनने के बाद मैं इसे अस्वीकार करता हूं ।

श्री अमरेश चन्द्र पाण्डेय–

मान्यवर, इस सदन में जब बजट पेश हुआ था, तो सरकार की तरफ से कहा गया था कि हम बजट का 60-65 प्रतिशत ग्रामीण अंचलों में किसानों पर खर्च करेंगे । मान्यवर, मैं कहता हूं कि यह सरकार किसान विरोधी सरकार है । मान्यवर, मैं आपके जनपद जा रहा था, वहां पर फाफामऊ के बगल एक शीतगृह है, वहां पर एक घंटा गाड़ी हम लोगों की खड़ी रही । आलू के ट्राली से कम से कम दो किलो मीटर सड़क पर इतना जाम था कि वहां से गाड़ी निकलना मुश्किल हो गयी थी ।

वहां पर 50 रु० प्रति बोरी देने के बाद आलू शीतगृह में रखी जाती थी । किसानों की अपनी गाढ़ी कमाई की पैदा की हुई आलू मिट्टी के भाव बेची जा रही है, शीतगृह में उसे रखने की जगह नहीं मिल पा रही है । मैं 27, 28-को अपने घर पहुंचा, हमारे गांव के प्रधान मेरे घर आये, उन्होंने कहा कि 70 बोरी आलू सेमरी जमालपुर के शीतगृह पर रखा हुआ है वहां का प्रबन्धक 30 रु० प्रति बोरी मांग रहा है । मान्यवर, एक कोपागंज शीतगृह है, मैं वहां से कोपागंज गया । तो पता चला कि प्रबन्धक 5 मिनट पहले चले गये । ऐसा आभास होता है कि उसको मेरे आने की सूचना मिल गयी और वह भाग गया । मैं सेमरी जमालपुर गया । मैंने देखा कि शीतगृह से लगभग 2-2 किलोमीटर की दूरी पर आलू पड़ा हुआ है और सड़ रहा है । दो चार लोगों से बात करने पर मालूम हुआ कि 30 रुपये 40 रुपये और 50 रुपये प्रति बोरा लेकर आलू रखा जा रहा है । ऐसा बताया गया कि शीतगृह में सारा आलू आ जाता परन्तु रुपया लेने के कारण उसको लिया नहीं जा रहा है और किसान जो गाढ़ी कमाई से आलू पैदा करता है, उसको मिट्टी के मोल बेचने के लिये बाध्य किया जा रहा है ।

इस पर मैं शासन का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं कि कोई इस प्रकार की तुरन्त व्यवस्था की जाय जिससे प्रदेश के किसानों का आलू सड़ने से बच जाये और उनका आलू शीतगृहों में रखा जाये । मैंने मऊ जनपद का यह सवाल उठाया है, लेकिन मान्यवर, ऐसी स्थिति पूरे प्रदेश की है । शीतगृहों में बड़ा भ्रष्टाचार व्याप्त है और उससे किसानों को बड़ी परेशानी हो रही है और उनका आलू सड़ रहा है । इसलिये मेरा आप से आग्रह है कि इस पर चर्चा करा दें ।

उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण राज्य मंत्री (श्री धनराज यादव)–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने जो सूचना दी है, उसके प्रति सरकार सजग है । सारे जिलाधिकारियों, उद्यान अधिकारियों और उप निदेशकों को यह आदेश दिये गये हैं कि वह व्यक्तिगत रूप से शीतगृहों पर जायें और देखें कि कहीं पर कोई गड़बड़ी न होने पाये । वैसे माननीय सदस्य ने किसी विशेष स्थान का उल्लेख नहीं किया है, अगर वह मुझे लिखकर दे देंगे तो मैं उसको भी दिखवा लूंगा ।

श्री अमरेश चन्द्र पाण्डेय–

मैंने दो शीतगृहों का नाम लिया है । कोपागंज और सेमरी जमालपुर जनपद मऊ का नाम लिया है ।

श्री अध्यक्ष–

मैं इस पर आधे घंटे की चर्चा स्वीकार करता हूं । इस पर कई माननीय सदस्य बोलना चाहते हैं । मैंने प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया है, चर्चा स्वीकार की है । किसी दिन चर्चा करायी जायेगी ।

श्री विजय सिंह तोमर–

मान्यवर, मेरठ जनपद के हमारे क्षेत्र में सलवा जल विद्युत गृह है । उसमें दो मशीनें लगी हुई हैं । प्रति मशीन में 36 हजार यूनिट 24 घंटे में तैयार होती है परन्तु पिछले कई माह से दोनों मशीनें खराब पड़ी हुई हैं । मान्यवर, उस बिजली घर के बन्द होने से मेरे क्षेत्र के 25 गांवों में बिजली नहीं आ रही है और फसल बरबाद हो रही है । उस बिजली घर में 72 हजार यूनिट बिजली तैयार होती थी और इस जल विद्युत गृह से एक रुपया प्रति यूनिट का सरकार को भी फायदा होता था । कई माह से बिजली न आने के कारण पूरे क्षेत्र की फसल बरबाद हो गयी है, क्रेशर बन्द हो गये हैं और किसानों में भारी रोष है और किसान आन्दोलन की राह पर चलने के लिये बाध्य हैं शासन को भी इससे बहुत आर्थिक नुकसान हो रहा है ।

मेरा एक निवेदन है कि मेरी अधिकारियों से भी बात हुई थी, वहां पर मुश्किल से 2-3 लाख रुपया लगाकर विद्युत गृह चलाया जा सकता है जब कि एक लाख रुपये का एक दिन में सरकार का नुकसान हो रहा है । मान्यवर, जो वैकल्पिक व्यवस्था की गयी है । 10 दिन से, उससे वहां पर बिजली का लोड नहीं उठ पा रहा है और न ही क्रेशर नलकूप आदि चल पा रहे हैं । इससे किसानों में रोष है इसलिये मैं सदन की कार्यवाही रोक कर इस पर चर्चा की मांग करता हूं ।

वित्त, संस्थागत वित्त, संसदीय कार्य एवं नियोजन मंत्री (श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त)–

मान्यवर, जिस समस्या की ओर माननीय सदस्य ने ध्यान आकर्षित किया है वह बात सही है । कुछ यांत्रिक गड़बड़ी के कारण बिजली आपूर्ति बाधित हुई थी, उसकी व्यवस्था की जा रही है कि जल्दी ठीक हो जाय । जो यह समस्या पैदा हुई है इसके लिये खेद है । कृषकों का नुकसान हुआ है, अब व्यवस्था ठीक हो रही है । मान्यवर, हमारी सूचना के अनुसार अब व्यवस्था ठीक हो रही है ।

(इस समय 6 बजकर 20 मिनट पर श्री उपाध्यक्ष पीठासीन हुए ।)

श्री उपाध्यक्ष–

माननीय श्री तोमर और संसदीय कार्य मंत्री को सुनने के बाद कार्य स्थगन के इस प्रस्ताव को स्वीकार करने का मैं औचित्य नहीं समझता, इसे अस्वीकार करता हूं ।

* श्री बी० आर० वर्मा–

मान्यवर, बस्ती जनपद के गिलाला की यह घटना है । वहां के तहसीलदार 12 तारीख को अपने नौकर को भेजते हैं ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री अखिलेश–

मान्यवर, मेरी सूचना है इसी पर ।

श्री उपाध्यक्ष–

इस पर माननीय बी० आर० वर्मा, प्रमोद तिवारी जी और माननीय नरेश अग्रवाल जी की सूचना है ।

श्री अखिलेश–

मान्यवर, इसमें मेरी भी सूचना है, उसको शामिल कर लें ।

श्री बी० आर० वर्मा–

और अजय कुमार उर्फ पप्पू से वह नौकर कहता है तहसीलदार महोदय ने बी० सी० आर० मंगाया है उसे ले चलें वह पिक्चर देखना चाहते हैं । वह मालिक के यहां से बी० सी० आर० लेता है और उसको लेकर पिक्चर दिखाने के लिये तहसीलदार महोदय के यहां जाता है जहां तहसीलदार महोदय और उनके कुछ अतिथिगण होते हैं जिसमें इस सदन के भी सदस्य हैं जो उसी क्षेत्र से जीतकर आते हैं कन्नौजिया साहब और यह लोग वहां ब्लू फिल्म देखते हैं और ब्लू फिल्म देखने के बाद उस बालक के साथ, नौजवान के साथ अननेचुरल आफेंस किया जाता है और इसके बाद उसका अपहरण कर लिया जाता है । दूसरे दिन तहसीलदार महोदय के घर पर ताला लगा रहता है और नौकर गायब हो जाता है और तीसरे दिन जब तहसीलदार महोदय 14 तारीख को एक पान की दुकान पर मिलते हैं और उस पान की दुकान पर इस अजय उर्फ पप्पू का बाप उनसे पूछता है, वे कहते हैं कि आपका लड़का बी० सी० आर० लेकर कहीं चला गया होगा । हमने तो पिक्चर देखी उसके बाद वापस गये । इसके बाद होली मिलन के अवसर पर उस क्षेत्र के विधायक उसी तहसीलदार के यहां होली मिलन में शामिल होते हैं । पप्पू की मां रोते हुए उनके पैर पकड़ती है और अपने लड़के की जान की दुहाई मांगती है । उनके दिल में किंचितमात्र भी दया नहीं आती है । जो लोग एक बालक के साथ कुकृत्य कर रहे हैं, वे उसकी मां की कोई बात नहीं सुनते हैं । 20 तारीख को जब उस क्षेत्र के सामाजिक और राजनीतिक कार्यकर्ता और तमाम लोग जाकर पुलिस उपाधीक्षक से मिलते हैं तो वह कहता है कि 3 दिन के अन्दर हम पप्पू को जिन्दा या मुर्दा हासिल कर लेंगे । ऐसा लगता था कि सारी घटना उनकी देखरेख में हुई हो ।

उसके मां बाप ने जिन्दा की बात की थी, मुर्दा का प्रश्न नहीं था । तीन दिन के बाद तहसीलदार के बाथरूम के पास पप्पू की लाश क्षत विक्षत हालत में पायी जाती है । यह एक गम्भीर मामला है । पूरे क्षेत्र की जनता आन्दोलित है, उसमें असन्तोष है । वहां के विधायक, पुलिस अधिकारी तहसीलदार इसमें शामिल हैं । जिनको कानून की रक्षा करने का हक दिया गया है वहीं कानून की धज्जियां उड़ा रहे हैं, ऐसी हालत में यह मामला और भी ज्यादा गम्भीर हो जाता है । मेरी मांग है कि लोकमहत्व के इस गम्भीर प्रश्न पर सदन की कार्यवाही को स्थगित करके इसे स्वीकार करें ।

श्री अखिलेश–

बस्ती जनपद में खलीलाबाद में 12/13 की रात्रि को ...

(व्यवधान)

श्री राम चरित्तर–

आप सदन में बैठे हैं, इस प्रकार की बात नहीं करनी चाहिये । ये कसाइयों को संरक्षण देते हैं ।

(विपक्ष के अनेक मा० सदस्यों द्वारा खड़े होकर एक साथ बोलने का प्रयत्न करने से घोर व्यवधान उत्पन्न हो गया ।)

(घोर व्यवधान)

श्री हृदय नारायण दीक्षित–

मान्यवर, यह हमारे विशेषाधिकारों का अपमान है, यह आपके समक्ष घटना हुई है, मैं विशेषाधिकार हनन की सूचना देता हूं ।

श्री बी० आर० वर्मा–

मान्यवर, आप देखें किस तरह से सदन में धमकी दी गयी है ?

श्री स्वामी नाथ यादव–

मान्यवर, यह विषय बहुत गम्भीर है सदन की कार्यवाही के चलते हुए सत्तारूढ़ दल के एक सदस्य ने विपक्ष के एक सदस्य को धमकी दी ।

श्री उपाध्यक्ष–

जो टोका टाकी माननीय सदस्यों ने आपस में की है ...

श्री प्रमोद तिवारी–

मान्यवर, टोका टोकी नहीं उन्होंने धमकी दिया ।

श्री नरेश अग्रवाल–

मान्यवर, जान से मारने की धमकी माननीय वर्मा जी को उन्होंने दी ।

श्री हृदय नारायण दीक्षित–

मान्यवर, हमारे विशेषाधिकारों का हनन हुआ है अगर विपक्षी सदस्यों को इस तरह से धमकी दी जायेगी तो हम अपनी बात कैसे उठा पायेंगे ?

श्री उपाध्यक्ष–

पहले माननीय संसदीय कार्य मंत्री को सुन लें फिर अपनी बात कहें ।

श्री हृदय नारायण दीक्षित–

माननीय विधायक ने जान से मारने की धमकी दी है ।

(घोर व्यवधान)

लोक निर्माण मंत्री (डा० सुरजीत सिंह डंग)–

मान्यवर, किसी माननीय सदस्य की चरित्र हत्या करने का काम इस सदन के माध्यम से किया जाय तो यह उचित नहीं है । इस तरह किसी पर लांछन लगाना उचित नहीं है । श्रीमन् सदन में माननीय सदस्यों के सम्मान की रक्षा करने का कार्य होगा कि उन पर लांछन लगाने का ?

श्री अखिलेश–

मान्यवर, यह प्रकरण बहुत गम्भीर है आपको इसको देखना होगा ।

श्री उपाध्यक्ष–

माननीय संसदीय कार्य मंत्री खड़े हुए हैं पहले उनकी बात सुन लें आपने जो आपत्ति उठाई है उसका उसमें समाधान हो जायेगा । पहले आप उन्हें सुन लें फिर यदि आवश्यक समझूंगा तो आप लोगों को सुन लूंगा ।

श्री हृदय नारायण दीक्षित–

मान्यवर, मैंने इस पर विशेषाधिकार हनन की सूचना दे दी है आप इस पर मेरा व्यवस्था का प्रश्न सुन लें ।

श्री उपाध्यक्ष–

इस तरह से ज्यादती से सदन चलाना चाहेंगे तो कैसे चलेगा ?

श्री हृदय नारायण दीक्षित–

मान्यवर, इस तरह से नहीं चलेगा ।

संस्थागत वित्त राज्य मंत्री (श्री हरद्वार दुबे)–

मान्यवर, यह सदन न चलने की धमकी दे रहे हैं यह उचित नहीं है ।

(घोर व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष–

आप कृपया बैठ जायें । माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी जो कह रहे हैं उसे आप सुन लें ।

श्री हृदय नारायण दीक्षित–

मान्यवर, माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी जो कहेंगे हम उसे अक्षरशः मान लेंगे । मुझे उनके कथन और आचरण पर पूरा विश्वास है मैं कोई टीका-टिप्पणी नहीं करना चाहता हूं । मान्यवर, आपने मुझे इससे पहले उत्तेजित होते नहीं देखा होगा ...

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

तो आज क्यों उत्तोजित हो गये ?

श्री हृदय नारायण दीक्षित–

मान्यवर, जब माननीय अखिलेश जी ने आपकी अनुमति से नियम-56 की ग्राह्यता पर बोलना शुरू किया तो उसी समय संबंधित माननीय सदस्य खड़े हो गये और उन्होंने आवेश में आकर जान से मारने की धमकी दी ...

(शोर)

मान्यवर, अगर उन्होंने धमकी न दी हो तो उनसे पूछ लिया जाये और उसके बाद ग्राह्यता पर सुन लिया जाये । हो सकता है कि हमारे सुनने में कोई गलती हो गयी हो ।

श्री प्रमोद तिवारी–

मान्यवर, हो सकता है कि हमारे सुनने में कोई गलती हो अतः मेरा आपसे अनुरोध है कि आप कृपया माननीय सदस्य से पूछ लें कि उन्होंने क्या कहा है ?

श्री उपाध्यक्ष–

जो आप बातें कह रहे वह मेरे संज्ञान में नहीं आयी हैं और माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी कह रहे हैं उन्हें आप कृपया सुन लें हो सकता है कि आपकी शंका का समाधान हो जाये। माननीय कुंवर अखिलेश जी आप कृपया बैठ जायें मैं आपको इस पर बोलने की अनुमति नहीं देता हूं। माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी को कृपया सुनें।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, मैं बड़े विनम्रता के साथ एक बात की ओर ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। यह जो नोटिस देते हैं इसका एक तरीका है। मान्यवर, इसमें यह भी देखा जाता है कि ग्राह्यता पर क्या बोला जा रहा है ? मैंने बड़े ही शांत होकर जो माननीय सदस्य कह रहे थे को सुना और मैं यह भी सोच रहा था कि जब मैं इसका उत्तर दूंगा तो उसका प्रतिवाद करूंगा। माननीय सदस्य ने जो माननीय कनौजिया जी के ऊपर उनकी चरित्र हत्या करते हुए जो आरोप लगाया है वह उचित नहीं है। वह सदस्य यहां पर विराजमान हैं। जब किसी के बारे में कहा जायेगा कि वह ब्लू फिल्म देख रहे थे, जश्न मना रहे थे तो इस प्रकार की सत्य से परे बातें कहीं जायेंगी तो उनका उत्तेजना में आना स्वाभाविक है। वह खड़े हो गये।

मैं नहीं सुन पाया कि उन्होंने क्या कहा मैं चाहूंगा माननीय सदस्य के बारे में जो आरोप लगाये गये हैं, आप बड़े विद्वान हैं अगर किसी के बारे में इस प्रकार के आरोप लगाये जायें तो उसकी सूचना पहले देनी चाहिये थी। उनको भी अपनी बात स्पष्ट करने का मौका मिलना चाहिये था। इसलिये मैं आपसे प्रार्थना करूंगा आप सब को सुन लें हमें कोई आपत्ति नहीं है लेकिन माननीय सदस्य जो यहां विराजमान हैं, जिनका नाम लेकर इस प्रकार के आरोप लगाये गये हैं उनकी बात को भी सुन लें। श्रीमन् माननीय सदस्य हार्ट के मरीज भी हैं इसलिये उनकी बात भी सुन ली जावे, शान्ति के साथ, ताकि दीक्षित जी की बात का समाधान भी हो जाय। इसके बाद मुझे उत्तर देना होगा, तो मैं शासन का पक्ष प्रस्तुत करूंगा कि सरकार कितनी सचेस्ट है और हमने क्या क्या कार्यवाही की है ?

श्री नरेश अग्रवाल–

मान्यवर, अपना निर्णय देने से पहले मेरी बात सुन लें। माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने कहा कि पहले लिखकर दिया जाना चाहिये था। मान्यवर, जो सूचना लिखकर दी गयी है, उसमें साफ लिखा हुआ है कि इस हत्याकांड में तहसीलदार, माननीय विधायक और एक पुलिस अधिकारी संदेह के घेरे में फंसे हैं।

(श्री बी० आर० वर्मा के खड़े होने पर)

श्री उपाध्यक्ष–

श्री नरेश अग्रवाल, श्री बी० आर० वर्मा अपने स्थान पर बैठ जायें। आप लोगों को अनुमति नहीं दी जा रही है, यह कोई चर्चा नहीं है, केवल ग्राह्यता पर सुना जा रहा है।

श्री अखिलेश–

माननीय उपाध्यक्ष जी, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे नियम-56 के प्रस्ताव पर बोलने का अवसर प्रदान किया। बस्ती जनपद के खलीलाबाद नामक स्थान पर 12/13 मार्च को अजय उर्फ पप्पू की हत्या कर दी गयी। उसकी लाश तहसीलदार के मकान के प्रांगण में बरामद हुयी। उपरोक्त

हत्याकांड के सन्दर्भ में वहां का ज़नमानस उद्वेलित है, वहां पर यह भी आरोप लगा है कि उस बालक के साथ अप्राकृतिक कृत्य करने के पश्चात् उसकी लाश इसलिए गायब कर दी गयी, ताकि मेडिकल रिपोर्ट में यह बात सामने न आ सके। इसलिए उस बालक की लाश को 10 दिनों तक छुपा दिया गया।

इस बीच वहां का जनमानस इतना उद्वेलित हो गया कि काफी बड़ी तादाद में वहां लोग इकठ्ठा होते हैं और खलीलाबाद की तहसील फूंक दी जाती है, जिससे 2 हजार लोगों पर पुलिस प्राथमिकी दर्ज करने का षड़यंत्र करती है। वहां पचीसों जनसभायें हो चुकी हैं, प्रदर्शन हो चुके हैं। अभी जो माननीय संसदीय कार्य मंत्री ने आरोप लगाया उसके संबंध में कहना चाहता हूं कि मैंने तो अभी कोई आरोप लगाया ही नहीं। मैं तो केवल अपनी बात कहने के लिये खड़ा हुआ था। मान्यवर, पूरे पूर्वी उ० प्र० एवं प्रदेश के जो समाचार-पत्र हैं और जो जनचर्चा हैं, उसके अनुसार इस हत्याकाण्ड में वहां के स्थानीय जन प्रतिनिधि, तहसीलदार संदेह के घेरे में आते हैं। खलीलाबाद के अखबार इस घटना से रंगे हुए हैं। केवल खलीलाबाद में ही नहीं, गोरखपुर में, बस्ती में, सिद्धार्थ नगर में, महराजगंज में इस हत्याकाण्ड से आक्रोश व्याप्त है, लोग वहां के जनं प्रतिनिधि पर संदेह कर रहे हैं। ऐसी परिस्थितियों में यह आवश्यक हो गया है कि इस पर चर्चा कराई जाय। वहां पर पुलिस के लोग जांच को प्रभावित कर रहे हैं।

जो व्यक्ति संजय नाम का 17 वर्षीय पकड़ा गया है, वह उलूलजलूल बयान दे रहा है। मान्यवर, आज के समाचार पत्रों में तमाम बातें छपी हैं, मैं उनके बारे में नहीं जाना चाहता कि किस-किस के ऊपर संदेह व्यक्त किया गया है, यह सारे आरोप जनसभाओं के माध्यम से जनता ने किया हैं। यह बात उजागर हो चुकी है कि वहां के तहसीलदार का जो हत्यारा है को कहीं न कहीं राजनीतिक संरक्षण प्रदान करने का काम स्थानीय जनप्रतिनिधि द्वारा किया जा रहा है। ऐसी परिस्थिति में यह आवश्यक हो गया है कि आज की सदन की शेष कार्यवाही को स्थगित कर इस पर चर्चा कराई जाय।

श्री नरेश अग्रवाल–

मान्यवर, माननीय श्री बी० आर० वर्मा और श्री अखिलेश सिंह जी ने काफी तथ्य यहां पर प्रस्तुत कर दिये हैं। श्रीमन्, 12 तारीख की रात को एक हरिजन की हत्या होती है। यह तो सत्य है कि 10 परसेन्ट लोगों के वोट लेकर यह सरकार बनी है, शेष 90 परसेन्ट लोग जिसमें हरिजन, अनुसूचित जाति, पिछड़ी जाति व निर्बल वर्ग के लोग आते हैं, जिन्होंने इन्हें वोट नहीं दिया, उनके ऊपर यह सरकार अत्याचार कर रही है। माननीय विधायक जी संदेह के घेरे में कैसे आये ? 13 तारीख को लड़के का पिता सूचित करता है तो इस पर वहां के स्थानीय विधायक, सी० ओ० व तहसीलदार उसके पिता को बैठाकर कहते हैं कि उसके लड़के का पता नहीं है। हो सकता है वी० सी० आर० लेकर वह कहीं भाग गया हो। यहीं से विधायक जी संदेह के घेरे में आ गये। 12 तारीख को मर्डर हुआ और 23 तारीख को लाश मिली। तब जाकर एफ० आई० आर लिखी गयी। उसमें जो नामजद लोग थे, उनके खिलाफ आज तक कोई कार्यवाही नहीं हुई।

कांग्रेस के विधान मण्डल दल के नेता भी वहां गये। दस हजार की भीड़ वहां पर तहसील के बाहर खड़ी थी। स्थानीय विधायक पर आरोप लग रहे थे। क्षेत्र वाले जो कहेंगे, आम चर्चा वही होती है और हम भी उसको स्वीकार करते हैं। सरकारी अधिकारी व विधायक के ज्ञान में ऐसी घटना होती है और एक हरिजन का मर्डर होता है तो इससे बड़ी कलंक और कोई हो नहीं सकता है। इसलिये मेरा आपसे अनुरोध है कि आप इस पर चर्चा करायें और शासन से वस्तुस्थिति स्पष्ट करवाने की कृपा करें।

श्री प्रमोद तिवारी–

मान्यवर, तथ्य सब आ चुके हैं । ग्राह्यता के संबंध में केवल दो बातें कहना चाहता हूं । नियम-56 में दो चीजें आवश्यक होती हैं पहला विषय की तात्कालिकता, दूसरा लोक महत्व, यह घटना चूंकि अभी हाल की है और पहली बार सदन में यह उठ रहा है । इसलिए इसकी तात्कालिकता के संबंध में कोई प्रश्न नहीं उठ सकता है । लोक महत्व का इसलिए है कि सत्तारुढ़ दल के सदस्य के ऊपर आरोप लग रहा है, चाहे वह झूठे हों या सच्चे । तहसीलदार पर आरोप लग रहे हैं । सभी लोग संदेह के घेरे में आ गये हैं । इसलिए यह आवश्यक हो गया है कि सभी तथ्य सामने आ जायं । इसालिए मेरा विनम्रता पूर्वक निवेदन है कि इस प्रकरण पर सी० बी० आई० की जांच करा ली जाय । ताकि जो यह कलंक लग गया है, वह मिट सके । इसलिए भी लोक महत्व का है कि एक अनुसूचित जाति के लड़के की हत्या हुई है ।

श्रीमन्, तहसीलदार का आवास कचहरी के अन्दर है । उसके बाद सी० ओ० का आवास है, तीसरा आवास, इन्सपेक्टर का है । इन सबके आवासों के बीच में 10-10 फिट की दूरी है । गर्मी के दिनों में अगर लाश 11 दिन तहसीलदार साहब के घर में पड़ी रहे तो उनको बदबू नहीं आयी । आखिरी साक्ष्य भी यह बताता है कि वह लड़का आखिरी समय में तहसीलदार साहब के यहां फिल्म दिखाने गया था । उसके बाद वह जिन्दा नहीं देखा जाता है । मेडिकल रिपोर्ट भी यह बताती है कि 8-10 दिन पहले उसका मर्डर हुआ था । .....

गर्मी के मौसम में साधारणतया 24 घण्टे में बदबू आना शुरू हो जाती है और 2, 4 और 6 दिन में असहनीय बदबू आने लगती है । तो घर के लोग अगर छुपाते नहीं तो छुप नहीं सकती है । तो इसमें सरकारी अधिकारी और जनप्रतिनिधि भी संदेह के घेरे में आ गये हैं इसलिए इसकी जांच सी० बी० आई० से करा दी जाय । इसमें तात्कालिकता भी है और लोकमहत्व का मामला भी है । इसलिए सदन की कार्यवाही रोक कर चर्चा कराई जाय और जो आरोप लगे हैं वह विधायक भी बोल लें ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

ग्राह्यता के संबंध में मैंने पूरी बातें सुनी । यह आरोप सही नहीं है कि सरकार इस मामले को दबाना चाहती है, यह आरोप बिलकुल गलत है । यह जो घटना घटी इसमें किसी बालक की मृत्यु हुई जिसका दुख है और चिन्ता का विषय है । लेकिन बराबर इसकी जांच हो रही है और 24-3-92 को जो मुख्य अभियुक्त संजय सिंह है उसकी निशानदेही पर वी० सी० पी० बरामद हो गया है और संबंधित व्यक्ति को जेल भेज दिया गया है । इस हत्या में जिन और लोगों का भी हाथ है इसकी बराबर जांच हो रही हैं । जांच किसी भी प्रकार से प्रभावित नहीं होने दी जायेगी । तहसीलदार को हटा दिया गया है । सरकार पूरी तरह से सचेष्ट है इस हत्या में जिन-जिन का हाथ कहीं से भी कांसपिरेसी में होगा उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्यवाही की जायेगी ।

जो-जो बातें कही गयी हैं वह सब जांच के सामने संदर्भित हैं जांच में उन पर विचार होगा । जांच की कार्यवाही चलने दें । मैं पूरा आश्वासन देना चाहता हूं कि कड़ाई से जांच होगी किसी तरह से मामले को दबाने का सवाल पैदा नहीं होता । मैं ग्राह्यता का उत्तर दे रहा हूं । यह ऐसा कोई गम्भीर मामला नहीं है जिस को कार्यस्थगन के रूप में लिया जाय । मामला सरकार के संज्ञान में है हम बराबर कार्यवाही कर रहे हैं ।

श्री अध्यक्ष–

नियम 56 के अन्तर्गत मैं इसे अस्वीकार करता हूं ।

श्री प्रमोद तिवारी–

क्या आपने स्वीकार किया या अस्वीकार किया ।

श्री उपाध्यक्ष–

अस्वीकार किया (व्यवधान) आप कृपया बैठ जायं ।

शेष जो सूचनायें श्री बलराम यादव, श्री लालजी वर्मा, श्री हृदय नारायण दीक्षित और श्री नरेश अग्रवाल की हैं उन पर सरकार का ध्यान आकृष्ट किया जाता है ।

श्री नरेश अग्रवाल–

इस सरकार द्वारा हरिजनों पर अत्याचार हो रहा है । इसके विरोध में मैं सदन त्याग करता हूं ।

(श्री नरेश अग्रवाल सदन त्याग कर चले गये)

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, हमें बोलना नहीं चाहिये था लेकिन जब पार्टी बन्दी हो जाय तो कहना पड़ता है नेता के रहते हुये कोई सदस्य सदन त्याग करे ।

श्री प्रमोद तिवारी–

मान्यवर, यह परम्परा कोई नयी नहीं है, कोई भी सदस्य अगर संतुष्ट नहीं है तो वह सदन त्याग कर सकता है ।

वित्तीय वर्ष 1992-93 के आय-व्ययक पर सामन्य चर्चा †

(मद संख्या ४ पुकारने पर)

श्री हृदय नारायण दीक्षित–

मान्यवर, सरकार ने जो बयान दिया है ।

श्री अध्यक्ष–

बजट पर चर्चा शुरू हो गयी है, माननीय लालजी वर्मा को मैंने पुकारा है ।

श्री हृदय नारायण दीक्षित–

मान्यवर, सरकार ने विपक्ष की सी० बी० आई से जांच कराने की मांग को स्वीकार नहीं किया है । सरकार की मंशा साफ नहीं है मैं और हमारा दल इसके विरोध में सदन त्याग करता है ।

(श्री हृदय नारायण दीक्षित अपने दल के सदस्यों के साथ सदन त्याग कर चले गये)

श्री लालजी वर्मा–

माननीय उपाध्यक्ष जी, आपने मुझे 1992-93 के बजट पर सामान्य चर्चा में हिस्सा लेने का अवसर दिया ।

नोटः–† दिनांक 30 मार्च, 1992 की कार्यवाही से ।

श्री किशोरी श्याम–

मेरा व्यवस्था का प्रश्न है (व्यवधान)

श्री लालजी वर्मा–

यह खुद ही अव्यवस्थित हैं क्या व्यवस्था का प्रश्न उठायेंगे ।

श्री उपाध्यक्ष–

व्यवस्था का प्रश्न उठाने का अधिकार उनका भी है ।

श्री किशोरी श्याम–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि जब भी कोई माननीय सदस्य बोलने के लिये खड़ा होता है तो एक न एक सदस्य बीच में जरूर बोलने के लिये खड़े हो जाते हैं और व्यवस्था का प्रश्न उठाने लगते हैं । सारी मर्यादाओं को तोड़कर खड़े हो जाते हैं जिससे सदन में अव्यवस्था पैदा हो जाती है । एक नेता हो तो वह सदन का त्याग कर के चला जाय । 8-8, 15-15 नेता हैं । पहले सदन का त्याग करके चले जाते हैं और फिर आना शुरू कर देते हैं । इसके लिये कोई व्यवस्था होनी चाहिए ।

(व्यवधान)

श्री प्रमोद तिवारी–

मान्यवर, भारतीय जनता पार्टी में बड़े किस्म-किस्म के नमूने आ गये हैं । इसलिए मैं सदन का त्याग करता हूं ।

(श्री प्रमोद तिवारी सदन त्याग कर चले गये)

श्री लालजी वर्मा–

माननीय उपाध्यक्ष जी, मैं आपका बहुत आभारी हूं कि आपने मुझे सामान्य चर्चा में बोलने का मौका दिया । माननीय राजेन्द्र कुमार गुप्त जी ने वर्ष 1992-93 के लिये जो बजट रखा है उसमें बोलने का अवसर दिया । यह बजट पाखण्डपूर्ण, दिशाहीन, निराशाजनक और किसान विरोधी है ।

मान्यवर, मैं यह समझता था कि भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जो बजट प्रस्तुत किया जायेगा वह वास्तव में उनकी कथनी और करनी के अनुकूल होगा लेकिन मान्यवर, जो बजट पेश किया गया है उसको पढ़ने के बाद लगता है कि यह बजट पूरी तरह से असत्यता पर आधारित है उसमें गलत तथ्यों का समावेश किया गया है । मान्यवर, सबसे पहले इसमें आप देखें कि हमारा जो संविधान है वह धर्म निरपेक्ष है । धर्म निरपेक्षता हमारे संविधान की मूल भावना है धर्म के बल पर देश का शोषण किया जा रहा है । पाखण्ड फैला कर देश में सदियों से सर्वहारा वर्ग का शोषण होता रहा है । यह सरकार उसी तरह देश में पाखण्ड को बढ़ाकर देश के सर्वहारा वर्ग का शोषण करना चाहती है जो बजट को पढ़ने से स्पष्ट लगता है । मान्यवर, इस बजट को आप देखें इसमें जो घाटे को दिखाया गया है करीब 248 करोड़ रुपये का अंतरिम घाटा हो रहा है वास्तव में आप इसको देख लें यह 248 करोड़ न होकर इसमें 5.459 करोड़ रुपये होता है । आप देखें प्राप्तियों का जिक्र किया गया है, उसमें दिखाया गया है 4.417.42 करोड़ पूंजी लेखों की प्राप्तियां हैं । इसमें 4337.98 करोड़ रुपये ऋण से प्राप्त किया है । पूंजी लेखों की जो प्राप्तियां हैं 4337.98 करोड़ रुपये वह ऋण की प्राप्तियां हैं, जिसको कि मूल प्राप्तियों में दर्शाया गया है इसी तरह से 868.05 करोड़ रुपये की बात है । इसमें समावेश किया गया है प्राप्तियों का ।

इस तरह से ऋण लेकर घाटे को पूरा करना दिखाया गया है । एक तरफ से लेकर दूसरी तरफ दर्शाया गया है । इसी तरह से जो योजनाएं रही हैं उसके चलते आज पूरे प्रदेश पर वर्ष 92-93 के लिये 2 खरब, 41 अरब, 695835 रुपये का ऋण हो जायेगा उत्तर प्रदेश की सरकार पर । इस तरह से सारे बजट में पूरी तरह से असत्य विवरण दिये गये हैं । एक ही मद को-कई–कई बार दर्शाया गया है । एक बार जिक्र आता है कि हम किसानों के हित के लिये यह करेंगे और आगे फिर उसी को दोहराया गया है । इस तरह से बार-बार एक ही बात का जिक्र किया गया है । दूसरी तरफ मैं ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा जैसा कि वित्त मंत्री ने जिक्र किया है कि प्रदेश को विकास के रास्ते पर हम ले जाना चाहते हैं ।

यह ग्रामोन्मुखी बजट बताते हैं इन्होंने कहा कि 60 फीसदी पैसा खर्च करने का काम किया जा रहा है । 1991-92 का पुनरीक्षित बजट है इसको मिलाकर देखें 1991-92 में जो 1658.59 करोड़ रुपया व्यय किया गया है और 1992-93 में 15 हजार 225.28 करोड़ रुपया दिया गया है, तो 1991-92 का जो पुनरीक्षित बजट था उससे भी कम व्यवस्था वर्तमान बजट में की गई है जब यह पैसा कम करेंगे तो ग्रामों का विकास कैसे होगा ?

माननीय मंत्री जी ने जिक्र किया था, घाटे की व्यवस्था को ऋणों की बेहतर वसूली के द्वारा पूरा करने का काम किया जा रहा है इस बजट में दिखाया गया है कि 79 करोड़ रुपया ऋण की वसूली से प्राप्त करेंगे, जबकि मान्यवर, 1990-91 का जो बजट है 138 करोड़ रुपये का, उसमें वसूली की गई तो बेहतर वसूली कहां होती है ? इस बजट में कोई नयी व्यवस्था नहीं की गयी है । मान्यवर इस तरह से जो सरकार द्वारा बार-बार इसमें 60 फीसदी गांव के लिए खर्च करने की बात कही गई है, तो मैंने मान्यवर, पूरा बजट पढ़ा, हर विभाग का अलग-अलग अध्ययन किया है और यह निष्कर्ष निकाला है कि माननीय वित्त मंत्री जी उपस्थित हैं इन्होंने 60 फीसदी का हिसाब लगाया है मैं चाहूंगा कि जब बजट भाषण समापन में, आप उत्तर देंगे तो इसका जिक्र कर देंगे । मैं दो-तीन विभागों का उदाहरण देना चाहता हूं ।

सिंचाई विभाग द्वारा 1992-93 में 350 नये नलकूपों का निर्माण और ऊर्जीकरण किया जाएगा । 1990-91 में 600 नये नलकूपों का निर्माण और ऊर्जीकरण किया गया । 1991-92 में जितना पैसा सिंचाई विभाग द्वारा नये नलकूपों पर खर्च किया गया उतना पैसा 1992-93 में खर्च करने का काम नहीं किया गया है । लोक निर्माण विभाग के बारे में कहना चाहूंगा यह कहा गया है कि 350 गांवों को सड़कों से जोड़ा जाएगा, जिनकी आबादी एक हजार से लेकर 1499 तक है, उनको सड़कों से जोड़ने का काम करेंगे । 1992-93 में 350 गांवों को सड़कों से जोड़ने जबकि 1990-91 में 500 गांवों को जोड़ने का काम किया गया था, तो ऐसे तमाम आंकड़े हैं मैं बहुत ज्यादा लम्बा अपने भाषण को नहीं करना चाहता हूं इसी से स्पष्ट हो जाता है कि वास्तव में यह केवल पाखंड पूर्ण बजट है । इसी तरह से सामान्य प्रशासनिकी व्यवस्था का जिक्र किया गया है मान्यवर, मेरा मानना है कि किसी भी प्रदेश की प्रशासनिक क्षमता अगर अच्छी होगी, अगर शान्ति व्यवस्था अच्छी होगी तो निश्चित रूप से प्रदेश खुशहाली की तरफ जाएगा । नये बजट में प्रशासनिक सुधार की दृष्टि से कोई जिक्र नहीं किया गया है । प्रदेश के सुगमतापूर्वक संचालन के लिए सुधार की बहुत आवश्यकता है ।

मान्यवर, तमाम बड़े जनपद हैं बड़े जनपदों का बंटवारा होना चाहिए, पुनर्गठित होने चाहिए । आपके माध्यम से मैं माननीय वित्त मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि पूरे प्रदेश में फिर से सर्वेक्षण कराकर तमाम जनपदों का पुनर्गठन कराने का काम करें । प्रशासनिक व्यवस्था जिससे सुदृढ़ हो सके । मान्यवर, फैजाबाद जनपद पूरव से लेकर पश्चिम तक करीब 200 किलोमीटर लम्बा है इतने बड़े जिले में, और

इसी जिले में मान्यवर, अयोध्या की समस्या माननीय मंत्री जी ने पाखंड फैलाने के आधार पर खड़ी कर दी है आपका फैजाबाद का प्रशासन अयोध्या के मामले में व्यस्त रहता है । ....

[समय-7 बजे]

जिसके कारण से पूरे जनपद में शांति व्यवस्था और विकास कार्यों के रख रखाव के कार्य प्रभावित हो रहे हैं । आये दिन मंत्रिगण वहां पर जाते रहते हैं जिससे वहां का कार्य प्रभावित होता है । फैजाबाद का जो पूर्वी हिस्सा है उसकी मुख्यालय से दूरी 160-170 किलोमीटर है और दूसरी तरफ पश्चिमी हिस्से की मुख्यालय से दूरी 35 किलोमीटर है । मान्यवर, फैजाबाद एक महत्वपूर्ण जिला है जिसको आप अपने राजनीतिक जीवन का आधार बनाने जा रहे हैं और जिसको राजधानी बनाने जा रहे हैं । इसलिए मैं कहना चाहता है कि इसकी तरफ विशेष ध्यान दिया जाय । फैजाबाद में अकबरपुर, टांडा, जलालपुर तहसीलों को मिलाकर एक नया जिला बनायें । फैजाबाद जनपद के विकास को और उसके विकास के हित को देखते हुये, मैं कहना चाहता हूं, पिछली बार जवाहर रोजगार योजना के लिये, जो 80 प्रतिशत केन्द्र द्वारा पोषित योजना है, उसके लिये 6 करोड़ रुपये जो आवंटित किये गये वह लैप्स हो गये ।

माननीय वित्त मंत्री जी यहां पर वित्तीय प्रबंध की बातें करते हैं लेकिन 6 करोड़ रुपया लैप्स हो गया । इसलिए प्रशासकीय दृष्टि से फैजाबाद जिले का पुनर्गठन होना चाहिये और टांडा, अकबरपुर, जलालपुर को मिलाकर एक नया जिला सृजित करना चाहिये । आपने फैजाबाद और अयोध्या पर विशेष ध्यान दिया है इसलिये मैं मांग करता हूं कि फैजाबाद जनपद का बंटवारा करके टांडा को जनपद का केन्द्र बनाने की घोषणा करें । टांडा डा० राममनोहर लोहिया और आचार्य नरेन्द्र देव का स्थान रहा है । मैं कहना चाहता हूं कि इसकी तरफ विशेष ध्यान देने की कृपा करें । मान्यवर, मैं समझता हूं कि किसी भी जिले का विकास जब तक नहीं हो सकता है जब तक वहां पर कुटीर उद्योग तथा लघु उद्योगों को बढ़ावा न दिया जाय । हमारे बुनकरों का विदेशों तक में नाम था ऐसा कपड़ा बनाते थे कि थान के थान अंगूठी से निकल जाते थे, इतनी उनकी ख्याति थी ।

मैं समझता था कि बुनकरों की तरफ माननीय मंत्री जी की कृपा दृष्टि जरूर होगी क्योंकि मुझे जानकारी मिली है कि माननीय मंत्री जी के क्षेत्र में भी बहुत से बुनकर हैं । लेकिन इस बजट में बुनकरों के लिये कोई व्यवस्था न देखकर मुझे दुख हुआ है । उनको सस्ती दर पर धागा उपलब्ध करने के बारे में कोई व्यवस्था नहीं की गयी है । फैजाबाद जनपद में जो कताई मिल थी वह बंद पड़ी है उसको खोलने के बारे में कोई व्यवस्था नहीं की गयी है । बुनकरों के उत्पादित माल के विक्रय की कोई व्यवस्था नहीं की गयी है । पूर्व सरकार के समय में यह षोषणा की गयी थी कि किसानों की तरह बुनकरों के 10 हजार तक के कर्जों को माफ कर दिया जायगा । लेकिन उनका कर्जा माफ नहीं किया गया है जिससे उनके ऊपर कर्जों का भार और बढ़ गया है । इस बजट में भी कर्जे को माफ करने के लिये कोई व्यवस्था नहीं की गयी है ।

बुनकरों को जो बिजली उपलब्ध होती है उसके दाम भी कई गुने बढ़ा दिये गये हैं । आज पूरे प्रदेश के बुनकर भुखमरी के कगार पर हैं । बुनकरों की भारी उपेक्षा की गयी है । इसी तरह से मान्यवर, किसानों की उपज के दाम भी सही नहीं मिल पाते हैं और दूसरी दरफ सिंचाई के साधन जो खेती के लिये आवश्यक हैं उनकी भी व्यवस्था नहीं की जा रही है । इसी तरह से गांवों में सड़कों के निर्माण की

बात थी लेकिन इस बजट में कोई व्यवस्था नहीं है । फैजाबाद में 1987 में नवम्बर में, दुद्धी-लुम्बनी मार्ग पर घाघरा नदी पर पुल का शिलान्यास तत्कालीन मुख्य मंत्री माननीय वीर बहादुर सिंह द्वारा किया गया था ।

यही नहीं, फैजाबाद के गांधी के नाम से विख्यात जय राम वर्मा जो कि इस सदन के भी सदस्य रहे हैं, उनके नाम पर एक पुल की घोषणा की गयी थी । मैं समझता था कि अयोध्या में जो परिस्थिति होती है, चैत्र राम नवमी का मेला लगेगा, उससे वहां का आवागमन ठप्प हो जायगा, क्योंकि वहां पर एक ही पुल है, मैं समझता था कि उस एक पुल के बदले और पुल दिया जायगा ताकि इस तरह के जो पर्व आते हैं जिसमें अयोध्या में लाखों की भीड़ आती है, इसको देखते हुए टांडा में प्रस्तावित पुल जिसका शिलान्यास स्वर्गीय वीर बहादुर सिंह ने किया था, उसके लिये वित्त मंत्री राजेन्द्र गुप्त जी बजट में व्यवस्था करके पुल को बनवाएंगे, लेकिन उस पुल को बनवाने का काम नहीं किया गया है ।

मान्यवर, इसी तरह से टांडा, फैजाबाद जनपद का फैजाबाद शहर छोड़ने के बाद सबसे बड़ा नगर है । वहां की आबादी 80 हजार से ज्यादा है । टांडा में बुनकर बहुलता से रहते हैं । वहां पर कुटीर और लघु उद्योगों का जाल है । मान्यवर, शिक्षा के माध्यम में टांडा को बहुत पिछड़ने का काम किया गया है । वहां की 80 हजार की आबादी वाले नगर में एक भी राजकीय कन्या विद्यालय नहीं है । एक आर्य कन्या विद्यालय आर्य समाज के माध्यम से चल रहा है, उसमें भी साइन्स की व्यवस्था नहीं है । वहां साइन्स की व्यवस्था होनी चाहिये । टांडा में एक राजकीय कन्या विद्यालय की स्थापना होनी चाहिये । मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि टांडा में राजकीय कन्या विद्यालय खोलने की घोषणा करें और टांडा के थरुआपुल को यथासमय पूरा कराएं ।

इसी तरह से टांडा थर्मल प्रोजेक्ट है, 440 मेगावाट का प्रोजेक्ट है । आज उनके वित्तीय प्रबंध की कुव्यवस्था और अव्यवस्था के कारण टांडा थर्मल प्रोजेक्ट जो 10 मेगावाट बिजली उत्पादन करता है, 15 दिनों से बन्द पड़ा है । पानी की व्यवस्था नहीं हो पा रही है । उसमें जो सिविल कार्य कराया गया था, उसके लिये पैसे की व्यवस्था नहीं कर पा रहे हैं, इसके कारण प्रदेश का विकास नहीं हो पा रहा है । इसलिये मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि टांडा थर्मल प्रोजेक्ट जिसको 1982 में पूरी तरह से पूरा हो जाना चाहिये था, उसकी चारों यूनिटें 1982-83 तक पूरी होनी चाहिये थीं, उसको तत्काल पूर्ण करने के लिये वित्त की व्यवस्था कराएं । साथ ही जो 1400 कृषक बेघरबार किये गये जिसमें किसानों को उजाड़ने का काम किया गया, उस समय सरकार ने वादा किया था, विद्युत परिषद ने वादा किया था कि जिन काश्तकारों को बेदखल कर रहे हैं उनके परिवार के एक व्यक्ति को नौकरी दी जायगी । बाद में संशोधित कर दिया कि 50 परसेंट से ऊपर वालों को देंगे । आज स्थिति यह है कि 100 परसेंट से ऊपर वाले 400 व्यक्तियों को नौकरी नहीं दी गयी है जबकि 1978 में अधिग्रहण किया गया था ।

वित्त मंत्री जी से निवेदन करुंगा कि टांडा की बिजली केवल टांडा को नहीं पूरे प्रदेश के लिये पैदा की जाती है । मैं निवेदन करना चाहता हूं कि टांडा पर विशेष कृपा करके यथासमय चारों यूनिटों को पूरा कराएं और उनके परिवारों को नौकरी दिलाने की व्यवस्था करें । इन शब्दों के साथ मैं प्रस्तुत बजट को, जो कि निराशाजनक और पाखंड पूर्ण है, इसका विरोध करता हूं ।

श्री उपाध्यक्ष–

बजट पर सामान्य चर्चा जारी रहेगी, अब विद्युत अव्यवस्था के कारण सदन को ज्यादा जारी रखना सम्भव नहीं हो पा रहा है । जो भी माननीय सदस्य इस पर बोलना चाहेंगे, वह कल बोलेंगे । विद्युत व्यवस्था के कारण जो भी माननीय सदस्य बाहर निकलेंगे, उनका निकलना मुश्किल हो जायगा ।

श्री हरि शंकर तिवारी–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी के द्वारा जो यह बजट रखा गया है, यह किसान विरोधी, गांव विरोधी, पूर्वांचल विरोधी और पाखंड से परिपूर्ण है । पूर्वांचल के हमारे गृह मंत्री जी रहने वाले हैं । पूर्वांचल के लिए बहुत कम बजट रखा गया है । माननीय गृह राज्य मंत्री जी यदि सहमत हों तो हिम्मत करके कह दें कि पूर्वांचल के लिए अब किसी प्रकार के धन की आवश्यकता नहीं है और विकास के सारे काम पूरे हो चुके हैं, तो मैं वहां पर जाकर कह दूंगा कि माननीय गृह राज्य मंत्री जी ने यह कहा है कि देवरिया जनपद के लिए पर्याप्त बजट है ।

1991-92 में जो पूर्वांचल निधि की व्यवस्था की गयी थी, उसका धन आज तक प्राप्त नहीं हुआ है । पूर्वांचल के साथ न्याय नहीं किया गया है । इसलिए मैं माननीय वित्त मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि पूर्वांचल के लिए निधि में कम से कम 200 करोड़ की व्यवस्था करें, ताकि जो पूर्वांचल के लिए रोजगार आदि से उपेक्षित रहे हैं, वहां पर भुखमरी, बेकारी से राहत मिल सके ।

गृह राज्य मंत्री (श्री सूर्य प्रताप शाही)–

आपकी सरकार अब की, तब भुखमरी थी, अब भुखमरी नहीं है ।

श्री हरि शंकर तिवारी–

मान्यवर, मैं अपने क्षेत्र के दुःख से आपको अवगत हूं, इसलिए मैं पूर्वांचल के बारे में कह रहा हूं ।

श्री उपाध्यक्ष–

माननीय तिवारी जी, आप कृपया समाप्त करें ।

श्री हरि शंकर तिवारी–

मान्यवर, दो मिनट में मैं समाप्त कर दे रहा हूं । मैं आपके संरक्षण में दो मिनट का समय चाहता हूं ।

संसदीय कार्य राज्य मंत्री (श्री हरद्वार दुबे)–

मान्यवर, आप विपक्ष के सदस्य हैं, 7 मिनट तो ये बोल लिये ।

(व्यवधान)

श्री हरि शंकर तिवारी–

माननीय उपाध्यक्ष जी, जो इस बजट में घाटे का प्राविधान किया गया है, इसको कैसे माननीय मंत्री जी पूरा करेंगे, इसको भी परिलक्षित नहीं किया गया है । हमारे यहां पर प्राविधिक एवं शिक्षा मंत्री जी पूर्वांचल के ही हैं, लखनऊ से लेकर पटना तक कोई भी ऐडवांस टेक्नालाजी का इंस्टीट्यूट नहीं है । आप वहां पर ऐडवांस टेक्नालाजी इंस्टीट्यूट खोलवायें, ताकि वहां के छात्रों को, वहां के नागरिकों को उसका लाभ प्राप्त हो सके और इन्सेफ्लाइटिस की बीमारी से हजारों आदमी मर जाते हैं । मेरा सुझाव है

कि इस बीमारी से लोगों को बचाने के लिये गोरखपुर मेडिकल कालेज में एक रिसर्च सेंटर की स्थापेना की जाये जिससे लोगों को इस बीमारी से बचाया जा सके । मान्यवर, हमारे क्षेत्र में बड़हलगंज और कोतवाली थाना हैं, वहां पर शराब का धंधा बड़े जोरों से चल रहा है । इस व्यापार से लाखों रुपये की आमदनी वहां के अधिकारी करते हैं । यह बहुत ही भीषण बात है । इसके साथ ही साथ डकैती और राहजनी की घटनायें बढ़ गयी हैं और इनको पुलिस का संरक्षण प्राप्त है ।

रोजाना ट्रकें लूटी जा रही हैं और हमारे गृह मंत्री जी अपनी पीठ थप-थपा कर देवरिया से लौट आते हैं । मान्यवर, विकेन्द्रीयकरण की बात कही गयी । गोला तहसील है, जिससे क्षेत्र की दूरी लगभग 50 क़िलोमीटर दूर है, इसलिये मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि वहां पर एक तहसील मुख्यालय की स्थापना की जाये । सिंचाई में 1,2 और 3 का अनुपात है हमारे देश और प्रदेश में एक हेक्टेयर में 1200 और 1300 किलोग्राम की पैदावार है लेकिन और देशों में चीन में यह पैदावार 5000 किलोग्राम है । मान्यवर मैं कहना चाहता हूं कि यदि सिंचाई की सुविधा दे दी जाये तो यहां पर भी पैदावार बढ़ सकती है । मैं चाहता हूं कि पूर्वांचल के जो लोग यहां पर बैठे हैं वह पूर्वांचल विकास निधि में बढ़ोत्तरी करावें, जिससे पूर्वांचल का विकास हो सके ।

श्री उपाध्यक्ष–

सामान्य चर्चा जारी रहेगी ।

उत्तर प्रदेश आमोद और पणकर (संशोधन) विधेयक, 1992

संस्थागत वित्त, राज्य मंत्री (श्री हरद्वार दुबे)–

मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश आमोद और पणकर (संशोधन) विधेयक, 1992 पर विचार किया जाये ।

मान्यवर, प्रदेश में लगभग 950 सिनेमा गृह हैं जिनसे लगभग 70-75 करोड़ रुपये की आमदनी होती है । पिछले 5 वर्षों से वी० डि० ओ० और केबिल टी० वी० पिक्चर के प्रदर्शन से सिनेमा घरों में दर्शक की संख्या बहुत कम हो गयी है और बहुत से सिनेमा घर तो बन्द होने की कगार पर आ गये हैं । इसलिये केन्द्रीय सरकार ने भी निर्देशित किया कि किस प्रकार से सिनेमा उद्योग को संरक्षण प्रदान किया जाये और इसी कारण सिनेमा प्रदर्शकों से विचार विमर्श किया गया और एक बिन्दु सरकार के सामने आया कुल राजस्व का कुछ अंश सिनेमा घरों के मेन्टीनेन्स के रूप में दिया जाये, लेकिन वित्त की कमी को देखते हुये यह सुझाव सरकार को मान्य नहीं हुआ, लेकिन यह तय हुआ कि 25 पैसा प्रति टिकट अधिभार के रूप में लेने की सिनेमा मालिकों को अनुमति दी जाये, जिससे वह इसे मेन्टीनेन्स के रूप में प्रयोग में ला सकें । इसके अतिरिक्त वातानुकूलित सिनेमा मालिकों ने जिन्हें वर्ष में 15 मार्च से 15 सितम्बर तक की अवधि के दौरान सिनेमा में आमोद के प्रवेश के लिये भुगतान करने वाले व्यक्तियों से क्रमशः 10 पैसे और 25 पैसे का अधिभार वसूल करने की अनुमति दी गयी है । मान्यवर, इसी सम्बन्ध में यह एक छोटा सा विधेयक लाया गया है जिसे स्वीकार करने की कृपा करें ।

श्री उपाध्यक्ष–

श्री सुरेश प्रताप गांधी उपस्थित नहीं हैं ।

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश आमोद और पणकर (संशोधन) विधेयक, 1992 पर विचार किया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

खण्ड 2, खण्ड 1, प्रस्तावना और शीर्षक

उत्तर प्रदेश आमोद और पणकर (संशोधन) विधेयक, 1992

चलचित्र दर्शकों को अतिरिक्त सुविधा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से उत्तर प्रदेश आमोद और पणकर अधिनियम, 1979 का अग्रतर संशोधन करने के लिए

विधेयक

भारत गणराज्य के तैंतालीसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है–

1–(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश आमोद और पणकर (संशोधन) अधिनियम, 1992 कहा जायगा । — संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

(2) यह ऐसे दिनांक को प्रवृत्त होगा जिसे राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, इस निमित्त नियत करें ।

2–उत्तर प्रदेश आमोद और पणकर अधिनियम, 1979 की धारा 3-क में,—

(क) पार्श्व शीर्षक में, शब्द ''वायुशीतित के पूर्व शब्दं ''सिनेमा अनुरक्षण और'' बढ़ा दिये जायेंगे· — उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 28 सन् 1979 की धारा 3-क का संशोधन

(ख) उपधारा (1) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रख दी जायगी, अर्थात्—

''(1) इस अधिनियम में दी गयी किसी बात के होते हुए भी, किसी सिनेमा का मालिक ऐसे सिनेमा में किसी आमोद में प्रवेश के लिए भुगतान करने वाले व्यक्ति से—

(क) पच्चीस पैसे का अतिरिक्त प्रभार वसूल कर सकता है जिसका उपयोग सिनेमा परिसर के अनुरक्षण के लिए किया जायगा ;

(ख) केन्द्रीय वायुशीतित या केन्द्रीय वातानूकूलित सिनेमा की स्थित में, किसी वर्ष में पन्द्रह मार्च को प्रारम्भ होने वाली और अगले पन्द्रह अक्टूबर को समाप्त होने वाली अवधि के दौरान वायुशीतन या वातानुकूलन सुविधा के लिये क्रमशः दस पैसे और पच्चीस पैसे का अग्रतर अतिरिक्त प्रभार वसूल कर सकता है :

परन्तु, किसी प्रोत्साहन योजना के अधीन राज्य सरकार से सहायता अनुदान पाने वाले किसी सिनेमा का मालिक ऐसी अवधि के दौरान जब तक वह ऐसा सहायता अनुदान प्राप्त करता है, खण्ड (क) के अधीन अतिरिक्त प्रभार वसूल करने का हकदार नहीं होगा ।''

(ग) उपधारा (3) के स्थान पर, निम्नलिखित उपधारा रख दी जायगी, अर्थात्...

"(3) जहां–

(क) उपधारा (1) के खण्ड (क) में निर्दिष्ट अतिरिक्त प्रभार का उपयोग सिनेमा परिसर के अनुरक्षण के लिये न किया गया हो ;

(ख) उपधारा (1) के खण्ड (क) में निर्दिष्ट अतिरिक्त प्रभार की वसूली यथास्थिति, वायुशीतन या वातानुकूलन की सुविधा की व्यवस्था किये बिना, की गयी हो,

वहां इस प्रकार वसूल की गयी धनराशि को आमोद में प्रवेश के लिये अतिरिक्त भुगतान और उस पर देय आमोद कर का योग समझा जायगा ।"

श्री उपाध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि खण्ड-2 खण्ड-1, प्रस्तावना और शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायं ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री उपाध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश आमोद प्रमोद और पणकर विधेयक 1992 पारित किया जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

नियम 51 के अन्तर्गत सूचनायें

श्री उपाध्यक्ष–

आज दिनांक 31 मॉर्च, 1992 को नियम 51 के अन्तर्गत कुल 12 सूचनायें प्राप्त हुई हैं । पहली श्री लाखी राम जोशी जी की सूचना है गढ़वाल मण्डल के विद्युत अप्रेन्टिस बेरोजगारों को राज विद्युत परिषद् के अन्तर्गत रिक्त पदों पर नियुक्त किये जाने के संबंध में है, इसे वक्तव्य के लिये स्वीकार किया गया, दूसरी सूचना श्री सुरेन्द्र सिंह की जनपद गाजीपुर के परगनाधिकारी जमानियां के कार्यालय के टंकक एवं एक अधिवक्ता के मध्य विवाद को लेकर कलेक्ट्रेट कार्यालय में चल रही हड़ताल से उत्पन्न स्थिति के संबंध में है इस सूचना को केवल वक्तव्य के लिये स्वीकार किया गया, तीसरी सूचना श्री बी० आर० वर्मा की लोक शिक्षा परिषद् इन्टर कालेज गोपालपुर सरदहा, आजमगढ़ के अवकाश प्राप्त प्रधानाचार्य द्वारा विद्यालय के महत्वपूर्ण अभिलेखों को घर उठा ले जाने एवं कथित रूप से लाखों रुपये का गबन किये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में हैं इस सूचना की ओर से शासन का ध्यान आकृष्ट किया गया । श्री विक्रमाजीत मौर्य एवं श्री अकबर की सूचना की ओर शासन का ध्यान आकृष्ट किया गया । अन्य सूचनायें निरस्त की गयीं । जो निरस्त की गयी वह इस प्रकार है माननीय हृदय नारायण दीक्षित जी, श्री रमेश पोखरियाल, श्री मातबर सिंह कण्डारी, श्री अखिलेश, श्री लाल जी वर्मा, श्री हरिवंश सहाय एवं श्री स्वामी नाथ यादव तथा श्री हरिशंकर तिवारी की है इन सूचनाओं को अस्वीकार किया गया ।

श्री हरिशंकर तिवारी–

मान्यवर, किस आधार पर निरस्त की गयी ।

जनपद देवरिया की छोटी गण्डक तथा गोरकपुर के फरेन नाले एवं बस्ती की आमी नदी में फैक्टरियों द्वारा जहरीला पानी छोड़े जाने के संबंध में नियम 51 के अन्तर्गत वक्तव्य का स्थगन

श्री उपाध्यक्ष–

इसे माननीय मंत्री जी के अनुरोध पर स्थगित किया जाता है ।

श्री रवीन्द्र प्रताप–

मान्यवर, यह मेरा प्रश्न है और बहुत ही महत्वपूर्ण है ।

श्री उपाध्यक्ष–

माननीय मंत्री जी ने अनुरोध किया है कि इसे स्थगित कर दें, इसलिये इसे स्थगित किया है ।

श्री स्वामी नाथ यादव–

मान्यवर, यह बड़ा महत्वपूर्ण है । इसे ले लें ।

श्री उपाध्यक्ष–

यदि आप सहमत हों तो विद्युत आपूर्ति में अव्यवस्था के कारण मद संख्या 13 से 16 तक स्थगित कर दिया जाय ?

वित्त, संस्थागत वित्त, संसदीय कार्य एवं नियोजन मंत्री (श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त)–

ठीक है मान्यवर, स्थगित कर दें ।

[सदन की सहमति से विद्युत आपूर्ति में गड़बड़ी के कारण निम्नलिखित मद संख्या 13 से 16 तक के वक्तव्य (वक्तव्य एवं चर्चा) स्थगित किये गये]

जनपद फैजाबाद की अकबरपुर तहसील व निकटवर्ती जनपदों में सहकारी चीनी मिल के लिये जमा कराये गये अंशधन की ब्याज सहित वापसी अथवा चीनी मिल स्थापना की स्पष्ट घोषणा के संबंध में नियम 51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर वक्तव्य का स्थगन

प्रदेश में निःशुल्क बोरिंग योजना में व्याप्त भ्रष्टाचार एवं अनियमितता के संबंध में नियम 51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर वक्तव्य का स्थगन

जनपद आजमगढ़ के अन्तर्गत गोहनारपुर अदालत-पंचायत की ग्राम सभाओं में दोहरी शासन व्यवस्था से उत्पन्न स्थिति के संबंध में नियम 51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर वक्तव्य का स्थगन

उत्तर प्रदेश सरकार के दिनांक 9 अप्रैल, 1991 के शासनादेश सं०-871 ई/23-लो०नि०-11 पर वर्तमान सरकार द्वारा रोक लगाये जाने विषयक, दिनांक 27 फरवरी, 1992 को पूछे गये अता० प्र० सं०-96 पर, नियम-49 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर चर्चा का स्थगन

श्री उपाध्यक्ष–

अब हम उठते हैं, कल 11 बजे पुनः बैठेंगें ।

(इसके बाद सदन 7 बजकर 25 मिनट पर अगले दिन के 11 बजे तक के लिये स्थगित हो गया)

लखनऊ :

31 मार्च, 1992

प्रेम चन्द्र सक्सेना,

सचिव, विधान सभा,

उत्तर प्रदेश ।

नत्थी 'क'

[देखिये अता० प्र० सं० 74 का उत्तर पीछे पृष्ठ 55-56 पर)

दिनांक 30-6-91 से 25-12-91 तक हुई डबल हत्याओं के संबंध में विवरण

क्र०/नाम थाना	मृतकों के नाम व पते	अभियुक्तों के नाम व पते	गिरफ्तार किये गये अथवा नहीं	दि० 30-6-90 से 25-12-90 की अवधि में हुई डबल हत्याओं की सं०
1	2	3	4	5
1–सेरामऊ दक्षिणी	1–रामेश्वर दयाल पुत्र दिखराज बढ़ई नि० ग्राम-कुतुआपुर प० थाना से० द० । 2–द्वारिका पुत्र दुलार किसान नि० ग्रा० कुतुआपुर प०, थाना से० द० ।	1–राम रतन पुत्र द्वारिका, नि० कुतुआपुर प० 2–राम औतार पुत्र द्वारिका ,, 3–हरीराम पुत्र द्वारिका ,, 4–राम किशोर पुत्र द्वारिका ,, 5–जगरूप पुत्र द्वारिका ,, 6–रईस पुत्र द्वारिका ,, 7–राम प्रकाश पुत्र राकेश्वर दयाल ,, 8–राजेश पुत्र रामेश्वर दयाल ,,	क्रमांक 1 से 7 तक गिरफ्तार किये गये तथा क्रमांक 8 दि० 10-12-91 को न्यायालय में हाजिर हुआ ।	शून्य
2–थाना निगोही	1–प्यारे लाल पुत्र केसर लाल धानुक 2–लाल बहादुर उर्फ लाल सहाय पुत्र परसादी लाल धानुक निवासीगण ग्राम पड़री मरोड़ी, थाना बिलसण्डा, पीलीभीत ।	1–श्री प्रीतपाल सिंह उर्फ प्रताप सिंह उर्फ दरोगा सिंह पुत्र दृगपाल सिंह 2-वीरपाल सिंह पुत्र दृगपाल सिंह नि० ग्राम परसरा, थाना निगोही । 3–हरिशचन्द्र सिंह पुत्र हंसराज सिंह नि० सैजनी, थाना मूसाझाग, जनपद बदायूं हाल ग्राम–परसरा खास थाना निगोही	सभी अभियुक्तों ने न्यायालय में समर्पण किया ।	शून्य

अनुसंधान सभा

3–सिधौली	1–सुरेन्द्र सिंह उर्फ मूला सिंह पुत्र बाबू सिंह नि० गहरा थाना सिंधौली शाहजहांपुर । 2–वीरेन्द्र कुमार उर्फ छोटे तिवारी पुत्र बालकराम नि० ब्ररैचा, थाना मोहम्मदी लखीमपुर खीरी	1–गोपी 2–कलक्टर 3–श्रीराम पुत्रगण गहरे धानुक ग्राम बैरारी 4–प्रकाश पुत्र लक्ष्मण 5–वाहित पुत्र हबीब उल्ला 6–इरशाद पुत्र नजर अली निवासीगण ग्राम-गहरा 7–रामकिशोर पुत्र राम सहाय निवासी ग्राम बबेरी थाना-सिधौली, जनपद शाहजहांपुर ।	सभी अभियुक्तों ने न्यायालय में समर्पण किया और जेल में है ।	शून्य
4–पुवाया	1–बाबू सिंह पुत्र कमान सिंह 2–श्रीमती सोनवती पत्नी बाबू सिंह नि० ग्राम पटवा थाना पुवाया ।	1–होशियार सिंह पुत्र भारत सिंह 2–राकेश सिंह पुत्र होशियार सिंह नि० ग्राम भटपुरा, थाना पुवाया ।	होशियार सिंह को गिरफ्तार किया गया तथा राकेश सिंह ने न्यायालय में आत्म-समर्पण किया आरोप पत्र प्रेषित कियां जा चुका है ।	शून्य
5–सेरामऊ उत्तरी	1–दलजीत सिंह पुत्र महेन्द्र सिंह 2–गुरमेज सिंह पुत्र दलजीत सिंह 3–सतविन्द्र सिंह पुत्र दलजीत सिंह नि० ग्राम दुर्जनपुर, थाना से० उ० ।	10-12 सिख आतंकवादी नाम पता अज्ञात	विवेचना जारी है ।	शून्य
6–बण्डा	शून्य	शून्य	शून्य	

उत्तर प्रदेश विधान सभा

1	2	3	4	5
7–जलालाबाद	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
8–रौजा	1–श्रीमती धासी देवी पत्नी मगरे 2–मगरे लाल पुत्र बहादुर जाटव 3-प्रेम चन्द्र पुत्र मगरे लाल जाटव निवासीगण ग्राम हुसैनापुर, थाना रौजा ।	1–नोखे पुत्र डोरी 2–सोबरन जाटव पुत्र डोरी 3–राम कुमार पुत्र मोहन 4–महेन्द्र पुत्र मोहन 5–चेतराम पुत्र डोरी नि० गण हुसैनापुर, थाना रौजा । 6–अबरार पुत्र अजमुल्ला नि० भावलखेडा, थाना रौजा ।	अभियुक्त चेतराम को दिनांक 17-8-91 को गिरफ्तार किया गया ; नोखे, सोबरन व रामकुमार ने दि० 13-9-91 को न्याया० में आत्म समर्पण किया । शेष अभियुक्तों के विरुद्ध 23-8-91 को 82/83 की कार्यवाही की गयी ।	शून्य
९–कोतवाली	1–सोनवती पत्नी रामपाल नि० ग्राम इमलिया, थाना वीसलपुर, पीलीभीत । 2–रनेश पुत्र परनलाल नि० ग्राम बौनी, थाना वीसलपुर ।	1–रामपाल पुत्र रैबारी 2–जगदीश पुत्र रामपाल 3–राम निवास पुत्र रामपाल नि० ग्राम इमलिया, थाना वीसलपुर, पीलीभीत ।	सभी का चालान न्यायालय से किया गया ; केवल रामपाल को 13-12-91 को पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया ।	शून्य
10–चौकी अल्लागंज	1–श्रीमती गंगादेवी पत्नी सीताराम 2–रामलखन उर्फ छोटे पुत्र सीताराम नि० फतेहपुर, चौकी अल्लागंज, शाहजहांपुर ।	1–मुनई लाल पुत्र रामसहाय 2-राकेश पुत्र मुनईलाल नि० फतेहपुर चौकी अल्लागंज । 3–प्रकाश नि० जखा, फर्रुखाबाद 4–हरीबाबू नि० विरियानगला, फर्रुखाबाद ।	अभियुक्त मुनई लाल को गिरफ्तार किया गया शेष अभियुक्तों ने जनपद फर्रुखाबाद में आत्म-समर्पण किया । सभी का चालान किया जा चुका है ।	शून्य

11–खुटार	1–त्रिलोक सिंह 2–प्रताप सिंह पुत्र त्रिलोक सिंह ग्राम मैनिया, थाना खुटार, शाहजहांपुर ।	5-6 व्यक्ति नाम, पता अज्ञात, सिख आतंकवादी	विवेचना जारी है ।	शून्य

ह०/ पुलिस अधीक्षक,
शाहजहांपुर ।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

पी० एस० यू० पी०–एल० 127 विधान सभा (206)–1993–572 (डी० टी० पी०) ।

उत्तर प्रदेश विधान सभा